राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का अठारहवां दिवस [संख्या : 11

शुक्रवार

17 मार्च, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल।

हिन्दू एवं जैन धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियों के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण

167. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पुस्तक हकीकत के लेखक सी.के.मैथ्यू द्वारा अपनी पुस्तक में हिन्दू व जैन धर्म के देवी देवताओं पर अपमान एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सन्दर्भ में पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): (1) जी हां। इस पुस्तक 'हकीकत' के लेखक सी.के.मैथ्यू न होकर एम.जी. मैथ्यू है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) जी हां। इस पुस्तक की सामग्री समाज विशेष की भावनाओं को आहत एवं ठेस पहुंचाने वाली माना जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.2.2006 द्वारा पुस्तक की प्रत्येक प्रति, री प्रिंट, अनुवाद, उद्धरणों से युक्त समस्त दस्तावेजों को समपहृत घोषित किया गया है । इस अनुक्रम में पुलिस थाना भीमगंज मण्डी जिला कोटा शहर में अपराध संख्या 56 दिनांक 14.2.2006 पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषणाधीन है, जिसमें चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । यह जवाब बनाया था आज एक और उनका लड़का भी कल दिल्ली में गिरफ्तार हो गया है । इस तरह से पांच लोग इसमें गिरफ्तार हो गये हैं । इसके अतिरिक्त थाना उद्योग नगर, जिला कोटा शहर में अपराध संख्या 47 दिनांक 14.2.2006 पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषणाधीन है एवं इस प्रकरण में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सब मिलाकर अभी तक पांच अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में तीन अलग अलग एफ.आई.आर दर्ज हुई हैं । एक एफ आई आर संख्या 5806, एक 472 और एक एफ आई आर संख्या 61/06, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रि महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस पुस्तक को लेकर पूरे राजस्थान में हिन्दू समाज की भावना उद्वेलित है और जो अंश इस पुस्तक में लिखे हैं जिनको मैं पढ़कर आपके सामने रखना चाहता हूं, ज्ञानी लोगों के लिए हिंदुत्व एक मूर्खता मात्र है, घोर अज्ञानता है, ज्ञानी जानता है कि गाय, सांप, बंदर, पशु, प्राणी, पीपल, पेड़, तुलसी, पौधा, सूरज, चन्द्रमा, गंगा, नर्मदा नदियां हैं और इससे आगे माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लिखते हैं भारत माता एक कल्पना है और सभी बेजान पुतले धूर्त लोगों की कल्पना के पात्र होकर कठपुतलियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं ...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जब यह किताब बैन कर दी उनके एब्सट्रेक्ट्स को कैसे पढ़ा जा सकता है , टोटली जब बैन कर दी है यह किताब आपने ।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): यह मैम्बर का प्रिविलेज है असेम्बली में ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उस किताब को कैसे पढ़ा जा सकता है ?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): यह मेरा प्रिविलेज है ..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उस किताब को पढ़ा नहीं जा सकता है ..(व्यवधान) आपने जिस किताब को बैन कर दिया ..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): किताब में क्या लिखा है वह सदन को मालूम तो पड़े न सदन में कि किताब में क्या लिखा हुआ है? ...(व्यवधान) उसमें तकलीफ हो रही है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे मन्त्रीजी, उनको पूछने का अधिकार है, आप जवाब नहीं देंगे । मंत्रीजी ।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल कर रहा हूं , माननीय मंत्रि महोदय मेरा सवाल पूरा होने दें।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय मंत्रि महोदय जवाब दे रहे हैं उसके बीच में माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष: आप क्या बोल रहे हैं ? जब आसन ने कह दिया तो आप क्या बोल रहे हैं?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पूरा होने दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसे ही हमें यह सूचना मिली कि इस प्रकार की कोई पुस्तक है जिसमें लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा, हमने कांस्टेबल भेजकर वहां से पुस्तक खरीदी और उसका बिल भी उसके साथ लेकर आए उसके बाद हमने पूरी पुस्तिका का अध्ययन किया। उसमें जो कंटेंट थे जिनके आधार पर हमने इसको प्रतिबंधित किया उसमें से कुछ कंटेंट हमने इसी कारण से किया कि इसके कंटेंट इतने लोगों को उद्वेलित करने वाले थे कि अगर कोई भी पढ़ेगा तो सामान्य व्यक्ति में एक आक्रोश आना स्वाभाविक है उसमें से कुछ बिंदु हमने जिसको लेकर यहां इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है उसमें था, परन्तु हिन्दूवादियों का कहना कि लुटेरों के त्यौंहारों हाथों में इस राष्ट्र को पीड़ित कर रखा है और यह भी इस महामारी की भूमि को मुक्त करना चाहता हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलेंगे...(व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलेंगे ।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय मंत्रि महोदय जवाब दे रहे हैं उसके बावजूद यह प्रतिपक्ष के सदस्य अपनी गरिमा नहीं जानते...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले सदस्य, आपको क्या हो गया है ?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह हमारी गरिमा की बात है ...

श्री अध्यक्ष: आसन है ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अस्मिता का सवाल है। इन लोगों को क्या हक है, हमारे हिंदुओं के ऊपर इतना...

श्री अध्यक्ष: आपको क्या हो गया है ?....(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ...कुठाराघात किया गया है । इन लोगों को क्या हो गया है, हमारी अस्मिता का सवाल है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन आपसे आग्रह करता है आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तुम नकली हिन्दुओं से ज्यादा कट्टर हिन्दू हो ..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हिन्दू समाज के धूर्त लोगों तुम्हारे कारण ही हिन्दू समाज पिछड़ा हुआ है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, आपके मंत्रीजी सक्षम हैं सब बातों का जवाब देंगे, आपको बीच में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है ..(व्यवधान) माननीय सदस्य, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य अस्मिता की बात बार बार करते हैं अस्मिता के लिए सब हिफाजत करने वाले हैं । आप इस तरह से बीच-बीच में नहीं खड़े हुआ करें, आपको क्या उत्तेजना हो जाती है? इनको भी प्रश्न पूछने का हक है ...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हिन्दू समाज के खिलाफ क्या बोलेंगे ...

श्री अध्यक्ष: आपके मंत्रीजी सक्षम हैं वह जवाब देंगे इन बातों का । आप बीच में क्यों खड़े होते हैं ? सत्ता पक्ष के कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं होंगे । माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आदरणीय, जो इन्होंने कहा..(व्यवधान) एक्सपंज किया जाए।

श्री अध्यक्ष: आपको क्या हो गया, कपासन से आते हैं ना आप ? क्या हुआ आपको क्या तकलीफ हो गयी ?

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): इन्होंने नकली हिन्दू कहा साहब ।

श्री अध्यक्ष: फिर वही बात ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने 13.2 को जिस पुस्तक का अध्ययन किया उसे प्रतिबंधित करने के आदेश के साथ हमने उसके कुछ कंटेंट लगाकर के कि ये-ये चीजें इसमें थीं जिसके कारण से हमने 13.2 को इसको प्रतिबंधित किया उसमें भावना... राम एक दुर्बलता का उदाहरण है यहां तक कि वह अपनी पत्नी के प्रति भी अच्छा नहीं रहा उसका जीवन पूर्णत: निराश और हताश इंसान के समान रहा इसकी वजह से ...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, ऐसी बातें क्यों लाते हो आप कार्यवाही करो सख्त से सख्त, इस तरह की बातें रिकार्ड पर लाना अच्छा समझते हो क्या ?..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लायेंगे रिकार्ड पर ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए... (व्यवधान) इसलिए आप रिकार्ड पर मत लाइये । मेरे कहने का निवेदन इतना ही है कि भगवान राम के बारे में इस तरह की बातें रिकार्ड पर मत लाइये.... (व्यवधान) जो भी हुआ है गलत हुआ है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। चाहे आपकी मर्जी आए उनको जेल में ठूंसों, फांसी पर चढ़ाओ लेकिन ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके ध्यान में ला रहा हूं कि...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लेकिन भगवान राम के लिए जिस तरह के गलत शब्द उन्होंने कहे हैं आप कृपा करके सदन में उन गलत शब्दों को मत दोहराओ। आदरणीय मर्यादा पुरुष के लिए इतनी घटिया बात जो उन्होंने लिखी है, आप सदन में मत कहिये, मेरा आपसे यह निवेदन है, आप उनका कुछ भी करिये। क्योंकि एक गलती उन्होंने की कि हमारे देवी-देवताओं के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बात कही...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): दूसरी गलती आप कर रहे हैं, रिकार्ड पर लाकर। यहां हमारे देवी-देवताओं के खिलाफ जो बात उन्होंने गलत कही है उसको आप रिकार्ड पर ला रहे हैं। क्या अच्छा समझते हो इसको? (व्यवधान)

(श्री जुबेर खान)

इसकी निंदा की जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही करिये, आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं यह सदन को बताइये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मंदिर तो बना नहीं पाये, सारा पैसा गड़बड़ कर गये, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया और बात कर रहे हो इधर उधर की।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राम मंदिर का क्या ताल्लुक है इस प्रश्न से।(व्यवधान) मैं कहना चाहूंगी, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, क्या ताल्लुक है राम मंदिर का इस प्रश्न से?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राम का नाम आया है इसमें।

श्री अध्यक्ष: गलत बात है। तो क्या मतलब हुआ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राम के साथ तो राम मंदिर याद आयेगा, राम मंदिर का इन्होंने झांसा दिया था।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हो और आसन पांव पर होता है फिर आप जवाब देने खड़े हो जाते हो। इतना भी इंतजार नहीं करते हो कि आसन पैरों पर न हो और ऊपर से हंसते और हैं, गलती करके हंसते और हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा कि क्या यह सही है कि इस संदर्भ में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई? मैं उसी कार्यवाही का विवरण इसमें दे रहा हूं कि हमने इसको जब प्रतिबंधित किया तो उसके कुछ उद्धरण हमने निकाले उसमें उन्होंने लिखा है कि जिसकी वजह से उसे सरयू नदी में डुबो कर...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उससे फायदा क्या है? आप खुद रिकार्ड पर लाकर कार्यवाही करें। सरकार सक्षम है, कार्यवाही करे, फांसी दे। लेकिन रिकार्ड में लाकर आप क्या कार्यवाही करेंगे? कल अखबारों में वापस आयेगा, मतलब आप क्या चाहते हो? जो आदमी ने बात की वह रिकार्ड में लाना चाहते हो आप, यह क्या तरीका हुआ? (व्यवधान) इस प्रकार की बात अख़बार में लाना आप उचित समझते हो क्या ?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपको यह नहीं पूछा क्या लिखा है ?

(श्री सी.डी. देवल)

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में यह नहीं लिखा है, यह कहां लिखा हुआ है? (व्यवधान) इन्होंने कहा है कार्यवाही करिये। आप कार्यवाही बताइये। कार्यवाही कीजिये आप...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जब तक कोई बात रिकार्ड में नहीं आयेगी...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पूरी किताब को रिकार्ड में लाइये, एक अंक को नहीं लाइये। पूरी किताब को लाइये ज्यादा बढ़िया है। पूरी किताब को लाइये (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरी किताब में रिकार्ड में लायेंगे। एफ.आई.आर. का कंटेंट पढ़ रहे हैं(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी मंशा यही है पूरी रिकार्ड में लाइये, सबको मालूम है।(व्यवधान) यह कौनसा तरीका है? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड में हिन्दूवादी बिंदुओं का पर्दाफाश है (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने तो पूछा नहीं है एफ.आई.आर. में क्या लिखा हुआ है, माननीय गृह मंत्रि महोदय बतायेंगे(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज समाज के अंदर द्वेषता फैलाने का काम करना चाहते हैं लेकिन(व्यवधान) कार्यवाही का रेफरेंस दे दीजिये, किस धारा में आपने काम किया आप धारा का रेफरेंस दीजिये। धारा में कार्यवाही करिये। Why you are interested to quote this? आपको यदि कोट करना है तो पूरी किताब करिये (व्यवधान) We don’t want to plead it. आप धारा को कोट करिये(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज करने के कारण क्या थे? (व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): धारा कोट करिये, सज़ा दीजिये, फांसी दीजिये(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप इनसे जवाब दिला दीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): किस कारण से हमने प्रतिबंधित किया मान्यवर, यह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उन्होंने यह नहीं पूछा है क्या लिखा है? उन्होंने यह पूछा ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, क्या लिखा है ? आप इनसे जवाब दिलाइये। जवाब तो दे नहीं रहे हैं रिकार्ड में ला रहे हैं। काहे को जो बात नहीं है उसको रिकार्ड में ला रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कि जिसकी वजह से सरयू नदी में कूदकर आत्महत्या करके दुखों से निजात पायी। उनके जीवन के प्रत्येक कदम में..(व्यवधान) गुण रूप में असफल रहा। उसकी प्रेम कथाएं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हर एफ.आई.आर. को लाना पड़ेगा आप फैसला कर दीजिये। कटारिया साहब, एक मिनट (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसके अनियंत्रित (व्यवधान) कानून की भर्त्सना और लड़ाई झगड़े में (व्यवधान) प्रेमी की एक तस्वीर पेश कर दी है। मैं सोचता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप छोड़ दें तो (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, हर एफ.आई.आर. को कोट करना पड़ेगा। या तो धारा कोट करके कार्यवाही करिये और एफ.आई.आर. कोट करना है तो हर केस में एफ.आई.आर. दर्ज करिये। फैसला कर लीजिये आप हम एग्री हैं। हर केस में एफ.आई.आर. कंटेंट लिखना पड़ेगा आपको (व्यवधान) हिन्दू आदमी हूं इसलिये (व्यवधान) आप कार्यवाही करिये क्या तकलीफ है(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (नगरीय विकास एवं आवासीय राज्य मंत्री): क्यों बैन किया है यह तो लिखना पड़ेगा। यह तो करना पड़ेगा यह रिकार्ड में लाकर ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमारा सवाल यह है कि इस तरह की बात सदन में मत कहिये। आप कार्यवाही करिये, आप फांसी दीजिये, आप जेल में भेजिये लेकिन आपके मुंह से देवी देवताओं के प्रति इस तरह के शब्द, आप यहां मत कहिये अपने मुंह से। देवी देवताओं के प्रति इतने अपमानजनक शब्द इस सदन में नहीं कहने चाहिये। हमारा आब्जेक्शन है कि देवी देवताओं के लिये इस तरह के अपमानजनक शब्द सदन में नहीं कहे जाने चाहिये गृह मंत्री द्वारा जो कि एक अपराधी ने किया है तो आपको (व्यवधान) यह गलत

(श्री जुबेर खान)

परम्परा है कि हमारे देवी देवताओं के प्रति अपशब्द इस सदन में कहे जायें। यह बड़ा अशोभनीय है और दुर्भाग्य है। कार्यवाही कीजिये, आप धारा बताइये, आप जेल में भेजिये, आप उनको फांसी पर चढ़ाइये लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि हमारे देवी देवताओं के प्रति गलत अपशब्द आप विधान सभा में कहें। आप अपने मुंह से नहीं कहें (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रश्नकर्ता यह पूछ रहे हैं कि आपने क्या कार्यवाही की, उसका जवाब दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (शिक्षा राज्य मंत्री): बताने में क्या आपत्ति है? सुनने में क्या आपत्ति है यह बताइये। आप थामस का समर्थन क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान) इसमें आपको आपत्ति क्या है, यह बताइये (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): माननीय सदस्य, सिरोही वालों की आप पैरवी कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी ने एक शब्द (व्यवधान)...

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इस प्रश्न को पूछा, उन्होंने यह नहीं पूछा है कि क्या यह... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 'क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा जमा, दौरे जहां हमारा' हिन्दू धर्म सहिष्णु रहा है, पोलाइट रहा है इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप विधान सभा को साम्प्रदायिकता का मंच नहीं बनायें (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं केवल यह बता रहा हूं माननीय सदस्य ने जिस भावना से इस प्रश्न को पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या यह सही है कि इस संदर्भ में कोई कानूनी मुकदमा दर्ज हुआ ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें। उन्होंने इस पुस्तक को लेकर जहां से जो कुछ प्रकरण चला वहां से लेकर जो कार्यवाही हुई, इस सारे का विवरण उन्होंने पूछा है। मैं प्रश्न का जो उत्तर है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल मंत्री महोदय का जवाब अंकित हो। केवल मंत्री महोदय का अंकित करें।(व्यवधान) आप सुनिये। बीच में खड़े हो गये, जवाब तो सुनिये उनका। पहले आप जवाब सुनिये। पहले मंत्रीजी का जवाब सुनिये (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। मैंने पिछली बार भी जब इस विषय को उठाया था तो मैंने यह समझकर इसको कि (व्यवधान) लेकिन आज जब जिस भावना से उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने क्या कार्यवाही की ? अब मेरी मजबूरी है कि मैंने इस पुस्तक को बैन किया, तो क्यों किया और बैन करने के बाद मैंने कौन कौनसे लोगों के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज हुआ यह बताऊंगा। इसमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए, यह बताऊंगा...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपकी सारी किताबें मेरे पास हैं। मैं इसको पढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं है मैंने आपकी सारी किताब नहीं मंगायी, मैं हरेक किताब मंगाकर जब तक उसके कंटेंट को मैं आईडेंटिफाई नहीं करूंगा जिसके तहत इसमें मुकदमा बनता है, उसके पहले मैं नहीं बता सकता पर आपने जो विषय डाले हैं यह किताबें मैंने इकट्ठी की है और इसलिये इकट्ठी की हैं कि मैं इन किताबों को देखने के बाद इस किताब में कौनसे ऐसे शब्द लिखे हैं जिसके कारण से इसको प्रतिबंधित, इसका अध्ययन करने के बाद ही बता पाऊंगा। तो मैं सोच रहा था मेरी भावना कोई आपकी भावना से भिन्न नहीं है लेकिन इसमें जिन बातों को लेकर इन्होंने प्रश्न पूछा कि अब तक क्या आपने कार्यवाही की, तो जिस किताब को मैंने प्रतिबंधित किया उनके उन थोड़े विषय को मैंने उद्धत करने का प्रयास किया जिसके कारण से मैंने किताब पर बैन लगाया तो मैं सोचता हूं कि

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब आपको यह तकलीफ हो रही है जिस दिन इस किताब वाले ने (व्यवधान) भगवान कृष्ण को अय्याश बताया हो, उस किताब के बारे में क्या कहा जाए। मैं देखता हूं कि यह जो भगवान कृष्ण के बारे में शब्द, आपके मन को स्वयं को भी पीड़ा होनी चाहिए कि किस तरह का घृणित काम करता है और इतनी बड़ी संस्था चलाता है। (व्यवधान) ताकि जनता को यह पता लगे कि सेवा की आड़ में किस तरह के षड्यंत्र इस देश में चल रहे हैं। यह प्रजातंत्र है...(व्यवधान) आप यह नहीं चाहते हो कि सेवा के नाम पर आडम्बर करके देश की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह सदन इसलिए नहीं बना हुआ है कि हिन्दू देवी देवताओं के प्रति जो अपशब्द कहे, उसको इस पवित्र सदन के रिकार्ड में लाना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप उस थामस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना, मैं सोचता हूं कि ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन उसने जिस प्रकार से लोगों की भावनाओं को उद्वेलित किया, मैंने उसके कुछ उदाहरण आपको दिये। भगवान कृष्ण के बारे में लिखता है- अनियंत्रित यौन संबंधों, कामुकता, वासना तथा...

श्री अध्यक्ष: आप काहे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब आपने बैन कर दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): लड़ाई-झगड़े में प्रेमी की घृणित तस्वीरें पेश करता है। क्या अश्लील ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा, ऐसा कोई देवी देवता नहीं छोड़ा, हमारी आस्था का बिन्दु नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने गंदे कमेंट्स नहीं किये हों।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जैन समाज के लिए भी कहा है।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उन्होंने वंदे मातरम के बारे में कहा, उन्होंने दुर्गा के बारे में कहा, जिस गणेश की हम पूजा करते हैं उसके बारे में इस प्रकार के शब्द लिखे। उन्होंने हमारे जितने देवी-देवता हैं उनके ऊपर लिखा। हमारे यहां का जो मानचित्र है उसके ऊपर लिखा। हमारे वंदे मातरम् को कंडेम किया। यह सब कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। किसी भी आस्था के बिन्दु को नहीं छोड़ा, उस कारण इन सब बातों को मैंने उद्धृत किया। दस-पन्द्रह ऐसे बिन्दु निकाले और उसके आधार पर 13.2 को उस किताब को प्रतिबंधित किया। प्रतिबंधित करने के बाद हमने उनके खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किये। अभी माननीय सदस्य ने बताया तीन, तीन नहीं चार हैं। उन चार मुकदमों में सैमुअल थामस जो इनका लड़का है, उसे कल दिल्ली में गिरफ्तार किया। जितनी हमें कार्यवाही करनी थी उस कार्यवाही के आधार पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किया। जो आप विषय उठा रहे हो कि प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ आपने कार्यवाही नहीं की, हमने की है। जिन लोगों ने भी इस इश्यू को लेकर धार्मिक संस्थाओं पर हमला किया या किसी तरह के पवित्र स्थान पर किया तो हमने 11 मुकदमे दर्ज करके 66 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें चार लोग तो अभी भी पिछले पन्द्रह दिन से जेल में हैं। ऐसा नहीं कि हमने उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। हमने उनके खिलाफ भी कार्यवाही की लेकिन जिस प्रकार के इस किताब में वर्णन है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, आप ख्वाहम ख्वाह ही उत्तेजित कर रहे हैं। सोनियाजी का नाम लेकिन उत्तेजित न करें इनको।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आस्था केन्द्रों पर जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्यवाही की है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उस वर्णन के आधार पर आप या हम हों, निश्चित रूप से इस कार्यवाही को और कठोरता से किया जाए। और यह क्या है, जो इतनी बड़ी संस्था चलाकर जो आडम्बर ओढा हुआ है, 85 शिक्षण संस्थाएं चलती हैं...

इसी प्रकार से विदेशों से धन लाकर जिस तरीके से इस देश में धर्म परिवर्तन का काम किया है । यह सारा ऑन डाकूमेंट आ चुका है। ऐसे लोगों को हम कैसे छोड़ेंगे । जो बाहर से विदेशी धन मंगाकर के केवल यही सारी कार्यवाही कर रहे है । अनाथालय में जो बच्चे हैं वह अनाथ नहीं हैं, उनके मां -बाप जब लेने के लिए आते हैं तो वह उनके मां-बाप को सुपुर्द नहीं करते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह जवाब दे रहे हैं ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनका धर्म परिवर्तन करके और उनको मां-बाप विहीन बताकर के अपने धर्म में परिवर्तन करके उनको कहीं न कहीं नौकरी लगाता है । इस प्रकार का घृणित काम...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं ।

श्री सी.डी. देवल : यह तो बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस प्रकार का घृणित काम, मैं सोचता हूं कि...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल: यह भाषण दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: यह तो पुलिस की डिमांड पर रिप्लाई चल रही है (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया: इतने बड़े विश्वविद्यालय और संस्था चला रहे हैं जिसकी 85 शिक्षण संस्थाएं हैं राजस्थान में, जिनकी हिन्दुस्तान के कई राज्यों में एक्टिविटी चल रही है? उस पैसे का उपयोग वह धर्म परिवर्तन के लिये कर रहा है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस की डिमांड पर रिप्लाई चल रही है ।

एक माननीय सदस्य : मैं सोचता हूं कि आपको इस बात की तकलीफ है कि (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : आपसे सुना नहीं जा रहा है ।

श्री बंशीलाल खटीक : इसाइयों के दलालों ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: बीस मिनट हो गये हैं ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: आपको बोलने का अधिकार नहीं है (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: दूसरे भी सवाल हैं, एक सवाल पर बीस मिनट हो गये हैं ।

श्री बंशीलाल खटीक: यह हमारी अस्मिता है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : ×××

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री हरिमोहन शर्मा: ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया: आपकी भावना की मैं पूरी कद्र करूंगा ।

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: .....

श्री सी. डी. देवल : आपकी भावना की मैं कद्र करूंगा । कानून भी लायेंगे और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि इसी सत्र में लायेंगे, इसके लिये हम प्रयासरत हैं ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत: ×××

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री कनकमल कटारा: ×××

श्री अध्यक्ष: बैठें तब ना, श्री टीकम चन्द कांत...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा: ×××

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : ×××

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री अध्यक्ष: आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रहलाद गुंजल: ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा है श्री टीकम चंद कांत का ।

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं करें, अंकित नहीं होगा आपका । राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको चेतावनी दे रही हूं कि आप बहुत उटपटांग बोलते हैं । चाहे जो मर्जी आये बोल देते हैं । कृपया शांत रहे आप । आप चाहे जो खड़े होकर बोलने लग जाते हैं ।

श्री प्रहलाद गुंजल : ×××

श्री टीकम चन्द कांत: अध्यक्ष महोदय, मैं और जनता आश्वस्त होना चाहेंगे कि ऐसी पुस्तकें जो जान-बूझकर हिन्दु धर्म पर किसी न किसी प्रकार का आक्षेप करके छापी गयी हैं और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमने तीन पुस्तकें दी हैं तो क्या मैं विश्वास करूं कि सरकार ऐसी समस्त पुस्तकें और जिनकी भी आपको सूचना दी जा रही है वह सारी प्रतिबंधित होगी । यदि इस उद्देश्य से वह लिखी गयी हैं तो, नम्बर एक ।

श्री अध्यक्ष: वह अलग से प्रश्न है आपका । इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री टीकम चन्द कांत : एक मिनट । मेरा साथ ही प्रश्न है ।

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिये (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : डायलुट कर रहे हैं जबरदस्ती, जो विषय है उसी पर बोलने दीजिये ।

श्री टीकम चन्द कांत : उसी पर कह रहा हूं कि सारी पुस्तकें प्रतिबंधित होनी चाहिए ना ।

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा ही नहीं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, प्रश्न का जवाब तो आ गया है ।

श्री प्रहलाद गुंजल: एक भी प्रश्न नहीं पूछा है । मुझे एक सप्लीमेंट्री तो पूछने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष: प्रहलाद गुंजल क्या कह रहे हैं आप? आप चाहें तो एक सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं । मैं फिर नेकस्ट क्वेश्चन पुकार रही हूं (व्यवधान) मैंने नाम पुकारा है प्रहलाद गुंजल का, कृपया स्थान ग्रहण करें । मैंने नाम उनका पुकारा है ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, जो भी पुस्तकें आप हमारे ध्यान में लायेंगे जिससे कि किसी की भी भावना को ठेस पहुंचगी चाहे वह हिन्दु धर्म की हों, चाहे मुसलमान हो और चाहे कोई भी हो । जो भी इस प्रकार की पुस्तकें लिखेगा जिससे कि धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचेगी वह हमारे ध्यान में आयेगी तो हम निश्चित रूप से जैसे अभी इसको प्रतिबंधित किया है ऐसे ही उनको भी प्रतिबंधित करेंगे । इसी प्रकार से थामस के प्रति जो गुस्सा था लगातार 1985 से लगातार एक के बाद एक संगीन अपराध दर्ज हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: वह दे दिया जवाब, अब क्या है ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: उसके बाद भी जब कार्यवाही नहीं हुई तो वह कार्यवाही नहीं होने के कारण से जो गुस्सा था वह इस हकीकत पुस्तक के कारण से सबके बीच में सामने आया । यह प्रक्रिया तो कई वर्षों से चल रही थी। लोगों के ध्यान में नहीं आयी । जब ध्यान में आयी तो हमने इसकी पुख्ता व्यवस्था की है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप खड़े क्यों हैं? जब मंत्रीजी बोलते हैं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: इसलिए हमने इस बार व्यवस्था की है कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति न तो बना सके, न अनुवाद कर सकेगा जो कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचायेगी । अभी तो अगर यह गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसकी प्रापर्टी को अटैच करके इसको सब प्रकार से चाहे यह जंगल में भी जायेगा तो इसको ढूंढकर के लायेंगे और इसको गिरफ्तार करके जेल के सींखचों में डालेंगे ताकि भविष्य में यह ना हो और कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनओं को चोट नहीं पहुंचा सकेगा । इसके लिए मैं सदन को आश्वस्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन डा. गोपाल बाहेती ।

श्री प्रहलाद गुंजल: नैक्स्ट क्वेश्चन। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछ लिया (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने इजाजत दी है मुझे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, एक प्रश्न पर 27 मिनट हो गये हैं...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत: ×××

श्री हेमराज मीणा: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री प्रहलाद गुंजल : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा: ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है । I will not allow any more question.

श्री प्रहलाद गुंजल: ×××

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) I am very sorry.मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है (व्यवधान) आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री प्रहलाद गुंजल: ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं हो...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री प्रहलाद गुंजल: ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। आप सदन का समय यूं ही गंवा रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल: ×××

श्री अध्यक्ष: सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप अपने माननीय सदस्य को बैठाएं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। डा. श्रीगोपाल बाहेती।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, टिप्पणी न आप बैठे करेंगे और न खड़े होकर करेंगे। यह मैं आपको चेतावनी दे रही हूं।

क्रीड़ा परिषद से सम्बद्ध खेल संघों को आर्थिक सहायता

168**. डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): क्या युवा एवं खेलकूद मंत्रि यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के कितने खेल संघ राजस्थान खेल परिषद से सम्बद्ध हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत दो वर्षों में इन खेल संघों को कोई आर्थिक सहायता दी गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि संघों को दी गई व नहीं तो क्यों, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन संघों को अपने खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक जीते? यदि हां, तो किस-किस खेल में किस-किस संघ ने, विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा एवं खेलकूद मंत्री (श्री युनूस खान) : (1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने अभी तक 40 राज्य स्तरीय संघों को सम्बद्धता दी है। सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। गत 2 वित्तीय वर्षों में परिषद द्वारा संघों को दी गई आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट- ''ख'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट –1 देखें)

डा. श्रीगोपाल बाहेती: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 40 संघ आपके यहां पर रजिस्टर्ड है उसमें 23 को आपने आर्थिक सहायता दी है और इसमें भी जिन लोगों ने स्वर्ण पदक जीते हैं राजस्थान के लिए उन लोगों को सहायता बहुत कम दी गई है

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

या नहीं दी गई है तो आपके सहायता देने के मापदण्ड क्या है, जब से आपने खेल नीति बनाई है उसके बाद से सरकार ने खेलों को बन्धक बना लिया और जो लोग राजस्थान का नाम ऊंचा कर रहे हैं और खेलों में गति ला रहे हैं उन लोगों को सहायता देने में आप कंजूसी और कोताही बरत रहे हैं। यह क्या राजनीतिक भेदभाव है या आपकी कोई नीति है, कृपया स्पष्ट करें।

श्री युनूस खान : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी खेल नीति बिलकुल स्पष्ट है। हमारे यहां पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से 40 खेल संघ सम्बद्धता रखते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन करते हैं, जो वास्तविक खर्चा होता है, उसका बिल हमारे यहां परिषद में सब्मिट करते हैं, उसकी बाकायदा जांच होती है और उसके बाद उसका भुगतान किया जाता है और यह सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2004-05 का भी भुगतान हमने किया है। चूंकि कई खेल संघ अपना आयोजन करते हैं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के जिन खेल आयोजनों के बिल हमारे पास आते हैं, उन्हीं को भुगतान किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता है।

जहां तक आपने कहा, हमारे क्रीड़ा अधिनियम, 2005 में किसी प्रकार का आज तक कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया है और चूंकि पिछले वर्ष 2005-06 के अन्दर केन्द्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, खेल विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसको एक रुपया भी अनुदान का केन्द्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया है और हमारी बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिनमें केन्द्र सरकार से भी पैसा आने वाला था, उसकी वजह से भी रूकी हुई है। पिछले साल खेल के क्षेत्र में हमने विशेष रूप से खर्च किया। आपने खिलाडियों के लिए बात कही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने हमारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं जिनमें मेजर राज्यवर्द्धन सिंह जो अभी लेफ्टिनेण्ट कर्नल हैं, उनको 11 लाख रुपए नकद...

डा. श्रीगोपाल बाहेती: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय यह नहीं है। माननीय मंत्रीजी के जवाब से साफ है कि कालम नम्बर 41, खिलाडियों को यात्रा भत्ता/पुरस्कार, उसमें सारे कालम खाली है, केवल एक कालम भरा हुआ है। इसके अलावा आप यह देखिए, आपके द्वारा जवाब दिया हुआ है उसमें यह है कि एथेलेटिक्स में 9 स्वर्ण पदक, साइकलिंग में 8 पदक, गोल्फ में 4 पदक और कुश्ती में 5 पदक जीते। कुश्ती संघ अभी आपके यहां चूरू में आयोजन

(डा. श्री गोपाल बाहेती)

कराकर आया है, उसको भी आपके यहां से यह कहा गया है कि दो महीने बाद पैसा मिलेगा। आप जब खिलाडियों को पैसा नहीं दे सकते और इतनी बड़ी बात करते हैं, आपने खेल अधिनियम केवल मात्र इसलिए बनाया कि आप क्रिकेट पर कब्जा कर सकें, वह आपने कर लिया।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, प्रश्न पूछिए...

डा. श्रीगोपाल बाहेती: मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें अमेण्ड्मेण्ट करके आप खेलों को स्वतंत्र करें और खेलों को सरकारी संघों से बचाकर बिना किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता दी जाए ताकि राजस्थान के खिलाड़ी वह स्थान प्राप्त कर सके और राजस्थान का नाम देश में ही नहीं विदेश में भी ऊंचा हो सके।

श्री अध्यक्ष: यह तो आपका सजेशन है, प्रश्न कहां है, आप प्रश्न पूछे।

डा. श्रीगोपाल बाहेती: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि क्या मंत्री महोदय, यह करना चाहते हैं क्योंकि जैसा अजमेर के लिए एस्ट्रो टर्फ बनाने के लिए कहा, वह तो नहीं बनाया तो करना क्या चाहते हैं?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा है श्री नाथूसिंह का।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नाथूसिंह कौन है, डाक्टर एन एस गुर्जर नाम है इनका तो, इन्होंने चेंज कर लिया।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) **:** कोई बात नहीं, आप विराजिए। मेरा बहुत सीरियस सवाल है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : मैं तो आपकी ही बात कह रहा हूं। आपने सरकूलर भिजवाया था। अब आप बड़े हो गए, अब आपका नाम डाक्टर एन एस गुर्जर हो गया। अध्यक्षजी ने कहा नाथूसिंह, मैं जानना चाह रहा हूं कि नाथूसिंह कौन है?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) **:** धन्यवाद, आप विराज जाइए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बास्केटबाल और हैण्डबाल संघ हैं, राजस्थान में कुछ गिने चुने संघ ही हैं

(डा. एन. एस. गुर्जर)

जो नेशनल स्तर पर जीतते हैं, इनके तो कितने पैसे पेण्डिंग है? खेल परिषद के पास पड़े हुए हैं। अप्लाई करने के बाद भी और इस तरह के खेल संघ जो कोई पदक नहीं लाते हैं लेकिन एक ही व्यक्ति उन पर बरसों से कब्जा जमाया हुआ है, वहां ओलम्पिक संघ पर। माननीय मंत्रीजी वह व्यक्ति जब जाता है तो उसको सारे पैसे रिलीज कर दिए जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी ठीक नहीं होती उसके बाद भी क्या 2005 में जो एक्ट बना है उसमें, कोई कांग्रेस और बी जे पी का सवाल नहीं है, क्योंकि सब पार्टियां रही है, मुझे मालूम है, मैं भी सम्बद्ध रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए, भाषण नहीं।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारासिंह) : अध्यक्ष महोदय, क्या उस एक्ट के तहत जो लोग फर्जी संघ बनाकर वर्षों से कब्जा जमाए बैठे हैं ओलम्पिक संघ पर क्या उनको हटाने की प्रक्रिया आप शुरू करेंगे, यदि हां तो कब तक और कैसे?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की लड़कियों ने...

श्री अध्यक्ष: निवेदन नहीं, प्रश्न पूछें। निवेदन नहीं करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान की लड़कियों ने पहली बार हैण्डबाल में राष्ट्रीय सब जूनियर का खिताब जीता और उसके बाद हुए समारोह में आप मुख्य अतिथि के रूप में वहां गई और आपने वहां पर कहा कि राजस्थान सरकार विशेष पुरस्कार सारी बच्चियों को देगी। आपने क्या इनाम दिया उनको?

श्री अध्यक्ष: श्री शान्तिलालजी चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि कई विधाएं हैं जिनमें तीरन्दाजी भी है। वर्ल्ड कप में राजस्थान के लिम्बाराम ने अच्छे खिताब जीते, नरेश डामोर ने जो हमारे डूंगरपुर जिले के हैं, उन्होंने भी कई खिताब जीते हैं, उनको क्या रिलीफ दी गई है, क्या सरकार ऐसे लोगों को नौकरी या अच्छे कोचिंग प्रशिक्षक के रूप में लेने का विचार रखती है?

श्री युनूस खान: माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी एक बात कही, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हमने जो खेल संघों को अनुदान दिया जिसमें 2005-06 में लगभग

(श्री युनूस खान)

7 सीनियर वर्ग की गतिविधियां रही, उन खेल संघों को 6 लाख 10 हजार रुपए दिए। इसके अलावा वर्ष 2005-06 के अन्दर वरिष्ठ और कनिष्ट, दोनों तरह की जो प्रतियोगिताएं हुई अलग-अलग तरह की उनमें लगभग 21 खेलों में 2765131 रुपए दिए। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी वर्ष 2004-05 में हमारे जो आयोजन हुए उसमें लगभग 495794 रुपए दिए और वर्ष 2005-06 में भी हैण्डबाल और बास्केटबाल जिनकी आपने चर्चा की, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बास्केटबाल खेल संघ के जो बिल आए हैं उन सभी बिलों का हमने भुगतान किया है। यूथ बास्केटबाल प्रतियोगिता जो भीलवाड़ा में हुई, उसका भी भुगतान किया है 158895 रुपए। हमारे पास खेल का आयोजन होने के बाद जो बिल सब्मिट करते हैं उसकी एक निश्चित प्रक्रिया बनी हुई है, यह सतत् प्रक्रिया है, 2004-05 का भी भुगतान हमने 2005-06 में किया है और इसी तरीके से भुगतान करते रहते हैं। खेल आयोजनों के जो बिल हमारे पास आते हैं उनका भुगतान किया जाता है। वर्तमान में हमारे पास जो पेण्डिंग बिल पड़े हैं जितने भी खेल संघों के, आज ही लगभग 19 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति हमें मिली है, वह पैसा आते ही हम खेल संघों को बुलाकर पैसा देते हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी खेल संघ के साथ कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता है। दूसरे अन्य माननीय सदस्यों ने जो बात उठाई है हैण्डबाल में लड़कियों की तो निश्चित रूप से राज्य सरकार खेलों में जो अच्छा खेले हैं...

श्री संयम लोढ़ा : आप विशेष पुरस्कार की घोषणा करके आये थे उसके बाद क्या हुआ? आपने राजस्थान सरकार की ओर से कितना पुरस्कार दिया?

श्री युनूस खान : आप सुनो तो सही। मैं आपसे यही कह रहा हूं हमारे पास ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : मंत्रीजी, आप यह बताओ कि खिलाडियों को यात्रा भत्ता कितना दिया?

श्री अध्यक्ष: आप बीच में खड़े हो जाते हैं। ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान: यह टी ए और डी ए खिलाडियों को ही मिलता है, खिलाडियों के अलावा किसी को नहीं मिलता है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती: यह पूरा कालम खाली है।

श्री युनूस खान: आप बात तो पूरी सुन लें। खेल संघों को जो हमने अनुदान दिया है वह पूरा का पूरा खिलाडियों का टी ए व डी ए का भुगतान

(श्री युनूस खान)

होता है, न कि खेल संघ को अलग से भुगतान किया जाता है। जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर खेलने के लिए आता है या राष्ट्रीय स्तर पर जो खेला है उस खिलाड़ी का टी ए और डी ए खेल संघ के माध्यम से भुगतान किया जाता है, यह प्रक्रिया है। इसलिए यह खाली पडा है।जहां तक पदक लाने की बात है आपने जो सवाल पूछा था कि कितने खेल संघों के खिलाड़ियों ने पदक लिये हैं उनका विवरण दिया गया है। जहां तक भुगतान की बात है सारा भुगतान कर दिया और आज भी हमारे पास लगभग 19 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति आई है उसका 5 या 7 दिन में हम भुगतान कर देंगे और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं किसी भी खेल संघ का भुगतान राजनैतिक आधार पर रोकने की मंशा सरकार की नहीं है और जो भी भुगतान वाजिब है, जो वास्तव में खर्चा हुआ है उसका सरकार पूरा भुगतान करेगी, इसके लिए मैं आपके माध्यम से पूरे हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं। जहां तक सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कह रहे हैं भुगतान पूरा कर दिया है। जो जवाब मुझे दिया है उसमें 23 संघों को राज्य स्तर का भुगतान नहीं किया गया है। मंत्रीजी कह रहे हैं पूरा भुगतान कर दिया गया है। अब विसंगति कहां पर है, इसको मंत्रीजी देख लें।

श्री युनूस खान: मैं आपसे यह कह रहा हूं हमारे पास जो प्रक्रिया पूरी होकर आएगी, खेल अधिकारी ने उसको अटेस्टेड कर दिया, नियम के अनुसार उसके बिल आ गये उनका भुगतान कर दिया। जिनके बाकी हैं लगभग 25 लाख के करीब बाकी हैं जिसमें से 19 लाख की स्वीकृति हमारे यहां आ गई है और चूंकि अभी ये आयोजन हुए हैं उसकी प्रक्रिया पूरी होते ही हम देते हैं, किसी का भी हमने नहीं रोका है और न रोकने की सरकार की मंशा है।

जहां तक सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही वह भी फाइल स्वीकृत होकर आई है और राष्ट्रीय स्तर पर जिन खिलाड़ियों ने किया है उसका हम राजस्थान दिवस पर जो आयोजन कर रहे हैं उसमें बुला कर सबका सम्मान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वश्चन, श्री अर्जुन लाल मीणा।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैंने पूछा है उसका उत्तर नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति से पूछा है कि तीरंदाजी में हमारे यहां के लिम्बाराम ने, नरेश डामोर ने राष्ट्रीय स्तर पर ओलम्पिक खेलों

(श्री शांतिलाल चपलोत)

में बहुत बड़ा नाम किया है। उनको आपने क्या सहायता दी है, क्या देने की मंशा रखते हैं? क्या आप उनको किसी प्रकार की सरकारी नौकरियों में या किसी प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी, उनको जवाब देने दीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): उत्तर ही नहीं दिया, इसलिए मुझे पूछना पड़ा और आपने नेक्स्ट क्वश्चन पूछ लिया। इसका मतलब यह है कि ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह बता रहे हैं।

श्री युनूस खान: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब जवाब दे रहा था एक-एक का तो आपने दूसरा प्रश्न पुकार लिया इसलिए मैं बैठ गया। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं लिम्बाराम, श्यामलाल और नरेश डामोर की आपने बात कही, हमारी नयी खेल नीति बनकर पूर्णतया तैयार हो गई है और अभी विधि विभाग से अनुमोदित होकर फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई है। जब भी स्वीकृत होकर आ जाएगी तो हमारे अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए हमने नौकरियों में प्रावधान किया हुआ है।

जहां तक लिम्बाराम का सवाल है राज्य सरकार ने उनके सामने हमने चलाकर प्रस्ताव रखा था लिम्बाराम और श्यामलाल का, चूंकि वो अभी सेंट्रल बैंक में नौकरी कर रहे हैं, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है उसमें हमने शिथिलता चाही है वह फाइल भी गई है, क्योंकि उनकी योग्यता के अनुसार जो नौकरी का प्रस्ताव रखा है वे लेना नहीं चाहते इसलिए सरकार के पास यह विचाराधीन है और हमारी खेल नीति में हमने इसका प्रावधान किया है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वश्चन। श्री अर्जुनलाल मीणा।

राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद का गठन

169. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश राजस्थान के जनजाति क्षेत्रों के लिए पंचायती राज विस्तार अधिनियम, 1999 के नियम उप नियम बना लिए गए हैं? यदि हां तो प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या सरकार 1999 के नियम उप नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

(2) क्या पंचायती राज विस्तार अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद का गठन किया गया है? यदि हां तो परिषद के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य स्तरीय आदिवासी विकास परिषद द्वारा अब तक किये गये कार्यों का प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (श्री बाबूलाल वर्मा): (1) जी हां। बनाये गये नियमों की सूचना परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। जिन विषयों के बारे में अभी अनुसूचित क्षेत्रों में शक्तियां दी जानी हैं, उनमें मादक पदार्थों के विक्रय एवं उपयोग रोकने संबंधी नियम तथा लघु वन उपजों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार और शक्तियां देने संबंधी नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जो शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त अधिनियम में आदिवासी परिषद के गठन का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं शिड्यूल्ड एरिया में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जैसा मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि मादक पदार्थों के विक्रय और उपयोग को रोकने संबंधी नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड एरिया में आदिवासी अपने त्योहार और विवाह में जो शराब बनाता है और उसका उपयोग करता है उसको पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार देने की बात कही है, नियम बनाने की बात कर रहे हैं, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं शिड्यूल्ड एरिया में शराब बनाने, उसका उपयोग करने, दूसरा शिड्यूल्ड एरिया में माइनिंग का कार्य करने के लिए और वन उपज आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी खुद अपने एरिया में अपने कब्जे में वनों की रखवाली करता है उसका उपयोग करने का अधिकार नहीं है, पंचायत राज संस्था को अधिकार नहीं दिया है। क्या सरकार उसको अधिकार देने का विचार रखती है या नहीं?

दूसरा प्रश्न यह है कि आदिवासी विकास परिषद का गठन करने का सरकार विचार नहीं रखती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

कि अखिल भारतीय स्तर पर जैसे जनजातीय आयोग बना हुआ है उसी तरह से प्रदेश में क्या आदिवासी विकास परिषद का गठन करेंगे?

श्री अध्यक्ष: अब आप प्रश्न पूछें, आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आदिवासी विकास परिषद का गठन करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री बाबूलाल वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल क्षेत्र में जो पंचायती राज संस्थाओं को ''पेसा'' के अंतर्गत जो एक्ट बना है भारत सरकार ने 1996 में एक्ट बना था उसके बाद राजस्थान सरकार ने 1999 में ''पेसा'' के तहत राजस्थान में एक्ट बनाया उसके तहत 14 चीजों का प्रावधान किया था। जो माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें पहला था ''सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को बनाने तथा उनका क्रियान्वयन, गरीबी उन्मूलन हेतु लाभार्थियों का चयन एवं अन्य सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लाभार्थियों का चयन'' इसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजन कर दिया गया है।

दूसरा प्रावधान था सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं राशि के उपभोग का प्रमाण-पत्र ग्राम सभाओं द्वारा जारी किया जाना, इसके तहत प्रोविजन किया जाकर कार्यवाही कर दी गई है।

तीसरी बात जो शिड्यूल्ड एरिया फिक्स किया है राजस्थान के कुछ जिलों में और कुछ पंचायतों व कुछ गांवों में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख का पद अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित करना तथा आधे से अधिक पदों का अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, इसकी पालना राजस्थान सरकार द्वारा कर दी गई है।

चौथी बात इस एक्ट के तहत जो कही गई है अनुसूचित क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु पुनर्स्थापन हेतु भूमि के अर्जन के पूर्व ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें तो तीन ही प्रश्न हैं, चौथा कहां से आ गया? ये तो तीन ही प्रश्न हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 14 प्रावधान इस एक्ट के तहत किये हैं उसमें से लगभग 11 प्रोविजन तो राजस्थान सरकार ने लागू कर दिये हैं, जो तीन चीज

(श्री बाबूलाल वर्मा)

बाकी हैं, एक तो फोरेस्ट के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, फोरेस्ट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ''पेसा'' के अंतर्गत जो ''पेसा'' एक्ट बना है इसके तहत कुछ चीजों के बारे में पंचायती राज व्यवस्था ने आदेश जारी कर दिया है, सिर्फ तेंदुपत्ता के बारे में जो एक ऐसी क्रोप है जिसके बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट से चर्चा चल रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही यह तय हो जाएगा इसके तहत भी हम लोग इसमें आदेश जारी कर देंगे।

माननीय सदस्य ने आदिवासी विकास परिषद के गठन की जो दूसरी बात कही है, आदिवासी परिषद के गठन के बारे में ''पेसा'' एक्ट के तहत कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक ट्राइबल एडवाइजरी बोर्ड की जो बात कही है इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह टीएडी डिपार्टमेंट के तहत आलरेटी इस परिषद का गठन किया जा चुका है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि उसमें माननीय सदस्य भी सदस्य हैं और इसमें भी वो ही माननीय सदस्य आते हैं इस एडवाइजरी बोर्ड में जो कि इस एरिया से जीतकर आते हैं। एक्साइज के बारे में ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इतने विस्तार से बता दिया, अब आप क्या पूछेंगे?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो 99 का एक्ट है उस एक्ट का यह प्रोविजन है कि यदि एक साल के अंदर सरकार कानून नहीं बनाती है तो कानून वो लागू होगा। आप क्या प्रक्रियाधीन कर रहे हैं? एक्सटेंडेड एक्ट का जो प्रोविजन है, जो उत्तर दिया वह कांट्रेरी उत्तर है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वो एक्सटेंडेड एक्ट है उसको दुबारा देख लें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य, भाषण नहीं, प्रश्न पूछें आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक्सटेंडेड एक्ट के अंदर यह प्रोविजन नहीं है सरकार को केवल मात्र एक साल के अंदर अधिकार था और एक साल में भी अमेण्डमेंट नहीं किया है तो वह ऐसे के ऐसे लागू होंगे यह उस एक्ट का पार्ट है और आप इसको प्रक्रियाधीन बता रहे हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 1999 में आपने एक्ट बनाया, एक्ट बनने के बाद एक साल का प्रावधान आपने लागू नहीं किया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमने नहीं किया, आप कर सकते हो,

(डा. सी. पी. जोशी)

क्या बात कर रहे हो आप ? आप एक्ट के प्राविजन का हमने कहा कोई संबंध नहीं है, आप सुनिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुनने का माद्दा रखो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बोलिए आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुनिए। अध्यक्ष महोदय, 99 में एक्ट लागू हुआ, एक्ट लागू होने के बाद जो 14 चीजें आदिवासी एरिया में पंचायतों को ट्रांसफर करनी थी उसमें से 11 अब तक की जा चुकी हैं, तीन चीजें और ट्रांसफर करनी हैं लेकिन उसकी प्रक्रिया चल रही है और अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि उसके लिए जो हमारे विभाग ने किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं रखी है उसमें से भी अधिकतर चीजें दे दी गई हैं। केवल उसका कुछ प्रोसीजर ऐसा है जिसकी वजह से फाइनेंस में इसको भेजा हुआ है, इसको बहुत जल्द क्लियर कर लेंगे, आपने तो पूरे पांच साल कुछ नहीं किया, हमने इतना तो कर दिया कि इसको लागू करने वाले हैं। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी लागू कर देंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत तकलीफ है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लेकिन आप प्रश्न पूछिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, प्रश्न पूछ रहा हूं।

क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि उस एक्ट के अन्दर प्रोविजन लिखा हुआ है कि एक साल में लागू होगा या नहीं, बताइये आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उस एक्ट में लागू करने का भी है उसमें नियम बनाकर और नियम बनाने का भी है। ...(व्यवधान) तो हमने सबके नियम बनाये हैं। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हाई कोर्ट का डिसीजन है। ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और उसमें सिर्फ तीन चीजें जो लागू करनी हैं उसके नियम बनाने हैं। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी सरकार के पास कोई छूट नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी सरकार के पास तो छूट थी और हमारी सरकार के पास छूट नहीं है। ...(व्यवधान) सरकारें कोई अलग-अलग होती हैं ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): न आपकी सरकार के पास है, न हमारी सरकार के पास है। ...(व्यवधान) कानून के ऊपर न आपकी सरकार है, न हमारी सरकार है। ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने 90 से लेकर 2003 में लागू नहीं किया जो तो छूट थी और अब हम लागू कर रहे हैं तो छूट नहीं है, अध्यक्ष महोदय, हम तो लागू कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है, कानून का इंटरप्रिटेशन न हमारी सरकार कर सकती है, न ये सरकार कर सकती है, कानून में लिखा हुआ है कि एक साल में मेंडेटरी है, यह है कि नहीं है, यह बताइये आप, हमने किया कि नहीं किया उसको छोड़िये, हम तो यहां बैठे हुए हैं, आपको ढाई साल हो गये, क्या कर लिया ? ...(व्यवधान) आप खड़े होकर बताइये कि क्या आपको कानून में छूट है? ...(व्यवधान) जिम्मेदार आदमी हैं, हमने किया कि नहीं, कानून का प्रोविजन बहुत साफ है, आपके पास आप्शन नहीं है। ...(व्यवधान) सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के चयनित परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण में व्याप्त अनियमितता

170**. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा माह जनवरी, 2005 में माह दिसम्बर, 2005 तक विधान सभा क्षेत्र डेगाना के बीपीएल परिवारों को सस्ती दर पर गेहूं का कितना आवंटन प्रति माह किया गया? विवरण ग्राम व पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई स्थानों पर चयनित परिवारों को पिछले 5-6 महीनों से गेहूं का वितरण बिलकुल नहीं किया गया? यदि हां, तो किन किन ग्रामों में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गेहूं वितरण में की गई उक्त अनियमितता की जांच की गई? यदि हां, तो कब व जांच का क्या परिणाम रहा? दोषी राशन डीलरों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य मंत्री (डा. किरोड़ी लाल मीणा): (1) राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नागौर जिले को आवंटित खाद्यान्न में से विधान सभा क्षेत्र डेगाना को जनवरी, 2005 से दिसम्बर, 05 तक की अवधि में बीपीएल परिवारों के लिए कुल 2521.9 मैं. टन गेहूं का आवंटन किया गया है। माहवार विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है। इसमें से उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा इस अवधि में 2321.19 मैं. टन गेहूं का उठाव किया गया है। ग्रामवार पंचायतवार वितरण का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि डेगाना क्षेत्र में कुछ पंचायतों, जैसे पालियास, मेवड़ा, बिखरणीया, गुढाजगमलोता, मोरियाणा, बछवास, इग्यासनी एवं भैरूदा में राशन डीलर्स द्वारा 5-6 माह से अधिक समय से गेहूं नहीं उठाया, जिसके कारण गेहूं का वितरण नहीं हो सका।

(3) जी नहीं। गेहूं वितरण में कोई धांधली नहीं की गई। गेहूं उठा कर बांटा नहीं गया एवं जिन-जिन डीलर्स द्वारा यह लापरवाही की गई उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानकारी करना चाहूंगा कि खण्ड-2, में जो उत्तर मंत्रीजी ने दिया कि छह महीने तक डीलर्स ने गेहूं नहीं उठाया, 6 महीने तक नहीं उठाया इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या 6 महीने नहीं उठाया तो उनको आपने नोटिस दिया, क्या 6 महीने तक नहीं उठाया तो उनको निलम्बित करके आपने दूसरों को डीलरशिप क्यों नंहीं दी ? नम्बर दो, मेरी जानकारी के अनुसार जैसा कि आपने खुद ने पंचायतों का विवरण दिया उनमें पंचायत झगड़ावास जनवरी, 2005 से दिसम्बर 5 तक कितनी बार गेहूं उठाया, जो गेहूं उठाया वह नियमानुसार उठाया, अगर नियमों के खिलाफ गेहूं उठाया तो उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे और जांच करवाने का विचार रखते हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कौन सा ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): पंचायत झगड़ावास, इसका आप जवाब दें। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): जो गेहूं बीपीएल परिवारों को नहीं मिला है इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और मंत्री महोदय उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्षः आपका अलग से प्रश्न है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मेरा झगड़ा माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि आपका झगड़ा है। मेरा झगड़ा यह है कि जो गरीबों का गेहूं 6 महीने डूब गया।

श्री अध्यक्षः यह तो आपने पूछ लिया, आप उनको जवाब देने दें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): हां, यही कह रहा हूं, उनको जवाब दे रहे हैं, आप इनकी कुछ व्यवस्था करें, यह बार-बार टोकते हैं बीच में।

श्री अध्यक्षः आपको उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अब मंत्रीजी जवाब देंगे आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कि झगड़वा में झगड़ा है, मैंने तो यह पूछा है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन डीलर्स ने गेहूं नहीं उठाया और उठा कर बांटा नहीं उनको नोटिसेज जारी कर दिये गये हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अब किये हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, पहले से ही किये हैं, जारी कर दिये गये हैं और उसमें कई कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, आये, एक तो माननीय सदस्य को पता है कि इनके वहां एक संस्था गेहूं का वितरण करती है, जीएसएस हिरणी ढाणी डेगाना, वह संस्था हाई कोर्ट से स्टे ले आई जिसके कारण गेहूं लैप्स हो गया और हाई कोर्ट के स्टे के कारण हम उसमें कार्यवाही नहीं कर पाये किन्तु यह उससे रिलेटेड नहीं है जिन 8 सेंटर्स के 10 लोगों ने जो गेहूं नहीं उठाया उनके खिलाफ हम निलम्बन की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिस पंचायत के बारे में पूछा है, मैंने झगड़ावास के बारे में ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, जिन बीपीएल परिवारों को गेहूं नाहीं मिला उनको गेहूं दिलवाने की क्या व्यवस्था करवाई और संबंधित अधिकारी जिन्हें 6 महीने तक गेहूं उपलब्ध नहीं करवाया उनमें से कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): संबंधित अधिकारियों ने गेहूं बांटा है, गलती उठाने वालों की है डीलर्स की इसलिए कार्यवाही उन्हीं के खिलाफ होगी।

श्री अध्यक्ष: लेकिन 6 महीने तक वह न उठायें फिर आप कुछ न करें तो गलत बात है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें हम बड़े गंभीर हैं जिन्होंने नहीं उठाया उनके खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामचन्द्र सराधना।

सहकारी संस्थाओं के चुनाव

171. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री मदन दिलावर): जी हां। राज्य की सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन एक सतत् प्रक्रिया है जिसके तहत समितियों के निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा क्रमश: करवाये जाएंगे।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सहकारी समितियों के चुनाव कितने अंतराल के बाद हो रहे हैं? एक, दूसरा प्रश्न है कितने अंतराल के बाद होने चाहिए थे, दो और तीसरा प्रश्न है आपने कहा निर्वाचन की यह सतत् प्रक्रिया है, क्या यह समय पर नहीं होने के बाद भी सतत् प्रक्रिया कहेंगे ? सतत् प्रक्रिया से आपका क्या तात्पर्य है?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अपेक्स और लैम्प के चुनाव 1991 के बाद नहीं हुए हैं, केन्द्रीय संस्थाओं सीसीबी, क्रय विक्रय सहकारी समितियां होल सैल भण्डार उनके चुनाव 1992 के बाद नहीं हुए हैं, प्राथिमक सहकारी भूमि विकास बैंक के चुनाव 1997 के बाद नहीं हुए हैं, राज्य अर्बन कॉ-आपरेटिव बैंक फेडरेशन लिमिटेड के चुनाव 1999 के बाद नहीं हुए हैं, राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लिमिटेड के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए हैं, अप्रेक्स बैंक के चुनाव 1994 के बाद नहीं हुए हैं, राजफेड के चुनाव 1992 के बाद नहीं हुए हैं, कानफेड के चुनाव 1992 के बाद नाहीं हुए, एसएलडीबी के चुनाव 1997 के बाद नहीं हुए, सहकारी मुद्रणालय के चुनाव 1994 के बाद से नहीं हुए, सहकारी संघ के चुनाव 1994 के बाद नहीं हुए, अनुजा निगम के चुनाव 1996 के बाद नहीं हुए, बुनकर वितरण एवं विपणन सहकारी संघ के चुनाव 1994 के बाद नहीं हुए हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं था कि आपने पढ़कर सुना दिया, मैं यह पूछना चहा रहा था कितने अंतराल के बाद होने चाहिए और कितनी देर से हो रहे हैं और फिर भी आप सतत प्रक्रिया बता रहे हैं, यह सतत् प्रक्रिया क्या है ?

श्री अध्यक्ष: सतत प्रक्रिया का मतलब है कि टाइमली होने चाहिए।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): नहीं, फिर कितनी लेट हो रहे हैं और कितने समय पहले होने चाहिए थे।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): समय पर निश्चित रूप से चुनाव होने चाहिए थे।

श्री अध्यक्ष: समय की समाप्ति के बाद होने चाहिए, यह है सतत प्रक्रिया।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): हां।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी गंभीर मामला है, काफी वर्षों से चुनाव इन्होंने नहीं करवाये और उसके कारण से सहकारी संस्थाओं को काफी नुकसान हो रहा है जो लोकतांत्रिक तरीके से चलनी चाहिए थी, सहकारी संस्थाएं वह नहीं चल पा रही हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चुनाव प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे। इसलिए हमने एक ओ-आपरेटिव इलेक्शन अथोरिटी का गठन किया है क्योंकि जो माननीय न्यायालय का निर्देश था कि इस प्रकार का गठन होना

(श्री मदन दिलावर)

चाहिए और हमने उसका गठन कर दिया है। गठन के बाद हमने दुग्ध सहकारी समितियों के चुनाव करवा दिये हैं और हम अब चरणबद्ध तरीके से...

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं, समाप्त करने दीजिये। बीच में नहीं।

श्री रामलाल (बनेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी असत्य बोल रहे हैं, मंत्रीजी असत्य बोल रहे हैं। दुग्ध सहकारी समितियों के कहां से करवा दिये ? सुप्रीम कोर्ट ने करवाये हैं, सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य: 1991 के बाद में किस-किस की सरकार बनी, इनको सब मालूम भी है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): ... सत्ता में रहकर क्या किया ? क्यों नहीं चुनाव करवाये ? इनको कौन रोक रहा था ? (व्यवधान) पहले तो चुनाव करवाये नहीं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): असत्य क्यों बोल रहे हैं मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: .... चैलेंज करने का। (व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): जब मंत्रीजी असत्य बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): सदन को गुमराह कर रहे हैं। 1998 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी उस समय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लीजिये। स्थान ग्रहण करें। वो असत्यवाचन करते हैं तो आपके पास नियम हैं, उन नियमों में आइये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह रह गया और तो आपने बता दिया है। आपकी इच्छा है, आपकी सरकार की इच्छा है चुनाव करवाने की, ढाई साल से बराबर इच्छा व्यक्त करते जा रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। अब कब तक करा देंगे ? यह बता दें।

श्री मदन दिलावर (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कहा है कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं। जो हमने कहा कि यह

(श्री मदन दिलावर)

चुनाव करवाना को-आपरेटिव इलेक्शन अथोरिटी का काम है और उचित समय देखकर के चुनाव करवायेंगे। अभी आप जानते हैं कि सरसों की कटाई हो रही है, सरसों की खरीद हो रही है, सारे कर्मचारी, अधिकारी उसमें लगे हुए हैं लेकिन उचित समय देखकर के चुनाव करवा दिये जायेंगे।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय हो रहा है, मैं निवेदन कर रहा था, मेरा पाइंटेड क्वेश्चन है कि आप कब तक करा दोगे ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री संयम लोढ़ा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में भारी बरसात एवं औलावृष्टि से किसानों के नुकसान का आंकलन कराया जाकर राहत कोष में 50 करोड़ का प्रावधान कर मदद दिये जाने के सम्बन्ध में ।

स्थगन प्रस्ताव पर तो अनुमति देने में असमर्थ हूं कि लेकिन मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध वक्तव्य दें ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (अकाल राहत मंत्री): इसमें मण्डे तक का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष: आज देना कोई जरूरी नहीं है, मैंने कहा कि वक्तव्य दें सुविधानुसार।

(2) डा. चन्द्रशेखर बैद एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग एवं अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने के सम्बन्ध में ।

इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

(3) श्री हेमराज मीणा, सदस्य की ओर से जिला बारां में राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.76) के निर्माण से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(4) श्रीमती ममता शर्मा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में

(श्री अध्यक्ष)

बलात्कार पीड़ित महिलाओं को, राहत राशि का समय पर भुगतान नहीं करने के संबंध में ।

(5) श्री रामनारायण मीणा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में चोरी एवं ठगी की घटनाओं के संबंध में ।

(6) श्री बाबूलाल नागर एवं 16 अन्य सदस्यों की और से राजकीय कॉलेज सांभरलेक के प्राचार्य द्वारा की जा रही घोर अनियमितताओं आदि के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं आते हैं अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

श्री बाबूलाल नागर एवं 16 अन्य सदस्यों की ओर से जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है वह व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है इसलिए उस बारे में भी मैं अपनी अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से सीकर सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के संबंध में ।

स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य को दो मिनिट में अपनी बात रखने की अनुमति होगी ।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

(8) श्री जुबेर खान एवं 25 अन्य सदस्यों की ओर से कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित गत गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के एक मंत्री द्वारा दिये गये भाषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

राज्य सरकार से प्राप्त तथ्यों के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि मंत्री द्वारा दिये गये भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसी कि प्रस्ताव में आशंका व्यक्त की गई है, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

चूंकि इस सप्ताह में नियम 295 के अन्तर्गत एक भी उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए समस्त जितने भी हैं इन सभी को पढ़ा हुआ मान लेती हूं। मैं पढ़कर सुना देती हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़), सदस्य की ओर से किशनगढ़ में पावरलूम उद्योग के नियोजित विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री राकेश मेघवाल (परबतसर), सदस्य की और से विधान सभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम गुणावती में अवैध खनन कार्य होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बनवारी लाल (धौलपुर), सदस्य की ओर से धौलपुर के संगीतज्ञ श्री महमूद धौलपुरी का राज्य सरकार द्वारा मान-सम्मान करने बाबत्।

(4) श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची), सदस्य की ओर से वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की पालना कर शीघ्र बोर्ड का गठन करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता), सदस्य की ओर से नोहर सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के लिए जल प्रबन्धन किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर), सदस्य की ओर से आरजेडी नहर के आरडी 19 से निकलने वाली संसारदेसर माईनर का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री बद्रीलाल जाट (कपासन), सदस्य की ओर से कपासन में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(8) श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर), सदस्य की और से जहाजपुर के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों के सम्बन्ध में।

(9) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

(10) श्री जोगाराम पटेल (लूणी), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी के विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने के सम्बन्ध में।

(11) श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़), सदस्य की ओर से शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों के लिए छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में।

(12) श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल), सदस्य की ओर से नगर निगम, जयपुर की गौशालाओं में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(13) श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर), सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त होने के सम्बन्ध में।

(14) श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली), सदस्य की ओर से पाली के रँगाई-छपाई उद्योग की मरणासन्न हालत को ठीक करने के सम्बन्ध में।

(15) श्री भंवरू खान (फतेहपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में चारा डिपो खोले जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री सी. डी. देवल (रायपुर), सदस्य की ओर से जयपुर के न्यू सांगानेर रोड, सोडाला एवं श्यामनगर की कालोनियों में स्थित विवाह स्थलों से नागरिकों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(17) श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर), सदस्य की ओर से तहसील धरियावद में डीएपी व अन्य फर्टीलाइजर की मनमानी कीमत किसानों से वसूले जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़), सदस्य की ओर से पंचायत समिति कुशलगढ़ में अध्यापकों के स्वीकृत रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(19) श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के ग्राम सडूबड़ी के क्रमोन्नति आदेश निरस्त कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री रामलाल शर्मा (चौमूं), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं की सड़कों के रखरखाव के सम्बन्ध में।

(21) श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के तीजों वाला बाँध के अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में।

(22) श्री श्रवणकुमार (पिलानी), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी की सड़कों की हालत बहुत खराब होने के सम्बन्ध में।

(23) श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में।

(24) श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर), सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर क्षेत्र के किसानों का रायड़ा मार्च माह में ही खरीद करवाने के सम्बन्ध में।

(25) श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा), सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग

(श्री अध्यक्ष)

संख्या 11-ए दौसा-मनोहरपुर को तरमीनशुदा नक्शानुसार नहीं बनाने के सम्बन्ध में।

(26) श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर), सदस्य की ओर से राज्य में भ्रूण परीक्षण एवं भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर कदम उठाने के सम्बन्ध में।

(27) डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की ओर से बी.पी.एल. परिवारों की नई सूची जारी करने एवं अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों को सहायता प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(28) श्री मुरारी लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में दो एनीकटों का निर्माण वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के तहत करवाने के सम्बन्ध में।

(29) श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से तहसील नैनवां के कानूनगो सर्किल करवर को इन्द्रगढ़ तहसील में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(30) श्री हरिशचन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नावां की टूटी-फूटी सड़कों का पुन:निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(31) डा. समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के ग्राम राऊता में 33 के.वी. सब स्टेशन की स्वीकृति के उपरान्त भी नहीं बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(32) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कतिपय पुलियाओं का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(33) श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में कतिपय सड़कों का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(34) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में की गई पदोन्नितियों में आरक्षित वर्ग का ध्यान नहीं रखने के सम्बन्ध में।

(35) श्री धर्मेन्द्र मोची, सदस्य की ओर से रावतसर क्षेत्र में सेम की समस्या के सम्बन्ध में।

(36) श्री मदन राठौड़, सदस्य की ओर से सुमेरपुर के राजकीय चिकित्सालय में ट्रोमा यूनिट की टीम लगाने के सम्बन्ध में।

(37) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर में जिला अस्पताल स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(38) श्री के.डी. बाबर, सदस्य की ओर से सीकर शहर में नवलगढ़ रोड पर गंदे पानी की निकासी की समस्या के सम्बन्ध में।

(39) श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य की ओर से राशमी तहसील मुख्यालय सरसों खरीद तौल केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(40) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर की सिंचाई व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(41) श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, सदस्य की ओर से जिला करौली की तहसील सपोटरा में ग्राम मांगरोल की मुख्य सड़क के दोनों ओर किये गये अतिक्रमणों के सम्बन्ध में।

(42) श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से जिला कोटा में दिसम्बर, 2005 में नसबन्दी शिविर में दो महिलाओं की कथित मृत्यु की सहायता राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में।

(43) डा. कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(44) श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से मोड, तुर्रा, हार, माला, कलंगी आदि वस्तुओं को बिक्रीकर से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

(45) श्री हीरालाल (निवाई), सदस्य की ओर से निवाई की शिवाजी कालोनी में बसे गरीब वासियों को पट्टे देकर राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(46) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से जिला सिरोही में भारी बरसात से किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने आदि के सम्बन्ध में।

सभी माननीय सदस्यों के द्वारा दी गई उपरोक्त सभी विशेष उल्लेख की सूचना को आज पढ़ा हुआ माना जाये।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अमराराम (धोद)।

श्री संयम लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज एक स्थगन प्रस्ताव दिया था सुबह 9.30 के पहले भारत रत्न स्व.श्री राजीव गांधी के बारे में जो...

श्री अध्यक्ष: एक दिन में एक माननीय सदस्य केवल एक ही स्थगन प्रस्ताव दे सकता है और चूंकि पहले आपने दे दिया था बरसात का इसलिए उसका...

श्री संयम लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, वह तीन दिन पहले दिया हुआ है और यह विषय है बहुत गम्भीर विषय है। प्रदेश नहीं, देश के करोड़ों देशवासियों को इससे भारी आघात लगा है। जिस व्यक्ति ने...

श्री अध्यक्ष: यह आपने कल दिया था माननीय सदस्य और दूसरी बात यह है कि मुझे आपको यह भी निवेदन करना है कि इस तरह की बातें जो भी हों, आप वैश्म में बात किया करें, इस तरह से खड़े नहीं हुआ करें। यह आपका कल का दिया हुआ है, तारीख लगी हुई है कल की।

श्री संयम लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, जो आज का दिया हुआ है वह बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष: गम्भीर है, इसे आप कल दीजिये। आप इसे कल दीजियेगा। आप बिना गम्भीर बात के तो कोई बात उठाते नहीं हो।

सीकर में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार

श्री अमराराम(धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि एक नाबालिग 14-15 साल की बच्ची के साथ तीन तारीख को सदर थाना में एक एफ.आई.आर. नम्बर 56/2006 दर्ज हुई और ऐसा आपराधिक कृत्य है कि अपराधी लोगों का किस तरह का मनोबल है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपस में बातें नहीं करें। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, यदि आपको बात करनी हो तो पीछे चले जायें आप क्योंकि वह बोल रहे हैं, वह डिस्टर्ब हो रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधियों के किस तरह से हौंसले हैं, 14-15 साल की एक नाबालिग लड़की है जिसको घर जाकर के उसके घर से अपराधी बेखौफ हैं, वह उठाकर ले जाते हैं, सामूहिक रूप से उसके साथ व्यभिचार करते हैं और वापस छोड़कर चले जाते हैं आपकी पुलिस की मौजूदगी में और अफसोस इस बात का है कि 15 दिन बाद क्योंकि वह ओ.बी.सी. की लड़की है, बड़े लोग उस पर जो अत्याचार करने वाले हैं, उनको आपकी पार्टी के बहुत बड़े-बड़े लोग संरक्षण देते हैं, सबसे अफसोसजनक बात

(श्री अमराराम (धोद)

तो यह है। जहां हमारी मुख्य मंत्री यहां खड़ी होकर कहती हैं कि राजस्थान में जो भी नाबालिग लड़की के साथ इस तरह का कृत्य करते हैं उनको टाँग देना चाहिए, फांसी पर टाँग देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी ऐसे हैं जो कोई भी सिफारिश करे, इस मामले में किसी की भी नहीं सुनेंगे, आप यह मानकर चलिये। इस मामले में वह किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, लेकिन गृह मंत्रीजी नहीं जानते हैं, गृह मंत्रीजी के ऊपर भी मुख्य मंत्री हैं और आपके मुख्य मंत्रीजी के बिलकुल नजदीक हैं, गृह मंत्रीजी भी असहाय हो जाते हैं, अफसोस इस बात का है। गृह मंत्रीजी के ऊपर आरोप नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप असहाय होते हैं क्या कभी? आप असहाय होते हैं कभी?

श्री अमराराम (धोद): गृह मंत्रीजी से ऊपर भी मुख्य मंत्री हैं। किस तरह से जघन्य अपराध करने वालों को बचाने का, पुलिस की मौजूदगी में इंटीमेशन देने वालों को पुलिस पकड़कर ले आती है और उनको पुलिस से छुड़वा दिया जाता है क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के वहां स्थानीय नेता को भूमि पर कब्जा करने में, शराब माफियाओं को सहयोग करता है इसलिए उनको छुड़वाना बहुत जरूरी है। 15 दिन हो गये, नामजद है, छह तारीख को उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान कर दिया, क्या बच गया? नामजद है, उसी गांव के अपराधी हैं और उनको, पुलिस को सूचना देकर भगाने वाले, सहयोग करने वालों को पुलिस पकड़कर ले आती है और उनको नेताजी छुड़वाते हैं। इस कथनी और करनी में जो अन्तर है, माननीय गृह मंत्रीजी, अपराधी कोई किसी का नहीं है।

(समय : 12.16 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज हो सकता है। आपके राज के कारण आपके लोगों को मदद करती हो, लेकिन अगर कल राज बदल जायेगा, न आपके रहेंगे, न उनके रहेंगे, वह अपराधी हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन है, क्योंकि लोग इतने उद्वेलित हैं, दो दफा एस.पी. कार्यालय के सामने और आज पूरे जिले के लोग जिला कलक्टर महोदय, सीकर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको मजबूर इस बात के लिए नहीं किया जाये कि 15 दिन बाद, नामजद

(श्री अमराराम (धोद)

मुलजिम होने के बाद भी अरेस्ट नहीं हो, लोगों को सड़कों पर उतरकर अनहोनी करने के लिए आपका प्रशासन मजबूर नहीं करें। ऐसा नहीं है, अगर सरकार की इच्छा हो तो दिल्ली से, नोएडा से गिरफ्तार हो सकते हैं तो क्या सीकर से अपराधी गिरफ्तार नहीं हो सकते? लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी सीकर की पुलिस बिलकुल इस तरह के अपराधी गिरोह के पास, प्रशासन के पास, मुख्य मंत्री के कार्यालय के पास पहुंचते हैं, किस तरह से अपराधी लोगों के साथ वहां के स्थानीय नेता बीजेपी के हैं, उन अपराधियों का किस तरह से संरक्षण कर रहे हैं चाहे वह 302 के हों, चाहे 376 के हों, मैं मंत्री महोदय से निश्चित रूप से न्याय की उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोगों को तुरन्त, अतिशीघ्र गिरफ्तार करके न्याय के हवाले करें, न्यायालय के हवाले करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी, वह हमने हमारी तफ्तीश की है, दो लोग उसमें 164 के बयान में है, जिनको अपराधी माना, उनको पुलिस बराबर ढूंढ रही है लेकिन वह कहीं पर भी भागा हुआ हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपराधी चाहे कोई किसी से भी जुड़ा हुआ हो, वह अपराधी है और अपराध के कारण से उसको निश्चित रूप से पकड़कर, जो कुछ भी उसने किया, मेडिकल उसका हुआ, 164 में बयान हुए हैं, घर से ले गये हैं, यह बात सही है और उसके आधार पर जो भी उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है, निश्चित रूप से करूंगा, इसमें कहीं संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): नहीं मंत्री महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके यहां से कार्यवाही नहीं हुई है। मैं यह कह रहा हूं कि उन अपराधियों को टेलीफोन विभाग से, आपके विभाग से हुए हैं, उन अपराधियों को भगाने में जिसने मदद की, उनको लेकर आये, उनको छुड़वा दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: हमारी पूरी कोशिश होगी, आपकी भावना है, मैं यह कह रहा हूं कि...

श्री अमराराम(धोद): जिन अपराधियों को पुलिस की इंटीमेशन देकर, मोबाइल के माध्यम से दी और उनको पुलिस सर्च-आउट करना चाहती है कि वह कहां है, मुलजिम को भगाने में जो मदद करता है, वह भी अपराधी है, सी.आर.पी.सी. के तहत अपराधी है और उनको छुड़ा देते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: आपने जो जानकारी दी, उसको भी ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से आज हिदायत दूंगा कि जिस ढंग से भी हो, जिस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तरीके से भी उसको ढूंढा जा सकता है, जहां से भी टेलीफोन आपस में भी हुए हों, उन सबको निश्चित रूप से ढूंढकर इन दोनों अभियुक्तों को पकड़कर जल्दी से जल्दी आपके सामने और सम्भव हुआ तो तुरन्त सदन में लाकर बताऊंगा कि मैंने आज इनको पकड़ लिया है। (व्यवधान)

राजकीय कालेज सांभरलेक के प्राचार्य की अनियमितताओं बाबत

श्री बाबूलाल नागर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं, मैंने और 16 और माननीय सदस्यों ने स्थगन दिया है....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन: ये व्यक्तिगत मामले उठा रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए।

श्री बाबूलाल नागर: ... परीक्षाएं चल रही हैं, छात्र धरने पर बैठे हैं, यह छात्रों के भविष्य का मामला है। एक तरफ परीक्षाएं चल रही हैं और छात्र कल से धरने पर बैठे हुए हैं उपाध्यक्ष महोदय, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा निवेदन है आपसे... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति नहीं दी थी। आसन की यह व्यवस्था है कि यह व्यक्तिगत मामला है, इस पर रोक लगाई हुई है।(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: छात्र धरने पर बैठे हैं उपाध्यक्ष महोदय। छात्रों के भविष्य का मामला है उपाध्यक्ष महोदय। एक तरफ परीक्षाएं चल रही हैं और छात्र कल से धरने पर बैठे हैं उपाध्यक्ष महोदय। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा निवेदन है आपसे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक (खण्डार): सांभर लेक महाविद्यालय के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है मुख्य सचेतक महोदय, सांभर लेक महाविद्यालय पर आपका कोई ध्यान नहीं है..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत नहीं है। वहां के लेक्चरर थे जिनको जातिसूचक अपमानित किया है और ऐसे प्रिंसिपल हैं, व्यक्तिगत नहीं है, लड़कियों के साथ छेड़ छाड़ की घटनाओं की जांच अभी भी जिनके खिलाफ में पेण्डिंग है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री अमराराम (धोद): जो लड़कियों के साथ बलात्कारी है, अपराधी है...

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह तथ्य हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अपने सहयोगी अध्यापकों के साथ जातिसूचक गालियां दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम(धोद): ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप किसकी परमिशन से बोल रहे हैं।(व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

पर्ची के माध्यम से, श्री कन्हैया लाल मीणा। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्ड़ार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुरेश मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री जीतमल खांट: ×××

श्री अशोक(खण्ड़ार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये, आपका रिकार्ड नहीं होगा।

श्री सुरेश मीणा: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप क्यों समय बरबाद कर रहे हैं, आपका कोई रेकार्ड में नहीं जा रहा। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।(व्यवधान) नहीं।

श्री सुरेश मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं। गंभीर मामला है, आप अपने दूसरे तरीके से...

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री सुरेश मीणा: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री बाबूलाल नागर: ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री सुरेश मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार के ध्यान में है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सुरेश मीणा : ×××

श्री जीतमल खांट: ×××

मोहम्मद माहिर आजाद: ×××

श्री रमेश खींची: ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन: ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री बाबूलाल नागर: ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण।

श्री बाबूलाल नागर: ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय ने सुन ली है बात। माननीय सदस्यगण। माननीय मंत्रीगण। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आवश्यकता...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री जीतमल खांट: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप समय खराब कर रहे हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये।(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: क्यों समय बरबाद कर रहे हैं आप।(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कोई रेकार्ड में नहीं जा रहा, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री रामचन्द्र जारोड़ा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस मामले के अन्दर आपको कोई जरूरी है तो अध्यक्ष महोदय के वैश्म में जाकर के मिल लीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री सुरेश मीणा : ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय कह देंगे अपने आप। आवश्यकता होगी तो कह देंगे।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा: ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है बिराजमान हैं तो सुन लिया उन्होंने।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने नाम पुकार लिया, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये अब। श्री कन्हैयाल लाल मीणा।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह ठीक नहीं।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, है जो। (व्यवधान) माननीय सदस्य

श्री बाबूलाल नागर: ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिये। आपने कह दिया। स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आप कौन हो।

श्री सुरेश मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी कह दी बात, मंत्री महोदय ने सुन ली है, आपको कोई बात, अगर किसी तरह की आपको पीड़ा हो रही है तो अध्यक्ष महोदय से बात कर लीजिये।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हो रहा है इससे...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री सी.डी.देवल: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आपको कोई मजबूर नहीं...

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री उपाध्यक्ष: किस बात का जवाब होगा यहां, गम्भीर है तो.(व्यवधान) आप इस तरह से नहीं उठा सकते।

श्री जीतमल खांट: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अशोक (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप यहां सदन की कार्यवाही में रुकावट मत डालें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्लाजी, इस बारे में अध्यक्ष महोदय से आप जाकर के मिल लीजिये चेम्बर में, कोई बात होगी तो कर लेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला: ×××

श्री उपाध्यक्ष: अगर कोई ऐसी बात होगी तो देख लेते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला: ×××

श्री उपाध्यक्ष: उनको मजबूर नहीं किया जा सकता।

डा. बुलाकीदास कल्ला: ×××

श्री उपाध्यक्ष: क्या पूछूं। मंत्रीजी के ध्यान में है सारी बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला: ×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी के ध्यान में है, इस तरह से....

डा. बुलाकीदास कल्ला: ×××

श्री उपाध्यक्ष: अगर वह आवश्यकता समझेंगे तो दे देंगे जवाब।

डा. बुलाकीदास कल्ला: ××× (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री महीपाल यादव: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री सी.डी. देवल: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री महीपाल यादव: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री महीपाल यादव: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है आप क्यों समय बरबाद कर रहे हैं? माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कह दी आपने बात माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जबरदस्ती जवाब देंगे क्या ? नहीं ऐसे नहीं होगा। कोई जबरदस्ती है क्या?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडौरा): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसा है मैंने आपसे निवेदन कर दिया आप मंत्रीजी से जाकर चैम्बर में मिल सकते हैं। आपको कोई बात होगी तो जवाब दे देंगे।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि एक व्यक्ति से संबंधित मामला है इसलिए मैं बीच में खड़ा नहीं हुआ हूं इसलिए माननीय सदस्य वैश्म में मिल लें वैसे मैंने कल ही इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दे दिये थे मेरे से सब मिल लिये थे और मैं सारी स्थिति से अवगत हूं निश्चित रहें परीक्षा होगी और चूंकि अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो गयी थी इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूं।

सूचना

युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ओन ए पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजधानी में राजस्थान भर के युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और एक लेखक और प्रकाशक का पुतला जला रहे हैं इस बात को लेकर कि उसने यह ऐसी किताब लिखी है जिसमें भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में अनर्गल बातें इस पुस्तक में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कही है और इस पुस्तक के माध्यम से एक ऐसे नेता ...।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ये केन्द्र सरकार का मामला है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके सामने बंट रही हैं किताबें ऐसे क्या कर रहे हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं आप अपने आकाओं से कहो न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, युवक कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता और हम यह मांग करना चाहते हैं...।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):यह किताब आपके वक्त में छपी थी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): छपी थी तो एक्शन लो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह किताब निन्दनीय है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप एक्शन तो ले सकते हो 95 में, क्या बात कर रहे हो। यह किताब छपी है आप कार्यवाही तो कर सकते हो यहां पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपकी केन्द्र की सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हम यह मांग करना चाहते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने यह किताब लिखी है उसके खिलाफ सी.आर.पी.सी. की सैक्शन 95 में मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए प्रकाशन को।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अपने आकाओं को तो कहते नहीं हो। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: राजस्थान से क्या विषय है इसका, राजस्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। ..(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधीजी के बारे में जो भी कहा गया है ...(व्यवधान)... और उस किताब को राजस्थान से तत्काल विदड्रा किया जाना चाहिए। भारत रत्न राजीव गांधीजी के बारे में जो भी लिखा गया है वो निन्दनीय है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडौरा): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, युवक कांग्रेस के हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आज राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं करोड़ों लोगों की भावनाओं का अनादर हुआ है उपाध्यक्ष महोदय और...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं ...।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सारे क्यों खड़े हो गये? एक आदमी बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ..कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के तहत ...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप अगर मुकदमा दर्ज करायेंगे तो हम जरूर करेंगे पर आप करायें तो सही।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपकी सरकार के ही प्रशासन में केन्द्र के चलते फिर भी मुकदमा दर्ज करायें जरूर कार्यवाही करेंगे आप करायें न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप अगर इसके विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज करयेंगे तो जरूर कार्यवाही करेंगे इसमें हमको कहीं भी संदेह नहीं है लेकिन आप आज इस छोटी सी बात पर ऐसे खड़े हो रहे हैं और हमारे सारे भगवान पर जिस प्रकार की टिप्पणियां की उसके बारे में तो ऐसे खड़े नहीं हुए आप लोग?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक आदमी बोलें, माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को बात कहने दीजिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या बात कह दी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आपने जिस बात की सूचना देनी थी वह सूचना आपने दे दी । गृह मंत्रीजी ने कह दिया है कि कोई एफ.आई.आर. होगी या कायदे से कोई काम करेंगे...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री कन्हैयालाल मीणा। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य आप मुकदमा दर्ज करवाइए, कानूनी कार्यवाही कीजिए ।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एफ.आई.आर. दर्ज करवाइए कार्यवाही होगी ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह समाचार एक समाचार-पत्र में पढ़ने के पश्चात् उसमें भाषा और पुस्तकालय विभाग का नाम था तो मैंने इसकी पूरी जानकारी प्राप्त की। यह पुस्तक नेहरू युवा केन्द्र के

द्वारा खरीदी गई है। राजस्थान सरकार के भाषा, पुस्तकालय विभाग ने इसमें न तो कोई अनुदान दिया है, न कोई पैसा दिया है। यह राजाराम मोहनराय फाउंडेशन जो दिल्ली में है उसके द्वारा इस पुस्तक को खरीदकर यहां राजस्थान में भेजा गया है और नेहरू युवा केन्द्र ने यह पुस्तक खरीदी है। इसमें राजस्थान सरकार का या शिक्षा विभाग का या भाषा विभाग का...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आगे बात तो सुनो आप, पूरी बात तो सुनिए इस प्रकार की किसी भी राष्ट्रीय नेता के बारे में कोई बात लिखना न तो आपको अच्छी लगती है न हमें किसी को अच्छी लगती है बिलकुल गलत बात लिखी है और इसलिए मैंने शिक्षा विभाग में तो कह ही दिया है इस प्रकार की पुस्तक को पढ़ाना हमारे लिये बिलकुल अच्छा नहीं है, शोभनीय भी नहीं है। आज सुबह ही मैंने इस बात के आदेश दिये थे बाकी गृह मंत्री ने आपको कह ही दिया है कि जो कानूनी कार्यवाही करनी होगी वह गृह मंत्रालय करेगा। राजस्थान सरकार का या शिक्षा विभाग का किसी भी प्रकार से राजीव जी के असम्मान के बारे में बात करने का मकसद ही नहीं है । वह हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री हैं, भारत रत्न की उपाधि मिली हुई है इसलिए मैं समझता हूं गृह मंत्रीजी ने जो कहा है उसके आधार पर कानूनी कार्यवाही करेंगे तो यह बात ठीक हो जायेगी ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। परन्तु राजाराम मोहनराय पुस्तकालय का सीधा संबंध राजस्थान के पुस्तकालय से है । आपके वहां से ग्रांट इन एड आती है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं दी हमने, हमको ग्रांट इन एड मिलती है यह बात ठीक है लेकिन हमें इस पुस्तक के लिये कोई ग्रांट इन एड नहीं दी ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुझे मालूम है आपने कहा मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन क्या आप राजा राम मोहनराय फंड से राजस्थान सरकार को पैसा लेने के लिये मना करेंगे ? Because you get the money from the Raja Ram Mohan Roy Fund for the libraries of Rajasthan. जिस फंड को आप ले रहे हैं उसमें इस तरह की किताबें रिकमंड की जाये उसके संबंध में राजस्थान सरकार क्या राजाराम मोहनराय फंड को लिखकर देगी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हम राजा राम मोहन राय फाउंडेशन को लिखेंगे कि इस प्रकार की पुस्तके कम से कम राजस्थान में तो नहीं भेजें कांग्रेस शासित राज्यों में भेजें तो भेज दें ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा: यह किताब राजस्थान में छपी है गृह मंत्रीजी ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजा राम मोहन राय ट्रस्ट से जो किताबें खरीदी जाती है उसमें राजस्थान सरकार के अधिकारियों की कमेटी उन किताबों को खरीदती है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वह नहीं है, यह नेहरू युवा केन्द्र ने सीधे राजा राम मोहन राय फाउंडेशन से खरीदी है । अपने पुस्तकालय, अपनी कमेटी से अपने अनुदान से इसका कोई लेना देना नहीं है , यह गलत है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राजस्थान की लायब्रेरी में आती है । जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर जो लायब्रेरी है उस लायब्रेरी में राजा राम मोहन राय का फंड आता है, उसकी किताबें आती हैं । आप क्या यह निर्णय लेंगे कि वहां पर इस तरह की पुस्तकें हैं उनको बाहर निकालेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं सीधा कह रहा हूं कि मैं इस प्रकार की पुस्तकों के पक्ष में नहीं हूं । हमारा तो अलग से जो पैसा आता है उसकी कमेटी बनी हुई है वह कमेटी रिकमंडेशन करती है कि इन पुस्तकों को खरीदा जाये उस रिकमंडेशन में यह पुस्तक नहीं है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम इससे तो सहमत हैं लेकिन राजा राम मोहन राय की किताबें आपके पास आ रही है उसको कैसे रोकोगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): राजा राम मोहन राय की किताबें नहीं आ रही हैं, हमारे पास राजा राम मोहन राय फंड से पैसा आता है, किताबे खरीदकर नेहरू युवा केन्द्र पूरे भारत वर्ष में सभी राज्यों में सीधा भेजता है यह सारी जिम्मेदारी नेहरू युवा केन्द्र की है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, क्रिमिनल ला में सी.आर.पी.सी. के तहत गृह मंत्रीजी आप सुओमोटो भी केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं । आज देश में किसी भी राजनीतिक दल में महान व्यक्ति हुए हैं, अपनी अपनी आस्था है । आपके यहां पर स्व. शाह प्रसादजी मुखर्जी, स्व. दीनदयाल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उपाध्याय हुए हैं । हमारी उनके विचारों से, नीतियों से सहमति असहमति हो सकती है लेकिन हम उनके असम्मान में कोई बात कहें यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज राजीव गांधी भारत रत्न, देश के प्रधान मंत्री उनके विचारों से सहमति असहमति बहुत से लोगों की हो सकती है लेकिन यह परम्परा चल उठे कि इतने महान पुरुषों को आप देशद्रोही कहें यह बड़ी अनुचित बात है। (व्यवधान) मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे । मैंने कहा ना कि आप किसी के विचार से सहमत असहमत हो सकते हैं । आपकी पार्टी के भी बड़े महान नेता रहे हैं । मेरी आपसे पुन: प्रार्थना है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं और आपसे जोर देकर कह रहा हूं कि आप गृह मंत्री हैं क्रिमिनल ला में आप सुओमोटो भी केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं और आप एक स्वस्थ परम्परा का निर्वहन करेंगे यही मेरा आपसे अनुरोध है, यहां पर कुछ कहने की कृपा करें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं कि आज अख़बार में पढ़कर आपकी भावना को जो चोट लगी अगर इसको पहले किसी ने पढ़ा होता तो ज्यादा अच्छा होता, आपके ज्ञान का भी वर्द्धन होता । लेकिन मैं यह कह रहा हूं जिनकी भावनाओं को चोट पहुंची वह तो लिखाना नहीं चाहते हैं । हम तो हमारा कर्तव्य करेंगे मतलब आप यहां तो उनकी वफादारी कर रहे हो और रिपोर्ट लिखाने से भी आप कतरा रहे हो । हम तो हमारी जिम्मेदारी कानून के तहत जो भी होगी वह करेंगे, उससे हम ना नहीं कह रहे कि हम नहीं करेंगे लेकिन आप लोग जिनको आहत हुआ है कम से कम अपनी तरफ से अगर एफ.आई.आर. लिखायेंगे तो क्या एतराज हो सकता है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपसे निवेदन करूं कि आज ही यह बात अखबार में पढ़ने का मौका मिला, उसके पहले हमें जानकारी नहीं.....

श्री गुलाब चन्द कटारिया: हम कहां से जानकारी, जब आपको ही नहीं है तो ?

श्री प्रद्युम्न सिंह: मेरा आप निवेदन सुने, आज ही यह बात अख़बार में आई है।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): आप आपकी दिल्ली की सरकार से कहिये, देश को डाइवर्ट क्यों करते हो। नेहरू युवा केन्द्र आपकी दिल्ली...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: हर आदमी हर पुस्तक को पढ़े यह लाजिमी नहीं है।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): नेहरू युवा केन्द्र मुकदमा दर्ज करवाये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: मैं आपसे कह रहा हूं, आप बिल्कुल निश्चित रूप से कार्यवाही करें। हम भी एफ.आई.आर. करेंगे और आपने कह दिया कि आप कार्यवाही करेंगे। हम भी निश्चित रूप से एफ.आई.आर. इसके अंदर करायेंगे। आपने कहा कि आप इसके ऊपर कार्यवाही करके सुओमोटो एफ.आई.आर., आपने यहां पर सूझबूझ का परिचय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आप निश्चित रूप से कार्य करेंगे यही मैरी आपसे प्रार्थना है।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

जयपुर आगरा रोड पर फोरलेन का कार्य रुकवाने विषयक

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर, आगरा रोड़ पर फोरलेन का कार्य चल रहा है। एम.जी.एम. कम्पनी मलेशिया की, उसने निर्माण कार्य अपने हाथ में ले रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की जमीन जो पूर्व में अवाप्त की गई थी उसमें 42 फीट तक का उनको मुआवजा दिया गया था, उनको उसकी राशि दी गई थी। जो कम्पनी है वह दादागिरी के साथ, हठधर्मिता के साथ बिना कोई मुआवजा दिये हुए किसानों की 75 फीट जमीन को लेना चाहती है। 75 फीट जमीन का अगर पहले मुआवजा नहीं दिया गया, आज काश्तकार वहां धरने पर बैठे हुए हैं, काश्तकार उनको कभी भी वह कार्य नहीं करने देंगे, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 75 फीट तक मुआवजा पहले दें। पहले भी जिस प्रकार फोरलेन का कार्य चला है उसमें सबसे पहले किसानों को मुआवजा दिया गया है और बाद में उसका कार्य चालू किया है।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फोरलेन का कार्य चल रहा है वह एक तरफा चल रहा है। एक तरफा किसानों को प्रभावित किया जा रहा है। उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसको एक तरफा न बनाकर दोनों तरफ, जिस प्रकार जयपुर से अजमेर तक की रोड बनी है, रोड के दोनों तरफ जमीन ली जाए जिससे किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं हो।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यालय आगरा रोड पर आ गए हैं, फोरलेन में आ गए हैं उन विद्यालयों को यह तोड़ना चाहते हैं लेकिन उसकी जगह दूसरे विद्यालय का मुआवजा नहीं देना चाहते। ये विद्यालय आज से नहीं बने हुए हैं यह विद्यालय 1952 से खुले हुए हैं। उस विद्यालय को तोड़ने के लिए बुलडोजर लगा रखा है। आस पास के सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। ऐसे तीन विद्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में आते हैं।

मंदिर हटाने में, मैंने सुना है कि दौसा जिले में एक शंकर भगवान का मंदिर भी इन्होंने तोड़ दिया है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मंदिर उसके बीच में आ रहे हैं उन मंदिरों को नहीं तोड़ा जाए, उसकी सुरक्षा की जाए। किसानों की 42 फीट से ज्यादा जमीन नहीं ली जाए, किसानों को मुआवजा 75 फीट का नहीं मिल जाए जब तक जमीन को अवाप्त नहीं किया जाए। जब तक वह कार्य बंद किया जाए। मैं सड़क निर्माण मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय आप उस कार्य को बंद करवाये अन्यथा वहां पर किसान उद्वेलित है, किसान वहां पर धरना दिये हुए बैठे हैं। किसान चाहते हैं जब तक हमारा मुआवजा नहीं हो तब तक कार्य नहीं चले। दादागिरी के साथ में वह लोग उस पर वहां अतिक्रमण करना चाहते हैं। किसानों की जो फसल खड़ी है उसके अंदर भी बुलडोजर चलाना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यालय की जगह तो विद्यालय भवन बनाकर दिया जाए। साथ ही जमीन उपलब्ध कराई जाए। जो हैण्डपम्प उस एरिया में आ गए हैं उसकी जगह नये हैण्डपम्प लगाये जाए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की मांग को मध्येनजर रखते हुए प्राथमिकता से उस कार्य को, फोर लेन का कार्य अभी रूकवाया जाए। किसानों को जब तक मुआवजा नहीं मिले, स्कूल भवन नहीं बने, जब तक हैण्डपम्प जो उस एरिया में आ गए हैं उनको तोड़ने का कार्य कर रहे हैं वह रूकवाया जाए, नये हैण्डपम्प लगा दिये जाए। इससे सरकार को भी बहुत हानि होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा और मुझे आशा है मंत्री महोदय इस कार्य को रुकवाये जब तक मुआवजा नहीं दिया जाए। मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के हित को देखते हुए आप यहां पर काम रुकवा दें।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी): उपाध्यक्ष महोदय, जमीन के अलावा वहां पर सारे किसानों के दुकान और मकान भी आ रहे हैं, उनको भी मुआवजा दिलाया जाना चाहिये। जो भी फोर लेन में आ रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अगले कुछ वर्षों में खाली जयपुर, आगरा ही नहीं, जयपुर सीकर है, रींगस है, जयपुर, टोंक है और एक नया अलाइनमेंट जयपुर, देहली का एक्सप्रेस वे का है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी फोर लेन रोड बनने वाली हैं, माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है, तो आप एक डिपार्टमेंट की गाइड लाइन या एन.एस.आई. से आप बात कर लें कि यह सब काम, पहले जब काम शुरू हो उसके पहले ही खतम हो जाए क्योंकि अभी काम शुरू होने में है किशनगढ़, ब्यावर और फोर लेन मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के लिए बहुत अहमियत रखती है और उससे राज्य को इण्डस्ट्रीलाइजेशन में और कई बातों में बड़ा योगदान रहेगा। मैं काम रोकने का समर्थक नहीं हूं लेकिन किसी तरह की गाइड लाइन बनाकर, इस तरह स्कूल, मंदिर या जो जमीन आती है उसका काम शुरू होने से पहले को कोई रास्ता निकल जाए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,एक सैकण्ड, बहुत इर्म्पोरटेंट बात है इसलिए आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाह रही हूं, नेशनल हाइवे 76 के बारे में बताना चाहूंगी जो शिवपुरी से पिण्ड्वाड़ा जा रहा है, उसमें जो जमीनों के मुआवजे दे रहे हैं, जो नेशनल हाइवे में आ रही है 40 हजार रूपये दिये जा रहे हैं, रजिस्ट्री के लिए आप कह रहे हैं कि 1 लाख 45 हजार रूपये की रजिस्ट्री कराई जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: आप अलग से....(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सरासर अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें शामिल मत कीजिए, अलग से उठाइये। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे और मुआवजे का मामला है इसलिए मैंने इस बात को उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष: इनकी डिमांड के ऊपर बात करना। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि जितने की रजिस्ट्री होती है उतना ही पैसा किसान....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): उपाध्यक्ष महोदय, यह भी फोर लेन का मसला है। यह जो बात उठा रही है फोर लेन का मसला है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): 40 हजार रुपये उनको दे रहे हैं और रजिस्ट्री 1 लाख, 45 हजार करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): मंत्रीजी, जब जवाब दें तो फोर लेन का सारा ही जवाब दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि जिस सड़क की इन्होंने चर्चा की, जयपुर- आगरा, इसको 4 अगस्त,2005 को राजस्थान सरकार ने एन.एच.आई. के सुपुर्द कर दी। यह भी सही है कि यह सड़क, पुरानी मांग थी सड़क को फोरलेन किया जाए, दो कम्पनियां आई.जी.एम. कारपोरेशन और मधुकान सी.डी.ए. कान्सेटेडियम यह दो उसमें निर्माण कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट की धारा 56 में प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.आई. की ओथोरिटी राजस्थान सरकार के किसी काम्पीटेंट अथोरिटी को लिखकर यह भूमि अधिगृहण करने की कार्यवाही नियमानुसार करती है। मैं निश्चित तौर पर सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, जहां भी सड़क का निर्माण हो हमें निर्धारित नियमों के अनुसार कुछ मुआवजा काश्तकारों को देय होता है और उसके लिए एक्वीजिशन की पूरी प्रोसिंडिग चलती है, उसके अंदर उनके ओब्जेक्शन भी लिये जाते हैं।

माननीय सदस्य ने यहां चर्चा की कुछ मंदिर टूटे, कुछ विद्यालय टूटे, मैं स्वंय इस पूरी चीज को दिखा लूंगा। मैं मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। पहले से इसका मैन्युअल बना हुआ है। नीति बनी हुई है मैं उसको दुबारा रीराइट करके जहां भी नेशनल हाइवे का काम चल रहा है, एनएचआई करें चाहे भारत सरकार करें उसके अंदर निर्धारित मुआवजा पहले दिया जाए इसका निश्चित तौर पर प्रावधान करेंगे। जो विद्यालय उसमें आ रहे हैं उन विद्यालयों को दूसरी किस जगह पर कैसे स्थापित किया जाए, मंदिर और विद्यालय को मुआवजा उस भवन के अनुसार तो नहीं, निश्चित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जितना मुआवजा देय होगा वह मुआवजा दिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाएगा। मैं शनिवार को ही इस कम्पनी के लोगों को बुला लूंगा, एनएचआई के लोगों को बुला लूंगा, माननीय सदस्य जिन्होंने इस बात से अवगत कराया उनको बुलाकर इसका कोई सर्वमान्य हल निकाल लेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी तरह ही जोर जबरदस्ती वहां के किसानों के साथ नहीं होगी और किसानों को उसका उचित मुआवजा मिले इसका प्रबंध सरकार निश्चित तौर पर करेगी।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय मंत्री महोदय, जितना मुआवजा दिया जाए उतने की रजिस्ट्री हो यह भी करवाइये। मुआवजा 40 हजार और रजिस्ट्री 1 लाख 45 हजार, यह भी करवाइये। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफोरमेशन...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। श्री दुर्गाप्रसाद जी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): पाइंट आफ इनफोरमेशन।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी ने कह दिया, इसमें सब बातें आ जाएगी, आप मिल लेना उनसे कोई दिक्कत हो तो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): पाइंट आफ इनफोरमेशन, मैं वह बात कह ही नहीं रहा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम दस गांवों में कल रात को भंयकर बरसात और ओलावृष्टि हुई हैं उससे पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात पहले आ गई थी, मंत्रीजी का वक्तव्य देने की बात भी कर दी (व्यवधान) आसन ने व्यवस्था दी, आपने...

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर मुआवजे के लिए सर्वे कराया जाए, किसानों को राहत दिलाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, आपने कह दिया।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी): माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो नेशनल हाइवे बन रहा है तो दोनों साइड से बराबर जमीन ली जाए, एक साइड से ली जा रही है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): बात खत्म हो गयी, अब हमें बोलने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): निश्चित तौर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सेण्टर पाइण्ट से दोनों तरफ बराबर की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसमें किसी तरह की विसंगति नहीं रखी जाएगी। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दुर्गाप्रसादजी।

गंगापुरसिटी में एक जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण-पत्र

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान इस प्रदेश की गरीब, दु:खी, अशक्त और लाचार जनता की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं।आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, परेशान व्यक्ति हर जगह घूमता है, बड़े-बड़े अधिकारियों से मिलता है, तहसीलदार से लेकर जिला कलक्टर से भी मिलता है। पर उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने एक बात पेश करना चाहूंगा। गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मेरी बात की तरफ ध्यान देवें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के कस्बे गंगापुर सिटी में एक गरीब व्यक्ति एस.सी. का रहता है जिसका नाम दुर्गालाल है, उर्फ सुरजा उसे कहते हैं, उसके बाप का नाम नानगिया है, कोली पाड़ा में रहता है, वार्ड नम्बर-17 है। वह जीवित है उसको कुछ लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने मृत घोषित करवा दिया। उसके लिये उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया। पिछले एक साल से वह विभिन्न स्थानों पर घूम रहा है। वह कलक्टर के पास गया, उप जिला कलक्टर के पास गया, थानेदार के पास गया पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हारकर के वह कोर्ट में गया। कोर्ट ने उसका कोग्नीजेंस लिया और कोर्ट ने थानाधिकारी को आदेश दिया कि पूरी वस्तु-स्थिति की जांच करके इन्फार्म किया जाए। पिछले 6 महीने से थानेदार या जो भी आदमी इंक्वायरी कर रहा है उसने आज तक रिपोर्ट पेश नहीं की हे। वह कहता है, मैं जिंदा हूं, उसके जो डुप्लीकेट रिश्तेदार हैं, वह उसकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कम से कम ऐसा अत्याचार तो नहीं होना चाहिए। ये सरकारी अधिकारी बिलकुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले बिना पैसे लिये हुए रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं। 6 महीने हो गये हैं, आज वह आदमी बड़ा लाचार है, दु:खी है, जगह-जगह फिर रहा है। मेरा निवेदन है कि

आदरणीय गृह मंत्रीजी ध्यान देवें और सम्बन्धित अधिकारी जिसने अब तक रिपोर्ट नहीं की है, 6 महीने हो गये हैं, उसके खिलाफ एकशन लेवें। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, ये लोग सुधरेंगे नहीं, केवल आपका ट्रांसफर करना कुछ मायने नहीं रखता है। इन लोगों को सस्पेंड करें और टर्मिनेट करें। जब एक को भी कर देंगे, सब सही हो जाएंगे, बस मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड, यह 2001 का प्रकरण है जब आप विधायक थे और सरकार आपकी थी।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): 3-4 दिन हुए हैं, अभी निगाह में यह बात आयी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक सैकण्ड, एक सैकण्ड, आप रुक जाओ।

यह प्रकरण तब से लेकर चल रहा था कि इसके जिंदा रहते हुए कुछ लोगों ने इसका फर्जी डाकूमेंट नगरपालिका, से भी मृत्यु प्रमाण-पत्र 2001 में ही प्राप्त कर लिया। उसके बाद यह कोर्ट में 156(3) के तहत जांच के लिये गया। पुलिस ने इसकी जांच की और जांच करने के बाद पुलिस ने कहा कि यह सिविल नेचर का है, इसलिये कोर्ट फैसला करे। न्यायालय में जाकर इन्होंने एफ.आर. लगाकर भेज दी। न्यायालय ने एक साल बाद इसका फिर से कोग्नीजेंस लिया, 4 फरवरी, 2005 को हमारे पास भेजा। इसके बाकी रिश्तेदार जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, उन सबके बयान लिये। एफ.एस.एल. में इसकी जांच के लिये गये। इसमें फर्जी दस्तख्त से जो इन्होंने डाकूमेंट प्राप्त किया कि वह मर गया उसकी तहकीकात तो तभी होगी, जब एफ.एस.एल. की रिपोर्ट आयेगी और उसमें लगेगा कि फर्जी दस्तख्त करके उसको मृतक घोषित जिसने किया, उसके खिलाफ कार्यवाही करने का जो पूरा हमको आधार मिलेगा वह तो प्रारम्भिक जानकारी से सब कुछ मिल गया। फाइनल यह है कि इनमें किसने यह दस्तख्त करके इस तरह का डाकूमेंट प्राप्त किया कि वह मर गया है, उसको सज़ा देने के लिये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एफ.एस.एल. की रिपोर्ट जितनी जल्दी से जल्दी ली जा सकेगी और पुलिस ने भी कहीं काम करने में देरी की या इसमें कोई ढिलाई की तो उसका भी पता करके, एक जिंदा आदमी को मृतक घोषित करके और यहां सदन में उठे, यह आपके लिये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और हमारे लिये, सबके लिये एक दुखद विषय है। इसकी पुख्ता व्यवस्था करेंगे, निश्चित रूप से जो भी हम कर सकते हैं, वह करेंगे।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय गृह मंत्रीजी, आप एक शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। मुझे यह पता है कि आपको शायद इस बात का पता नहीं था। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि पुलिस वाले इतनी मनमानी कर रहे हैं, बिना पैसे लिये हुए तो कोई काम नहीं करता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे यहां लगातार चोरियां हो रही थीं, जनता ने रास्ता जाम किया, 3 आदमियों को चोरों ने घायल कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह जनरल बात है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, उस बात का जवाब आ गया (व्यवधान) यह पुलिस की डिमाण्ड थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष: यह जनरल बात है, अब दूसरे मुद्दे उठेंगे। श्री शिवजीराम मीणा।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): Thankyou, very much.

देवली से जहाजपुर सड़क की दयनीय स्थिति

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में जो मुख्य सड़क देवली से जहाजपुर जाती है उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उस पर पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है। माननीय उपाध्यक्षजी, इस सड़क का स्टेटस एम.डी.आर.-7 है और इसके किलोमीटर 55.600 से 7400 तक, कुल 18.40 किलोमीटर की इसकी टोटल लम्बाई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस रोड़ पर सार्वजनिक वाहनों का आवागमन है। मेरे क्षेत्र की यह मुख्य सड़क है और इस पर कोटा-अहमदाबाद, कोटा-मुंबई, सवाई-माधोपुर, बड़ौदा और बिजौलिया से जो गाडियां आती हैं वे सारी इसी पर होकर निकलती हैं। लेकिन इसकी क्रस्ट की जो मोटाई है वह केवल 150 एम.एम. है। इसकी चौड़ाई भी कहीं 3 मीटर है, कहीं सवा 4 मीटर है। इसमें जो भारी वाहन गुजरते हैं, उससे, इसकी साइडें भी नीची हैं और आये दिन इसकी क्रस्ट की मोटाई कम होने से उसकी क्षमता से कम होने से एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, इसको.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कौनसी सड़क है ?

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): एम.डी.आर.-7 है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप अभी हाल ही में 16.01.06 को देवली पधारे थे उस समय भी देवली के कुछ लोग आपसे मिले थे और आपने डाइरेक्शन दिये थे कि इसका तुरन्त एस्टीमेट भेजा जाए और डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में करीब 55.44 लाख का एस्टीमेट आपके यहां भिजवाया है। इसलिये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस सड़क को 7 मीटर चौड़ा करावें और इसकी जो क्रस्ट की मोटाई है वह वाहनों के हिसाब से करने का कष्ट करें।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में एक सड़क शकरगढ़-बिजौलिया है जो 1984-85 में सेंक्शन हुई थी, उसका कुछ पोर्शन तो एम.एन.पी. में 19.61 लाख, और कुछ पैसा 240.3 सेंक्शन हुआ था 1987 में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, शकरगढ़ से बिजौलिया तक, सड़क की टोटल 37 किलोमीटर की लम्बाई है, अब तक इसमें से मात्र 24 किलोमीटर का निर्माण उस राशि से हो पाया है और मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सड़क इतनी महत्वपूर्ण है कि बिजौलिया से बूंदी, अजमेर, जयपुर और पूरे राजस्थान में जो पट्टी-परसी जाती है उसमें एक घाट सेंक्शन है वह समाप्त हो जाएगी और उसकी दूरी भी वहां से करीब 50 किलोमीटर की कम हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस रोड का जो स्टेटस है वह एम.डी.आर.-41 है। इस रोड को आज तक करीब 13 किलोमीटर की दूरी जहां पर मिट्टी का कार्य हुआ है वह कार्य नहीं होने से इसमें जो पैसा लगाया है उसकी कोई उपादेयता नहीं है, इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक इसमें जो पैसा सेंक्शन हुआ है और जो खर्च हो गया है, उसकी उपादेयता बढ़े और लोगों को आवागमन की सुविधा मिले, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। इसके बनने से एक तो डीजल की बचत होगी और 50 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस 13 किलोमीटर के टुकड़े में से कुछ सड़क तो अभी प्रधान मंत्री सड़क योजना में सेंक्शन हो गयी, वह बन जाएगी। मात्र 8 किलोमीटर का टुकड़ा बचा हुआ है उसमें भी एक किलोमीटर में ग्रेवल हो रखा है, सी.डी. कार्य पूरा कर रखा है और बाकी में अर्थ-वर्क हो रखा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण सड़क है, उसको पूरा करवाने का कष्ट करें। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, जिस सड़क, शकरगढ़-बिजौलिया का हवाला दे रहे हैं इसमें लाखों रुपये पहले खर्च कर चुके हैं। करीब पाँच-छह किलोमीटर की मिसिंग लिंक रोड है, इसके करने से टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा जिलों को बहुत लाभ होता है और सीधा डाइवर्शन जो मिलता है, उससे कितने ही किलोमीटर का चक्कर काटने से बच जाता है। पूर्व में आपसे भी निवेदन किया। माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी श्री शिवचरणजी माथुर साहब ने भी आपसे निवेदन किया और जहाजपुर से आने वाले माननीय विधायक ने भी जिस गम्भीरता से इस बात को रखा है, आप कृपा करके इस बात का आश्वासन दें कि कम से कम ऐसी महत्वपूर्ण सड़क हो तो आप मिसिंग लिंक रोड को पूरा करवा दें। ... (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय मंत्रीजी, मिसिंग लिंक रोड तो आपने एक भी नहीं करवायी। पहले वाली सरकार कितनी मिसिंग लिंक रोड करवाती थी ? आपने तो केवल प्रधान मंत्री का नाम लिखवा दिया जगह-जगह पर रोड्स पर। री-कारपेट भी नहीं करवा रहे हैं। मेडिकल में तो आपने धूम मचा दी थी। ... (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य । ... (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आपने मेडिकल में तो धूम मचा दी और पी.डब्ल्यू.डी. में आते ही ठंडे पड़ गये। एक साल में दो न अब यह कारपेट। 50-60 किलोमीटर तो करवा दो । ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो महत्वपूर्ण सड़कों का जिक्र यहां पर किया है। शक्करगढ़ से बिजौलिया सड़क, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एम.डी.आर.-41 है। 37 किलोमीटर सड़क बनी हुई है और इस सड़क के अन्दर आपने जिस तरह से कहा कि इसमें कुछ टुकड़ा ऐसा रह गया। एम.डी.आर. होते हुए भी वह टुकड़ा वर्षों से बिना उस सड़क के पड़ा था। मैं निश्चित तौर पर इसका तखमीना बनाकर किस योजना में कैसे इसको सम्मिलित किया जा सकता है, इसमें शक नहीं है कि पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने भी इसके बारे में जिक्र किया था। मैं यह प्रयास करूंगा कि इसमें 37 किलोमीटर सड़क के अन्दर जो टुकड़ा बचा हुआ है, इसका निर्माण किसी न किसी योजना में करें। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस देवली-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माण्डलगढ़ सड़क का जिक्र किया है, यह 92 किलोमीटर लम्बी सड़क है। 61 किलोमीटर सड़क की स्थिति ठीक है, शेष 31 किलोमीटर सड़क में से 21 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए हमने 37 लाख रुपये की सी.आर.एफ. में स्वीकृति जारी कर रखी है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके साथ-साथ जहाजपुर कस्बे के अन्दर मुख्य मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत हमने अभी 20 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की है, जिसमें निविदाएं आमंत्रित करके उसको भी ठीक करेंगे। शेष सड़क का मुआयना कराकर इसको कैसे किया जा सकता है, वित्तीय संसाधनों को देखते हुए निश्चित तौर पर करने का प्रयास करेंगे।

एक माननीय सदस्य: हमारा भी जवाब दें।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय मंत्री महोदय, आपने जो फरमाया है, मुख्य मंत्री सड़क योजना में इसमें नहीं हुआ है। वह स्टेट हाई-वे है। जो शहर में काम सेंक्शन किया है वह स्टेट हाई-वे है, मैं तो केवल जहाजपुर से देवली का जो 18.44 किलोमीटर का टुकड़ा है, उसके लिए निवेदन कर रहा हूं आपसे, जो सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण सड़क मेरे विधान सभा क्षेत्र की है। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। आ गयी बात। मंत्रीजी ने सारी बात बता दी आपको। ... (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): और यह जिसमें कोटा से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो कोटा से अजमेर बाईपास रूट जाता है वह भी इसी में होकर जाता है इसलिए पाँच या छह किलोमीटर जो सबसे ज्यादा खराब है, उसके लिए तो मैं चाहूंगा कि आज ही घोषणा करें। आश्वासन मिले। ... (व्यवधान)

जोधपुर शहर में झूलते विद्युत तार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के अन्दर पुरानी तार की जो लाइनें लगी हुई हैं, उनके बारे में मैं पर्ची के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

जोधपुर शहर में बिजली के तार काफी वर्षों से पुराने हैं और ऐसी जगह-जगह पर तार आये हुए हैं क्योंकि मकान तो पहले बने थे और तार अब खींच दिये गये हैं। वह इस तरीके से है कि लोगों को बहुत ही दिक्कतें आती हैं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

इसी तरीके से जो खम्भें हैं, वे भी बहुत पुराने हैं। नीचे से गल गये हैं। कभी गाय को करंट आ जाता है। अभी कुछ अरसे पहले भी एक बहुत बड़ा हादसा जोधपुर में हो गया था इसलिए मैं यह चाहूंगी कि जितनी भी जो पुरानी लाइनें हैं उनको तुरन्त बदल दिया जाए। मकान और दुकानें, दुकानें क्योंकि पुरानी बनी हुई हैं और तार अब ऐसे खेंच दिये गये हैं कि वे दुकानों के ऊपर से ही जा रहे हैं। मकानों की बॉलकोनी के पास तार आ रहे हैं तो इसकी भी कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे लोगों को बहुत आसानी रहे। माननीय मंत्री महोदय अगर विराजमान हो तो मैं उनसे चाहूंगी कि वे वहां पर जोधपुर शहर की इस सुंदरता को कायम रखें और यह पुरानी जो लाइनें हैं, उनको ठीक करवायें। जो पुराने पाइप लगे हुए हैं, खम्भे लगे हुए हैं उनको ठीक करवाये और इस तरीके से करेंगे तो जोधपुर शहर के अन्दर बहुत अच्छी बात होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि शहर की समस्त पुरानी जितनी भी लाइनें, तार है, उन सबको ठीक करवाया जाए। वे तार ऐसे लटके हुए हैं जिससे हर समय करंट आने का भय रहता है। बरसात का भी मौसम आ रहा है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इसको ठीक करवायें । ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कोई जवाब दें इससे पहले मैं भी निवेदन करना चाहूंगा। इसी संदर्भ में। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अभी नहीं, अभी बाद में कहना। यह तो जोधपुर का मामला है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): नहीं, इसी संदर्भ में है। यह बिजली का मामला है और यह अकेले जोधपुर का मामला नहीं है, यह पॉलिसी डिसीजन का मामला है। मंत्री महोदय, यह बतायें कि जिन मकानों पर से या जिस जगह से होकर यह लाइनें जा रही हैं, उन जगह यह उसको हटाने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? यह अकेले जोधपुर शहर का मामला नहीं है। यह पूरे राजस्थान का है। इसी तरीके से जयपुर का भी मामला है । कुछ नेशनल हाई-वे पर भी ... (व्यवधान)

श्री सांवरलाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर पर्चियों पर ही इस प्रकार की डिबेट करवाएंगे तो फिर तो कैसे व्यवस्था चलेगी? ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, इसके नियम बने हुए हैं। ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को कोई तकलीफ थी तो यह पर्ची पर लगाते । ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और भी लोग इस मामले में बोले हैं । पर्चियों का मामला अकेला नहीं है, यह चूंकि व्यवस्था का मामला है। यह राजस्थान की पॉलिसी मैटर का मामला है इसलिए मैंने आपसे यह निवेदन किया है। अगर मंत्री महोदय जवाब दें तो इसको पूरे राजस्थान के सिलसिले में जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सांवरलाल (सिंचाई मंत्री): सन् 52 से ही दे रहे हैं यह जवाब ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा है माननीय सदस्य, इसमें विद्युत विभाग के नियम बने हुए हैं। कौनसी लाइन है वह कैसे कितना खर्चा जमा करने के बाद शिफ्ट की जाएगी, किस तरह की जाएगी इसलिए सब नियम बने हुए हैं इसके। ... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी स्वयं यहां पर विराजमान हैं। वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह मंत्रीजी के ध्यान में आ गयी बात।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): नहीं यह तार तो, आप यह बताये तो सही कि क्या करेंगे? आजकल तो साइंस ने इतना डवलप कर लिया है, ऐसी पुरानी जो लाइनें लगी हुई हैं, उनके बारे में क्या करेंगे और मकान बहुत पुराने बने हुए

श्री उपाध्यक्ष: नोट कर लिया। ... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): अब इन्होंने जो कुछ भी किया तो कर दिया तो कितनी तकलीफ होती है मकान वालों को। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह नोट कर लिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर क्या होता है कि आप कहते हैं कि मकान बनाएंगे तब ठीक कर देंगे। फिर कह देते हैं कि इतना एस्टीमेट बन गया है, दस हजार लाओ, पाँच हजार लाओ, बिजलीघर ऐसा करता है। या तो यह कोई ऐसी बात करें। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, उनके ध्यान में आ गया है। ... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हम तो यह चाहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे लोगों को सहूलियत हो और इनका भी काम हो। ... (व्यवधान) हम भी बिजली-घर जाएं तो काम होना चाहिए। मंत्रीजी स्वयं यहां पर विराजमान हैं तो मैं उनसे यह चाहूंगी कि कुछ उत्तर तो दें कि क्या करेंगे तार के बारे में। आजकल कितनी दुर्घटनाएं हो रही है इसलिए कहा है और कोई बात नहीं है। ... (व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

ऊर्जा विभाग

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि ।

श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्नांकित सात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या- राविविआ/सचिव/विनि/37, दिनांक 12.9.2005, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (याचिकाओं हेतु शुल्क) विनियम, 2005 विरचित किये गये हैं।
2. अधिसूचना संख्या-राविविआ/ रेगु/38, दिनांक 15.9.2005, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (औंबडसमैन द्वारा विवादों का निपटारा) (संशोधन) विनियम, 2005 विरचित किये गये हैं।
3. अधिसूचना संख्या- राविविआ/सचिव/रेगु/39, दिनांक 11.11.2005, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (औंबडसमैन द्वारा विवादों का निपटारा) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2005 विरचित किये गये हैं।
4. अधिसूचना संख्या- राविविआ/विनि/40, दिनांक 11.11.2005, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कार्य का सम्पादन) विनियम, 2005 विरचित किये गये हैं।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

5. अधिसूचना संख्या- राविविआ/सचिव/विनि/41, दिनांक 11.11.2005, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत अधिनियम अनुकूलन एवं विभिन्न विनियमों के संशोधन) विनियम, 2005 विरचित किये गये हैं।
6. अधिसूचना संख्या- राविविआ/ सचिव/विनि/42, दिनांक 15.12.2005 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्कों एवं प्रभारों का उद्‌ग्रहण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2005 विरचित किये गये हैं।
7. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनि/43, दिनांक 15.12.2005, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (खुला अभिगमन के लिए निबन्धन और शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2005 विरचित किये गये हैं।

समिति का प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2005-2006 (सं.1 से 4)

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2005-2006 समिति के चार प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2005-2006 समिति के निम्नांकित चार प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्ष 2000 के लम्बित आश्वासनों से संबंधित समिति का प्रथम प्रतिवेदन।
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्ष 2001 के लम्बित आश्वासनों से संबंधित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन।
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्ष 2002 से 2004 की अवधि के लम्बित आश्वासनों से संबंधित समिति का तृतीय प्रतिवेदन।
4. यातायात, संस्कृत शिक्षा, पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभागों के वर्ष 2000 के लम्बित आश्वासनों से संबंधित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष: श्री समर्थलाल, सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 2005-2006 समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 2005-2006 समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य

वापस लिया गया विधेयक

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2005

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी, प्रभारी मंत्री राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2005 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2005 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2005 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को वापस भी लेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2005 को वापस लेता हूं।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का अध्यादेश संख्या 3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2005-06) मांगें का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन। श्री वीरेन्द्र मीणा, राज्य मंत्री अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2005-2006 का उपस्थापन करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2005-06 के लिये शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूं।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

राज्य विधान मण्डल मांग संख्या-1

श्री उपाध्यक्ष: मुखबन्द का प्रयोग करते हुए, प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1-राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,99,36,000/- (एक करोड़ निन्यानवे लाख छत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मंत्री परिषद्-मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2-मंत्री परिषद् के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,96,000/-(इकतीस लाख छियानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

सचिवालय-मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3-सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,000/- (सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

जिला प्रशासन-मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-4-जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रशासनिक सेवाएं-मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5-प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,11,33,000/- (इक्कीस करोड़ ग्यारह लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

न्याय प्रशासन-मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6-न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,31,37,000/- (बारह करोड़ इकतीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

निर्वाचन-मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7-निर्वाचन के संबंध

(श्री उपाध्यक्ष

में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,72,38,000/- (एक करोड़ बहत्तर लाख अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजस्व-मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-8-राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,82,84,000/- (दो करोड़ बयासी लाख चौरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विविध सामान्य सेवाएं-मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9-विविध सामान्य सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,55,82,000/- (एक करोड़ पचपन लाख बयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अन्य कर-मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12-अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 11,70,79,000/- (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख उन्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

आबकारी-मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-13-आबकारी के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री उपाध्यक्ष

निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,94,95,000/- (ग्यारह करोड़ चौरानवे लाख पिचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पैंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-15-पैंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 70,49,30,000/- (सत्तर करोड़ उनचास लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पुलिस-मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,26,72,000/- (पच्चीस करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

जन सम्पर्क-मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-18-जनसम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,61,80,000/- (एक करोड़ इकसठ लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

लोक निर्माण कार्य-मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19-लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री उपाध्यक्ष

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,24,31,000/- (छप्पन करोड़ चौबीस लाख इकतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

आवास-मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20-आवास के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सड़कें एवं पूल-मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21-सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,38,72,000/- (साठ करोड़ अड़तीस लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

क्षेत्र का विकास'मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22-क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,34,39,000/- (पांच करोड चौंतीस लाख उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्रम और रोजगार-मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री उपाध्यक्ष

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/-(दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,000/-(सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

कोषागार व लेखा प्रशासन-मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,01,000/-(बासठ लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या-26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/-(दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पेयजल योजना-मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,14,19,000/-(चवालीस करोड़ चौदह लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(श्री उपाध्यक्ष

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम-मांग संख्या-28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,23,39,000/-(दो करोड़ तेईस लाख उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास-मांग संख्या-29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/-(नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

जनजाति क्षेत्रीय विकास-मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,25,81,000/-(दस करोड़ पच्चीस लाख इक्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पुनर्वास एवं सहायता-मांग संख्या-31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-31 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,000/-(उनसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(श्री उपाध्यक्ष

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

नागरिक आपूर्ति-मांग संख्या-32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,000/-(पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-मांग संख्या-33-

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,60,54,000/-(नौ करोड़ साठ लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्राकृतिक आपदाओं से राहत-मांग संख्या-34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,99,99,000/-(एक करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं-मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री उपाध्यक्ष

11,99,22,000/-(ग्यारह करोड़ निन्यानवे लाख बाईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सहकारिता-मांग संख्या-36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,28,93,000/-(सत्ताईस करोड़ अट्ठाईस लाख तिरानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

कृषि-मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,30,97,000/-(एक अरब तीस लाख सतानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पशुपालन एवं चिकित्सा-मांग संख्या-39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,13,60,000/-(सात करोड़ तेरह लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजकीय उपक्रम-मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,52,000/-(तेरह लाख बावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(श्री उपाध्यक्ष

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सामुदायिक विकास-मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,88,50,,000/-(सत्ताईस करोड़ अठासी लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

उद्योग-मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,15,39,,000/-(नौ करोड़ पन्द्रह लाख उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

खनिज-मांग संख्या-43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,77,00,,000/-(एक करोड़ सतहत्तर लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राज्य कर्मचारियों को ऋण -मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,07,000/-(दो लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(श्री उपाध्यक्ष

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सिंचाई-मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,34,94,,000/-(सत्ताइस करोड़ चौंतीस लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पर्यटन-मांग संख्या-47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,25,72,,000/-(इक्तीस करोड़ पच्चीस लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विद्युत-मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,22,09,21,,000/-(एक अरब बाईस करोड़ नौ लाख इक्कीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

ग्रामीण रोजगार-मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-49 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,00,00,,000/-(पांच करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना-मांग संख्या-51

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-50 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,07,26,,000/-(ग्यारह करोड़ सात लाख छब्बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2006

श्री वीरेन्द्र मीणा, राज्य मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक,2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2006

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या -1) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग(संख्या-1) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग(संख्या-1) विधेयक,2006 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2006

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1)विधेयक, 2006 को पारित किया जाए।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2006 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक 2006 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2006 को पारित किया गया।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती ममता शर्मा ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट की चर्चा में मैं कहना चाहूंगी कि 8 मार्च को बजट पेश किया गया और तीन-तीन उत्सव थे उस दिन कायदे से । एक तो 8 मार्च था तो महिला दिवस भी था, बजट भी पेश किया गया और मुख्य मंत्रीजी का जन्म दिन भी था। मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि महिलाओं के लिए समर्पित बजट इस बार मैं दे रही हूं और मैं उनको बधाई देती हूं कि उन्होंने महिलाओं को बजट को समर्पित किया है लेकिन किसी जमाने में एक पिक्चर आई थी उसका नाम था सब कुछ गोलमाल। इस बजट में भी कुछ गोलमाल बातें ज्यादा हैं और ..(व्यवधान) आई थी अमोल पालेकर की ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): गोलमाल थी।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): गोलमाल थी ना तो यहां सभी कुछ गोलमाल है ।

एक माननीय सदस्य : पूरे देश में ही गोलमाल है तो फिर यहां क्या गुनाह कर दिया।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मुख्य मंत्रीजी ने कहा है हमको आउटवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा, अपनी गरिमा के साथ अपनी विरासत की रक्षा भी करनी पड़ेगी। मैं मानती हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मंत्रीजी का बड़ा सोच है और वह यह सब कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि यह भी सही है कि सामूहिक संरचना का केन्द्र पूरे विश्व में नारी है लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगी कि अगर इस बजट का विश्लेषण किया जाए महिलाओं के बारे में भी तो आपको कहीं न कहीं निराशा हाथ लगती है । मुख्य मंत्रीजी ने कहा हमने जेंडर आडिटिंग की शुरुआत की है लेकिन रिजल्ट क्या निकला । हम तो यह पूछना चाह रहे थे यह बताते तो ज्यादा अच्छा था कि क्या परिणाम सामने आए हैं, शुरुआत की आपने, बहुत अच्छी शुरुआत है, हम इसकी सराहना करते हैं लेकिन परिणाम सामने नहीं आए और यह राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है इसका मैं कहती हूं कि 75 प्रतिशत जो क्रेडिट है वह केन्द्र सरकार को जा रहा है क्योंकि सारा कुछ उसी पर आधारित है जो केन्द्र सरकार का बजट आया है, मैं उदाहरण के लिए दो बातें कहूंगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो लड़कियों के एनरोलमैंट की बात कही है और दूसरी बात कही है कि प्राथमिक कक्षाओं में ठहराव, माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं अगर दोनों बातों का विश्लेषण किया जाए तो दोनों बातें मैं मानती हूं ठीक हैं लेकिन जो कालेजेज की हालत है, कालेजेज में जेंडर एनरोलमैंट में पिछले तीन वर्ष में कोई वृद्धि नहीं हुई है । आप आडिटिंग कराएंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि कोई वृद्धि इसमें नहीं हुई है । प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार का जो पैसा है वही आप कर रहे हैं लेकिन ठीक है बजट आपने उसी पर आधारित बनाया भी है इसलिए इसमें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन जो आपने घोषणाओं के पुलिंदें यहां दिए हैं उनको अनफोल्ड करने की भी कोशिश करिए । जनरल एजूकेशन में 4831 का बजट आगामी वर्ष के लिए दिखाया गया है जिसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए केवल 380 करोड़ का प्रावधान है । माननीय मंत्री महोदय, मेरे हिसाब से यह जो प्रावधान आपने रखा है यह

(श्रीमती ममता शर्मा)

बहुत कम है इसलिए इस प्राथमिक शिक्षा के बजट को बढ़ाएं और कन्याओं पर ज्यादा खर्च हो, छात्राओं पर ज्यादा खर्च हो इस पर भी ध्यान दें।

प्रेमचंद जी ने कहा है कि यदि किसी पुरुष में स्त्री के गुण आ जाएं तो पुरुष महात्मा बन जाता है तो इसलिए मैं चाहूंगी कि पुरुषों को जो पुरुषों के हित की बात है वह आप महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वह एक पुरुष में गुण आया उसकी नौकरी चली गयी वह राधा बन गया।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): वह गुण नहीं आया, वह तो खुद ही स्त्री बन गया। गुण आता तो नहीं बनता, गुण आता तो महात्मा बन जाता, आप कोशिश करिए गुण लाने की....(व्यवधान)

वीमन्स डवलपमैंट प्रोग्राम को दुबारा हाथ में लिया गया है और डिस्ट्रिक्ट कोंडिनेटर की नियुक्तियां की जाएंगी ऐसा कहा गया है । इसके ढांचे में फर्क कैसे पड़ेगा, पहले यह बताइये आप।

पहले यह बताइये आप कि डिस्ट्रिक्ट कार्डिनेट, कार्डिनेटर तो आप बना देंगे और आप क्या करेंगे कि एडिशनल चार्ज दे देंगे लेकिन इसके ढांचे में फर्क कैसे लाया जायेगा अगर इसके कार्यक्रमों में बजट का कोई प्रावधान नहीं है तो मैं नहीं मानती कि इसमें कोई फेरबदल आप कर पायेंगे। इसमें डिस्ट्रिक्ट कार्डिनेटर की नियुक्तियां सुनिश्चित होनी चाहिये। इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपने स्वयं सहायता समूहों का जिक्र किया है। दस महिलाओं को लिया और एक समूह बना दिया। इसके बाद बैंकों से जो आप पैसा दिलवा रहे हो सौ करोड़ रुपया, उसके वापस दिलवाने का भी कोई प्रावधान नहीं है वरना जैसे दूसरे फंड डूब रहे हैं वैसे ही यह डूब जायेगा। तो इसके लिये भी कोई न कोई प्रावधान आपका होना चाहिये। मैं मानती हूं कि स्वयं सहायता समूह में तरक्की हुई है लेकिन इसके लिये कोई न कोई प्रावधान जब तक नहीं होगा मैं मानती हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

बच्चों के लिये जो आई.सी.डी.एस. का प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है वह भी पूरा का पूरा केन्द्र पर निर्भर है। यह प्रोग्राम 1975 से चल रहा है और तीस साल से चलते हुए इसका विस्तार भी बहुत हुआ है लेकिन जो आंकड़े कुपोषण और टीकाकरण के आ रहे हैं उनमें कोई खास ज्यादा बदलाव नहीं है। पहले 17 परसेंट था, अब 20 परसेंट हो गया तो जब तक

(श्रीमती ममता शर्मा)

इसमें उल्लेखनीय सुधार नहीं हो, कोई मानीटरिंग न हो तब तक इस कार्यक्रम का कोई फायदा आप सोचें कि कुपोषित बच्चों या बीमार बच्चों को मिल जाये, मैं मानती हूं कि राज्य ने यू.एन.सी.आर.सी. चाइल्ड राइट्स चार्टर को साइन किया है, बहुत अच्छी बातें हैं इस चार्टर की लेकिन अगर इसको माना जाये तो दो बातें जो इसमें हैं वह बहुत अच्छी हैं। एक तो चाइल्ड सुरक्षा, बच्चे की सुरक्षा और दूसरा चाइल्ड लेबर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यह देखिये चाइल्ड लेबर की यह हालत है कि उस पर कोई राज्य सरकार रोक लगाना ही नहीं चाहती या क्या बात है, हम बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन चाइल्ड लेबर घर घर में जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है और जितने बच्चे घरों में नौकरियां कर रहे हैं, अगर आपने नहीं रोका तो बच्चों का चाइल्ड ट्रेफिकिंग है, बच्चों को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, चाइल्ड एब्यूजमेंट हो रहा है, इनमें जब तक हम रोक नहीं लगायेंगे, राज्य सरकार पहल नहीं करती, मेरा मानना है कि तब तक हम कुछ नहीं कर पायेंगे।

राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग और श्रम विभाग के अंतर्गत कुछ बजट का प्रावधान दिया है लेकिन इसका सारा बजट जो है वह एन.जी.ओज. ग्रांट में ले लेती हैं और फिर एन.जी.ओज. कितना इस पर काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं जब तक राज्य सरकार की मानीटरिंग नहीं होगी तब तक यह जो आपका कार्यक्रम है इसमें सफलता मिले, मैं नहीं मानती। क्योंकि एन.जी.ओज. जो काम करते हैं उनमें मेंटल रिटार्डेड बच्चे हो, विकलांग हों और एक बात और भी है जो इसकी सोशल एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज के बारे में आप स्वयं कोई ऐसी कमेटी बनायें, कमेटी गठित करें जो इन एक्टिविटीज को देखे। आपने अभी आंकड़े दिये हैं कि पांच करोड़ की जनता में केवल दो हजार बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। केवल दो हजार, जो कि संख्या नगण्य तो क्या नगण्य से कोई दूसरा शब्द है तो वह इसमें आ सकता है कि पांच करोड़ की जनता में दो हजार बच्चे।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रूण हत्या की हालत यह है कि मैं मानती हूं कि इसमें मानसिकता पुरुष और महिला दोनों को बदलनी पड़ेगी। भ्रूण हत्या की हालत यह है कि गांवों में सरकार कोई सी भी हो, गांवों में हम डाक्टर तो नहीं पहुंचा पा रहे हैं लेकिन सोनोग्राफी की मशीनें पहुंच रही हैं। डाक्टर और नर्स की गांव में कमी है लेकिन सोनोग्राफी की मशीनें वहां पूर्णतया उपलब्ध हैं और

(श्रीमती ममता शर्मा)

कामर्शियलाइजेशन हो गया इसका। पैदा होने से पहले ही कन्या को मार दिया जाता है। अगर आप छह वर्ष के बच्चों में इस लिंगानुपात को देखें तो लिंगानुपात बहुत कम गया है। सरकार ने खुद आंकड़े दिये हैं इसलिये मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोल रहा हूं। यह तो सर्वविदित है, सबको पता है कि आज कल सब सलेक्टिव अबार्शन महिलाएं करा लेती हैं लेकिन इस पर रोक के लिये अगर सोनोग्राफी की मशीनों पर रोक लगा दी जाये और ला एण्ड आर्डर को सख्त किया जाये, मुस्तैद किया जाये तो मैं मानती हूं कि कन्या भ्रूण हत्या कम हो जायेंगी।

ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं तो महिलाओं के बलात्कार, महिलाओं का उत्पीड़न, दहेज मृत्यु और चैन खींचने की घटनाएं, अब यह कह देते हैं कि मुकदमा है ही नहीं। यह मुकदमा दर्ज ही नहीं करते। पुलिस मुकदमा दर्ज करने को ही तैयार नहीं होती और दूसरी बात यह है कि जो इस तरह के केसेज हैं उनमें पुलिस शुरू से ही एवीडेंस को बिगाड़ देती है। अगर पुलिस के द्वारा एवीडेंस नहीं बिगाड़ी जाती तो मैं मानती हूं कि जेसिका लाल के जो छह अभियुक्त हैं वह इस तरह से बरी नहीं होते। तो इसमें पुलिस पर बहुत निगाह रखनी चाहिये इन लोगों को कि यह जो आज सब चल रहा है इसको किस तरह से रोका जाये। महिलाओं के उत्पीड़न को किस तरह से रोका जाये। आज महिला सुरक्षा का अहम् मुद्दा बन गया है। ट्रेन हो, बस हो, बाजार हो, चलती औरत को छेड़ दिया जाता है लेकिन जब पुलिस में जाते हैं तो उसको और प्रताड़ित किया जाता है तो पुलिस प्रशासन की इतनी बिगड़ी हुई हालत है कि शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं मेरे एरिया का आपको किस्सा बताऊंगी कि सात वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार हुआ। रिपोर्ट दर्ज करने को पहले तो पुलिस तैयार नहीं, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हो गयी, रिपोर्ट दर्ज हो गयी तो बलात्कारी को पकड़ने के लिये तैयार नहीं। दो-तीन घंटे का चक्काजाम किया उसके बाद पूरा कालेड़ा क्षेत्र बंद करवाया गया एक दिन का और तीसरे दिन पुतला जलाया गया गृह मंत्रीजी का उसके बाद चौथे दिन जाकर अभियुक्त को पकड़ा गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं और दलित महिलाओं के साथ जो हो रहा है इन दो-ढाई सालों में, दलित महिलाओं की आज हालत है, मैं आपको बता नहीं सकती। आज मेरा स्थगन प्रस्ताव भी था लेकिन मैं नामिनेशन फाइल कराने चली गयी, उसके बारे में मैं परसों रिकवेस्ट

(श्रीमती ममता शर्मा)

करूंगी कि इस तरह के जो केसेज हो रहे हैं इसमें राज्य सरकार को स्वयं ध्यान देना चाहिये और यह बार-बार कहना कि तीन-तीन शीर्ष पदों पर महिला बैठी हुई हैं यह कोई इसका इलाज नहीं है।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): चौथा खाली है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप भरेंगे ?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): कोशिश करूंगा, निवेदन करूंगा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): इसलिये मैं यही चाहती हूं कि पुलिस को इस पर मुस्तैद किया जाये। मैं सदन से आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि वह स्वयं भी मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करें शाम को कि आप स्पष्ट बजट जो है उसको अगर यहां पेश करें तो हम ज्यादा प्रसन्न होंगे कि कितना-कितना व्यय किस-किस पर होगा।

मैं चूंकि बजट का मामला है इसलिये और शिक्षा मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, बूंदी में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, गर्ल्स कालेज है लेकिन हालत यह है कि उस कालेज की जो बिल्डिंग है वह तत्कालीन शिक्षा मंत्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी के टाइम में बनी थी और वह सात किलोमीटर चूंकि बूंदी से दूर है, वहां कन्याएं नहीं जातीं और चार कमरे में बूंदी गर्ल्स कालेज चल रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। एक बात मैं और कहूंगी कि महिलाओं को समर्पित बजट में मुख्य मंत्रीजी को यह चाहिये कि या तो एक कृषि कालेज और या फिर गर्ल्स पालीटैक्निक कालेज के लिये, मेरा यह निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि पूरे जिला हैड क्वार्टर पर एक गर्ल्स पालीटैक्निक कालेज जरूर खोलें। क्योंकि आपने दस जिलों का जिक्र तो किया है लेकिन हमको पता है हमारा जिला उसमें नहीं आयेगा इसलिये मैं निवेदन कर रही हूं कि इस बात का जरूर ध्यान रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ट्यूरिज्म की तरफ ध्यान दिलवाऊंगी। ट्यूरिज्म में मैं देख रही हूं काफी तरक्की हो रही है लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो लीक से हटकर मैं बताना चाहूंगी कि पुराने मोन्यूमेंटस जो थे उनका मुख्य मंत्रीजी ने डाकूमेंटेशन तो करवा दिया लेकिन वह मूर्तियां आज भी गांव में पड़ी हुई हैं जो पता नहीं कितने हजारों वर्ष पुरानी हैं और उनके लिये संग्रहालय की कोई जगह नहीं है, कोई म्यूजियम की जगह नहीं है तो इन मूर्तियों को एक जगह

(श्रीमती ममता शर्मा)

एकत्रित करके संभागों में संभागीय हैड-क्वार्टर पर कोई ऐसी बिलिडंग्स बनायी जाये ताकि इन मोन्यूमेंटस को वहां रख सकें।

आप किसी भी हाईवे पर ट्रेवल करें राजस्थान में, जब आप किसी हाईवे पर ट्रेवल करते हैं तो आप देखते हैं कि जगह-जगह पहाडियों पर या नीचे किले बने हुए हैं और बड़ी जिज्ञासा होती है कि यह किसका किला था। किसी नवाब का था, या किसी राजा का था, या किसी ठाकुर साहब का था लेकिन उनको जानने के लिये सारे ट्यूरिस्ट हो, चाहे हम लोग हो, हमारे पास कोई रास्ते नहीं हैं।

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि उन किलों के नीचे ऐसे बोर्ड लगाये जायें जिनमें कम से कम उनके बारे में डिटेल हो कि यह क्या हैं, क्या नहीं हैं क्योंकि ट्युरिज्म आज सबसे बड़ा उद्योग है जो राजस्थान में आ रहा है। एक बात और कहूंगी कि केरल गवर्नमेंट का बजट ट्युरिज्म पर सौ करोड़ का है और हमने मेरे ख्याल से 50 प्रतिशत बजट दिया है 60 करोड़ और इस बजट को बढ़ाया जाये और इस बजट को बढ़ाने से यह फायदा होगा कि ट्युरिज्म की कई जगह जो छूटी हुई हैं उनमें विकास हो सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा हेरिटेज होटल्स पर हमने टैक्स बढ़ाया है, कम नहीं किया है । आज हेरिटेज होटल्स की हालत यह है कि वह जितने भी होटल्स हैं उनमें से 90 प्रतिशत रूरल एरिये में है और जैसा कि अभी मैं जिक्र करूंगी खींवसर में हैं, मंडावा में है और उनकी जो ओक्युपेंसी रेट है वह केवल 35 प्रतिशत है जो कि नगण्य है । उस पर इतना टैक्स लगाने के बदले कुछ सब्सिड़ी और देनी चाहिए थी । क्योंकि रूरल एरियाज को जानने की जिज्ञासा आज हममे भी है और जो बाहर से विदेशी आ रहा है उसकी ज्यादा है और वहां के लोगों को रोजगार ही वहां यही मिला हुआ है और कुछ है ही नहीं उनके पास । वह चाहे ऊँट गाड़ी चलाये, नॉन-पॉल्युटेड बिजनिस है यह, इस उद्योग में किसी प्रकार का पोल्युशन नहीं है । वह ऊँट गाड़ी भी चला रहा है या चाय की दुकान है या उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया है, एक छोटी टैक्सी भी है तो भी इसमें सब्सिड़ी होनी चाहिए ना कि कर लगाने चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, हेरिटेज की बात हम कर रहे हैं । आप ब्रज को ले लीजिये । ब्रज कोई अकेले मथुरा में नहीं है । वैर, कामा, भरतपुर, रूपवास यह

(श्रीमती ममता शर्मा)

सब ब्रज का हिस्सा है और भगवान कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था लेकिन जितनी लीलाएं हैं वह ब्रज की पहाड़ियों में की हैं, भरतपुर की पहाड़ियों में की है, कामा की पहाड़ियों में की हैं । इसमें जो माइनिंग हो रही है वह लीगल है, यह मैं जानती हूं कि वह लीगल है लेकिन मेरा मानना है कि उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है । जब हम अपनी विरासत को बचाने की बात करेंगे, गरिमामय विरासत की बात की है मुख्य मंत्रीजी ने, एक तो जहां कृष्ण की लीलाएं हुई हों । इससे बड़ी गरिमामय विरासत नहीं हो सकती है तो मैं निवेदन करूंगी कि इसको रोकने के जरूर प्रयास किये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हमने आज तक पापुलेशन के बारे में नहीं सोचा और मुख्य मंत्रीजी ने भी दो घंटे के बजट में एक घंटा पैंतालीस मिनट, एक घंटे पचास मिनट का बजट पढ़ा उसमें पापुलेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया । राजस्थान चूंकि अन्य प्रदेशों के मुकाबले शांत प्रदेश है । बाहर से बहुत लोग यहां आ रहे हैं और उनकी वजह से यहां आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, गुंडागर्दी को बढ़ावा मिल रहा है तो इस पापुलेशन में जो भारी वृद्वि हमारे यहां हो रही है इसको रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए । यह एक अलार्मिंग स्टेज है । जो आज है हमारे यहां इस अलार्मिंग स्टेज का हमें फायदा उठाना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ घंटियां बज रही हैं कि खतरा पैदा होगा तो इसको रोकने के लिए हमें कोई न कोई प्रयास जरूर करने चाहिंए ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा पिछले दिनों। अखबारों के माध्यम से पढ़ा था यहां संसदीय सचिव महोदय बैठे हुए हैं, नेशनल पार्क, कोटा के बारे में पढ़ने में आया था कि नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था । हमारी सरकार ने नेशनल पार्क जो मार्क करवाया था उसमें बूंदी भी था और उस नेशनल पार्क का नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क । सबसे पहले तो इन्होंने बूंदी को उससे हटा दिया जबकि बूंदी को अगर आप देखें तो फारेस्ट की जो जमीन है बूंदी में जो नेशनल पार्क के अंतर्गत आयी थी उसमें न तो ज्यादा चराई हो रही है और केवल एक या दो गांव हैं और जो इन्होंने नेशनल पार्क में लिया है उसमें पता नहीं कितने गांव हैं इसलिए आप बूंदी को हटवाकर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं एक बात बता दूं, बूंदी मां है और कोटा उसका बेटा है । इसलिए मां को अलग करके कोई सुखी नहीं रहा है । इसलिए बूंदी को इसमें जरूर लेना चाहिए ।

श्री मदन दिलावर: बारां तो पोता है ।

श्रीमती ममता शर्मा: हां, बारां तो पोता हो गया । आप ठीक कह रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: झालावाड़ पड़पोता है ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): इसलिए मैं तो कहूंगी कि बूंदी का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, शिकार वहां हो रहा है, चराई वहां हो रही है। आप जब नोटिफिकेशन जारी करें, तब उसका करें । इसके साथ ही मैं बहुत दु:खी मन से एक बात कहना चाह रही हूं, नहीं कहना चाहते हुए भी कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है और जिसके नाम से नेशनल पार्क घोषित किया गया था उनका नाम हटाकर के आपने अच्छा नहीं किया है । मैं यह भी कहूंगी कि यह सूझ मुख्य मंत्रीजी की नहीं होनी चाहिए । यह किसी और की सूझ है जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया है कि आप इसका नाम मुकुन्दरा हिल्स रख दें। ऐसे ही राजीव गांधी पाठशालाओं का भी नाम हटाया गया । यह बहुत दु:ख की बात है, यह तो समय है, आज आपका है कल हमारा है । इसलिए मैं यही कहूंगी कि इसको अगर ना बदला जाये तो अच्छा है । कोई आरएसएस के तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग । ऐसा ही लग रहा है यह मुख्य मंत्रीजी की सूझ नहीं है, वह बड़े दिमाग की हैं और वह चाहती हैं कि स्टेट के साथ कुछ न कुछ करें...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और कोई आरएसएस का नहीं है, आपका पीहर पक्ष जरूर आरएसएस का है । आप भूल गयी हैं । ससुराल में जाते ही भूल जाती हैं ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मैं कहां मना कर रही हूं ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह गोलमाल है ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): यह तो मुख्य मंत्रीजी का पीहर पक्ष भी कांग्रेस का ही है । माधवराज सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब भी, उनका भी है ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): राजमाता विजयराजे सिंधिया हैं ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): हमारी तो स्टोरी एक सी है । आप मत बोलिये । हमारी स्टोरी एक सी है । आप मत बोलिये...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आप बीच में पड़ ही क्यों रहे हो । यह सुझाव तो बीच वालों का है ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेहँदी पर कर लगाया 12 प्रतिशत, मेहंदी सुहाग की चीज है, मेहंदी पर कर लगाना उचित नहीं है और मेहंदी सोजत में पैदा होती है । आज माननीय मंत्रीजी नहीं हैं जिनका वह निर्वाचन क्षेत्र है। सौ करोड़ की मेहंदी होती है उसमें से करीब 15-20 करोड़ की मेहंदी तो बाहर चली जाती है और बाकी यहीं रहती है । इस सुहाग की चीज पर तो सब्सिड़ी होनी चाहिए वनिस्पत मेहंदी पर कर लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी पिछली बार मैंने केपेटिव पावर जनरेशन का मामला उठाया था और मैंने कहा था कि केपेटिव पावर जनरेशन पर टैक्स खत्म होना चाहिए । वह इस बार उन्होंने किया है । पिछली बार तो नहीं किया था। उसके लिए उनको बधाई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अहम मुद्दा हमारी एलएमसी का है, लेफ्ट मैन कैनाल, एलएमसी के लिए इन्होंने बजट दिया है दस करोड़ और आरएमसी का दिया है 20 करोड़ का, एलएमसी का जिक्र तो यहां कर दिया है, हमारे मंत्रीजी नहीं हैं बाबूलाल जी वर्मा उनको चाहिए कि इसके बारे में वह मुख्य मंत्रीजी से बात करें कि जो एलएमसी है वह तो केवल एक किलोमीटर लंबी है और जो बूंदी ब्रांच है और केशोरायपाटन ब्रांच है वह एक हजार किलोमीटर लंबी है । इन्हें चाहिए कि एक हजार किलोमीटर के लिए भी दस करोड़, एक किलोमीटर पर तो खर्च होगा नहीं तो वह हमसे पूछ रहे हैं कि कौन-कौनसी जगह आप मरम्मत कराना चाह रहे, हो कौनसी जगह आप पक्की करवाना चाह रहे हैं । इससे कोई फायदा किसान को मिलने वाला नहीं है और जब फुल नहरें छोड़ी जाती हैं तो नहरें इतनी जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं कि अगर कोई नहर टूट गयी तो पूरे गांव के गांव बहने की स्थिति में आ जायेंगे तो मैं चाहती हूं कि नहरों के लिए एलएमसी और उसकी दो ब्रांचें बूंदी ब्रांच और केशोरायपाटन ब्रांच के लिए बजट और बढ़ाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुदानित जो संस्थाएं हैं उसमें गवर्नमेंट का अनुदान का जो बजट है वह बहुत कम है या तो उसे बढ़ाया जाये और अगर आप बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं तो उसे भी वापस ले लें । लेकिन वापस लेने में एक शर्त भी हो कि उनको नौकरियां भी आप दें । इस उम्र में वह कहां जायेंगे। उसका जिक्र करना चाह रही हूं कि इस कम अनुदान को आप थोड़ा

(श्रीमती ममता शर्मा)

सा बढ़ायें, इसका कोई न कोई रास्ता जरूर निकालें । मुख्य मंत्रीजी से कहूंगी कि आप बुद्वि प्रधान तो हैं लेकिन हृदय प्रधान भी बनिये । तब यह काम होंगे, वह हृदय प्रधान कम रही हैं । इसलिए उनको चाहिए कि बुद्वि प्रधान के साथ साथ हृदय प्रधान भी बनें तब कुछ काम बन पायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्युरिज्म के बारे में मंत्री महोदया यहां बैठी हुई हैं । मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगी उसके बारे में कि आप चाहे नैनवा चले जायें, आप चाहे केशोरायपाटन चले जायें, आप चाहें हिण्डौली चले जायें और आप चाहें मुख्यालय बूंदी पर रहें इतना टयुरिज्म हैं कि बूंदी में किसी उद्योग को लगाने के लिए सोचना भी हमारे लिये बेकार रहेगा ।

अगर ट्यूरिज्म को आप पूरा-पूरा बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि मुख्य मंत्रीजी केवल झालावाड़ की ही मुख्य मंत्री नहीं हैं, क्योंकि अफसर लोग भी सारा बजट समेट कर उधर ले जाते हैं, उस बजट को डिस्ट्रीब्यूट करें सब तरफ, खूब बजट दें तो मैं मानती हूं कि हाड़ौती संभाग का पूरा कल्याण कर पाएंगे।

चिकित्सा के लिए मैं इसमें इतना सा ही कहना चाहूंगी कि जिला हैड क्वाटर पर जितने भी अस्पताल हैं उनको ए श्रेणी का बनाएं क्योंकि हमारा जिला भी बिलकुल नेशनल हाई-वे पर है और मैंने लिखकर भी दिया था मुख्य मंत्रीजी को करीब एक महीने पहले कि ट्रोमा वार्ड न बनने की वजह से जहां कोटा पेशेंट को रेफर किया जाता है तो या तो वह बीच में ही दम तोड़ देता है, तीस-पैंतीस किलोमीटर जाते-जाते तो अस्पताल में सारी फैसिलिटी ऐसी होगी तब ही अस्पताल ए श्रेणी का होगा तो मैं चाहती हूं कि ए श्रेणी अस्पताल, देवली का मैंने सुना है मिल रहा है देवली को, आप टोंक को दे दें तो बेटर था, जिला हैड क्वाटर तो था इसलिए बूंदी को भी दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी के बारे में मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा कि ट्राइबल एरिया की बात होती है तो केवल डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बारां यहीं सिमट कर रह जाता है, हालांकि मैं मानती हूं कि वह 60 प्रतिशत नहीं है लेकिन कम से कम 48 प्रतिशत जहां ट्राइबल है उनके लिए भी एक्स्ट्रा बजट मुख्य मंत्रीजी दें, मैं ऐसा चाहती हूं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को खतम करना चाहूंगी और प्रसादजी की दो लाइन कहना चाहूंगी

'अर्पण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग झलकता है,

(श्रीमती ममता शर्मा)

मैं दूं और फिर कुछ लूं इतना ही सरल झलकता है'

यह माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए है, आपने समय दिया, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलना चाहती हूं। अभी बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह तो उन्होंने माना कि हमारी मुख्य मंत्रीजी बुद्धि प्रधान तो हैं, हृदय प्रधान भी है। (व्यवधान) हृदय प्रधान भी है। यह आपकी अच्छी बात है कि आप उन्हें अपना मानते हैं, अपना मानने के लिए भी उन्होंने सिद्ध करके बताया, जब आप उन्हें अपना मानते हैं, पिछली बार जब आपके मुख्य मंत्री रहे उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि पूरे राजस्थान की जनता उन्हें अपना मानती हो मगर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कुछ अच्छा करके बताया जिससे तो यहां बैठे मीणाजी भी कह रहे हैं कि हमारी मुख्य मंत्री नहीं सबकी मुख्य मंत्री, किया तो है न, इस चीज को तो आप भी मानते हैं, बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या भी मानती है कि हमारी मुख्य मंत्रीजी राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी, बुद्धि प्रधान है, हृदय प्रधान भी है। हृदय प्रधान होने का उन्होंने सबूत दिया है। पिछले दो वर्ष में उन्होंने महिलाओं के लिए जो कुछ किया है, आपसे छिपा हुआ नहीं है, आप भी महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ठीक है, आपका दायित्व है, आपको यहां पर विपक्ष में बोलना है, कुछ कमियां निकालनी है, आपको अपना दायित्व निभाना है, निभाइए।

मगर हृदय से आप भी मानते हैं कि आपने भी कुछ बातों को सराहा है, हृदय से आप भी मानते हैं कि वास्तव में राजस्थान के सर्वोच्च पद पर महिला के रूप में जो व्यक्तित्व विराजमान है उनके द्वारा पूर्व में भी दो साल में अच्छे निर्णय किए गए महिलाओं के बारे में और अब भी अच्छे निर्णय किए गए हैं। अब जो अच्छे निर्णय किए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी ।

वृद्धावस्था पेंशन दो सौ से चार सौ रुपए की है, इस बात को आप मान रहे हैं, विधवाओं की पेंशन छह सौ से आठ सौ रुपए की है, इसे भी तो आप मानते हैं, 11 हजार नई सहयोगिनियों का चयन, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना जो सिर्फ बी.पी.एल. परिवार के लोग जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उनको सरकार की तरफ से 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इसको

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

तो आप मानते हैं, 20 हजार नए स्वयं सहायता समूह, आप भी मानते हैं, राजस्थान की महिलाएं भी हृदय से मानती है इसलिए कह रही हूं जिससे दो लाख महिलाएं लाभांवित की जाएगी। स्वयंसिद्धा योजना जिससे सम्भागीय मुख्यालय पर निराश्रित विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, 200 ए.एन.एम. और 700 नर्सों की नियुक्ति, इसमें भी महिलाएं ही लाभांवित होगी और महिला पोलो टेक्निक कॉलेज की स्थापना, इससे भी महिलाएं ही लाभांवित होगी, कृषि विषय का अध्ययन करने वाली सीनियर क्लास की लड़कियों की छात्रवृत्ति 1 हजार से बढ़ाकर तीन हजार और स्नातक स्तर की 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार की है। इसे तो आप मानेंगे।

क्योंकि आप बोली हैं इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही थी कि हमारी मुख्य मंत्रीजी बुद्धिप्रधान होने के साथ-साथ हृदय प्रधान भी है। पिछले बजटों में उन्होंने महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। स्टाम्प ड्यूटी साढ़े पांच प्रतिशत की उससे राजस्थान की दो लाख महिलाओं को भू अधिकार मिला है, इसे क्या आप कम आंकते हैं, मैं तो बहुत आंकती हूं इसलिए मैं उसका वर्णन यहां पर करना उचित समझती हूं। 26 हजार महिला साथिनों, थर्ड ग्रेड अध्यापकों की भर्ती में 2732 विधवा और परित्यक्ताओं को अध्यापकों के रूप में नौकरी दिया जाना और साथ ही 4 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती में 12 सौ महिलाओं को नौकरी दिया जाना मैं महिलाओं के पक्ष में समझती हूं। 1 करोड़ 16 लाख छात्राओं को न केवल पाठ्यपुस्तकों का नि:शुल्क वितरण, 1 लाख 4 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन जिससे 11 लाख महिलाएं लाभांवित हुई हैं। अनुसूचित जनजाति की कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए नि:शुल्क साइकलों का वितरण, अनुसूचित जनजाति की कक्षा 10 से 12 तक की बोर्ड की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को स्कूटी का वितरण, शिक्षा में पिछड़े हुए जिलों में एस.सी. और एस.टी., अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं की विशेष शिक्षा के लिए समाज कल्याण के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, मैं समझती हूं कि महिलाओं के लिए पिछले दो वर्ष और अब 2006-07 के बजट में जो महत्वपूर्ण निर्णय महिलाओं के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 8 मार्च, महिला दिवस के अवसर पर, उनके जन्म दिन के अवसर पर, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर घोषणाएं की गई हैं, इससे उनकी प्रामाणिकता सिद्ध हुई है।

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

जिस उत्साह और उमंग के साथ उन्होंने बजट पेश किया है, चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र लें या सड़क का, चाहे ऊर्जा का या समाज कल्याण का, पर्यटन का या खेल का, ग्रामीण विकास या पेयजल का, चिकित्सा का या अन्य, सभी क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों में जितना काम हुआ है उतना काम आपकी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में नहीं हुआ है। दो वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में 47792 विद्यालय माध्यमिक में और 541 विद्यालय उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुए हैं। इसके साथ ही रिकार्ड 60 हजार शिक्षकों की नियुक्ति और आगामी वर्ष में इस बजट में थर्ड ग्रेड के 26 हजार और सैकण्ड ग्रेड के 5 हजार, कुल 31 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का अभूतपूर्व प्रावधान रखा है। मैं समझती हूं कि आपकी जो पिछली कांग्रेस सरकार रही, स्कूलों और शिक्षा के प्रति आपकी बहुत चिन्ता थी आपने तो शिक्षा का जितना भट्ठा बैठाया उसको तो हम ठीक करने में लगे हुए हैं। पिछली गवर्नमेंट ने एक भी नियुक्ति नहीं दी और वर्तमान गवर्नमेंट ने आते ही 60 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की और आगामी 2006-07 के बजट में भी 31 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया है। वास्तव में मैं समझती हूं ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की नियुक्ति में जो कमी थी वह अब दूर हो जाएगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले दो वर्ष में एक लाख के करीब कनेक्शन दिये हैं। आप सभी चुनकर आते हैं, सभी की कांस्टीट्युएंसी में कम से कम एक निर्णय हुआ है, ऊर्जा मंत्रीजी व माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्णय लिया है 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने का निर्णय आपने भी नहीं लिया था ..(व्यवधान).. आपके नहीं हुआ है तो निवेदन करती हूं होना चाहिए।

फीडर सुधार कार्यक्रम। मैं तो मेरे पाली जिले की बात बताती हूं, पाली जिले में बागावास, बासनी, ददवानिया, विजयपुर, लाटड़ा, सिरयारी, खिवाड़ा और किशनपुरा इन सभी जगह सब स्टेशनों का निर्माण किया। हमारे खारची से आने वाले माननीय विधायक या नागौर से आने वाले विधायक हम पर आरोप नहीं लगा सकते। जो खारची से माननीय सदस्य चुनकर आते हैं उनसे पूछिए कि पिछले दो साल में काम करने के तरीके में चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी मंत्री या सी.एम साहब के काम करने के मामले में पूरे राजस्थान में कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। जितनी स्कूलें हमारे क्रमोन्नत हुई हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, उतनी की उतनी मेरे साथी विधायक जो कांग्रेस से चुनकर

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

खारची से आते हैं उनके भी हुई हैं। उन्होंने कहीं भी भेदभाव नहीं बरता है। भेदभाव बरतने का तरीका आपका है और आप करते जाओ और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पड़ेगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आपसे भी ज्यादा हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: भेदभाव हो गया ना।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): सड़कों के क्षेत्र में मुख्य मंत्री सड़क योजना, डब्ल्यूबीएमटी बीटी रोड, आदर्श सड़क, धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें, ग्रामीण सम्पर्क हेतु प्रतिदिन 12 किलोमीटर डब्ल्यू.बी.एम.टी. रोड का निर्माण और प्रतिदिन चार गांवों को जोड़ने का जो निर्णय इस सरकार ने लिया है, आप तो प्रतिदिन एक गांव को जोड़ते थे हम तो प्रतिदिन चार गांवों को जोड़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्षेत्र में राजस्थान अव्वल है, यह आपको जानकारी है मगर आप दुरुस्त करना ही नहीं चाहते क्योंकि आपका तो काम है यहां पर विपक्षी बातें करना ..(व्यवधान).. आगामी वर्ष में 17 आर.ओ.बी. और 25 उपमार्गों का प्रावधान किया गया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात मैं करती हूं आगामी वर्ष में 10 करोड़ की 18 सड़कें और बनेंगी। अब तक 43 करोड़ की सड़कें बन चुकी हैं और उससे 17 गांव जुड़ चुके हैं। ..(व्यवधान).. केन्द्र सरकार का पैसा उस समय भी आता था जब आपकी गवर्नमेंट थी, यह तो आएगा मगर काम करने का तरीका आप हमसे सीखो।

समाज कल्याण के क्षेत्र में गत वर्ष में मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। आपने भी नहीं लिया। अनुप्रति योजना के रूप में प्रशासनिक सेवाओं में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों को मैन परीक्षा में बैठने के लिए, इंटरव्यू के लिए एक लाख की घोषणा की है। मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है इस तबके को ऊंचा उठाने के लिए। आपने तो 50 सालों तक हमारे इस एस.सी, एसटी के तबके के वोट लिए, मगर इनके महत्व की बात आपने नहीं सोची। इस गवर्नमेंट ने सोची है और वह करके बताया है।

आगामी 2006-07 के बजट में समाज कल्याण छात्रावासों की स्कौलरशिप को बढ़ाकर 675 से 725 किये जाने का प्रावधान किया है, मैं

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

समझती हूं यह भी बहुत उचित निर्णय हुआ है। साथ ही मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि जो उत्तर मैट्रिक एग्जाम होता है एस.सी. वालों के लिए या पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पूर्व मैट्रिक परीक्षा होती है वह कुछ समय से नहीं ली जा रही है। उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं और जब मुख्य मंत्री साहिबा अपना उत्तर देंगी उसमें यह बात जरूर स्पष्ट करें पिछले दो वर्षों से नहीं हो रहा है उसके बारे में निर्णय लें।

पर्यटन के क्षेत्र में देवस्थानों के जीर्णोद्धार के लिए कई नई विशेष योजनाओं के साथ ही राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आगामी वर्ष में प्रदेश में 7 पर्यटन स्थलों पर पंचकर्म चिकित्सा सुविधा हेतु निजी भागीदारी से पंचकर्म केन्द्र स्थापित करने का प्रावधान किया है। वास्तव में हमारे देश की जो आयुर्वेदिक धरोहर है उसको पुर्नजीवित करने का जो निर्णय लिया गया है मैं समझती हूं बहुत ही महत्व्पूर्ण निर्णय है। साथ ही गौ-सेवा आयोग को भी अतिरिक्त बजट दिया है। हिन्दू समाज और पूरी भारतीय संस्कृति में यह मान्यता है कि गौ-माता में 33 करोड़ देवी-देवताओं का निवास होता है इससे यह जो निर्णय लिया है गत बजट में भी लिया और इसमें भी लिया वह वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण आपको सीखने को मिलेगा।

खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को देय सुविधाओं में वृद्धि की गई है। राज्य के कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह और देवेन्द्र झाझड़िया जैसे राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 11 11 लाख पिछले दो वर्षों में दिये हैं, पिछले बजट में भी किया है 11-11 लाख रुपये देकर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित किया है, मैं मानती हूं कि इससे राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। आगामी वर्ष में प्रत्येक जिले में स्टेडियम का निर्माण का इस बजट में प्रावधान किया गया है इसको भी मैं महत्वपूर्ण मानती हूं। इससे पूरे खेल जगत में एक उत्साह का संचार हुआ है। 13 जिलों में युवा आवास के निर्माण से भी युवा और खेल प्रतिभाएं निश्चित रूप से आगे आएंगी, उनको आगे आने का मौका मिलेगा, इसके लिए भी मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं।

पेयजल के क्षेत्र में प्रत्येक गांव व ढाणी पेयजल से वंचित न रहे इसके प्रयास पिछले दो वर्षों में हुए हैं । 22 नई पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति हुई है, 11 पर काम शुरू हो गया है। इसका लाभ 17 जिलों के 6700 गांवों को मिलेगा। पूरे राजस्थान में हैण्ड पम्पों का निर्माण हुआ है। मैं केवल पाली जिले

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

की बता रही हूं, आपके जिले की आप जानते होंगे, 1603 नये हैण्ड पम्प और 67 नलकूप। 158 प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। 1203 पुराने हैण्ड पम्पों को ठीक किया गया, जिले में चार फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया। शहरी जल प्रदाय योजना में 12.05 करोड़ व ग्रामीण जल प्रदाय योजना में 16.93 करोड़ रुपये खर्च किये गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 18 लाख की सादड़ी की पेयजल की पाइप लाइन की स्कीम, 35 लाख की मोरखा गांव हेतु स्कीम, 28 लाख गुढा जाटो की स्कीम, 32 लाख पृथ्वीराज गुढा के लिए स्कीम, 65 लाख मांडीगढ़ की स्कीम और 22 लाख रुपये मांडीगढ़ के बांध को रिपेयर कराने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने दिये इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। साथ ही 354 करोड़ की जवाई नहर की परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमने पूर्व गवर्नमेंट के सामने काफी धरने-प्रदर्शन किये थे। उस समय हमें डण्डों से पीटा था, उसका यह नतीजा हुआ कि आज हम यहां विधान सभा में आ गये। हमने पाली के लिए पेयजल मांगा था और आपने व अशोक जी ने, उस समय प्रभारी मंत्री खेतसिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने निर्णय लिया कि पाली वालों को पीटो तो आपको राजस्थान की जनता ने पीट डाला। मैं इस गवर्नमेंट ने जवाई नहर की पाईप लाईन को जो 354 करोड़ की स्कीम पास की, इसके लिए धन्यवाद देती हूं, साथ ही गुजारिश करती हूं कि पूरा पाली जिला देसूरी विधान सभा क्षेत्र, बाली और खारची का कुछ भाग भी है वह भी जुड़ जाए तो पूरे जिले को लाभान्वित होने का मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: काफी कुछ, करीब-करीब सारी बातें आ गई, अब आप कन्क्लूड करें।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): चिकित्सा के क्षेत्र में गत वर्ष 558 चिकित्सकों की नियुक्ति, 372 नर्सों तथा 54 नर्सिंग ट्यूटर की नियुक्ति और आगामी वर्ष में सौ चिकित्सकों और दो सौ ए.एन.एम. और सात सौ नर्सों की नियुक्ति मैं समझती हूं पैरा मेडिकल स्टाफ की जो कमी पिछले दो वर्षों में और अब आगामी वर्ष में पूरा करने का हमारी मुख्य मंत्रीजी का मानस था निश्चित रूप से राजस्थान की ग्रामीण जनता लाभान्वित होगी। पर्यावरण के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति से पुलिस पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों की 15 हजार से बढ़ा कर एक लाख 50 हजार रुपये किये गये कर्मचारी कल्याण के लिए सेवानिवृत्त, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्तमान राज्य कर्मचारियों की ही चिन्ता नहीं की, जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं उनकी भी चिन्ता की है। उनकी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनका

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

भी विस्तार किया, वर्तमान कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ते की जो किश्त थी उसका नकद भुगतान किया और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा भत्ता जो टी.ए.डी.ए. कर्मचारियों का उसका जो 14 वर्षों के बाद संशोधन किये जाने का जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, मैं समझती हूं यह कर्मचारी के कल्याण में सोचने वाली बात है और इसके लिए हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत बहुत बधाई। अन्य, तिल उद्योग को भी राहत प्रदान की और नशाबंदी हेतु भी प्रयास किया जा रहा है, पान तम्बाखू, सिगरेट जो वैट में इसका प्रवेश कर बढ़ा दिया, मैं समझती हूं इससे नशा मुक्ति होगी। मोटर पार्टस भी प्रवेश कर से मुक्त किये हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। मोटर पार्टस का जो उद्योग है वह पनपेगा राजस्थान में, साथ ही मै निवेदन करती हूं जैसा कि बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने भी कहा और मैं भी कहना चाहती हूं, आग्रह करना चाहती हूं इस सदन में कि जो मेहंदी है उसे वैट से कृपा करके मुक्त रखा जाए। मेहंदी सुहाग की सामग्री है, राजस्थान के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई भी महिला हैं, राज्यपाल भी महिला हैं हमारी और अध्यक्ष महोदय भी महिला हैं और मेहंदी हमारे सुहाग की सामग्री है, इसका महिलाओं के लिए बहुत प्रमुख स्थान है अपने जीवन में और करीब-करीब जितने भी माननीय सदस्य चुनकर आते हैं उनके भी घर में महिलाएं हैं उनका भी उनके जीवन में प्रमुख महत्व है इसलिए मेरा निवेदन यह रहेगा इस सदन में कि मेंहंदी को वैट से मुक्त रखा जाए। साथ ही .....(व्यवधान)... क्योंकि यह मेहंदी हमारे पाली जिले के सौजत में ही होती है और इससे हमारे जो काश्तकार जुड़े हुए हैं वह इससे बरबाद हो जाएंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे सौजत की जो मुख्य धारा है वह मेहंदी है और मेहंदी के बिना सौजत का कहीं नाम नहीं है इसलिए आपसे आग्रह रहेगा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं कि मेहंदी को कृपा करके वैट से मुक्त रखा जाए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री जी, यह तो करवाओ आप। ...(व्यवधान)...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इसके लिए तो हम भी मांग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सुहाग का प्रतीक है मेहंदी और यह तो जरूरत इससे मुक्त होनी चाहिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय दो महिला सदस्य बोली हैं,

(श्री रामनारायण मीणा)

यदि इनका प्रस्ताव मान लिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है सदन सर्व-सम्मति से मेहंदी पर जो टैक्स है उसको स्वीकार कर लेगा, आप कृपा करके रख दीजिए इस दोनों का प्रस्ताव। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: ममता जी ने मेहंदी का नहीं कहा था। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बिलकुल दोनों ने कहा था। ...(व्यवधान)...

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): सबसे पहले तो मैंने ही कहा था, उपाध्यक्ष महोदय और मैंने तो यह भी बताया था कि अकेली सौजत में मेहंदी पैदा होती है, सौ करोड़ की और 15 करोड़ की बाहर चली जाती है, 85 करोड़ रुपये की हमारे देश में रह जाती है। ...(व्यवधान)... मैंने तो सबसे पहले कहा था। ...(व्यवधान)...

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): महिलाओं में अच्छा संदेश जाएगा, साहब। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह हमारा व्यापार भी है। ...(व्यवधान)... पूरा सदन सहमत भी है। ...(व्यवधान)...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सुहाग का प्रतीक है और इस पर तो जरूर विचार करना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मुख्य मंत्रीजी ने जब अच्छे-अच्छे महिलाओं के बारे में निर्णय लिये हैं तो इससे यह निर्णय लेने से महिलाओं में अच्छा संदेश जाएगा। ...(व्यवधान)... इसके साथ ही एक मेरा और निवेदन है, साहब, वैट से छोटी-छोटी कीलें होती हैं, इसका भी कारोबार हमारे विधान सभा क्षेत्र में रानी कस्बे में ही है, एक दो फैक्ट्री ही हैं, साहब, छोटी कीलें आसमानी कलर की आती हैं जिसको अन्त्योदय जो तबका होता है गरीब तबका, जूतियों में ठोंकने के लिए कीलें होती हैं उनको वे उपयोग में लेते हैं उसको भी कृपा करके वैट से मुक्त रखा जाए, पूर्व में भी 1998 में जब भैरोंसिंह जी की गवर्नमेंट थी तब भी इन कीलों को वैट से मुक्त रखा गया था, हमारे मेघवाल समाज के एस.सी., एस.टी. के जो जूतों का व्यवसाय करते हैं, अब तो नहीं करते, बाकी जो भी करते हैं, वह अन्त्योदय तबका ही इसको यूज में लेता है, ये ज्यादा नहीं हैं इसलिए इसको भी वैट से मुक्त रखा जाए, जैसा कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की नीति है कि अन्त्योदय तबके को ऊंचा उठाने की और इन कीलों को भी अगर वैट से मुक्त रखा जाए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इस मुद्दे पर मैं भी आपका समर्थन करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): तो उस अन्त्योदय तबके को एक अच्छी राहत मिलेगी।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सभी समर्थन में हैं, पूरा सदन ही समर्थन में है, दोनों ही जगह भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है बजट की।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मैं भी प्रशंसा कर ही रही हूं और विपक्ष आलोचना ठीक है, ऐसे ही करते जा रहे हैं मगर वो भी इसके पक्ष में हैं। मैं अन्त में, इस बजट के पक्ष में अपनी बात कह कर आप सब ने मेरी बात शांतिपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवाजीराम मीणा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर विचार अभिव्यक्त करने का यह अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस कुशलता से यह बजट प्रस्तुत किया है जनहित को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्गों को छूते हुए उसमें कहीं भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जिससे उसकी कहीं आलोचना की जा सके और मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं चाहे इसके लिए विपक्ष आलोचना करे, चाहे उनका मन कहीं गवाही नहीं दे रहा है कि इसकी आलोचना की जाए इसलिए मेरा तो सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है इस बजट की पूरी-पूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में जन कल्याण के लिए जो मुख्य विशेषता को लिया गया है उसका मैं वर्णन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में बी.पी.एल. परिवारों के उत्थान के लिए पन्नाधाय जीवन अमृत योजना प्रारम्भ की गई है जो माननीय मुख्य मंत्रीजी की एक नई पहल है, नई सोच है, इससे पहले इस तरह की कोई योजना हाथ में नहीं ली गई। माननीय उपाध्यक्ष जी, मुख्य मंत्रीजी इसके लिए बधाई की पात्र हैं। यह योजना प्रथम बार प्रारम्भ की जा रही है, इसके माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों का बीमा करवाकर उसकी बीमा प्रिमियम राशि राजकीय खजाने में भरी जाएगी। बी.पी.एल. परिवारों में यदि एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाए या गंभीर शारीरिक क्षति होने पर बीका कम्पनी उसे 50 हजार की सहायता करेगी और साधारण चौट पर 25 हजार रुपये, साधारण मृत्यु पर 20 हजार रुपये उस परिवार को

(श्री शिवजीराम मीणा)

सहायता मिलेगी। इस योजना के माध्यम से बीमित परिवार के 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सौ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 1200 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृति भी मिलेगी, यह एक ऐसी पहल है माननीय मुख्य मंत्रीजी की जिसके बारे में पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। माननीय उपाध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री द्वारा बीपीएल परिवारों को दी गई यह नई सौगात है जिसके माध्यम से लाखों परिवारों को आवश्यकता के अनुसार उनको सहारा मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्र सरकार के मापदण्ड के अनुसार पात्र वृद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली विधवा पेंशन को दुगुनी कर एक सराहनीय कदम उठाया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं, साथ ही निवेदन करना चाहता हूं विकलांग पेंशन और जो वृद्धावस्था पेंशन है उसमें भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर दुगुनी करने का कष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में समाज के ऐसे व्यक्ति जो दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों से विकलांग हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, उनको स्वावलम्बी बनाने के लिए एक हजार कियोस्क या मोबाइल कियोस्क का आबंटन करने की व्यवस्था की है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में दीन दयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना प्रारम्भ करने की घोषणा कर उस ग्राम के सर्वांगीण विकास करने की व्यवस्था की है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और मैं आशा करता हूं कि इस योजना के तहत मेरे क्षेत्र के पात्र गांव का भी चयन किया जाकर उसका विकास किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की 20 से अधिक योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्यों के लिए चालू वर्ष में 774 करोड़ के मुकाबले इस बजट में 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो मुख्य मंत्रीजी का गरीबों के प्रति संवेदनशील होने का परिचायक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य

(श्री शिवजीराम मीणा)

मंत्रीजी ने लगभग एक लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है जिसमें रीको और राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, उनके विस्तार, प्रशिक्षण, ऋण व विपणन सहायता के माध्यम से तथा सरकारी सेवा में 31 हजार अध्यापक, 11 हजार सहयोगिनियां, 2 हजार पटवारी, 100 चिकित्सक, 200 ए. एन. एम., 700 नर्सों एवं साथ ही जो नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र अभी खुले हैं उनमें भी सहयोगिनियों की भर्ती के माध्यम से लोगों को नौकरी दी जाएगी, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित करीब 694 छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों के लिए भोजन, वस्त्र एवं अन्य सुविधाओं के लिए प्रति छात्र प्रतिमाह 50 रुपये की वृद्धि कर 725 रुपये किया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। इससे करीब 28 हजार छात्रों को लाभान्वित करने की व्यवस्था की है जो सराहनीय कदम है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद की पात्र हैं।

इसी प्रकार जो किराये के भवनों में छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, ऐसे 95 छात्रावासों के भवन की बजट में व्यवस्था की गई है। उनमें गरीब तबके के, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोग रहते हैं। उन्हें बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का जो संकल्प लिया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो गति प्रदान की है, अभूतपूर्व गति लाकर के जहां पूर्ववर्ती सरकार में मात्र 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण और एक गांव को जोड़ा जाता था उसकी तुलना में अब प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क तैयार कर चार गांवों को इस सड़क से जोड़ा जा रहा है और क्वालिटी में भी बराबर ध्यान रखा जा रहा है जिससे हमारा प्रदेश आज प्रधान मंत्री सड़क योजना में प्रथम स्थान पर है। इसके लिए मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जिस समय बजट पर चर्चा कर रहे

(श्री शिवजीराम मीणा)

थे उस समय फरमा रहे थे कि एक हजार के गांव कम थे इसलिए उस समय गांव कम जोड़े जा रहे थे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि 12 किलोमीटर की कोई कमी नहीं थी, उस समय भी 12 किलोमीटर का निर्माण किया जा सकता था लेकिन यह हमारी सरकार की सूझबूझ है, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी की सूझबूझ है कि इसकी गति बढ़कर के प्रतिदिन 12 किलोमीटर की गति की और चार गांवों को प्रतिदिन जोड़ने की व्यवस्था की। उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कुछ सड़कें हैं जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है। उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि एक एम.ओ.आर. 56 मेरे क्षेत्र में जो कोटड़ी से पारोली होती हुई पंडेर, गंधेर, केकड़ी को मिलाती है उसके किलोमीटर 32 से 56 तक और गंधेर से 68 से 79 कुल 35 किलोमीटर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन सड़कों की भी इस बजट में व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के स्थान पर जो नया काश्तकारी अधिनियम लाने का संकल्प माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिया है वह सराहनीय कदम है। जो पिछले अधिनियम में विसंगति आ गई थी, कुछ गलतियां रह गई थीं, इन नये अधिनियम के माध्यम से उन विसंगतियों को दूर करके हजारों काश्तकारों को लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अचल सम्पत्तियों के दस्तावेजों की पंजीयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा आम जनता के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु अचल सम्पत्तियों के मौका निरीक्षण को समाप्त किया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की जो विधवाएं हैं, पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनके कल्याण के लिए सोचा। सन् 1945 से 2005 तक किसी ने भी उनके विकास के बारे में नहीं सोचा। पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनके विकास और उनको ऊपर

(श्री शिवजीराम मीणा)

उठाने की बात सोची और गत बजट में 300 से 600 रुपये और इस बजट में उन विधवाओं के लिए 600 से 800 रुपये पेंशन की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से जो सैकण्ड वर्ल्ड वार के भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी इस बजट में 300 से 800 रुपये प्रतिमाह पेंशन का जो प्रावधान किया है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी बधाई की पात्र हैं। चूंकि मेरे क्षेत्र में भी फर्स्ट और सैकण्ड वर्ल्ड वार में भाग लेने वाले कई जवान आज भी मौजूद हैं, उनकी विधवाएं मौजूद हैं, वे पेंशन ले रही हैं तो इसका लाभ मेरे क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न जिलों के ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उनकी स्थापना करने का जो संकल्प लिया है और इस संस्थानों में प्रशिक्षित युवा जो बैंक लोन लेंगे उनको दो प्रतिशत ब्याज का अनुदान देने की जो व्यवस्था की है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है और मैं निवेदन कर सकता हूं कि माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने किसी भी क्षेत्र में चाहे पेयजल की सुविधा हो, चाहे हैण्ड पम्प की सुविधा हो, कोई भी विधायक उनके पास गया है

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

तो निश्चित रूप से उसको सारी व्यवस्था करके भेजा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध करवाने की इस बजट में व्यवस्था की है उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

काश्तकारों के हित के लिए वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जगह-जगह एनीकट बनाये गये हैं और एनीकट बनाने से जल स्तर ऊपर आयेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां बड़ी स्कीम से, बड़ी योजनाओं से कुछ गांवों के लोगों को ही लाभ मिल सकता है लेकिन एनीकट के माध्यम से जो बिखरे हुए लोग हैं, जो कई गांवों में रह रहे हैं उन बिखरे हुए लोगों को भी पेयजल की, सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसलिए यह वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था बजट में की गई है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

(श्री शिवजीराम मीणा)

इसी प्रकार जापान बैंक के माध्यम से 26 जिलों में 415 लघु सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार के लिए 612 करोड़ 39 लाख रुपये की जो महत्वाकांक्षी परियोजना आगामी वर्ष से प्रारम्भ कर उसे 6 वर्ष में पूर्ण करने का जो प्रावधान इस बजट में किया गया है और जिसके पूर्ण होने पर 127442 हैक्टर में सिंचाई बढ़ेगी वहीं 12744 हैक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी जो एक सराहनीय कदम है और काश्तकारों को ऊपर उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के कार्यकाल में लगातार वार्षिक योजनाओं के आकार में वृद्धि हुई है। आगामी वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना 8 हजार 501 करोड़ 41 लाख रुपये की स्वीकृत कराई गई है जबकि इस बजट प्रावधान में 8 हजार 562 करोड़ 54 लाख का प्रावधान किया है जो चालू वित्त वर्ष की योजना से 407 करोड़ 31 लाख रुपये अधिक है जो माननीय मुख्य मंत्रीजी के कुशल वित्तीय प्रबन्धन का द्योतक है।

श्री उपाध्यक्ष: कन्क्लूड कीजिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में तो इस बजट में क्रांति लाने का प्रयास किया है। माननीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार 5 हजार प्राइमरी स्कूलों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार 16,000 राजीव गांधी विद्यालयों को प्राइमरी विद्यालय में परिवर्तित कर वहां कुशल टीचर्स लगाने की व्यवस्था इस बजट में की गई है, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों में गांवों में कई ऐसे छात्र हैं, कई प्रतिभाएं हैं लेकिन उन्हें सब्जैक्ट नहीं मिलने से, गांवों में केवल आर्ट्स ही सब्जैक्ट खोला जाता है, अन्य कामर्स या साइंस या बायोलोजी या एग्रीकल्चर की व्यवस्था इनमें नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में नये सब्जैक्ट खोलने की व्यवस्था कर गांवों में जो प्रतिभाएं हैं, उनको ऊपर लाने की व्यवस्था करें। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र है और शिक्षा के प्रति काफी

(श्री शिवजीराम मीणा)

जागरूकता है लेकिन वहां महाविद्यालय नहीं होने से कालेज में पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी से कि जहाजपुर में एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था करें। इसी प्रकार से...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त कीजिये अब शिवजीराम जी।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। इसी प्रकार से डी.पी.ई.पी. के माध्यम से और एस.एस.ओ. के माध्यम से स्कूलों में जो निर्माण कार्य किया गया है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कोई स्कूल क्रमोन्नत होती है या नई स्कूल खुलती है तो इसके साथ-साथ उसके निर्माण के लिए भी राशि भेज दी जाती है। यह जो व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है, वह बहुत ही सराहनीय व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद धन्यवाद शिवजीराम जी। श्री चन्द्रशेखर बैद। अब आप बैठिये-बैठिये, हो गया। धन्यवाद।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): थैंक्यू साहब।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आठ मार्च को माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्रीजी ने 2006-2007 का बजट प्रस्तुत किया। अपने राज्य की पहली महिला मुख्य मंत्रीजी विश्व महिला दिवस के ऊपर और अपने जन्मदिवस के ऊपर उन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया और उसी दिन संयोगवश या दुर्भाग्यवश मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें यह लिखा है कि जनवरी, 2004 से अब तक 575 नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार हुआ। आपके शासन में आने के बाद हर 30 घंटे में एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार होना, यह है पहली महिला मुख्य मंत्री का महिला दिवस के ऊपर, अपने जन्म दिवस के ऊपर बजट प्रस्तुत करने के लिए कई वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं के लिए उन्होंने बड़े जोर-शोर से काम किये। (व्यवधान) मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि बड़े जोर-शोर से 2005-2006 के अपने बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पक्ष के सारे सदस्यों की ताली की गड़गड़ाहट के बीच में यह घोषणा की थी कि विधवाओं को प्रतिमाह 10 किलो गेहूं दिया जायेगा। मैं महिलाओं के उत्थान की बात कर रहा हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्रीजी इनका

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

दम भरती है कि महिलाओं का उत्थान करेंगी, आज तक पूरा एक साल व्यतीत होने के बाद भी एक भी महिला को एक भी किलो गेहूं पूरे प्रदेश में वितरित नहीं किया गया है। यह क्या दर्शाता है? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि मैं अपना बजट महिलाओं को समर्पित करती हूं। क्या यही समर्पण है जो आपने एक साल में किया? इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अलग-अलग मंचों से माननीय अध्यक्षजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी बालिकाओं की भ्रूण हत्या के बारे में कई भाषण दिये कि अपने प्रदेश में लगातार बालिका भ्रूण हत्या होती जा रही हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है और अपना सैक्स रेशियो हाई डिस्टोर्ट हो रहा है और चाइल्ड इफैक्ट रेशियो डिस्टोर्ट हो रहा है तो महिलाओं के मां के पेट से लेकर और आगे तक कहीं भी बजट में पिछले साल से अब तक किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसी तरह से मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि शराब दुखान्तिकाओं में कितनी महिलाएं विधवा हो गईं, इनके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने क्या किया? और तमिलनाडु के अन्दर जो राजस्थान की जनता ने 19 करोड़ रुपये इकट्ठा करके दिये थे, कई विधवाएं वहां पर इस चीज का इंतजार कर रही है कि उनके लिए कोई मकान बनेगा। परन्तु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 19 करोड़ में से सिर्फ 1.3 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किये हैं और जो विधवाएं वहां पर यह इंतजार कर रही है कि राजस्थान सरकार द्वारा कभी हमारे लिए कोई मकान बनेगा, वह आज तक नहीं बना। यह सारी चीजें मैं इसीलिए एन्युमरेट कर रहा हूं जिससे इस चीज का अंदाजा हो कि अपने इस वक्तव्य के ऊपर दम भरने के कि हम महिलाओं के लिए यह कर रहे हैं, विधवाओं के लिए यह कर रहे हैं, आपने एक साल में जो किया, उसका लेखा-जोखा यह है।

(समय : 14.55 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

इसी तरह से मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि विधवा पेंशन, आपने सारी पेंशन बढ़ा दी, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दी, विधवाओं की पेंशन आपने नहीं बढ़ाई। विधवा की पेंशन आपने एक रुपया भी नहीं बढ़ाई, सिर्फ वार विडोज की बढ़ाई जिनकी संख्या कुछ सैकड़ों के अन्दर हैं, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, विधवाओं की पेंशन में एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया और मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता हे कि इन्होंने जो बजटीय प्रावधान रखा

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

था विधवाओं की पेंशन के लिए और फिर रिवाइज्ड एस्टीमेट जो रखा, उसमें से भी साल पूरा होने के बाद 32 लाख रुपये बचा लिया गया। यह है महिलाओं के प्रति इनका समर्पण?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, यह बजट यदि 2004-2005 का इनका लेखा-जोखा को देखा जाये तो it's an anti-poor budget. कैसे एंटी-पुअर है? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़े जोर-शोर से यह घोषणा की थी कि हम घरौंदा बनायेंगे और जो राज्य के सबसे गरीब लोग हैं, उनको 3480 घरौंदा बनाकर एक साल के अन्दर देंगे और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अपने जवाब में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं मंजूर किया है कि पिछले एक साल में 3480 घरौंदे जो बनाने थे, उसकी एवज में सिर्फ 13 घरोंदा का कब्जा दिया गया है, यह है आपकी उपलब्धि और जो आपके प्रदेश में सबसे गरीब आदमी है, जिसको आपने एक मकान बनाने का सपना दिखाया, उसका क्या परिणति हुई एक साल पूरा होने के बाद में? यह हुआ।

दूसरा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि मैं आधुनिक महिला मुख्य मंत्री हूं, मैं हर पंचायत को कम्प्यूटर से जोड़ूंगी और हर पंचायत हैडक्वार्टर ब्लाक हैडक्वार्टर से जुड़ा हुआ होगा और उसके लिए उन्होंने एक करिश्मा योजना शुरू की और उन्होंने यह कहा कि मैं कम्प्यूटर दूंगी, सोफ्टवेयर दूंगी, प्रिंटर दूंगी, सारी सुविधाओं का इंतजाम करूंगी और आज तक मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता है कि पूरे एक साल बाद करिश्मा योजना के अन्तर्गत एक भी पंचायत के अन्दर न तो कोई कम्प्यूटर लगा, न कोई प्रिंटर लगा, न इस तरह की कोई योजना का शुभारम्भ किया गया। अब आप देखिये उस गरीब के प्रति, एक तो होता है कि गरीब को इग्नोर कर देना लेकिन मैं यह कहता हूं it is totally anti-poor policy-maker government. विकलांगों के लिए इन्होंने यह कहा था कि हम 10 किलो गेहूं देंगे और आप अब कहते हैं एक साल पूरा होने के बाद में कि हम तो एक किलो गेहूं भी नहीं दे पाये विकलांगों को। जो तत्परता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्री-मण्डल ने भू-आवंटन के समय दिखाई, जो मंत्री-मण्डल के पूरे सदस्य के बिना एक मिनट के अन्दर, रातों-रात निर्णय करके, एम.ओ.यू. साइन करके भूमि का आवंटन कर दिया और ठेके देने की प्रथा जो शुरू हुई कि बिना टेण्डर के आपने ठेके दे दिये, वही तत्परता यदि गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति ये

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

दिखाती तो लाखों गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जा सकता था। अब आप देखिये, बी.पी.एल. की सूची के बारे में आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सत्र के अन्दर सरकार की ओर से यह वक्तव्य दिया गया था कि जो बी.पी.एल. की संख्या है, वह केन्द्र सरकार यह कह रही हे कि 23 लाख से घटाकर इनको 17 लाख कर दो। बाद में सरकार ने यह कहा कि सुप्रीम-कोर्ट का आर्डर आया हुआ है इसलिए हम बी.पी.एल. की संख्या को निर्धारित नहीं कर सकते। सुप्रीम-कोर्ट का आर्डर भी हट गया लेकिन आज तक लाखों परिवार प्रदेश के जो बी.पी.एल. की सूची में आने से वंचित रह गये, उनको आज तक लाभान्वित नहीं किया गया जबकि सुप्रीम-कोर्ट ने क्लियर निर्देश दे दिये कि बी.पी.एल. की संख्या तय करने का दायित्व राज्य सरकार का है। 1993-94 के आधार पर हम 2001 के सैंसस में उसको एक्स्ट्रा-पोलेट करके जितनी बी.पी.एल. की संख्या है, उसको 23.5 लाख मानते हैं और हम पी.डी.एस. 23.5 लाख की संख्या के आधार पर देंगे लेकिन आज भी राज्य सरकार ने इस बारे में यह निर्णय नहीं लिया है कि हम बी.पी.एल. परिवारों की संख्या कितनी निर्धारित करेंगे? अभी तक जो स्कोरिंग का सिस्टम है उसके आधार पर इन्होंने यह निर्णय नहीं लिया कि बी.पी.एल. की संख्या कितनी होगी?

साढ़े सत्रह लाख होगी या अठारह लाख होगी या तेइस लाख होगी या साढ़े तेइस लाख होगी, क्योंकि यदि बी.पी.एल. की संख्या में साढ़े सत्रह से बढ़ोत्तरी करके साढ़े तेइस लाख नहीं किया गया तो केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहायता कम हो जायेगी क्योंकि सुप्रीम-कोर्ट के आर्डर में साफ तौर से यह लिखा गया है कि बीपीएल की संख्या के आधार पर ही इनको टी.पी.डी.एस. दिया जायेगा और अगर बी.पी.एल. की संख्या कम है तो कम मिलेगा। Whichhever is less, will get benefit.

इसी तरह से गरीबों के लिए, चूरू से आने वाले माननीय मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, डी.पी.आई.पी. करके एक स्कीम चल रही है, डिस्ट्रिक्ट पार्टी इनिशियेटिव प्रोग्राम, इस स्कीम के अन्तर्गत चूरू जिला भी आता है और राज्य के सात और जिले भी आते हैं। पिछली बार जब वर्ल्ड बैंक की टीम यहां पर आई, आपको सारे का सारा वर्ल्ड बैंक से अनुदान मिलता है और इसके माध्यम से गरीब परिवारों को, बी.पी.एल. परिवारों को, शिड्यूल्ड कास्ट,

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

शिड्यूल्ड ट्राइब्स परिवारों को स्वयं सहायता ग्रुप बनाकर लाभान्वित किया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने क्या अपने डेरोगेटरी रिमार्क्स लिखे हैं छह महीने पहले और उसके आधार पर आपने तत्काल कुछ निर्णय लेकर दोबारा वर्ल्ड बैंक की टीम को बुलवाया और वर्ल्ड बैंक की टीम ने फिर आखिर में आपके बहुत गुजारिश करने के बाद में यह कहा कि यदि आप अपना पैसा अभी नहीं खर्च कर पाये हैं तो I will extend the period for two more years. अब यह योजना 2007 में कम्पलीट होगी। तो मेरा आपसे, माननीय मंत्रीजी, से यह निवेदन है...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले कब होनी थी यह?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप वर्ल्ड बैंक के जो लैटर हैं वह माननीय मंत्रीजी से पढ़ाकर खुद पढ़ लें, आप शर्मसार हो जायेंगे कि उन्होंने क्या लिखकर भेजा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कब शुरू हुई थी और कब पूरा होना था इसको?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इसको पूरा होना था 2005 के अन्दर और अब यह पूरी होगी 2007 के अन्दर।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कितना अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दो उनको आप। बोलने दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तो उनकी नोलेज ही तो बढ़ा रहा हूं, 2000 में शुरू हुई और 2005 में पूरी होनी थी...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बोलने दीजिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उनकी नोलेज नहीं बढ़ा रहे हैं, आप उनकी नोलेज श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बोलने दें। बोलने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और 2004 तक आपने उसमें पैसा खर्च नहीं किया, वह है उस रिपोर्ट में।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप बिराजो महाराज। जैसे मुख्य मंत्रीजी के बीच में टोकते हैं तो वह यह बोलती हैं ''I am not yielding." So I am also not yielding. मैं अपनी बात कहूंगा पूरी। इसी तरह, आप यह सुनें, इसी तरह आपने पहले दम भरा था, यह आपकी पूरी रिपोर्ट है मेरे पास कि आपने अभी ग्यारह महीने के अन्दर क्या किया, यह देखिये आप। शिड्यूल्ड

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कास्ट स्टूडेंट्स, मतलब आपकी प्रतिबद्धता शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति कितनी है, एस.सी. स्टूडेंट्स को 95 थाउजेण्ड्स को आपको स्कालरशिप देनी थी, आपने कितनों को स्कालरशिप दी, ओनली 33 थाउजेण्ड्स। इसी प्रकार एस.टी. स्टूडेंट्स को स्कालरशिप देनी थी आपको 87 थाउजेण्ड्स, आपने स्कालरशिप दी सिर्फ 24 थाउजेण्ड्स और इसमें तीसरी केटेगिरी जो मैं अब बताने जा रहा हूं, उसमें तो कमाल ही हो गया। विकलांगों को कितनों को आपको स्कालरशिप देनी थी, तीस हजार और आपने कितने विकलांगों को पेंशन दी, सिर्फ 1500 विकलांगों को। यह है लेखा-जोखा पिछला वित्तीय वर्ष शुरू हुआ उससे लेकर जनवरी के आखिर तक का। इससे यह मालूम पड़ता है कि योजना बनाना और ऐसी योजनाएं जिसका शत प्रतिशत पैसा आपको केन्द्र सरकार से प्राप्त हो रहा है, उसका भी पूरा लाभ आप नहीं उठा पा रहे हैं। इंदिरा आवास, किस के लिए बनता है इंदिरा आवास, इंदिरा आवास बनता है एक गरीब आदमी के लिए। इंदिरा आवास का इनका टारगेट था 28 थाउजेण्ड्स, इन्होंने पूरा किया सिर्फ 14 थाउजेण्ड्स। इसी प्रकार अपग्रेडेशन करना था इनको 14 हजार, इन्होंने पूरा किया सिर्फ 5 हजार और पी.एम.जी.वाई. के अन्तर्गत जो घर बनाने की योजना थी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत आपको घर बनाने थे 3158, आपने घर बनाये सिर्फ 363। यह सारी चीजें यह दर्शाती हैं कि जितनी भी योजनाएं बनीं, उसके अन्दर आपने चुन-चुन कर गरीबों के प्रति बनी हुई योजनाओं को नजरअंदाज किया और उनको लाभान्वित करने का बिलकुल भी प्रयास नहीं किया। इसी तरह मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं एस.सी.ए. फार ट्राइबल एरिया डवलपमेंट, इसमें आपको खर्च करने थे 32 करोड़ रुपये और आपने खर्च किये सिर्फ 1.6 करोड़ और माननीय मुख्य मंत्रीजी जहां से आती हैं सहरिया और कथोड़िया, वहां पर सहरिया और कथोड़िया में आपने अपने बजट में आउटले रखा था तीन करोड़ का, खाली उनके पोषण के लिए, लालन-पालन के लिए, लेकिन ग्यारह महीने बाद आपने इस तीन करोड़ में से, जहां कि डेथ हो चुकी है, भुखमरी से डेथ हो चुकी है, वहां आपने खर्च किये तीन करोड़ की जगह 1.5 करोड़, और मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा कि एक है मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष, यह जीवन रक्षा कोष बना था 1999 में और इसकी स्थापना की गई थी बी.पी.एल. परिवारों के गम्भीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए और मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि अपने आप को यह दम

भरने वाले कि हम गरीबों के लिए यह करते हैं, 32 करोड़ की राशि प्राप्त हुई जिसमें से राज्य सरकार ने इस प्राप्त राशि में से 24 करोड़ रुपये नान बी.पी.एल. परिवारों के इलाज में खर्च कर दिये। मतलब बी.पी.एल. का पैसा नान बी.पी.एल. के इलाज में खर्च कर दिया आपने 32 में से 24 करोड़।

श्री सभापति: अब आप कन्क्लूड करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मेरे को पांच मिनट और लगेंगे साहब। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में इन्होंने जो घोषणाएं की थीं, यह कहते हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं, उसका एक नमूना मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। इन्होंने यह घोषणा की थी पालीटेक्नीक कालेज खोलेंगे, कितने खोलेंगे पांच, एक साल पूरा हो गया, आपने कितने खोले-शून्य। इसी प्रकार आपने कहा था हम आई.टी.आई.ज. खोलेंगे बीस, पूरे प्रदेश के अन्दर बीस आई.टी.आई.ज. खोलेंगे, आपने खोलीं कितनी-शून्य। कहने का मतलब यह है कि जो आप कहते हैं, यह चीज अब तय हो चुकी है ढाई साल के अन्दर कि जो आप कहते हैं वह आप कभी नहीं करते।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सारी इन आई.टी.आई.ज और पालीटेक्नीक के लिए जमीन का आवंटन हो गया है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, सारे हमने खोल दिये हैं, इस साल सारे उसके एडमिशन किये जा रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): एक मिनट। माननीय मंत्रीजी, यह आपके विभाग का ही खाका मेरे पास है जिसमें लिख रखा है कि आपको बनाने थे बीस, टारगेट था आपका बीस, टारगेट इस मंथ तक पूरा हुआ आपका शून्य। मतलब एक भी टारगेट आपका पूरा नहीं हुआ साल भर के अन्दर। जब आप कर नहीं सकते थे तो आपने कहा क्यों? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर यह कहा है कि हम समयबद्ध तरीके से अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे तो आप वह समयबद्ध तरीका क्यों नहीं अपनाते? आप पहले ही कह देते हम दो साल में पूरा करेंगे, आपने यह क्यों कहा कि हम साल भर के अन्दर करेंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ऐसा नहीं है माननीय सदस्य महोदय। जब बजट में आता है तो उसके बाद उसके भवन निर्माण के लिए जाता है, हमने सारा पैसे पीडब्लूडी से कराकर उसका यूटिलाइजेशन कर लिया।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय मुख्य मंत्री यह कहती हैं कि उनका...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसमें इतना ही है पढ़ने के साथ साथ, आप पढ़ लीजिये, फिर पढ़ने के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा समझ भी लीजिये।

श्री सभापति: बिराजें।(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपसे यह निवेदन करूं माननीय सभापति महोदय कि बैटर फिस्कल मेनेजमेंट का दम भरा गया पूरे देश के अन्दर कि इससे अच्छा बैटर फिस्कल मेनेजमेंट कहीं नहीं है।

श्री सभापति: आप आसन की तरफ संबोधित करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपने 60 करोड़ रुपये के लाभ का बजट प्रस्तुत किया। पिछले साल आपने 977 रुपये के लाभ का बजट प्रस्तुत किया। कैसे किया लाभ का बजट प्रस्तुत? ऐसे किया कि इन्होंने उधार लेकर उसको लाभ बता दिया। जब आपको उधार लेना था तो आप उतना ही उधार लेते जितना आपका डेफिसिट था, आपने ज्यादा उधार क्यों लिया। आपने पिछले साल 977 करोड़ रुपये का ज्यादा लोन लेकर राजस्थान की जनता के ऊपर अनावश्यक बोझ डाला। इसी प्रकार इस साल आपने 60.85 करोड़ का एक्स्ट्रा लोन लेकर अतिरिक्त बोझ डाला। उस लोन को कौन चुकायेगा, राजस्थान की जनता चुकायेगी। उस लोन का इन्टरेस्ट कौन चुकायेगा, वह भी हम चुकायेंगे। तो यह क्या फिस्कल मेनेजमेंट है। खाली यह दर्शाने के लिए, मीडिया के अन्दर, कि साहब हमने लाभ का बजट प्रस्तुत किया है। कैसे किया है लाभ का बजट? आपको गाड़ी खरीदनी है पाँच लाख की, आप बैंक से लोन लेते हैं छह लाख, कौन चुकायेगा एक लाख एक्स्ट्रा? आपको ही चुकाना होगा। उसका इन्टरेस्ट कौन चुकायेगा? वह भी आप ही चुकाओगे। तो this is not better fiscal management.

अब आप देखिये, पूंजीगत प्राप्तियां इनकी हुई 9690 करोड़ रुपये, उसमें से लोन ले लिया इन्होंने 5201 करोड़ और इस प्रकार से इन्होंने 60 करोड़ 85 लाख रुपये के लाभ का बजट प्रस्तुत किया है जो कि गलत है। केपिटल आउटले, यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि एक तरफ तो आप यह दम भरते हैं कि हम विकास की गति को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ केपिटल आउटले, जो कि यह दर्शाता है कि आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कितना हो रहा है, आपका केपिटल डवलपमेंट स्टेट में कितना हो रहा है, 2003-04 से अभी तक नजर डालें तो इन्होंने एक ऐसी भ्रामक स्थिति पैदा कर दी कि केपिटल आउटले को तो बहुत ज्यादा बताते हैं, जैसा कि मैं आपको निवेदन करूं,

पिछली बार इन्होंने केपिटल आउटले बताया था 5160 करोड़ रुपये और उसको रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में कर दिया इन्होंने 4688 करोड़ रुपये, मतलब कि आपने 471 करोड़ रुपये के विकास के जो काम होने थे उनको अवरूद्ध कर दिया। इस तरह से गिरावट कितनी आई, 22 प्रतिशत की गिरावट आई। पहले साल पन्द्रह प्रतिशत दूसरे साल बाइस प्रतिशत और इस बार माननीय सभापति महोदय, इन्होंने अपना बजट आउटले दिया है 5024 करोड़ रुपये का यह अगर इसी रफ्तार से कम होता रहा तो इनका प्लान का एक्सपेंडीचर होगा जो हमने इनको छोड़ा था 3444 करोड़ रुपये उसी पर ये आ जाएंगे। तो खाली यह बजट एस्टीमेट में बताना कुछ और रिवाइज्ड एस्टीमेट में कर देना कुछ और वास्तविकता में खर्चा और कर देना और कुछ तो खाली दिखाने के लिए कि हमने इतना आउटले बनाया है जबकि नतीजा क्या निकला कि आप करीब करीब एक हजार से पन्द्रह सौ करोड़ रुपये कम ही खर्च कर पाएंगे अपने आउटले के अन्दर। अब 12वें फाइनेंस कमीशन ने यह रिपोर्ट दी...।

श्री सभापति: थोड़ा वाइंड अप करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): दो चीज और।

श्री सभापति: बीस मिनट से ज्यादा हो गये आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अच्छा बोल रहे हैं।

श्री सभापति: अच्छा बोल रहे हैं पर अब सबको बोलना है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): 12वें फाइनेंस कमीशन ने यह रिकमंडेशन दी कि आपका फिस्कल डेफीसिट 2008-09 तक जीरो हो जाना चाहिए। हमारी ओवर एन्थुजियास्टिक फाइनेंस मिनिस्टर एण्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना यह जो है जब हमने इनको दिया था तो 3424 करोड़ रुपये थे और 2006-07 में इन्होंने बताया 43 करोड़ रुपये मतलब रेवेन्यू डेफीसिट को श्रिंक कर दिया । मैं यह बताना चाहता हूं कि ये किस तरह आंकड़ों की जगलरी करके इन्होंने रेवेन्यु डेफीसिट अपना कम किया है। रेवेन्यू रिसीट्स के अन्दर ज्यादातर बढ़ोतरी वो ही हुई है जो ग्रांट इन एड आयी ज्यादातर बढ़ोतरी वो ही हुई है जो केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को करों का हिस्सा आया जबकि इनका जो रेवेन्यु एक्सपेंडीचर है वो आप स्वयं देख लें इन्होंने खुद ने कहा है मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा 2005-06 के अन्दर बजट एस्टीमेट था इनका 22061 करोड़ रुपये और इसका रिवाइज्ड

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

एस्टीमेट 21611 करोड़ रुपये तो जो रेवेन्यु एक्सपेंडीचर में प्लान एण्ड नान प्लान एक्सपेंडीचर होता है नॉन प्लान एक्सपेंडीचर इनका बढ़ता जा रहा है प्लान एक्सपंडीचर कम होता जा रहा है। मूल रूप से कहने वाली बात यह है कि बजट आउटले एक्सपंडीचर कम कर दिया इन्होंने रेवेन्यु में प्लान का एक्सपंडीचर कम कर दिया तो विकास की गति नेचुरली इससे अवरुद्ध ही होगी और क्या होगा। ये आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि 2005-06 में रेवेन्यू एक्सपेंडीचर का जो प्लान है आपने वो काटकर 450 करोड़ रुपये कम कर दिया । फिस्कल डेफीसिट के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि इनकी जो 2003-04 में ग्रांट इन एड आयी थी 2504 करोड़ रुपये और इस बार ग्रांट इन एड की जो आशा की जा रही है वो है 3986 करोड़ रुपये मतलब 1600 करोड़ रुपये ज्यादा केन्द्र सरकार के। थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट फिस्कल एरिया में हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपकी ग्रांट इन एड ज्यादा आ रही है नंबर-1, नंबर-2 आपका जो केन्द्र के करों का हिस्सा है वो आपका बढ़ गया केन्द्र के करों का हिस्सा 2003-04 में 3602 करोड़ रुपये था वो 2006-07 में बढ़कर हो गया 6300 करोड़ रुपये। कहने का मतलब यह है कि 2600 करोड़ रुपये केन्द्र से राज्य सरकार को मिलने वाले करों का हिस्सा बढ़ गया, ग्रांट इन एड बढ़ गई आपका 1600 करोड़ रुपये दोनों को मिलाकर कर देखा जाए ...।

श्री सभापति: अब आप वाइंड अप करें प्लीज।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): तो आपके चार हजार करोड़ रुपये केन्द्र से सहायता के रूप में आपको ज्यादा मिले इसलिए आपका फिस्कल मेनेजमेंट थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। आपके खुद के एफर्ट्स इसमें नहीं हैं आपके स्वयं के कर्ज से बढ़ने वाली बढ़ोत्तरी उतनी नहीं हुई जितनी केन्द्र सरकार से मिलने वाले हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है यह तो इन्होंने अपने खुद के बजट भाषण में स्वीकार किया है। नॉन डवलपमेंट एक्सपंडीचर जो अच्छे फिस्कल मेनेजमेंट के लिए कम होना चाहिए वो 2003-04 में 8448 करोड़ रुपये से बढ़कर 10244 करोड़ रुपये हो गया । नान डवलपमेंट एक्सपंडीचर में 1796 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है इसी प्रकार मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं लास्ट एण्ड फाइनल थिंग कि टोटल रिसीट्स है 17303 उसके अन्दर ये ब्याज में चुकाते हैं 5802 करोड़ रुपये और पेन्शन में चुकाते हैं 2342 करोड़ रुपये और वेतन में

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

चुकाते हैं 6878 करोड़ रुपये ये सारा चुकाने के बाद भी आपको 224 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने बलबूते पर राजस्थान का विकास कैसे करोगे जब तक कि केन्द्र आपको सहायता नहीं करेगा। सारा विकास जो आज हो रहा है वो केन्द्र की सहायता से हो रहा है क्योंकि आपके अपने रिसोर्सेज इतने श्रिंक हो गये कि कोई डवलपमेंटल एक्टीविटी आप कर ही नहीं सकते। यह आपने बजट एस्टीमेट में स्वयं ने यह कहा है कि डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर 2005-06 से लेकर 2006-07 के अन्दर development expenditure is declining. यह आपका खुद का चार्ट बता रहा हूं और साथ जो गैर विकास व्यय है उसके अन्दर स्टीप वृद्धि हुई है एकदम से बढ़ा है वो तो जो घटना चाहिए था वो बढ़ गया और जो बढ़ना चाहिए वो कम हो गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही...।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें प्लीज।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैग्जीन का उदाहरण देकर लास्ट बस इसका..। कई मैग्जीन बताई – ‘‘Fiscal deficit, as a percentage of State Gross Domestic Product, estimated to be 53.8 per cent, is above the Reserve Bank of India’s norms of 26 per cent. The revenue deficit is likely to come down to 865 crore from the estimated figure of 1523 crore. Similarly, …”

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें प्लीज।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): बस समाप्त ही कर रहा हूं साहब।

श्री सभापति: बस अब माननीय श्री जीतमल खांट। अब ऐसा है सब माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं किसी को दस मिनट देते हैं और आपको पच्चीस मिनट दे दिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं मैं तो एक ही मिनट तो और मांग रहा हूं साहब। इसी तरह ये जो कहते हैं वो यह है कि ‘‘The State debt has already crossed 66,000 figure mark and 55 per cent of the State Gross Domestic Product and it is more than double the RBI norms of 26 per cent.” तो मैं आखिर में मेरी बात को इस तरह से समराइज करता हूं कि पिछले एक साल का लेखा-जोखा अगर देखा जाए तो it is anti-poor activity रही सारी नंबर-1, नंबर-2 जो थोड़ा बहुत फिस्कल इम्प्रूवमेंट हुआ है, it is because of Central aid, not because of State’s own efforts.

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीडौरा): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 8 मार्च, 2006 को राज्य का बजट अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2006-07 का जो बजट महिला शक्ति को समर्पित करके राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया। सरकार ने अपने एक संकल्प व्यक्त किया था कि गरीब को गणेश मान करके सेवा की जाएगी और आज हमें इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये और बजट में यह भावना जो झलक रही है जिस तरीके से बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थियों को 11वीं व 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए मासिक सौ रुपये और वृद्धावस्था पेन्शन जो लंबे समय से आहत था, आहत को राहत कैसे दी जाए, तीन हजार आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, 31 हजार प्रदेश के नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया जाए, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं को समाज कल्याण के अन्दर जो कम राशि में अपनी सही तरीके से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं कर पाता था उनको 675, 25 रुपये की राशि बढ़ा करके जनजाति छात्रों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। इसी तरीके से मिड-डे-मील का जो कार्यक्रम लंबे समय से दो साल के दरम्यान से चल रहा है इस प्रदेश में मुझे यह कहते हुए माननीय सभापति महोदय, बड़ी खुशी है कि पिछली सरकार के माध्यम से घूघरी का एक जो कार्यक्रम चल रहा था और हम यकीन नहीं कर सकते कि घूघरी जो उन गेहूं को उबाल करके कैसे खाया जाता था। बार-बार इस सदन में हम मांग करते थे कि घुघरी कुपोषण का एक बहुत बड़ा तरीका है । यही घुघरी खाकर बच्चे बीमार हुआ करते थे । लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा इन्होंने राजस्थान में जो गरीब तबका था, जो लंबे समय से पीडित था उसको राहत देने का काम किया । दिन में उसको गर्म भोजन दिलाने का जो मां-बाप का काम था वह हमारी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया । मुझे यह कहते हुए बडी खुशी है कि राजस्थान में आज जो शिक्षा का इनरोलमेंट इतना गिर रहा था आज पूरे प्रदेश में चाहे गांव हो, ढाणी हो, मजरे हो उन सारे विद्यालयों में जो गरीब आदिवासी, हरिजन पिछड़ा वर्ग था इन सबका इनरोलमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है।

मैं इसके साथ यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में उदयपुर संभाग जो ट्राइबल सब प्लान में गिना जाता है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा

(श्री जीतमल खांट)

आदिवासियों की जो जमीने लंबे समय से ट्राइबल सब प्लान के हिसाब से राजस्व रिकार्ड में नाकाबिल काश्त होने से 58 साल में कभी किसी आदिवासी को उसके नाम से या गैर आदिवासी के नाम से कभी अलाटमैंट नहीं होती थी, मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व है कि 58 साल के इतिहास में राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया श्रीमती वसुंधराराजे ने ढाणी, मजरो, पहाडों और जंगलों में रहने वाले आदिवासी को नाकाबिल काश्त का जितना भी रकबा था वह सारा यहां पर मंगाकर उसको काबिल काश्त में दर्ज करवाया और एक नहीं हजारों आदिवासियों को वहां पर आवंटन का काम बड़े पैमाने पर हुआ। कभी किसी ने विचार भी नहीं किया था । मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि आपने आहत को राहत देने का प्रयास किया है । लेकिन मैं इस सदन में कहना चाहूंगा हमारे राजस्व मंत्रीजी भी यहां विराज रहे हैं, आपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिलों में आदिवासियों को नि:शुल्क आवंटन का काम किया है उसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं । लेकिन मुख्य मंत्री महोदया और राजस्व मंत्रीजी से मैं थोडा निवेदन करना चाहूंगा कि जिन कमांड क्षेत्र में जिन आदिवासियों को जो भूमि आवंटन की गई है कमांड क्षेत्र में आने वाले आदिवासी किसान हो चाहे गैर आदिवासी किसान हो उनकी प्रिमीयम राशि प्रति बीघा 5 हजार रुपये है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कमांड क्षेत्र का सोमकमला डेम हो, बांसवाड़ा का माही डेम हो चाहे प्रतापगढ़ का झाखम का इलाका हो कमांड क्षेत्र में आने वाले काश्तकारों से आवंटन की प्रक्रिया के तहत जो 5 हजार रुपया वसूला जा रहा है मैं मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि आप उदारतापूर्वक क्योंकि वहां का आदिवासी किसान लगान जमा नहीं करवा पाता है तो प्रति बीघा 5 हजार रुपया जमा कराना उसके बस का रोग नहीं है । मैं चाहूंगा आपके माध्यम से वहां के काश्तकारों को प्रिमीयम राशि में रिलीफ दी जाये ताकि आपने जो उसको उस जमीन पर अधिकार दिया है, मौके पर ही आपने उसको कब्जा देकर जो अधिकार दिया है उसका सही रूप में वह इस्तेमाल कर सके। मैं मुख्य मंत्री महोदय से और सरकार से चाहूंगा कि बांसवाडा, डूंगरपुर ट्राइबल सब प्लान का जो क्षेत्र है जहां पर हमारे कई बेरोजगार जिनहोंने बी.ए., एम.ए. कर लिया है सभी को नौकरी तो नहीं मिलेगी । लेकिन मैं मुख्य मंत्री महोदया से चाहूंगा कि आदिवासी इलाके का जो नौजवान है वह अपना खुद का उद्यम लगाना चाहता है नौकरी के पीछे भागना नहीं चाहता है । राजस्थान पत्रिका में

(श्री जीतमल खांट)

एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में यह आंकडे और तथ्य सामने आये हैं कि सुविधा और मार्ग दर्शन मिले, ऋण की सुविधा अगर सरकार के माध्यम से हो जाये तो उस ट्राइबल सब प्लान में रहने वाले जितने भी नौजवान हैं वह अपना निजी उद्यम लगाने के लिये तैयार है । मैं चाहूंगा कि हमारा सम्पूर्ण ट्राइबल सब प्लान एरिये में जितने भी किसान हैं ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, हमें बहुत कम समय मिलता है और हम वैसे भी कम बोलते हैं । 58 साल के बाद पहली बार महिला मुख्य मंत्री बनी हैं । मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि 58 साल बीतने के पश्चात् आज भी गांव, ढाणी और झोपड़ी और पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले लोगों को बिजली का एक बल्ब आज दिन तक नसीब नहीं हुआ है । हमारे पड़ौसी राज्य गुजरात और मध्यप्रदेश की सरकारों ने व्यवस्था कर रखी है एक बत्ती कनेक्शन । मैं चाहूंगा कि 58 साल से जिस घर में अंधेरा था, आजादी के पहले भी अँधेरा था और आजादी के बाद भी आज दिन तक अंधेरा है हम सभी इस पूरे सदन में आदिवासी क्षेत्र के जो भी माननीय सदस्य हैं वह सभी आदिवासियों के विकास और कल्याण की बात करते हैं और सभी को चिंता है। लेकिन कभी हमने आज दिन तक इस तरफ झांककर नहीं देखा जिन दुर्गम पहाड़ियों में आज भी शाम ढलते ही टिमटिमाते दीपक जलता है कभी उनके घरों की तरफ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया । मैं चाहूंगा हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी यहां विराज रही हैं, हम जानते हैं यहां पर बिजली की काफी तकलीफ है, किल्लत है लेकिन कोई न कोई ऐसा प्रोग्राम तैयार कर इस प्रदेश में हम चाहते हैं कि राजस्थान की मुख्य मंत्री पुन: दुबारा इस प्रदेश में मुख्य मंत्री बने और गरीबों के दिलों में हमेशा बसी रहे । लेकिन हम चाहेंगे कि कोई इस तरह की कल्याणकारी योजना आप तैयार करें और 58 साल के अंधेरों में एक दीपक जलाने का काम करेंगे तो आने वाले समय में उदयपुर संभाग से आपको कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं उखाड़ सकता । इसलिए हम चाहेंगे कि आप उदारता के साथ इस ओर ध्यान देंगे ।

मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए सभापति महोदय, अपनी एक छोटी सी लाइन माननीय मुख्य मंत्री महोदया के लिये पढ़ना चाहूंगा :-

'समझो तो यह जीवन है ना समझो तो यह आग का दरिया है

(श्री जीतमल खांट)

साहिल को देखकर चलो यह संसार पराया है,

चुनौती को स्वीकार करके वसुंधरा जी ने लक्ष्य पाया हैं ।'

श्री सभापति: माननीय श्री ओ.पी महेन्द्रा ।

श्री रामप्रताप कासनिया: सभापति महोदय, हमारा समय बचा हुआ है हमारे सदस्य अभी बोले नहीं हैं।

श्री सभापति: आपको भी देंगे ।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): सभापति महोदय, राज्य की मनस्वी एवं प्रभावशालिनी मुख्य मंत्री परम आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने 8 मार्च को अन्तरर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सन् 2006-07 का मातृ शक्ति को समर्पित बजट प्रस्तुत किया है । इस बजट में महिला शशक्तिकरण को बल मिलेगा । इस बजट के माध्यम से बेरोजगारों को सुदृढ़ आधार मिलेगा । इस प्रस्तावित बजट में सामाजिक कल्याण को तीव्र गति मिलेगी एवं साथ ही निर्धनतम परिवारों का विश्वास बढ़ेगा ।

माननीय सभापति महोदय, प्रस्तावित बजट कल्याण का प्रतीक है। प्रस्तावित बजट में शौर्य को सल्यूट किया गया है। पराक्रम का मान बढ़ाया गया है। यह बजट विकास की उच्च आकांक्षाओं को छुऐगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को उनके सवा दो वर्षों की शानदार उपलब्धियों भरे एवम शानदार प्रस्तावित बजट के लिए साधुवाद देता हूं और प्रतिपक्ष से उम्मीद करता हूं कि वे प्रस्तावित बजट में सामाजिक कल्याण की अवधारणा का स्वागत करेंगे। वैसे तो प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने दबी जबान में बजट को सराहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट के प्रस्तुत होने के पश्चात अनेक समाचार पत्रों के माध्यम से अर्थशास्त्रियों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई है। एक राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी समाचार पत्र की टिप्पणी पढ़ना चाहूंगा, जिसमें लिखा है- "The Budget is very good and people friendly. It is a balanced budget. The Chief Minister has made certain items cheaper that are daily used and would provide relief to the general public." यह हिन्दुस्तान टाइम्स की टिप्पणी है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नाथूराम ने बहुत

(श्री ओ. पी.महेन्द्रा)

बड़ी, अच्छी टिप्पणी की है बजट सामाजिक कल्याण पर केन्द्रित है, इससे औद्योगिक विकास के रास्ते खुलेंगे व रोजगार बढ़ेगे। इसी प्रकार से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर वी.एस. व्यास की टिप्पणी जिसमें कहा गया है बजट में प्राथमिकताओं के आधार पर प्रावधान स्वागत योग्य है। इसी प्रकार प्रोफेसर श्रीमती कांता आहूजा इनकी टिप्पणी है केपिटल आउटले बढ़ना बहुत अच्छा है इससे राज्य अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरेगी।

डा. डी.सी.जैन जो एक अर्थशास्त्री है उन्होंने कहा है वैट स्वागत योग्य कदम है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वैट लागू होने से राज्य की आय बढ़ेगी। बिक्री की जहां मात्रा 35 प्रतिशत अनुपालना होती है वहीं वैट प्रणाली 90 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, बजट प्रस्तुत होने के पश्चात प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने जिनमें सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बजट में जो आपने प्रावधान किये हैं वह पहले से आपने घटाये हैं। तारानगर से आने वाले माननीय डॉ. साहब कह रहे थे कि अपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसकी प्रशंसा हो रही है यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट केन्द्र सरकार के दम पर है। इस फाइनेंशियल मैंनेजमेंट की, जिसको मैं बैस्ट फाइनेंशियल मैंनेजमेंट कहूंगा। इसकी प्रशंसा न केवल राजस्थान के लोग करते हैं बल्कि केन्द्र सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने भी इसे बैस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रशंसा की है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी ने भी माननीया वसुन्धरा जी के बैस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चर्चा की है। तारानगर से आने वाले डॉ. साहब प्राणीशास्त्र बहुत अच्छा जान सकते हैं, मानव शास्त्र बहुत अच्छा जान सकते हैं लेकिन अर्थशास्त्र जानने के लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा।

सभापति महोदय, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, आंकड़ों को पढ़ाता रहा हूं लेकिन बहुत लंबे चौड़े आंकड़े देकर सदन को भ्रमित नहीं करना चाहता। माननीय प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने जो इस पर टिप्पणी की है उसका मैं अध्ययन करना चाहता हूं। 2003-04 का बजट जब पेश हुआ था तब कांग्रेस सत्ता में थी। हमारे सदस्यों ने कहा कि विभिन्न मदों पर खर्च किया जा रहा है, प्रस्तावित बजट में उसको घटाया जा रहा है। मैं आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2003-04 में कृषि एवम सम्बद्ध सेवाओं में आपने खर्च

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

किये 123.84 करोड़ रुपये और हम 2006-07 के बजट में करेंगे 232.22 करोड़ रुपये यानि 88 प्रतिशत वृद्धि। इसी प्रकार ग्रामीण विकास में आपने रखा था 532.36 करोड़ रुपये और हमने रखा 799.32 करोड़ रुपये, वृद्धि 50 प्रतिशत। इसी प्रकार से विशिष्ट क्षेत्र ग्रामीण विकास में, विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आपने रखे थे 32.82 करोड़ रुपये और हमने रखे 39.57 करोड़ रुपये, वृद्धि 21 प्रतिशत। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, बहुत काम हुए हैं इसमें 635.19 करोड़ रूपये 2003-04 में रखे गये थे और अब रखे गये हैं 925-57 करोड़ रुपये, वृद्धि 46 प्रतिशत। इसी प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा की बहुत सी बातें हो रही थी, ऊर्जा के क्षेत्र में 1249.07 करोड़ रुपये पूर्व में था, हमने रखा है 1999.65 करोड़ रुपये और वृद्धि है 60 प्रतिशत। इसी प्रकार से उद्योग एवं खनन में आपके समय में था 32.60 करोड़ रुपये और हमारे समय में 203.60 करोड़ रुपये, वृद्धि है 525 प्रतिशत की। इसी प्रकार से सड़क एवं पुल यातायात में 323.88 करोड़ रुपये, हमारा है 855.94 करोड़ और वृद्धि 164 प्रतिशत की, दो साल में 164 प्रतिशत की वृद्धि इसमें आई है। इसी प्रकार से विज्ञान एवम तकनीकी में, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में, 61 प्रतिशत आर्थिक सेवाओं में, सामान्य व अन्य सेवाओं में बहुत भारी वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार से वास्तविक स्थिति से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सन 2002-03 में योजना का आकार था 5160 करोड़ रुपये का ले किन वास्तविक व्यय आपका हुआ 4431.07 करोड़ रुपये। 2003-04 में योजना का आकार 4258 करोड़ और नवम्बर 2003 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय वसुन्धराजी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी उससे पहले आपका खर्च था मात्र 2266.54 करोड़ रुपये और दिसम्बर 2003 में बीजेपी की सरकार आने के बाद योजना के आकार को बढ़ाया गया 5504.52 करोड़ रुपये और वास्तविक व्यय हुआ 6044.38 करोड़ रुपये।

उसी प्रकार से 2004-5 में योजना का आकार 7031.44 करोड़ रूपये हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि योजना के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। बहुत तेजी से योजना के आकार में वृद्धि हुई है। प्रतिपक्ष के हमारे साथी कह रहे थे कि योजना के आकार में वृद्धि नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, इस बजट की सर्वत्र सराहना हुई है । इस बजट को चाहे प्रतिपक्ष न सराहे लेकिन बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा प्रत्येक क्षेत्र में हुई है।

बजट में अभिनव योजनाएं प्रारम्भ की गई है जिससे मैक्सीमम सोशल

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

एडवान्टेज की अवधारणा, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अवधारणा है, सभापति महोदय उसकी पुष्टि होती है। यह बजट समाज के कमजोर कहे जाने वाले तबके को समर्पित है। यह बजट महिला शक्ति को समर्पित है। इसमें अनेक ऐसे प्रावधान किये गये हैं .....

जो मुख्य मंत्रीजी की उदारता को, मुख्य मंत्रीजी द्वारा हृदय से पेश किये गये बजट को, मुख्य मंत्री मनस्वी हैं, मुख्य मंत्री तेजस्वी हैं, मुख्य मंत्री यशस्वी हैं, मुख्य मंत्री गरीबों का ध्यान रखती हैं। बी.पी.एल. परिवारों को... (व्यवधान) तपस्वी भी हो जाएंगी, आप चिन्ता मत करो, तपस्वी तो पहले से ही हैं और हो जाएंगी। इसमें माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को बीमा लाभ , बी.पी.एल. परिवार के लोग जो निर्धनों में भी अधिक निर्धन हैं।

श्री सभापति: अब आप वाइण्ड-अप करें।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय सभापति महोदय, मैंने तो बोलना ही शुरू किया है, अभी 5 मिनट में मैं समाप्त करता हूं।

बी.पी.एल. परिवार के लिए पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, इस नायाब योजना में निर्धनतम परिवारों को सम्बल मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन, माननीय सभापति महोदय, जब गांवों में जाते हैं, वृद्ध अपनी पेंशन का इंतजार करते रहते हैं, 200 से बढ़ाकर 400 रुपये, इसी प्रकार से समाज कल्याण के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को, महीने में जो पैसा मिलता है उसमें वृद्धि की गयी है, विकलांग जिसकी कोई नहीं सोचता है, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने सोचा है, विकलांग व्यक्तियों के लिये एक हजार कियोस्क व मोबाइल कियोस्क। नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिये, सभापति महोदय, यह ऐसा विषय है कि राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में नशा एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई के रूप में हमारे सामने आया है, परिवार के परिवार उससे ग्रसित हैं। समाज उससे ग्रसित होता जा रहा है तो उसके लिये नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सामाजिक कल्याण की अवधारणा को पुष्ट करते हैं 33 हजार नये इन्दिरा आवास। विधवा, परित्यकता, निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सम्भागीय मुख्यालयों में स्वयंसिद्धा योजना। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी योजना साबित हो सकती हैं, इस योजना का विस्तार राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर किया जाना चाहिए।

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

सभापति महोदय, जन-सहभागिता, यह जन सहभागिता, आज के वैश्वीकरण के युग और उदारीकरण के युग की बहुत महत्ती आवश्यकता है। आज पूरे विश्व में इस विचारधारा को त्याग दिया गया है कि राज्य ही उत्पत्ति व उत्पादन के साधनों पर पूरा व्यय करेगा। आज कोई भी कार्य बिना जन सहभागिता के सम्भव नहीं है, इसलिये राज्य के विकास को सुगम बनाने के लिये जन सहभागिता जैसे प्रगतिशील विचार को आगामी बजट में समावेश किया गया है।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में मैं बजट समाप्त करता हूं। (व्यवधान) बजट पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

कासनियाजी, कुछ टोकने की ज्यादा ही आदत पड़ गयी है आपको। समझ में नहीं आये तो समझ लेना बाद में मेरे से।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैंने आपके टोका-टाकी नहीं की है, बिलकुल। (व्यवधान) समझ में जितने मेरे आया है, उतना आपके आयेगा नहीं, यह मैं बता दूं।

श्री सभापति: अब आप स्थान ग्रहण करें।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): सभापति महोदय, राजस्थान वीरों की धरती है और भा.ज.पा. वीरों का सम्मान करना जानती है। उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उदारमन्ना मुख्य मंत्रीजी ने अमर जवान ज्योति की स्थापना की। सैकिण्ड वर्ल्ड वार के सैनिकों की विधवाओं की मासिक पेंशन में वृद्धि करके 800 रुपये, सैकिण्ड वर्ल्ड वार के सैनिकों को भी 800 रुपये मिलेंगे। नये सैनिक कल्याण कार्यालय 4 स्थानों पर स्थापित होंगे। अब तक आबंटन से शेष रहे पूर्व सैनिकों के लिये आई.जी.एन.पी. में भू-आबंटन, इसी प्रकार से गेलेंट्री अवार्ड धारकों को उनके पराक्रम के लिये देय राशि में 10 गुना वृद्धि करके उनका सम्मान किया गया है, उनका मान बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से पुलिस पदक व शौर्य पुलिस पदक हेतु भी राशि बढ़ायी गयी है। मैं इन सबके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

महोदय, यह बजट रोजगारोन्मुखी बजट है, हमारे प्रतिपक्ष के माननीय साथी कह रहे थे कि रोजगार कहां से पैदा होंगे। सभापति महोदय, दो मिनट में...

श्री सभापति: अब 2 मिनट नहीं, अब समाप्त करें। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): सभापति महोदय, अन्तिम रूप से दो मिनट।

श्री सभापति: नहीं, कोई दो मिनट नहीं।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): सभापति महोदय, गंगानगर जिले के बारे में एक मिनट बोलना चाहूंगा। सभापति महोदय, पिछले दो वर्षों में हमारे गंगानगर जिले के किसानों के लिये मुख्य मंत्रीजी ने अनेक कल्याणकारी कार्य किये हैं। 4 फसलों का आबियाना माफ किया गया, अस्थायी कृषि भूमि आबंटन को पुख्ता किया गया, जो किश्तों पर आई.जी.एन.पी. में ब्याज देय था उसका ब्याज माफ किया। इसमें मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिन लोगों की एक-दो किश्तें बाकी हैं उन पर जो ब्याज लग रहा है, वह भी ब्याज माफ किया जाए तो उनको लाभ होगा। इसी प्रकार से गंगनहर का त्वरित गति से निर्माण करने के लिये धन की भरपूर व्यवस्था की गयी है। अस्थायी सिंचाई व्यवस्था को स्थायी किया गया है। अनकमाण्ड जमीनें जिनको कमाण्ड किया गया है, इसी प्रकार से टिश्यु कल्चर लेबोरेट्री, किन्नू मण्डी, यह सब गंगानगर में मुख्य मंत्रीजी की देन है। हनुमानगढ़ से किशनगढ़ तक मेगा हाइ-वे का निर्माण, यह एक बहुत बड़ी बात हुई है।

(समय: 15.46 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रस्तावित बजट में 4 फसलों के चुकाये गये आबियाने का समायोजन भी मुख्य मंत्रीजी ने किया है और जो फसलों के बकाया पर ब्याज की छूट प्रदान की है, मैं उसके लिये गंगानगर जिले की ओर से, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे यहां गंगानगर मुख्यालय पर एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना बहुत आवश्यक है क्योंकि गंगानगर जिला जो विश्वविद्यालय का हकदार था लेकिन आज तक कृषि प्रधान होने के नाते जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय स्थापित आप करेंगे तो गंगानगर का युवा व किसान वर्ग सदैव आपका आभारी होगा। इसी प्रकार से गंगानगर शुगर मिल पूरे शहर में भारी प्रदूषण फैला रही

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

है, किसानों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इस शुगर मिल को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा तो गंगानगर जिले की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी। इसी प्राकर से ट्यूरिज्म, पर्यटन के दृष्टिकोण से गंगानगर में अनेक महत्व के स्थान हैं, जैसे बरोड़ पुरातत्व महत्व का स्थान है, इसे विकसित किया जा सकता है। इसी प्रकार से पीलीबंगा क्षेत्र में कालीबंगा को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाकर इसका पुनरुद्धार किया जा सकता है। इसी प्रकार से आई.जी.एन.पी. में नौकायान हो सकती है। पर्यटन की दृष्टि से इसे भी विकसित किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हुआ अन्तिम दो लाइनें मुख्य मंत्रीजी को समर्पित करता हुआ और राजस्थान की आप सब स्त्री-देवियों को समर्पित करता हुआ, दो लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा।

बिजली जब चमकती है, आकाश बदल देती है,

आंधी जब उठती है, दिन-रात बदल देती है,

धरती जब दरकती है सीमान्त बदल देती है,

नारी जब गरजती है, इतिहास बदल देती है।

धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजेजी द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। महिला सशक्तिकरण के दिन प्रस्तुत यह बजट वास्तव में महिलाओं के लिये समर्पित और महिला शक्ति को प्रबल रूप से विकसित करने के दृढ़ संकल्प के साथ प्रस्तुत यह बजट वास्तव में एक सराहनीय बजट कहा जा सकता है, जो राजस्थान में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस बजट में महिलाओं के लिये जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है, निरश्रित और परित्यकता महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये, क्योंकि जब महिला रोजगार से जुडती है तो वास्तव में सशक्त बनती है, यदि आत्मनिर्भर वह होती है तो फिर जीवन में उसको दूसरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है और स्वयं सिद्धा योजना जो शुरू होने वाली है वास्तव में ऐसी महिलाओं के लिये जीवन को परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित

(श्रीमती अनिता भदेल)

होगी। मैं इस योजना के लिये कहना चाहती हूं कि जिस सोच के साथ यह योजना इस बजट के प्रावधानों में रखी गयी है, उस सोच के साथ, उस योजना को पूरा किया जाए और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से इस योजना को लागू किया जाए। महिलाओं के विकास के लिये, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये महिला किसी भी दृष्टि से दूसरों पर डिपेण्ड नहीं रहे, 11 हजार सहयोगनियों का चयन, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो दो वर्षों में राजस्थान के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिये गये हैं। कई निर्णय ऐसे होते हैं जो तुरन्त प्रभाव नहीं छोड़ते लेकिन उनका दूरगामी परिणाम होता है और वह किसी को दिखाई नहीं देता है लेकिन यह जो निर्णय अभी इस समय लिये जा रहे हैं उनका परिणाम हमें बाद में दिखाई देगा और वह राजस्थान की नींव को मजबूत करने में एक कारगर कदम साबित होगा।

महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं इस बजट में हैं। निःशक्त, निराश्रित, विधवाओं के लिए और वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन को दुगना करना, बी.पी.एल. परिवारों के लिए पन्नाधाय जीवन अमृत कलश योजना, जब बी.पी.एल. परिवार में किसी व्यक्ति की दुर्घटना से या प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है तो हम उसको किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करा पाते और ऐसे अवसर पर चाहते हुए भी किसी योजना का लाभ उसको नहीं दिला पाते। यह योजना वास्तव में उस परिवार के लिए एक बहुत बढ़िया योजना है और ऐसे दु:ख के समय में यदि हम उसको थोड़ी-बहुत आर्थिक मदद दे पाएंगे तो निश्चित रूप से उसके परिवार में जो टूटन महसूस होती है, उसको लगता है कि अब आसमान और धरती उसके नीचे से खिसक गयी है तो उसे लगेगा कि नहीं, मेरे को देखने के लिए यह सरकार मौजूद है। मुझे सुनने के लिए यह सरकार मौजूद है और ऐसी सरकारी सहायता जिसके माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, हम इस योजना के माध्यम से, यह बहुत बढ़िया योजना है। बहुत अच्छी योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है, मैं इसके लिए कोटि-कोटि माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं।

रोजगार के लिए बहुत कहा कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं दिया। हमारा जो एजेण्डा था उसमें आपने रोजगार की घोषणा की थी पर मैं उन लोगों को यह कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार में जो लोग थे उन्होंने जो घोषणा की थी, उन्होंने उनको कहां तक पूरा किया?

(श्रीमती अनिता भदेल)

शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे माननीय मंत्रीजी ने उठाये हैं, जैसे- 31000 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। परित्यक्ता महिलाओं को रोजगार दिया है। विधवाओं को रोजगार दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार और शिक्षा दोनों साथ-साथ में, शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार दिया है। मैंने नारा पढ़ा था हर दीवार पर और सार्वजनिक भवनों पर लिखा हुआ था कि सबको पढ़ाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पर मैं यह कहना चाहूंगी कि सबको कैसे पढ़ा सकते हैं? जब शिक्षक ही विद्यालयों में मौजूद नहीं है, बालकों को पढ़ाने वाला शिक्षक यदि मौजूद नहीं है तो वह बालक कैसे पढ़ेगा? आपने उसकी व्यवस्था करी कि राजीव गांधी पाठशालाओं के माध्यम से आठ सौ रुपये मानदेय पर एक किसी शिक्षक को उठाकर लाये। क्या हम सोच सकते हैं कि वह शिक्षक उस भावी पीढ़ी को कोई आदर्श प्रस्तुत कर सकेगा? कदापि नहीं । क्योंकि उसको पेट भरने के लिए सिर्फ आप आठ सौ रुपये दे रहे थे और उससे यह अपेक्षा कर रहे थे कि वह पूरा टाइम उसको पढ़ाये। उसमें आदर्श डालें और उसको शिक्षित भी करें लेकिन यह किसी भी सूरत में नहीं होने वाली चीज थी। जिसको आपने लागू किया। लेकिन हमारी सरकार ने इसके विपरीत पूरे वेतन पर शिक्षकों की भर्ती की और विद्यालयों को क्रमोन्नत भी किया। राजीव गांधी पाठशालाओं से प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो दूरगामी परिणाम छोड़ने वाला है क्योंकि सुदूर गांव और ढाणी में बसने वाला बालक, गरीब का बालक जो प्राइवेट विद्यालयों में नहीं जा सकता लेकिन उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाये। अमीर का बालक तो प्राइवेट विद्यालय में चला जाएगा, शहर के विद्यालय में आकर पढ़ लेगा लेकिन गरीब कहां ले जाएगा अपने बालक को ? उस गरीब को सच्चे अर्थों में शिक्षा के अवसर यदि किसी ने उपलब्ध कराये हैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उपलब्ध करवाये हैं और मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं। इसके परिणाम आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। राजस्थान शैक्षिक रूप से उन्नत बनेगा और जब कोई राज्य शैक्षिक रूप से उन्नत बनता है तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आता है।

आपने पर्यटन की बात कही। बूंदी से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा और उन्होंने केरल से तुलना की कि केरल ने 100 करोड़ रुपये का बजट

(श्रीमती अनिता भदेल)

अपने पर्यटन में रखा है और आपने 60 करोड़ रुपये का रखा है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि दो-तीन साल पहले का आपकी कांग्रेस सरकार का बजट क्या था? उससे तुलना करते तो आपको निश्चित रूप से जानकारी हो जाती कि हमने क्या किया और यह सरकार क्या कर रही है। इतना बड़ा परिवर्तन, आपका जो बजटीय प्रावधान था वह मात्र 10 करोड़ रुपये से भी कम था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आते ही पर्यटन के क्षेत्र में उसको 20 करोड़ रुपये किया और अभी 60 करोड़ रुपये किया, जस्ट तिगुना उस बजट को किया है। निश्चित रूप से राजस्थान में पर्यटन के विकास में यह कदम भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जितने भी विभागों में, यदि हम सार्वजनिक निर्माण विभाग देखें, पेयजल विभाग देखें, ऊर्जा विभाग देखें या समाज कल्याण देखें, समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी अनुप्रति योजना, हम कहते हैं कि हम समाज के अन्त में बैठे हुए व्यक्ति को समाज की प्रथम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की पंक्ति में लाकर खड़ा करने का प्रयास करते हैं लेकिन वह प्रयास किन योजनाओं के माध्यम से आप करते हो और उसको किस ढंग से आप लागू करते हो, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अनुप्रति योजना जो गरीब तबका और एस.सी. और एस.टी., अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिन लोगों को ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते कि वे कोचिंग की क्लासेज में जाए, भारी भरकम वह फीस दें और उससे चयन होकर आये। ऐसी व्यवस्था आपने की है, जिसके लिए पूरा एस.सी. और एस.टी. समाज इस सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता है। बहुत-बहुत आभार प्रदर्शित करता है।

इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा हम यह कह सकते हैं जैसे- सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करें तो जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रति दिन चार गांवों को जोड़ना, प्रति दिन 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण और इसके साथ ही पूरे हिन्दुस्तान में प्रथम आना क्योंकि आप बार-बार यह बात करते हैं कि यह पैसा केन्द्र सरकार का है। निश्चित रूप से केन्द्र सरकार का पैसा है पर उस पैसे का योजनागत तरीके से उपयोग कर लेना, यह सबसे बड़ी बात होती है और जो इस सरकार ने करके दिखाई है। इसके अतिरिक्त खुद अपनी योजनाओं में से, अपने प्रबन्धन में से पैसा निकाल कर राजस्थान की जो प्रमुख रोड्स हैं, जैसे माननीय मुख्य मंत्री रोड फण्ड की बात हम यदि करें तो उन चार प्रमुख सड़कों की बात

(श्रीमती अनिता भदेल)

जिसमें से एक मेरे जिले से भी जुडती हुई है, किशनगढ़ से हनुमानगढ़ वाली, मैं बहुत-बहुत कोटिश: उसके लिए धन्यवाद करती हूं। अभी हम आर.ओ.बीज. की बात करें तो आर.ओ.बीज. के कारण से, जिसके कारण से ट्रेफिक की प्राब्लम होती है, तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर तक जाम लग जाता है। सड़क तो बहुत अच्छी है पर आर.ओ.बी. न होने के कारण हम उस

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

ट्रेफिक को नहीं रोक पाते। उनके निर्माण की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने बात कही है तो निश्चित रूप से हम जो राजकीय प्रबंधन है, प्रशासनिक प्रबंधन है, उसको किस ढंग से किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम किसी को फायदा देने के लिए करते हैं या किसी चीज का यश लेने के लिए करते हैं। वास्तव में यह राजस्थान राज्य किस ढंग से विकसित हो। योजनागत ढंग से विकसित हो। हमारी बुनियादी सुविधाएं कैसे विकसित हो ? सिंचाई की यदि हम बात करें तो मैं सांवरलालजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। जब भी हम उनके पास जाते हैं, कभी उन्होंने मनाही नहीं की। कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। यदि हैण्डपम्प की बात करें, पाइप लाइन को बदलने की बात करें और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास हर समस्या का समाधान मौजूद है। कभी ना नहीं करते कि मेरे पास बजट नहीं है जबकि पिछली सरकार हमेशा यह कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। खजाना खाली है, खजाना खाली है।

बीसलपुर के द्वितीय चरण के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय सांवर लालजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इसके लिए योजना स्वीकृत की। आने वाले समय में उसका भी काम पूरा होगा और आपने विज्ञान और सूचना, मैडम, मैं बस पांच मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने दस मिनट ले लिये, कृपया कनक्लूड कर दीजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): कोई बात नहीं, मैं सिर्फ पांच मिनट लेना चाहूंगी।

विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी से शासन और प्रशासन को युक्त करने के लिए बहुत सारे उपाय इन दो वर्षों में हुए हैं। निश्चित रूप से यह आज की आवश्यकता है लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे मन में होनी चाहिए, हमारे

(श्रीमती अनिता भदेल)

विचारों में होनी चाहिए और हमारे कार्यों से झलकनी चाहिए कि वास्तव में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमें अपने आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों को विज्ञान से और अनुसंधान के साथ, विकास कार्यों के साथ अधिकाधिक जोड़ने की आवश्यकता है जिससे हम सक्षम उपस्थित चुनौतियों का तार्किक ढंग से और उपयुक्त ढंग से समाधान निकाल सकें। इसके अतिरिक्त कई बार यह कहा जाता है...

श्री अध्यक्ष: अतिरिक्त रहने दीजिए और अपना कनक्लूड करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रही हूं।

चिकित्सा के विषय में अपनी बात कहना चाहती हूं। अपने विधान सभा क्षेत्र की एक बात कह कर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगी। चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले वर्ष जो बजट प्रावधान किया गया था और इस वर्ष जो बजट प्रावधान किया गया है, वास्तव में चिकित्सा की सेवाओं को बढ़ाने के लिए यह भी एक बहुत अच्छा प्रयास है पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र में जो सैटेलाइट हास्पिटल है, उसके बारे में आकर्षित करना चाहूंगी।

उसके निर्माण को लगभग एक वर्ष पूरा हो गया है और इस बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। कृपया कर जब आप जवाब दें तो उसके बारे में भी कुछ न कुछ कहें एक बात, क्योंकि करों के सरलीकरण की बात सभी ने कही है, मैं सिर्फ अन्तिम बात कहना चाहूंगी जो बूंदी से आने वाली माननीया सदस्या ने कही और देसूरी से आने वाली माननीय सदस्या ने कही कि मेहंदी को वैट से मुक्त रखें। आपने बजट में सुहाग के प्रतीक को वैट से मुक्त रखा है बिन्दी वगैरह को, तो उसके साथ-साथ आप इसको भी जोड़ेंगे तो महिलाओं में एक अच्छा संदेश जायेगा और जो सुहाग की हम बात करते हैं, उसको भी हम चरितार्थ कर पायेंगे। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द, जयभारत।

श्री अध्यक्ष: श्री सी.पी.जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको और बजट अध्ययन संस्थान को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि लोकतंत्र में जब तक हम चुने हुए प्रतिनिधि बजट के संबंध में ठीक ढंग से नहीं समझेंगे तब तक हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकेंगे। मुझे भी चौथी

(डा. सी. पी. जोशी)

बार सदन में आने का अवसर मिला। मैं भी दो बार विधायक रहा, एक बार मंत्री रहा पर बजट से एक जो सामान्य जानकारी किसी विधायक को होती है उसका सीधा संबंध होता है कि बजट में कितने स्कूल खोलने का प्रोविजन है, कितने अस्पतालों की व्यवस्था की गयी है, कितनी सड़कें बनाने की व्यवस्था की गयी है। बजट से मोटे-मोटे तौर पर जन प्रतिनिधि का यह संबंध है कि उसके क्षेत्र में विकास के कौन-कौन से काम बजट में हो सकेंगे, यह एक मोटी अवधारणा होती है, क्योंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है, यह बजट लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है, उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वह आने वाले समय में इस प्रदेश की माली हालत को सुधारने के लिये, इस प्रदेश में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिये, इस प्रदेश को दूसरे अन्य प्रदेशों के मुकाबले आगे बढ़ाने के लिये किस तरह से वित्तीय प्रबन्धन करती है, किस तरह की नीतियां बनाती हैं जिससे आने वाले समय में लोग कह सकें कि जिस पार्टी को मौका मिला काम करने का, उन्होंने इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब सत्ता में आये तब दिसम्बर महीना था और पिछली सरकार ने बजट रखा था और आप जब सरकार में आये माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने संशोधित बजट पेश किया, संशोधित बजट पेश करते समय आपमें उत्साह था, आपमें उमंग थी और आपके मन में यह था कि जो यह सरकार कांग्रेस की है, वह प्लान का जिस तरह बजट बना रही है, प्लान का जिस तरह एक्सपेंडिचर कर रही है, उससे प्रदेश का विकास तीव्र गति से नहीं हो सकता । इसलिए प्रदेश का तीव्र गति से विकास करने के लिये योजनाओं का हम पुन: मूल्यांकन करेंगे, प्लानिंग कमीशन में जायेंगे और बजट की साइज बढ़ायेंगे। आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने बजट की साइज बढ़ाई और साइज बढ़ाने के बाद बड़े जोर-शोर से कहा गया कि पिछली सरकारों ने जितना बजट का आउट-ले नहीं किया गया, उतना कैपिटल आउट-ले हमने किया। कैपिटल आउट-ले, कैपिटल फोरमेशन, विजन हण्डरेड डेज, ऐसी बहुत-सी अवधारणाओं को लेकर राजस्थान को आगे बढ़ाने की कल्पना की। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुने हुए प्रतिनिधि कोई भी आएं, किसी भी पार्टी के आएं, जो ब्यूरोक्रेसी है वह बहुत तेज है। ब्यूरोक्रेसी को यह मालूम है कि मालिक क्या चाहता है, उसे क्या राय देनी है और ठीक उसी प्रकार की राय चुने हुए प्रतिनिधियों को हमारी ब्यूरोक्रेसी देती रही है और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं 1993 से लेकर 1998 तक

(डा. सी. पी. जोशी)

भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने का अवसर मिला और उस समय हमारे जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, उनके मन में भी कल्पना थी कि राजस्थान को हम तीव्र गति से आगे बढ़ायें। पिछली बार माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आंकड़े उठाकर देखेंगे 1993-94 आन वड्र्स सकल राजकोषीय घाटा पिछले पांच साल में कभी बढ़ा तो वह सरकार थी जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी क्योंकि उस समय मन में कल्पना थी कि सकल राजकोषीय घाटा कैपिटल आउट-ले को बढ़ायेंगे, प्लान के एक्सपेंडिचर को बढ़ायेंगे और राजस्थान में हम परिसम्पत्तियों का निर्माण करेंगे और राजस्थान को तीव्र गति से आगे बढ़ायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल के उस कार्यकाल को आप देखें। परिसम्पत्तियों के निर्माण के आधार पर क्या कोटा के थर्मल का आपने कोई काम किया, माही परियोजना का काम किया, इंदिरा गांधी कैनाल का काम किया ? ऐसा कौनसा काम किया जिससे हम राजस्थान के लोग कह सकें कि उस सरकार के समय में इतना बड़ा काम हुआ है। हां, यह काम हुआ, अध्यक्ष महोदय, चार हजार करोड़ रुपये की हमने बिजली पर्चेज की। हमने बिजली जनरेट करने का काम नहीं किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस काल में, चार हजार करोड़ रुपये हमने खर्च किये बिजली खरीदकर किसान को देने का, करना भी चाहिये, क्योंकि किसान को बिजली नहीं देंगे तो जी.डी.पी. नहीं बढ़ेगी, हालत नहीं सुधरेगी पर उस समय सारे हिन्दुस्तान में एक परिकल्पना थी कि फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाया जा सकता है और विकास की कल्पना की जा सकती थी। लेकिन फिफ्थ-पे कमीशन एक बहुत बड़ा राइडर हो गया। फिफ्थ-पे कमीशन के बाद कोई भी सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार उस समय की हो, चाहे हिन्दुस्तान की किसी और प्रदेश की सरकार हो, सब सरकारों में यह फिफ्थ-पे कमीशन बहुत बड़ा राइडर हो गया। वेजेज एण्ड मीन्स इतने ज्यादा बढ़ गये कि फिजिकल असेट्स और परिसम्पत्तियों के निर्माण की परिकल्पना सब धूल-धूसरित हो गयी और सब कुछ हमें करना पड़ा कि कैसे वेजेज एण्ड मीन्स दे सकें और देना पड़ेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रूव हो गया क्योंकि पिछली सरकार बदलने में सबसे बड़ी भूमिका थी कर्मचारियों की, कर्मचारी को नाराज नहीं कर सकते, कर्मचारी को तनख्वाह देनी पड़ेगी, कर्मचारी की सुविधा की व्यवस्था की जायेगी। फिफ्थ-पे कमीशन की जो रिकमण्डेशन थी, उसमें हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों की इकोनोमी को हिलाकर रख दिया विद् गुड इंटेंशन। भारतीय जनता

(डा. सी. पी. जोशी)

पार्टी के तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी के अच्छे इंटेंशन, उनके मन में कल्पना राजस्थान को आगे बढ़ाने की, लेकिन राजस्थान में परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं हुआ। राजस्थान में हमारा सकल राजकोषीय घाटा बढ़ गया, जो 1993 के पहले इतना नहीं बढ़ा हुआ था।

हमारी सरकार आने के बाद हमारे मुख्य मंत्रीजी के मन में भी कल्पना थी, हमें भी मेन्डेन्ट मिला था और हमारे मन में कल्पना थी कि जो हमें तीन-चौथाई बहुमत मिला है तो जिम्मेदारी बनती है कि हम राजस्थान के विकास की कल्पना को साकार कर सकें। अध्यक्ष महोदय, उसे साकार करने की कोशिश की और कोशिश करने के बाद, अध्यक्ष महोदय, आप आंकड़े उठाकर देखेंगे कि राजस्व घाटे के साथ-साथ जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद कांग्रेस की सरकार जब बनी 1998 के बाद, उसके बाद कैपिटल अउट-ले में अमाउंट बढ़ना शुरू हुआ। भैरोंसिंह जी के समय में भी बढ़ा है, लेकिन उसके बाद सब्सटेंशल अमाउंट कैपिटल आउट-ले का बढ़ना शुरू हुआ जब कांग्रेस की सरकार आई 1998 में और अध्यक्ष महोदय, कैपिटल आउट-ले का आप देखेंगे तो 2003-04 के पहले कैपिटल आउट-ले में कांग्रेस की सरकार के समय में 2027 करोड़ रुपये खर्च किये हमने। 1998 का बजट हमने प्रस्तुत किया था, 1998-99 के बजट में मोडिफाइड बिल लाये और उनके मन में कल्पना थी कि हम राजस्थान में कैपिटल आउट-ले कम खर्च हो रहा है, इसलिये कैपिटल आउट-ले को हम बढ़ायेंगे, और अध्यक्ष महोदय, कैपिटल आउट-ले बढ़ाया। कैपिटल आउट-ले बढ़ाने के बाद प्लान की साइज बढ़ाने के लिये कह दिया कि हमने प्लान की साइज बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, बढ़ाई है निश्चित तौर पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कहा पर कैपिटल आउट-ले बढ़ाने के बाद, अध्यक्ष महोदय, आप आंकड़े देखेंगे, कैपिटल आउट-ले बढ़ाने के बाद आप जानकर आश्चर्य करेंगे, अध्यक्ष महोदय, 1998-99 के एक्चुअल्स बता रहा हूं, 1998-99 में राजस्थान में 5150.89 करोड़ रुपये का सकल राजकोषीय घाटा था, 1999-2000 में जो एक्चुअल्स हैं 5361.23 करोड़ का सकल राजकोषीय घाटा था, 2000-01 में सकल राजकोषीय घाटा था 4313.21 मतलब हमारी सरकार ने भी 1999-2000 के 5361.23 करोड़ रुपये के घाटे को 4,313 करोड़ मतलब लगभग एक हजार सकल राजकोषीय घाटा कम किया परन्तु उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत व्यय था केवल मात्र 1384.07 करोड़ रुपये।

(डा. सी. पी. जोशी)

2001-02 में माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सकल राजकोषीय घाटा फिर बढ़ गया और यह अमाउंट हो गया 5748.36 करोड़ और उस समय कैपिटल आउट-ले था 1817.81 करोड़ रुपये। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सरकार बदल गयी। कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने कैपिटल फोरमेशन नहीं किया, इसलिए प्लान की साइज नहीं बढ़ायी जायेगी। प्लान की साइज बढ़ाई और 2002-03 में हमारी सरकार थी, उस समय हमने भी कोशिश की कि किसी तरह से सकल राजकोषीय घाटा कम हो, लेकिन नहीं हुआ। सकल राजकोषीय घाटा हो गया 6114.03 करोड़ रुपये और उस समय कैपिटल आउट-ले था 3933.92 करोड़ रुपये। इसका मतलब 1999-2003 तक कांग्रेस की सरकार के समय में कैपिटल आउट-ले लगभग 2996 करोड़ से 3933.22 करोड़ रुपये पर लाया गया, लगभग एक हजार करोड़ रुपये का कैपिटल आउट-ले बढ़ाया गया, लेकिन सरकार आने के बाद, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया, प्लान की साइज कम है, प्लान की साइज बढ़ाई जाये, कैपिटल आउट-ले को बढ़ाया जाये। अध्यक्ष महोदय, जो एक्चुअल्स आये हैं, जो इन्होंने फिगर दिया था कैपिटल आउट-ले का 3672.79 करोड़ रुपये और जब आगे उन्होंने फिगर दिया 3,667.48 करोड़ और जो एक्चुअल्स आये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह एक्चुअल्स आये हैं 3424.44 करोड़ रुपये Which is much less than 2001-02 and 2002-03 in capital outlay.

और प्लान की साइज बढ़ाने के बाद जो सकल राजकोषीय घाटा है उसने हाइएस्ट टच किया और सकल राजकोषीय घाटा हो गया 7367.12 करोड़। यह फिगर दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, 7367.12 करोड़ रुपये एवर हाइएस्ट, राइट फ्रोम 99 ओन वर्ड्स, एवर हाइएस्ट सकल राजकोषीय घाटा हुआ वह 2003-04 में हुआ, अध्यक्ष महोदय।

अब, अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय घाटा बढ़ा, अब राजकोषीय घाटा कैसे बढ़ता है, रेवेन्यु आपका रिसीट रेवेन्यु एक्सपेंडीचर इन दोनों के बीच में गैप, अध्यक्ष महोदय, होगा तो राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा और बोरोइंग्स भी करनी पड़ेगी, कैपिटल आउट-ले के लिए आपको असेट भी डवलप करनी है, वो पैसा भी मारकेट से लेना है, अध्यक्ष महोदय, उस समय पहली बार बी.ई. में रेवेन्यु रिसिप्ट का फिगर था 15425 जो मोडिफाई इन्होंने किया था वह हुआ 15423 और, अध्यक्ष महोदय, यह 15703 आर.ई. में और पहली बार बी.ई. और आर.ई. से, अध्यक्ष महोदय, आर.ई. जब इन्होंने वैल थोट आफ्टर सिक्स मंथ,

(डा. सी. पी. जोशी)

दिसम्बर में सरकार बन गयी थी और इस सरकार के बाद इन्होंने वोट आन एकाउन्ट लिया था, बजट लाये थे जुलाई के अन्दर और उसके बाद आर.ई. में पहली बार 15423.86, मतलब जो आर.ई. में फिगर था रेवेन्यु रिसीट का उससे रेवेन्यु रिसीट आपकी 2003-04 में कम हुई।

फिजिकल मैनेजमेंट, अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत अच्छा है इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हम इसको ध्यान दें कि जब इन्होंने हमारा कैपिटल आउट-ले बढ़ाने की बात की तब जब इन्होंने कहा कि रेवेन्यु रिसीट बढ़ेगी उसके बाद पहली बार आर.ई. के बाद 6 महीने की सरकार बन गयी थी, सरकार बनने के बाद उन्होंने पूरा देख लिया था कि कांग्रेस की सरकार में इस तरह का काम होता है, इसके बाद इन्होंने आर.ई. बनायी थी 15703 करोड़ और एक्चुअल्स आये 15423 करोड़ रुपये और, अध्यक्ष महोदय, जो रेवेन्यु एक्सपेंडीचर हुआ है वह हुआ है 18848.29 करोड़ रुपये।

यह रेवेन्यु घाटा, यह फिजिकल डेफिसिट यह बताएं इस बात को कि यह 7367 करोड़ रुपये क्यों आ गया? अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था, माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी कहा था, मैं चाहता हूं कि बजट पर डिस्कस बहुत अच्छे ढंग से हो पर मुझे तकलीफ है, आपके कहने के बाद, मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बाद राजस्थान की विधान सभा में 2004-05 के एक्चुअल्स हम को दिये आपने पर 2004--05 की सिविल की आपने रिपोर्ट हमारे सामने नहीं दी इसलिए मेरे पास कोई आधार नहीं है, मेरे पास आधार है केवल-मात्र जो आपका सिविल 2003-04 का आंकड़ा है सी.ए.जी. का वही आधार है जिसको मैं बेस बना कर अपनी बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, यह सरकार जब आयी थी तब इस सरकार को पूरी तरह से मालूम था, सरकार का मतलब सरकारी अधिकारियों को पूरा मालूम है क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा था सरकार कन्टीन्यू होती है, सरकार जब कन्टीन्यू होती है तो सरकार के उन अधिकारियों को क्या जानकारी में नहीं था कि मीडियम टर्म फिजिकल रिफोर्म्स प्रोग्राम, एम.टी.एफ.आर.पी., इसके बीच में राजस्थान सरकार ने एक समझौता किया था मार्च, 2003 में और वह समझौता लागू हो गया था 25 मार्च, 2003 में। 25 मार्च, 2003 में इलेवन फाइनेंस कमीशन के आधार पर

(डा. सी. पी. जोशी)

राजस्थान सरकार ने एक एम.ओ.यू. भारत सरकार से किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी मार्च, 2003 में, दिसम्बर में आपकी सरकार आ गयी, आप बी.ई. और आर.ई. लाये जुलाई, 2004 के अन्दर तो बताइये क्या आपको यह मालूम नहीं था, इसमें लिखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.ए.जी. की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, इसमें लिखा है

''According to MOU the revenue deficits as a proportion of revenue receipts was to be reduced by 5% each year from 1999-2000 base year. Accordingly the revenue deficits of 37% during 1999-2000 was to be restricted to 17% of the revenue receipts. During the year 2003-04, the actual revenue deficit, the actual revenue deficit, was 22% during the year which was 5% more than the required percentage.”

सरकार इनकी बन गयी, अध्यक्ष महोदय, सरकार इनकी बनने के बाद 6 महीने बाद यह जो समझौता किया, इनकी जानकारी अधिकारियों के पास थी उसके बाद में इनको पांच परसेंट कम करना था, पांच परसेंट कम करने के बनिस्बत पांच परसेंट का यह बढ़ गया और हमने बताया आपको कि किस तरह से आपका सकल राजकोषीय घाटा है वह 7367 एवर हाइएस्ट Ever highest the word I am using. यह सकल राजकोषीय घाटा यहां से शुरू हो गया, अध्यक्ष महोदय।

अब ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन आ गया, अध्यक्ष महोदय, ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन बनने के बाद यह तो मैं धन्यवाद देता हूं, अध्यक्ष महोदय कि कभी-कभी ब्लेसिंग एण्ड डिसगाइज्ड हो जाता है, अध्यक्ष महोदय, यदि यह ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन का राइडर नहीं आता और इसी तरह से सरकार ने जैसे 2003-04 में काम किया, अध्यक्ष महोदय, यह 2004-05 में काम करते, 2006-07 में काम करते, 2007-08 में काम करते तो पांच साल में राजस्थान में जो सकल राजकोषीय घाटा है वह दस हजार के ऊपर टच कर लेता। यह तो राइडर आ गया, अध्यक्ष महोदय, एफ.आर.बी.एम. में कंडीशन डाल दी ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन में कि आपको किस तरह से आने वाले समय में अपना रेवेन्यु डेफिसिट कम करना है, किस तरह से आपका फिजिकल डेफिसिट कम करना है। यह राइडर, अध्यक्ष महोदय, आ गया, इस राइडर के कारण इनको फायदा भी हुआ और राजस्थान की जनता को एक बहुत बड़ा फायदा मिल गया कि सरकारें जो काम करती हैं, उस सरकार को ध्यान रहे हमें कितना ऋण लेना है, कितना कैपिटल आउट-ले देना है, कैसे हमें रेवेन्यु एक्सपेंडीचर

(डा. सी. पी. जोशी)

को कंट्रोल करना है, कैसे रेवेन्यु रिसोर्सेज को हमें जनरेट करना है। यह जानकारी एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत आने के कारण ज्यादा रूप से आयी। 2004-05 में बात की गयी एफ.आर.बी.एम. की और एफ.आर.बी.एम. लागू किया गया 2005-06 में। 2004-05 में उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, एक तो है कि आप रेवेन्यु रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाएं। अब, अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यु रिसोर्सेज को बढ़ाने के प्रत्यक्ष रेवेन्यु है, नोन टैक्स रेवेन्यु है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह आंकड़े लेकर आया हूं, आपकी कृपा से यह 31 मार्च, 2005 की रेवेन्यु रिसीट तो दे दी इन्होंने सिविल की नहीं दी और रेवेन्य रिसीट दी तो मैंने कहा कम से कम इसी का उपयोग किया जाए। अब रेवेन्यु रिसीट में, अध्यक्ष महोदय, आप देखिये, मैं दो-तीन पैरा आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। मैं कोट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ''Arrears aggregating Rs. 2977.66, once again I repeat it, 2977.66 crore remained unreleased under the principle heads of revenue at the end of 2004-05. The arrears were mainly in respect of taxes on sales tax, trade etc. state excise, taxes on immovable properties other than agricultural land, major and medium irrigation, sale of land and property, land revenue and non-ferrous, mining and metallurgical industries."

यह 2977.6 करोड़ है, अध्यक्ष महोदय, यदि फिगर हम पिछले साल का लें,

यदि यह फिगर हम 2004 का लें तो 2004 में, अध्यक्ष महोदय, वह भी मैं कोट करना चाहता हूं, सी.ए.जी. रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं मैं, ''Arrears aggregating 2417.49..."

This is the figure of 2004. I have given the figure 2005.

"Arrears aggregating 2417.49 crore remained unreleased under the principle heads of at the end of 2003-04. The arrears were mainly in respect of taxes on sales tax, state excise, taxes on immovable property other than the agricultural land, major and medium irrigation, sale of land property land revenue and non-ferrous, mining and metallurgical industries."

अध्यक्ष महोदय, यह है 2003-04 का, यहां फिगर था 2417 और यहां हो गया 2977 करोड़ और, अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे इसके पहले वाला बता दें इसलिए इसके पहले वाला भी फिगर बहुत जरूरी है। इसके पहले वाला फिगर है वह लगभग एक हजार करोड़ का है, अध्यक्ष महोदय।

मेरे कहने का मतलब है विभाग के वही अधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदय, हमारा फाइनेन्शल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो सरकार को सोचने की

(डा. सी. पी. जोशी)

आवश्यकता है कि यह हमारा जो एरियर है वह 2977 करोड़ रुपये कैसे हो गया। क्या रेवेन्यु रजिस्ट्रेशन के लिए यह 2500 करोड़ रुपये आपसे बढ़ गये? इस 2500 करोड़ बढ़ने के लिए आपने क्या एफर्ट्स किये, अध्यक्ष महोदय, यह क्यों बढ़ते रहे? और, अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगी कि यह जो टैक्स रेवेन्यु और नोन टैक्स रेवेन्यु है उसके हैड को हम उठा कर देखें कि किस-किस में इनका पैसा बढ़ रहा है और किस-किस में पैसा नहीं बढ़ रहा है। यह निश्चित तौर पर सही है, अध्यक्ष महोदय कि सैल्स टैक्स में पैसा बढ़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है पर सैल्स टैक्स ही एक वो डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यु बाकी है। मैं दो-तीन चीजें बताना चाहता हूं, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं 2003-04 को भी कोट करूंगा और 2004-05 को भी कोट करूंगा। इसमें 2003-04 में जब 2400 करोड़ रुपये बाकी थे तब, अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगी, क्या लिखा है ''Demands of Rs. 164.99 crore was pending against the dealers which are not traceable .'' यह, अध्यक्ष महोदय, 2003-04 में 164.99 करोड़ वो डीलर हैं जो ट्रेसेबल नहीं थे और आप 2003-04 में देखिये, 2003-04 में भी लिख रहे हैं ''Arrears of 166.13 crore were pending against the dealers who are not traceable.'' अध्यक्ष महोदय, आप बताइये, 2003-04 में भी आपके ट्रेसेबल नहीं हैं, एक साल बाद भी आपके ट्रेसेबल नहीं हैं। 162 करोड़ रुपये सैल्स टैक्स के डीलर के आपके ड्यू हैं और डीलर को आप ट्रेसेबल नहीं कर सकते, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि आप किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं।

मैं एक-दो ए.जी.के और पैरा भी इसके साथ कोट करना चाहूंगा जिससे हम कम से कम समझ सकें। मैं कोई व्यक्तिगत किसी सरकार के ऊपर नहीं कह रहा हूं, यह सिस्टम है इसको कन्डेम्न कर रहा हूं I am interested to improve the system. I am not interested to condemn any Government. The Government may be of Congress. The Government may be of BJP. पर हम जो पालिटिकल वर्कर हैं, जो पालिटिशन हैं, अध्यक्ष महोदय, जिस चीज पर हम को सबसे ज्यादा ध्यान देना है उस पर हम ध्यान देने के बनिस्बत सड़क हमारी बन रही है, स्कूल बन रही है उस पर ज्यादा समय दे रहे हैं इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको धन्यवाद दिया है, मैं आपको दो-तीन आंकड़े इसमें सी.ए.जी. की रिपोर्ट के भी कोट करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जो हम सबके लिए ध्यान रखने के लिए बहुत आवश्यक है। आप जानकर आश्चर्य

(डा. सी. पी . जोशी)

करेंगी, अध्यक्ष महोदय, सैल्स टैक्स में लिखा है, यह मैं ए.जी. की 2004-05 की पढ़ रहा हूं। In 19 circles 323 industrial units engaged in cutting of marbles were irregularly allowed tax exemption of Rs. 129.69 crores. This is one.

अध्यक्ष महोदय, यह आब्जर्वेशन है सी ए जी का -

''76 industrial units which were already availing the benefit under other sales tax incentive scheme of 1987, 1989 were irregularly granted exemption of Rs. 149.67 crore under the sales tax exemption scheme of industry 1989"

अब विभाग के अधिकारी कितने होशियार हैं एक बार जिन इंडस्ट्री ने 1987-89 में एडवांटेज उठा लिया उन्हीं को दुबारा एडवांटेज देकर 149.67 करोड़ रुपए का उनको फायदा दिया। Non-withdrawal of benefit of breach of condition of 54 units resulted in non-recovery of taxes interest of Rs. 39.09 crore. और अध्यक्ष महोदय, माइन्स मिनिस्टर साहब को ध्यान है In two cases excavation and dispatch of mineral values of Rs. 105.22 crore were made unauthorized beyond the period of working permission. अध्यक्ष महोदय, what administrative system we are having. हमारी सी.ए.जी. की रिपोर्ट मैं कोट कर रहा हूं और सैल्स टैक्स के सम्बन्ध में मुझे यह भी कोट करना आवश्यक है कि सबसे बड़ी जिस पर ध्यान नहीं दे रहे यह सबसे इंट्रेस्टिंग एक और फिगर है - Results of Audit. I am quoting the 2005. "Results of Audit. Test check of records of sales tax, land revenue, state excise, motor vehicle tax, stamp and registration fees and other non-tax conducted during the year 2004-05 revealed under assessment short levy and loss of revenue amounting to Rs. 658.29 crore in 16934 cases."

यह आडिट का है सैल्स टैक्स के हमारे अधिकारी कितने एफीशिएंट हैं , कितनी किससे रेवेन्यू कर रहे हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि 658.29 करोड्स इस बारे में अंडर वेल्यूएशन किया। आगे लिखा - This report contains 27 paras including two reviews taking to non-levy short levy of taxes, duties, interests and penalties involving 276.63 crores the department accepted.

लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कुल मिलाकर यह बताना चाहता हूं कि आपकी जो ए.जी. की रिपोर्ट है, सी.ए.जी. की रिपोर्ट में यदि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक करना है तो क्या विभाग की इस बात की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि विभाग पर हम इस बात की निगरानी रखें कि कैसे जो हमारा सैल्स टैक्स है उसका पांच पांचसौ करोड़ रुपए का हमारा हर साल एरियर बढ़ता जा रहा है तो फिर हम कौनसे नियम बना रहे हैं कौनसे

(डा. सी. पी. जोशी)

कानून बना रहे हैं ? उसमें क्या लूप पोल हैं ? उस लूप पोल को प्लग करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे , क्या इस तरह की व्यवस्था की जा रही है?

यह सरकार आने के बाद के फिगर दिए एक हजार करोड़ से ज्यादा, अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र एरियर का अमाउंट बढ़ा है और सैल्स टैक्स में कितना बढ़ा है आप जानकर आश्चर्य करेंगे । आपने यह इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई, रजिस्ट्रेशन स्टाम्प बढ़ाई, उसमें पैसा बढ़ा है आपका। मुख्य मंत्रीजी ने भाषण दिया था 2004-05 में एक्साइज पालिसी के सम्बन्ध में, एक्साइज पालिसी में हमने यह कर दिया आपको मालूम नहीं है। आपने महाराष्ट्र, कर्नाटका का उदाहरण दिया था इतना पाइंट बी एल मिलता है उसमें पैसा इतना मिल जाएगा, हम जनता की सेवा करेंगे, कितना पैसा बढ़ा है आपका सरकार आने के बाद एक्साइज में ? हां, मैं मुख्य मंत्रीजी आपको धन्यवाद देता हूं आपने कार्टेल को तोड़ा, तोड़ना चाहिए कार्टेल को, जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक तकलीफ है लेकिन एक कार्टेल को तोड़कर कौनसा कार्टेल खड़ा कर दिया। हमने बेवरेज कार्पोरेशन बनाया। बेवरेज कार्पोरेशन बनाकर हमने क्या किया? क्या कंजूमर को यह एडवांटेज है, हिन्दुस्तान की जितनी डिस्टिलरीज में जितनी ब्रांड का दारू बन रहा है वह आपका बेवरेज कार्पोरेशन मंगा रहा है? आपने सलेक्टेड ब्रेवरेजेज से ही दारू मंगाकर कंजूमर को कंडीशन कर दी कि यह दारू ही आपको पीनी पड़ेगी बाकी नहीं।

आप माननीय अध्यक्ष महोदय, बल्क में कोई चीज खरीदो तो पैसा कम लगता है तो बल्क का पैसा जो बच रहा है वह ट्रांसफर कंजूमर को हो रहा है, कहां हो रहा है? एक अच्छे काम को करने के लिए अध्यक्ष महोदय, हम कोई चीज करें उसमें यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो हमारा रेवेन्यू रिसीट का जो टार्गेट है वह पूरा नहीं होता। सबसे इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह सरकार फार्च्युनेट है, फार्च्युनेट इन दी सेंस यह जो स्टेट शेयर आफ डिविजिबल यूनियन टैक्सेज हैं और ग्रांट इन एड है उसमें राज्य सरकार को बहुत पैसा मिल रहा है। जब 2002-03 का फिगर है जब हमारी सरकार थी तब 3063.10 करोड़ मिला है स्टेट शेयर आफ डिविजिबल यूनियन टैक्सेज और ग्रांट इन एड के रूप में पैसा मिला था 2196.42 करोड़ रुपीज और इनकी सरकार आने के बाद 3602.22 और इन दी ईयर 2004-05 यह है 4305.61 करोड़ यह तो मिला है स्टेट का शेयर और ग्रांट इन एड में अध्यक्ष महोदय, 2503 रफली

(डा. सी. पी. जोशी)

चारसौ करोड़ ज्यादा और इसके नेक्स्ट ईयर में 2004-05 2897.01 मतलब बेस ईयर 2002-03 में आप लगाएं तो सातसौ करोड़ रुपए इनको ग्रांट इन एड में ज्यादा मिले तो अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट आफ इंडिया से पैसे ज्यादा मिले हैं , ग्रांट इन एड ज्यादा मिला है और जो टैक्स और नोन टैक्स का परसेण्टेज है वह भी देखने लायक है। टैक्स और नोन टैक्स का 2000-2001 में जो शेयर था वह 56 परसेंट था, 2001-02 में 59 परसेंट हुआ, 2003 में जब कांग्रेस का शासन जा रहा था उसके एक साल पहले साठ प्रतिशत था, 2003-04 में साठ प्रतिशत था आपके राज में और 2004-05 में 59 परसेंट है। अब आपका स्टेट का पैसा ज्यादा मिल रहा है। गवर्नमेंट आफ इंडिया से आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है ग्रांट इन एड का और फिगर बताया मैंने खाली ग्रांट इन एड में आठसौ करोड़ रुपए स्टेट के शेयर से हजार करोड़ रुपए फिर आपका जो कर टैक्स, टैक्स रेवेन्यू और नोन टैक्स रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है ? इसके लिए आपकी एफीशिएंसी क्या है? आपने दो-ढ़ाई साल में क्या काम किया कि यह जो शेयर है टैक्स और नोन टैक्स का ग्रांट इन एड का इसका परसेंटेज साठ से क्रास करके पैंसठ जाता सत्तर जाता । क्यों 2004-05 में यह 59 प्रतिशत रह गया? यह सरकार की एफीशिएंसी है कि हमारा जो मैनेजमेंट का तरीका ज्यादा अच्छा दिखे।

अध्यक्ष महोदय, जितना पैसा हमको मिला हम लिबरल हो गये, हम लैथार्जिक हो गये, हमारी मानीटरिंग खतम हो गयी, हमारी इफेक्टिविटी खतम हो गयी। अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारा पैसा है नोन टैक्स रेवेन्यू का उसका केवल 2004-05 में केवल मात्र 59 प्रतिशत है टैक्स और नोन टैक्स का जो केलकुलेशन है आई विश मुझे 2004-05 के आंकड़े मिलते, मैंने कहा ना अध्यक्ष महोदय, यह सरकार आने के बाद ढ़ाई साल में हमें आज तक एक भी सी ए जी रिपोर्ट नहीं मिली है। यह जो सी ए जी रिपोर्ट मिली है 2003-04 की उसमें आधी सरकार तो हमारी है आधी सरकार इनकी है। इनकी फुल सरकार तो 2004-05 में आई है , 2005-06 में, 2006-07 में आई है।

अब मैं अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह सब चीजें देखीं कि सरकार कितनी चिन्तित है यह आय व्यय अध्ययन, आय व्यय अध्ययन करना चाहिए, आय व्यय अध्ययन करने की कोशिश की। अब आय व्यय

(डा. सी.पी. जोशी)

अध्ययन के बारे में बताना चाहता हूं। यह आय व्यय अध्ययन इन्हीं का है मोडिफाइड 2004-05 का, यह फिगर भी इन्हीं का है। मैं कोट कर रहा हूं और मेरे मन से नहीं कोट कर रहा हूं यह लिख रखा है, प्लान आउटले यह फिगर 7031.44 करोड़ रुपए, यह प्लान आउटले माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004-05 का प्लानिंग कमीशन से पास कराया उससे ज्यादा बताते हैं क्योंकि आपका इंटेंशन ज्यादा है, कोई बात नहीं। आपने बताया 7031 करोड़ रुपए अध्यक्ष महोदय, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2005-06 का आप देखिए, यह बताया प्लान आउटले 8697.28 करोड़ रुपीज प्लान का साइज बढ़ाया है कांग्रेस की सरकार बढ़ा सकती थी, अब अध्यक्ष महोदय, समझ आ गया है एफ आर बी एम क्या होता है, किस तरह से तकलीफ होती है और 2006-07 का अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं इसमें आप मुझे करक्ट करें यदि गलती होगी तो मैं अपने आपको करक्ट कर लूंगा। यह आपने जो फिगर दिया है यह 8562 करोड़ रुपए है यह 2005-06 के 8657 से कम है ज्यादा है आपके यह 8562 करोड़ रुपए क्यों हुए ज्यादा? 2005-06 में बताया कि आप खर्चा कर रहे हो 8697 करोड़ रुपए तो आपको नौ हजार करोड़ बताने चाहिए थे पर आपने हवा में बात करना, किसी चीज को प्रैक्टिकल चीज में देखना जब विभाग के अन्तर्गत यह चीजें एफ आर बी एम एक्ट का क्या प्रोवीजन है ? अब अध्यक्ष महोदय, यह जो खर्चा हो गया वह 8562 करोड़ रुपया और मुख्य मंत्रीजी बड़ी चतुराई से मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मुख्य मंत्रीजी जब बात कहते हैं तो मुख्य मंत्रीजी जो ग्रो कर रहे हैं आज अपने पोलिटिशियन हैट्स आफ, उनके जो बात करने का तरीका है हैट्स आफ, अध्यक्ष महोदय, मैं कोट करना चाहता हूं यह आपका बजट भाषण 2006-07 का पैरा-13, आगामी वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना का आकार योजना आयोग ने 8501 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। बजटीय प्रावधान इसके कुछ अधिक 8562 करोड़ 54 लाख रुपए हैं जो कि वर्ष 2005-06 के संशोधित आकार से 407 करोड़ रुपए ज्यादा हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह जो 2005-06 का आपका इंटेंशन था वह था 8697 का संशोधित यह भी तो मान्यवर, एप्रूव्ड नहीं है। यह भी इंटेंशन है क्योंकि सात हजार बता रहे थे, खुश हो रहे थे घनश्यामजी, आठ हजार बताते, अब जो कम बता रहे हैं उसका आधार नहीं। समय ही नहीं मिलता पढ़ने का।

(डा. सी. पी. जोशी)

अपन क्यों ध्यान रखें, अपने को तो कोई न कोई कमेंट करना है इसलिए कमेंट करना चाहिए अपने को । अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं यह बजट का भाषण है अध्यक्ष महोदय, जहां अच्छा काम था मुख्य मंत्रीजी ने यह सब बातें कही हैं । मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि रिलेटिवली हमें जानकारी होनी चाहिए, सरकारें कोई भी हों, मुख्य मंत्री कोई भी हो ...

वह अधिकारी कितनी होशियारी से अपनी बात कहलाता है उसको मैं यहां अब सदन के सामने लाना चाहता हूं। मैं कोई मुख्य मंत्रीजी के इसलिये नहीं कहना चाहता कि मुख्य मंत्रीजी ने कोई अपनी बात, मुख्य मंत्रीजी का अपना काम करने का तरीका है और विभाग के अधिकारी अपने हिसाब से काम करते हैं। यह बातें अध्यक्ष महोदय, इसलिये कहना चाहता हूं आप यह देखिये इन्होंने बड़े जोर-शोर से कहा है कि हमारी सरकार ने बजट का इतना कर दिया, यह वित्तीय प्रबंधन, 2004-05 का पढ़ रहा हूं मुख्य मंत्रीजी का। गत 25 महीनों का कुशल वित्तीय प्रबंधन हमारे शासन की एक प्रमुख उपलब्धि है। योजना का आकार दुगुना करने के बावजूद हमने वार्षिक ऋण भार को सीमित कर दिया है। हमने कैपिटल आउटले को 2001 में बढ़ाया है और मुख्य मंत्रीजी आपने यह भाषण दिया कि हमने कितना एक्सपेंडीचर बढ़ाया है? अध्यक्ष महोदय, जब सरकार बनी थी जब हम पर एक आरोप लगाया था। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगी कि वर्ष 2003-04 में नवीनतम अनुमानों के अनुसार 6044.38 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जो कि पूर्व की योजना के अनुमानित योजना के आधार से 1786.38 करोड़ रुपये अधिक है। यह उपलब्धि मुख्य रूप से सौ दिवसीय कार्य योजना के लागू करने से संभव हो सकी। यह हर्ष का विषय है कि योजनान्तर्गत व्यय 2003-04 में 36.41 परसेंट अधिक है। हमें विश्वास है कि हमारी यह प्रारम्भिक उपलब्धि आगामी वर्षों के लिये भी दिशा निर्धारित करेगी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में 2003-2004 के योजनागत व्यय का 10775 करोड़ रुपये, कहते हैं यह खर्च हुआ जो निर्धारित पंचवर्षीय योजना का 32.9 परसेंट था। दसवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये तीन वर्षों में हमें 21358 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस भावना से आपने बजट प्रारम्भ किया और प्रारम्भ करने बाद यह अगले पेज में लिखा है – पूर्व में हमने 6492 करोड़ की यह

(डा. सी. पी. जोशी)

वार्षिक योजना प्रस्तावित की थी। संतुलित विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए लक्षित वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु हमने योजना के आकार को 7032.44 करोड़ रुपये, यह 04-05 का पढ़ रहा हूं जब आप 7031 करोड़ रुपये का कर रहे थे तब आपका एक्चुअल एक्सपेंडीचर कितना हुआ। एक्चुअल एक्सपेंडीचर भी चैक कर लें कितना हुआ, वह भी फिगर अध्यक्ष महोदय, सामने आ जायेगा तो इंट्रस्टिंग हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि एक्चुअल्स 2003-04 के हैं 6044.38 करोड़ you are aiming for 7000. आपका तो ऐम सैवन थाउजेंड का था और आपका एक्चुअल्स आया 6044 करोड़ रुपये। 2004-05 के एक्चुअल्स हैं यह। अध्यक्ष महोदय, 6590 करोड़ रुपये and you were aiming for how much. आप तो 8697.28 करोड़ रुपये ऐम कर रहे थे और आपका एक्चुअल्स 2004-05 का है 6590 करोड़ रुपये, 542 करोड़ रुपये आपके ऐम से 2005-06 में कम हैं। अब अध्यक्ष महोदय, जब अगला बजट भी जो आप रख रहे हो वह आप बता रहे हो कि हमारा ऐम 8500 करोड़ है, आप खुद ही कम कर रहे हो और उसमें प्रस्तावित लिखा है 8155 करोड़ रुपये होंगे। अध्यक्ष महोदय, हम यह बजट में बातें कहें, लोगों को ताली पिटवा दें, लोगों को ताली पिटवा कर कहें कि हमारे प्लान की साइज बढ़ गयी है.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके समय भी देख लो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमारे समय तो बैठे हैं, इसीलिये तो बैठा हूं मैं। आप पढ़ लो। आप पढ़कर आये तो फुर्सत मिलने पर बोलो ना। ध्यान रहेगा मुझे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी बैठे-बैठे ही बोल रहे हैं, यह तो मैं समझता हूं आप इजाजत नहीं देंगे। उनको बोलना है तो खड़े होकर बोलें। यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष: कोई भी माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप जो कह रहे थे 1998-99 का, मैं 99-2000 से चालू होता हूं। आपका आउटले 5022 ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्रीजी बनना है क्या आपको ? मुख्य मंत्रीजी हैं बोलो ना आप, आपको अध्यक्ष जी अलाउ करें बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप कह रहे थे ना बोलो। आप तुलना करें (व्यवधान) फिर आप अपने गिरेबान में झांक कर भी देखें... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I have not yielded it. If the Speaker allowed it. I have not yielded it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अपने गिरेबान में झांक कर भी देख लो (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गिरेबान में अपने झांको। गिरेबान में नहीं देखता हूं, गिरेबान खुद की देखो, गिरेबान अपनी देखो। मेरी गिरेबान बहुत साफ है। मैं अपनी गिरेबान को बहुत ध्यान से देखता हूं। सुबह भी देखता हूं, शाम को भी देखता हूं। मेरी गिरेबान मैं बहुत ध्यान से देखता हूं। मेरी गिरेबान में कोई तकलीफ नहीं है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर सारी बात कहो ना। पिछली तुलना भी कर लो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपस में व्यवधान नहीं करें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप देना फीड बैक। देना, आप कर रहे हो ना। किसको तकलीफ है। आपको मौका मिला, आपके भाषण सुने हैं मैंने। भाषण सुने हैं हमने पांच साल आपके। वह भाषण कोट करूं क्या मैं ? आपके भाषण सुने हैं हमने वहां बैठकर(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चलो सुनाओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने तो वह विस्तार से बता दिया था कि किन कारणों से जो अवधारणा आपकी थी कि सेंट्रल स्कीम्स स्टेट को ट्रांसफर होंगी। फारेन इंस्टीट्यूशंस से लोन मिलेगा। आपने जो आपकी खुद की अवधारणा थी प्लान की सत्ताइस हजार करोड़ की कि किन कारणों से, ऊपर से अकाल क्योंकि टैक्स रिसीट्स कम हो रही थी तो बहुत विस्तार से बताया तो उसी को आगे यह बढ़ा रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, इनका काम इंट्रप्ट करना, मुख्य मंत्री के सामने नम्बर बढ़ाना, करेंगे यह, मुझे क्या तकलीफ है। बाकी मंत्री नहीं कर सकते हैं, यह कर सकते हैं, बाकी मंत्री तो बैठे हुए हैं तो यह काम इन्हीं को सौंपा हुआ है, तो करेंगे यह। ड्यूटी ही इनकी यही है तो मैं इसमें बुरा नहीं मानता (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, वह तो ठीक है। आप उधर कौनसी पूरी कर रहे हैं वह तो आपके ही दिये हुये बता रहे थे अभी (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरी ड्यूटी तो बहुत आगे बढ़ने की है, वह कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक फिगर दूंगा। मार्च, 2003 में अमाउंट सरेंडर 2440.98 करोड़ रुपये। 31 मार्च, 2003 को हमारी सरकार थी तब सरेंडर किये। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार 2003-04 की जब से यह सरकार थी और यह कह रहे हैं तो बतायें सरेंडर अमाउंट कितना है 31 मार्च, का। 31 मार्च को 2713.45 करोड़ रुपये सरेंडर किये और इसमें केपिटल वोटेड अमाउंट है 1297.98 करोड़ रुपये। अब हम केपिटल आउटले बढ़ा रहे हैं, हम पास करके टल जाते हैं पर यह जो फिगर दे रहा हूं, मैंने पहले फिगर दिया है 2003 का, वह अमाउंट है 2440 करोड़ रुपये और यह फिगर मैं दे रहा हूं, 2004-05 का अमाउंट मेरे पास नहीं है पर आई विश कि 2004-05 में, 2005-06 में और 2006-07 में सरकार इस बात पर बहुत ध्यान देगी कि 31 मार्च को पैसा सरेंडर नहीं हो। हमारी बी.ई. और आर.ई. के जो हम बी.ई. बनाते है। फिर आर.ई. करते हैं। बी.ई. और आर.ई. के बाद हमारी यह स्थिति बन जाये कि आपके एप्रोप्रियेशन बिल में आप ज्यादा मांग ले लें, मांग लेने के बाद पैसे वापस सरेंडर करने पड़ें, मैं इसमें यह भी उदाहरण देना चाहता हूं कि कौन कौनसी हैड हैं, वह भी देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी रहेगी, आप यह आश्चर्य करेंगे, मंत्रीजी बैठे हैं, बहुत एफीशियेंट मिनिस्टर हैं। रोड एण्ड ब्रिज, रेवेन्यू वोटेड सरेंडर किया 31.65 करोड़ 31 मार्च को और केपिटल वोटेड में सरेंडर किया है 215.60 करोड़ रुपये। टाइम मिले जब है ना अपने को। 215.60 करोड़ रुपये 31 मार्च को सरेंडर किये रोड एण्ड ब्रिज में। ड्रिंकिंग वाटर में सरेंडर किया 237.24 करोड़ रुपये केपिटल वोटेड में। रेवेन्यू वोटेड में सरेंडर किया 131.43 करोड़ रुपये। रूरल एम्प्लायमेंट में केपिटल वोटेड सरेंडर किया 144.02 करोड़ रुपये। अरबन प्लान एण्ड रीजनल में सरेंडर किया 462.55 करोड़ रुपये। एजुकेशन आटर्स एण्ड कल्चर में रेवेन्यू रोटेड में सरेंडर किया 402.73 करोड़ रुपये और अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट में रेवेन्यू वोटेड सरेंडर किया 29.75 करोड़। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर नहीं, सिस्टम What is the system? यह हमारी सरकार है, यह हमारे मंत्री हैं। हमारे मंत्री के पास हम मीटिंगें कर रहे हैं, हम सैक्रेटरी की मीटिंग कर रहे हैं, हम

(डा. सी. पी. जोशी)

आपको अधिकार दे रहे हैं, आपको पब्लिक ने मेन्डेट दिया है। आप खुद सोच समझकर मीटिंगें करने के बाद बी.ई. लेकर आते हैं। बी.ई. करने के बाद पांच छह महीने में आर.ई. करते हैं। फिर आर.ई. करने के बाद there is no excuse Speaker Madam. इसका मतलब जो व्यवस्था हमने खड़ी कर दी है उस व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्य मंत्रीजी बैठी हैं इसलिये कहना चाहता हूं चाहे हमारा राज हो, चाहे किसी का राज हो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम बजट को पास करने के बाद उस विभाग का सैक्रेटरी और मंत्री को फाइल को दुबारा भेजना पड़ता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। यह क्या कर रखा है ? अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी गुडविल जो जनता हमें चुनकर भेजती है, बजट जो हम सदन में पास करते है, हैड वाइज पास करते हैं। डिमाण्ड पास करते हैं, एप्रोप्रियेशन की बात करते हैं और उसके बाद विभाग का सैक्रेटरी जो आपने जितनी अमाउंट वोटेड कर रखी है उसकी सैंक्शन करने का अधिकार उसको नहीं है। वह फाइल वापस फाइनेंस में जायेगी और फाइनेंस के बाद एक पेरेलल फाइल होगी। उसके बाद वह पैसा बतायेंगे तो आपको पैसे का प्लान करने की जरूरत पड़ रही है। तो अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग की जरूरत नहीं है। All Departments and all the Ministers are irrelevant. ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है लेकिन अपने विभाग की मानीटरिंग के बाद कितना पैसा आउटले करना है, नहीं करना है, यह व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केवल मात्र फाइनेंस डिपार्टमेंट की है। And unfortunately we have the Chief Minister who herself is a Finance Minister. तो ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है तो फिर किसी को अपील का अधिकार नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ध्यान नहीं रखे तो उसका अपील सी.एम. के पास हो जायेगा लेकिन यदि सी.एम. खुद ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर कर रही हैं और उसके बाद यदि इस तरह की व्यवस्था बनती है तो फिर जनता जो व्यवस्था करती है वह हमारी सारी जो डेमोक्रेसी है वह डेमोक्रेसी ठीक ढंग से काम नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं अच्छा है प्लान की साइज बढ़नी चाहिये, केपिटल आउटले भी बढ़ना चाहिये, पर अध्यक्ष महोदय, नोन प्लान के एक्सपेंडीचर को हम कंट्रोल कर रहे हैं क्या ? प्लान के एक्सपेंडीचर को हम कट कर रहे हैं। मैं फिगर देना चाहता हूं In the year 2003-04 नोन प्लान एक्सपेंडिचर का खर्चा था 16617.12 करोड़ रुपए, 2004-05 में

(डा. सी. पी. जोशी)

17164.22. which is 3.29 % more than the previous year, in the year 2005-06 the non-plan revenue expenditure is 18134.1 which is 5.65% more, in the year 2006-07 it is 20297.09 which is 11.9% more.

अब नॉन प्लान रेवेन्यु एक्सपेंडिचर इसको कंट्रोल कौन करेगा । आप तो डवलपमेंट करना चाहते हैं । आप तो फिजिकल एसेट्स पैदा करना चाहते हैं। आप तो जी.डी.पी. बढ़ाना चाहते हैं तो जी.डी.पी. बढ़ाते नॉन प्लान में, एक्सपेंडिचर को कम करने से बढ़ाते या प्लान के एक्सपेंडिचर को कम करने से बढ़ाते । यह फीगर है, मैं चाहूंगा कि मुझे करेक्ट करें, यह फीगर मैंने बताया है कि इन दी ईयर 2004-05 एक्चुवल्स की बुक में मैंने दिया है पिछले 2003-04 का 3.29 प्रतिशत है, 2005-06 में यह 5.65 प्रतिशत ज्यादा है और 2006-07 में 11.92 प्रतिशत ज्यादा है। मान्यवर, एफ.आर.बी.एम. आने के बाद यह नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कंट्रोल नहीं करें तो यह इम्पेक्ट किस पर जायेगा । हम कौनसे फिजिकल एसेट्स डवलप करेंगे, कट किस पर कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं फीगर लाया हूं, आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि कट किसमें किया है। यह भी देखने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि प्लान आउट-ले में देखें । बजट में 2005-06 की बजट स्टडी में तो फीगर दिया है 8697.22 करोड़ और बजट में दिया है 8350.00, अध्यक्ष महोदय, प्लान साइज आउट-ले रिवाइज जो था 2005-06 में वह था 6742 की जगह 8155.23 करोड़ और अब 2005-06 और 2006-07 में मैंने कम्पेयर किया है। एग्रीकल्चर एवं अलाइड सर्विसेज 2005-06 का जो आर.ई. है 394.37 करोड़ और 2006-07 का बी.ई. है 227.22 करोड़ यह आपने इन्क्रीज किया है कि डिक्रीज किया है। एग्रीकल्चर के अन्दर, अलाइड सर्विसेज के अन्दर हमने लगभग-लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा डिक्रीज किया है। 167.15 करोड़ केवल मात्र 2005-06 के एग्रीकल्चर एवं अलाइड सर्विसेज में हमारी आउट-ले कम है। 2006-07 में हमारा आउट-ले इर्रिगेशन एवं फल्ड कंट्रोल में भी 2005 -06 के 292.54 की जगह 2006-07 में 925.57 है which is 66.97 crore less.

अध्यक्ष महोदय, एनर्जी में हमने कहा है गिराल का प्रोजेक्ट आ जायेगा, धौलपुर का प्रोजेक्ट इसमें आ जायेगा । यह बी.बी.एम. में कोट करूंगा, गिराल की डेट ली है और धौलपुर की क्या डेट ली है इतने साल में आ जायेगा । गिराल भी नहीं आया, धौलपुर भी नहीं आया और एनर्जी के सैक्टर में 2005-

(डा. सी. पी. जोशी)

06 में 2272.68 करोड़ का प्रोविजन था, 2006-07 में 1999.63 करोड़ which is 273.03 crore less. अध्यक्ष महोदय, इकोनोमिक सर्विसेज में 2005-06 में आउट-ले था 235.55 और 2006-07 में यह आये हैं 198.99 which is less than 36.65 crores. जनरल सर्विसेज में आपको 62.26 करोड़ था और अब 62.91 करोड़ रुपये । इसमें आपने थोड़ा बढ़ाया है, ज्यादा नहीं बढ़ाया है। आपने इर्रिगेशन, आपकी एनर्जी, आप मुझे बतायें कि जी.डी.पी. कैसे बढ़ रही है। मैं इसको भी आगे बताऊंगा । कितना हम मेनुपुलेशन करना चाहते हैं डेटा में, बताया कि जी.डी.पी. बढ़ रही है टैन पाइंट समर्थिंग से लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि सरकार किस प्रकार से जनता के सामने जाना चाहती है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या हम इन चीजों के बारे में जनता को अवगत कराने की स्थिति में हैं या हम खुद समझने की स्थिति में हैं या नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि यह फीगर हैं, 2005-06 में कृषि एवं पशुपालन की जो प्रतिशत है जी.डी.पी. में जो कंट्रीब्युशन है उसका वह है 23.84 प्रतिशत और 2004-05 में है 24.77 प्रतिशत which is less than this. एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम, एग्रीकल्चर के प्रोडेक्शन के बारे में लिखा है कि एग्रीकल्चर का कितना एरिया उन्होंने इर्रिगेट किया है। मैं पढ़ देता हूं वर्ष 2005-06 में खरीफ खाद्यान्न के उत्पादन में 38.66 लाख टन होने की संभावना है जो गत वर्ष 52.65 लाख टन की तुलना में 26.05 प्रतिशत कम है, तो इस वर्ष रबी खाद्यान्न में आप बतायें, आपका खाद्यान्न कम हो रहा है। उसका कंट्रीब्युशन कम है। उसके बाद यह कौनसा जादू है जिससे कि आपके जी.डी.पी. में, एफ.आर.बी. में आपने लिख दिया कि 10.6 है कि हमारा इतना जी.डी.पी. बढ़ेगा । जी.डी.पी. का एक्चुवल आपका 10.6 नहीं है। डैफ्थ का रेश्यो ज्यादा होगा । लेकिन हमें तो किसी तरह से फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। उसको कम करने के लिए जैसे हम आंकड़े चाहें वैसे आंकड़े बनायें । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के अन्दर यह कौनसा मैकेनिजम है, हां, इस सरकार ने एक काम किया है, करना चाहिए, इस सरकार ने बिजली तो पैदा नहीं की लेकिन बिजली की सब्सिडी जरूर दी है। देना चाहिए एग्रीकल्चर को लेकिन अनफोरचुनेटली वसुंधराजी के आने से बरसात खूब होती है लेकिन यह भूल गये कि वसुंधराजी के आने से ओला वृष्टि

(डा. सी. पी. जोशी)

भी होती है। अब मालूम पड़ा है कि ओलावृष्टि भी होती है। एक हजार करोड़ रुपये की हमने बिजली दी और उसके बाद में यह ओलावृष्टि हो गयी तो यह किसान के पास जो फसल आयेगी वह कम होगी । उसकी परचेज करने की केपेसिटी बढ़ेगी कि घटेगी । फिर भी एफ.आर.बी.एम. में हम यह कह रहे हैं कि हमारी यह जो ग्रोथ है वह ठीक ढंग से आगे बढ़ती जायेगी । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस संबंध में सरकार को समझने की आवश्यकता है और फिर भी आप देखिये नॉन प्लान रेवेन्यु एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर और सी.एस.एस. 2004-05 के एक्चुवल से 2005-06 के बी.ई. में 16.8 प्रतिशत ज्यादा बताया है और आर.ई. में आगे 14 प्रतिशत नीचे बताया है और 2006-07 में जो बी.ई. बता रहे हैं वह 13.06 प्रतिशत है। रेशनल ही नहीं है, what is your rationale? बी.ई. आपने कर लिया, आर.ई. आपने कर लिया तो अगली साल की जब आप बी.ई. बनायेगे तो उसका कोई साउंड बेसिस होना चाहिए । साउंड बेसिस एक ही है कि किस तरह से हम इस डेटा को मेनुपुलैट कर लें फिर हम इस नतीजे पर पहुचे कि हमारा प्रदेश बहुत ज्यद्दा प्रोग्रेस कर रहा है। कांग्रेस की सरकार यह काम करने में असफल रही और हम सफल रहे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत तकलीफ है, आप देखिये कि बी.ई. और आर.ई. में कितना अंतर आ जाता है। मैं आपको फीगर दे रहा हूं 2005-06 के, 2004-05 में पूंजीगत व्यय था 3448.29 मन के लड्डू और फीके क्यों, 2005-06 में 5160.92 करोड़ बी.ई. में बताया है 2005-06 में और आर.ई. में आते-आते 4681 करोड़ रुपये और अगले साल में 2006-07 में बी.ई. में कर दिया 5024 करोड़। मैं यह जानना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि यह जो लोक खाते की शुद्व प्राप्तियां हैं जो आपने 2005-06 की बी.ई. में बताया है 848.97 करोड़ और आपने आर.ई. में 1700 करोड़ रुपये कैसे लायेंगे । जादू कौनसा है आपके पास में, मैं फिर दुबारा रिपीट करना चाहता हूं 2005-06 में बी.ई. में आपके लोक खाते की शुद्व प्राप्तियां बतायी हैं 848.97 आपने पहले तो बताया था, एक्चुअल हैं पिछले साल 911, आपने बताया है 842.7 अब आपने आर.ई. में बता दिया 1700.46 और अनबिलिवेबल, कि लोक खाते से प्राप्तियां जो अब बतायी हैं 84104.91 जो 2005-06 में आर.ई. में और उसके बाद उसका लोक खातों से भुगतान बताया है 82404.54 करोड़ जबकि अध्यक्ष महोदय, पिछला

(डा. सी. पी. जोशी))

जो एक्चुअल है 2004-05 में वह है 54890 है। उसका भुगतान है 53979 है, यह कौनसा जादू है, जिस जादू में आपने 20-25 हजार करोड़ रुपये, चालू खाता है, बैलेंस अकाउंट है, पब्लिक बैलेंस अकाउंट का एक अकाउंट बना रखा है उसमें अभी तक तो 5000 करोड़ ही निकलते थे इस बार 39 हजार करोड़ रुपये आप बता रहे हैं, आउट-ले भी बता रहे हैं । बाद में बता देना । अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इसको चैक करें । 2005-06 की आर.ई. के आधार पर फिस्कल डेफिसिट है 6068.78 करोड़ और री-पेमेंट बोरिंग है 2064 करोड़, यह आपका फिगर मैं आपका दे रहा हूं जबकि बी.ई. में प्रोजेक्ट किया है 4000 करोड़ जबकि आप आर.ई. में आ गये 2000.64 करोड़ रुपये तो गवर्नमेंट को नेट बोरिंग लेना पड़ेगा 8069.42 करोड़ रुपये, अब गवर्नमेंट बोरिंग से जो फीगर आपकी है 6415 करोड़, यह 1654 का जो शार्ट फॉल है, उसको सरकार कैसे करेगी । उस पर लोन लेगी 1700 करोड़ का और इसको करने के लिए इनके पास तरीका क्या है, तो इससे डेफ्ल घटेगा कि बढ़ेगा । अध्यक्ष महोदय, डेफ्थ के ट्रेड में फंसने का काम किया जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, एफ.आर.बी.एम. की रिक्वायरमेंट को पूरा करने लिए ना केवल स्टेट की घरेलू जो उत्पादन है उसको मेनुपुलेट किया जा रहा है और किस तरह से कि फिस्कल डेफिसिट को इस लेवल पर लेकर आ जावें कि भारत सरकार से हम क्लेम कर सकें । करें, भारत सरकार से करने के बाद भारत सरकार की जो स्थितियां हैं वह भी आपको मालूम हैं । यह सोचें कि भारत सरकार से जो पैसा मिल रहा है वह इनको ठीक मिल रहा है। मिलना भी चाहिये । मैं यह आंकड़े भी लेकर आया हूं कि ग्रांट इन एड में भी कितना पैसा मिल रहा है। इसमें मेंटिनेंस ऑफ रोड एण्ड ब्रिज, अलग-अलग हैड दिये गये हैं उसको देखने पर आपको पता चलेगा कि राजस्थान सरकार को लगभग ग्रांट इन एड ऑफ स्टेट्स स्पेशिफिक नीड्स में मिलेगा 450 करोड़ रुपये और रोड एण्ड ब्रीज में मिलेगा 633.32 करोड़ रुपये, 213 करोड़ रुपये मिलेंगे मेंटिनेंस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग में ।

दसवें वित्त आयोग की रिकमण्डेशन है, उसकी रिकमण्डेशन के अनुसार आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पैसे की कोई कमी नहीं है इनको, मैं कोट करना चाहता हूं, अभी भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी

(डा. सी.पी. जोशी)

ने क्या कहा है, मैं चाहता हूं कि सबको मालूम होना चाहिए। भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी ने कहा है,

''In the first year of the United Progressive Alliance Government Rs. 74,000 crore was devolved to states. That was raised to Rs. 94,400 crore in 2006 and it went upto Rs, 1,13,440 crore in the year 2006-07. If the states spend these funds they will meet target which means more money in the hands of the people."

भारत सरकार से पैसा मिला अध्यक्ष महोदय, उसको भी देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इनको पैसा मिलेगा, खर्च कैसे करेंगे उसकी भी मैंने कोशिश की क्योंकि सी ए जी की रिपोर्ट तो दी नहीं थी, हमने कोशिश की, जितनी हमारी अक्ल थी, आपने हमें ज्ञान दिलवाया, उस ज्ञान को उपयोग में लेकर हमने कोशिश की, इससे भी सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार का प्रतिवेदन है माध्यमिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा के अन्दर यह प्रोविजन किया, आयोजना भिन्न में बताया, संशोधित आय अनुमान 2005-06, 143 करोड़ 83 लाख रुपए और संभावित व्यय बताया 77 करोड़ रुपए और यह मैं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आपको भारत सरकार से पैसा मिला वह बता रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा का बताना भी जरूरी है प्रारम्भिक शिक्षा में भर्ती किए हैं, मैं आंकड़े लेकर आया हूं राजस्थान सरकार ने, मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि यह सदन और जनता को बताया जाना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लान में कितने थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती किए, सैकण्ड ग्रेड में कितने भर्ती किए और कॉलेज लेक्चरार में कितने भर्ती किए और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी, जब आप अपना जवाब दें अपनी डिमाण्ड पर तब बताएं कि राजस्थान सरकार ने अपने प्लान के अन्दर कितने टीचर भर्ती किए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 1905

डा. सी पी जोशी: 1905 और बजट में दो बार अनाउन्स किया है सात हजार, सात हजार, मैं यह भी लेकर आया हूं, मुझे मालूम था कि आप यह बोलेंगे, मैं एक-एक फीगर लेकर आया हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी थी कि ये क्या बोलेंगे, एक बार सात हजार किए 2005-06 में, अभी सात हजार

(डा. सी. पी. जोशी))

की घोषणा की है, 14 हजार थर्ड ग्रेड के अगेंस्ट में खुद ने माना है कि 14 हजार किए हैं हमने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह 1905 है।

डा. सी पी जोशी: 2 हजार मान लो, 2 हजार मान लो, अच्छा है, मैं तो यह कह रहा हूं कि आप प्लान में मुख्य मंत्रीजी से यह घोषणा कराएं कि 7 हजार टीचर भर्ती करेंगे और स्कूल आपने खोले, हम सबने उसका स्वागत किया, अच्छा काम किया, स्कूलों का एक्सपांशन कर रहे हैं लेकिन प्लान से अध्यक्ष महोदय, थर्ड ग्रेड के टीचर भर्ती नहीं किए। एक वर्ड यूज करना चाहता हूं, एक साल में लगभग 5 हजार थर्ड ग्रेड टीचर रिटायर होते हैं, दो साल हो गए आज दो साल बाद रिटायर होंगे, मैं चाहता हूं कि यह फीगर भी आप देखें। मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे ज्यादा कम्पीटेण्ट कोई आदमी नहीं है, आप आगे की कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बहुत कम्पीटेण्ट हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपको बताना चाहता हूं फीगर कि आपको भी ध्यान रहे, भारत सरकार से, मैं बता रहा हूं नवीं योजना, दसवीं योजना, ग्यारहवीं योजना में सर्व-शिक्षा अभियान में भारत सरकार से पैसा मिल रहा है 1583.93 करोड़ रुपए और अध्यक्ष महोदय, राज्य का हिस्सा था 448 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने कण्ट्रीब्यूट किया खाली 227 करोड़ रुपए और 1584 करोड़ के अगेंस्ट में टीचर भर्ती कर दी, फिजीकल असेट क्रिएट कर दी, फलां कर दिया, भारत सरकार के 1583 करोड़ में इस सरकार ने दिसम्बर तक 1077 करोड़ खर्च किए हैं केवल, 500 करोड़ कम और 500 करोड़ रुपए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं, आप अच्छा काम कर रहे हैं पर सदन को सही बात क्यों नहीं बताते। राजीव गांधी पाठशाला पांचवीं तक की पढ़ाई कराती है या नहीं कराती है, आप बताएं मुझे, पांचवीं तक पढ़ाई कराती है। हां, एक टैक्नीकल गलती हो गई जिसका फायदा आप उठा रहे हैं कि हमारे समय में सरकार को राजीव गांधी पाठशाला के पैरा टीचर का पैसा लेना था उसमें उन्होंने सतत शिक्षा केन्द्र के नाम से प्रति छात्र 500 रुपए चार्ज कर लिए, सर्व -शिक्षा अभियान में, उसमें यह लिखा हुआ है कि दो साल बाद थर्ड ग्रेड की पोस्ट दी जाएगी, हमारी सरकार गई तब माननीय शिक्षा मंत्रीजी हमने 30 हजार पोस्टें निकाली, कोर्ट के स्टे के कारण नहीं हो पाया, आपने कोशिश की,

(डा. सी. पी. जोशी)

आपको धन्यवाद। इसमें इश्यू था वह यह था, कल्ला साहब उस समय शिक्षा मंत्री थे, वे बताएंगे, 75 प्रतिशत राजीव गांधी पाठशालाओं से लेंगे, 25 प्रतिशत डाइरेक्ट को लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जोशीजी, आप सही-सही बताएं। 30 हजार नहीं, आपने साढ़े सात हजार निकाली थी, उसमें 75 प्रतिशत रिजर्वेशन था पैरा टीचर्स के लिए, जो रुक गई थी, यह है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): चलो, मैं फीगर ले आऊंगा। पहले अपन इस पर आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। घनश्यामजी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, 1999 से लगाकर 2003-04 तक पांच-पांच हजार टीचर रिटायर हुए हैं, हमने तो भर्ती नहीं की। आपने तो भर्ती की है अब, प्लान की 20 हजार पोस्टें तो आपके खाली पड़ी है, मेरे पास जानकारी है, राज्य सरकार शिक्षक ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): दो साल में रिटायर नहीं हुए हैं हमारे आने के बाद में।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं आपकी कहां कह रहा हूं, मैं तो अपनी सरकार की कह रहा हूं। I have not said your 'Sarkar. I have said 'Hamari Sarkar.' हमारी सरकार जो थी, उस सरकार में 5 हजार टीचर पर ईयर रिटायर होते थे, पांच साल में 25 हजार होते हैं। आज की डेट में फीगर करेक्ट कर लें, आज की डेट में, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, राज्य सरकार की 21 हजार प्लान की पोस्टें जिसका पैसा आप नोन प्लान में चार्ज कर रहे हैं, खाली पड़ी हुई है और राजीव गांधी पाठशाला, आप वाह-वाही ले रहे हैं, शिक्षा सहयोगियों के नाम पर आप वाह-वाही ले रहे हैं, प्लान की पोस्टें खाली पड़ी है, 21 हजार थर्ड ग्रेड की उसमें भी टीचर भर्ती नहीं किया है। आप सेंटर स्पोंसर्ड स्कीम का पैसा ले रहे हैं, 1583 करोड़ रुपए उसमें 500 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, यह आपके शिक्षा का है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप चिकित्सा का भी देख लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अजी, आम खाने हैं कि पेड़ गिनने हैं, मुझे भर्ती करने हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुझे आम भी नहीं खाने हैं, पेड़ भी नहीं गिनने हैं, हम तो कांग्रेसी मूर्ख हैं, राजीव गांधी का नाम हटाने के लिए मूर्ख नहीं हैं, राजीव गांधी पाठशाला का नाम भी हटावें, पैसा भी लावें, खावे माटी

(डा. सी. पी. जोशी)

का और गीत गावे बीरां का, यह कैसे हो सकता है, आप कहेंगे तो कहना पड़ेगा, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बात तो साफ कहनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हैल्थ सिस्टम के बारे में, मुझे तकलीफ है इसके लिए क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी तो आल गुड इन्टेंशन, हैल्थ सिस्टम में आपके पास जो पैसा उपलब्ध है, 472.58 करोड़ रुपए, अध्यक्ष महोदय, कितना खर्च किया, प्रथम वर्ष खर्च किया 238 करोड़ रुपए और 2005-06 में आपने प्रोविजन रखा है 52.79 करोड़ ही और अभी दिसम्बर तक खर्च किया 16.63 करोड़ रुपए, यह आपके हैल्थ सिस्टम में है जिसमें गरीब आदमी के लिए सर्विसेज का स्ट्रेंथन करने के लिए आप काम करेंगे, उसका खर्चा बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अपने पहले बजट में मुख्य मंत्रीजी ने, आप चैक कर लें, उसमें प्रोविजन किया है 79 करोड़ का, 2004-05 में कर दिया था, 2005-06, 2006-07, यह बताएं कि सरकार ने यह प्रोविजन, आपके पैसा आने के बाद इसमें खर्च इतना कम क्यों हुआ, यह हैल्थ सेक्टर का बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें आंकड़े देखें हैं, हमने 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा कर दिए, इण्डस्ट्री में रोजगार पैदा कर दिया, इण्डस्ट्री का भी मुझे बताना जरूरी है, नहीं तो कहेंगे घनश्यामजी कि मेरी ही बात कर रहे हो इण्डस्ट्री की बात नहीं कर रहे हो। इण्डस्ट्री की बात करना बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्री की बात नहीं करूंगा तो मैं न्याय नहीं करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो चीजों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैम एण्ड ज्वैलरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 2004-05 का है, जैम एण्ड ज्वैलरी का एस ई जेड कब तक बन जाना चाहिए था, आपने लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 2005 तक पूर्ण कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने लिखा है, अलवर जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र को नवम्बर, 2005 तक पूर्ण कर देंगे। यह मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर में दूसरा एग्रो फूड पार्क 2005 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2005 में क्या तीनों पूर्ण हो गए, यह इनसे पूछ लीजिए, इसमें भी यह बात लिखी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा है कि पापुलिस्टिक मेजर लेने के लिए प्रोविजन कर दिया इसलिए मैं

(डा. सी. पी. जोशी)

यह कहना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान बहुत विनम्रता से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, इसको अदरवाइज न लें, आप अपने बजट भाषण 2006-07 को पिछले बजट भाषण से कम्पेयर करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत इन्टरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा ...(व्यवधान) हां, लम्बा भाषण तो होगा, कड़वी बातें लम्बी सुननी पड़ती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मंत्रीजी का पहला भाषण था इसमें उन्होंने लिखा कि हमने प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं, विजन बनाया है, एक डाक्यूमेण्ट बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्राथमिकताएं निर्धारित की, वह क्या-क्या हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी, ढ़ाई साल हो गए हैं, इसलिए उन प्राथमिकताओं को याद दिलाना बहुत जरूरी है। मेरी यह परिकल्पना है कि राजस्थान समग्र रूप से विकसित राज्य बने, जन साधारण की अपेक्षाओं को सुलभता से पूर्ण कर जन विश्वास की पुनर्स्थापना करना हमारी योजना तथा शासन प्रणाली का प्रमुख अंग होगा, इसको मूर्त रूप देने की दृष्टि से हमने शासन की बागडोर सम्भालते समय विभिन्न विकल्पों पर विचार कर पांच वर्ष की रूपरेखा तैयार की है जो हमारे विजन डाक्यूमेण्ट में परिलक्षित होती है। इसके अन्दर हमने राज्य के विकास की दिशा निर्धारित करने की दृष्टि से 6 प्राथमिकताएं चिह्नित की है, हमारे बजट प्रस्ताव भी इन्हीं प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। दरिद्रता तथा कुपोषण, भूख से मुक्ति, अशक्त महिलाओं को सम्बल, मानवीय संसाधनों का विकास एवं सामाजिक आधारभूत संरचना में वृद्धि, रोजगार सृजन, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संरचना, अच्छा शासन, राजकोषीय सुधार, आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री बनने का मेंडेट जो मिला उसके जोश में जो भाषण दिया, मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें नोट किया, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इसमें मुख्य मंत्रीजी ने जो एक सबसे अच्छी बात कही है, वह यह कही है, शायद मुख्य मंत्रीजी को ध्यान नहीं होगा, वह अपना रिकार्ड कम्पलीट कर लें, पैरा 21 में जन सहभागिता की बात, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे तो जन सहभागिता लेंगे, भरतपुर में एससी, एसटी का होस्पिटल बनाएंगे तो जन सहभागिता लेंगे, डे केयर सेंटर के लिए जन सहभागिता लेंगे, पर्यटन स्थलों के लिए जन सहभागिता लेंगे, पंचगव्य के लिए जन सहभागिता लेंगे।

(डा. सी.पी. जोशी)

आपने ऐसा कौनसा क्षेत्र वाक ऑफ लाइफ का छोड़ा है जिस वाक ऑफ लाइफ में जन सहभागिता की बात नहीं की है? आपने अंत में अच्छी बात कही। आपने कहा हमारा यह आय-व्ययक अनुमान समन्वय (को-आपरेशन), समेकन (कंसोलिडेशन) एवं सहभागिता, madam, should I reveal it like this? Confrontation, conciliation and collaboration? यह आपका कोलोबोरेशन है? We want collaboration. जो आपकी इन्टेंशन है। कोलोबोरेशन चाहते हैं, पर अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताइए आपके इस बजट में माननीय मुख्यमंत्रीजी, मैं एक अच्छी चीज कोट करना चाहता हूं क्योंकि मैं कुछ मामलों में आपका बहुत प्रशंसक हूं, दृढ इच्छाशक्ति, आपमें काम करने के प्रति है, पर दृढ इच्छाशक्ति कहां होती है वह भी मैं चाहता हूं सदन को मालूम होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्रीजी के भाषण का पैरा 102 कोट कर रहा हूं- ''आस्था का सम्मान करना व कला को प्रश्रय देना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी है। गत दो वर्षों में पर्यटन, कला एवं संस्कृति हेतु आयोजना मद में 66 करोड़ 30 लाख रुपये आवंटित किये गये। अगले वित्तीय वर्ष में आयोजना मद में 50 करोड़ 3 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।'' व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए आपने 50 करोड़ का प्रोविजन किया है। आपने गुरु गोलवलकर के नाम पर पहले साल में दो करोड़ का प्रोविजन किया है। श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक पैसे का प्रोविजन नहीं किया है। दीनदयाल उपाध्यायजी के नाम पर एक पैसे का प्रोविजन नहीं किया। हमारी व्यक्तिगत निष्ठा जहां पर है वहां व्यक्तिगत निष्ठा के अंदर 50 करोड़ का प्रोविजन है। जहां हमारी निष्ठा होनी चाहिए उन निष्ठाओं के संबंध में तीन बजट में माननीय मुख्यमंत्रीजी, आपकी व्यक्तिगत निष्ठा मैं कहना चाहता हूं ये घनश्यामजी, देवनानी साहब और मदनजी दिलावर बैठे हुए हैं, निष्ठा को याद दिलाना चाहता हूं कितनी निष्ठा है? व्यक्तिगत निष्ठा विचारों की निष्ठा से ऊपर है? व्यक्तिगत निष्ठा विचारों से ऊपर उठ जाएगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। व्यक्ति बड़ा होने के बाद लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैंने कोट किया है कि आपने सारे पैरा में कहीं बात नहीं लिखी यहां आपने लिखा मेरी व्यक्तिगत। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी कुछ व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं, पर लोकतंत्र में सामूहिक विचार के आधार पर पार्टी बनती है। विचारों के आधार पर प्रतिबद्धता होनी

चाहिए, उस पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। व्यक्तिगत लाइकिंग, डिसलाइकिंग पर नहीं होना चाहिए, यही बात मैं कहना चाहता हूं। आप जितने साथी बैठे हुए हैं लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, विचारों को मजबूत करना चाहते हैं। विचारों को मजबूत करने के लिए अभी हमने देखा क्या प्रोविजन किया? पहले साल में दो करोड़ रुपये गुरु गोलवलकरजी के नाम पर किया। अब किया 20 करोड़ रुपया। आज भी श्यामाप्रसादजी मुखर्जी के नाम पर कहा कि हम इन्वेंशन करने वालों को अवार्ड देंगे। दीनदयालजी उपाध्याय के नाम पर आदर्श गांव की व्यवस्था करेंगे, पर आपने ढाई साल हो गए दीनदयालजी उपाध्याय के नाम पर आदर्श गांव क्या होगा, कैसा होगा, कितना प्रोविजन होगा इसमें मेंशन कर रखा है ...(व्यवधान) अब आप मुख्यमंत्रीजी, इनको समझा दो किसमें रखूं, व्यक्तिगत में रखूं या किसमें रखूं? इसको मैं कहां रखूं? किस स्थान पर रखूं?

माननीय मुख्यमंत्रीजी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने इसलिए कहा मैं एक-एक I have gone through each and every line and word. जो भाषण है माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रोविजन में गुड इंटेंशन, आपके मन में कल्पना कभी डेफर नहीं करती, आपके मन में गरीब के प्रति भी कल्पना है, आपके मन में महिला के प्रति भी है, आप गरीब आदमी का, शिड्यूल्ड एरिया का भी समग्र विकास करना चाहते हैं। समग्र विकास में माननीय मुख्यमंत्रीजी, प्लान एक्सपेंडीचर झालावाड़ में जितना हो रहा है, कोई बोलेगा नहीं, करना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं आप। आपका कोई आधार है 300 बैड का होस्पिटल बना रहे हैं झालावाड़ में? What is the number of out-door patients? How many out-door patients are there? आउटडोर पेशेंट उसका आधार नहीं बनना चाहिए? मुख्यमंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र में 300 का क्यों बने, 500 का बनना चाहिए। मुख्यमंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र में कलक्टर का भवन अच्छा क्यों नहीं बनना चाहिए, बहुत अच्छा बनना चाहिए। मुख्यमंत्रीजी के क्षेत्र में क्यों नहीं खेल का मैदान अच्छा बनना चाहिए? सब चीज बननी चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है मुख्यमंत्रीजी, पर राजस्थान का वह गरीब आदमी, शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स का आदमी, उसके प्लान आउटले को आपने बढ़ाया? आज भी मदनजी दिलावर, समाज कल्याण मंत्रीजी बैठे हुए हैं 15.96 , क्यों? आज हमारा कितना पैसा इसमें खर्च हो रहा है?...(व्यवधान) अब आपका नम्बर आ रहा है, आप भी लाइन में हो।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): एक सेंटेंस कहना चाहता हूं राजस्थान में 50 साल में मेवाड़ में क्या किया? मुख्यमंत्रीजी ने तो ढाई साल में झालावाड़ में कुछ नहीं किया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्रीजी, नम्बर है क्या इनका? अगर इनका नम्बर हो तो मैं नहीं बोलूं?

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): कांग्रेस के शासनकाल में मेवाड़ में चाहे मोहनलाल जी सुखाड़िया हों, चाहे हरिदेव जी जोशी हों प्लान का सारा पैसा आपने मेवाड़ में खर्च किया है, झालावाड़ तो बहुत पिछड़ा हुआ है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्रीजी, इनका नम्बर हो तो कमेंट नहीं करूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, उनके सलाहकार आप ही थे इसलिए सारी गड़बड़ हुई है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुख्यमंत्रीजी बैठे हुए हैं, मैं अंत में दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है हमारा जो मेजर टैक्स कलक्शन हो रहा है वह माइन्स से, आबकारी से हो रहा है। मैं चाहता हूं ईमानदारी से आप इस कारटेल को तोड़ने का काम करें। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए आबकारी विभाग के। आबकारी विभाग में जितना पैसा बढ़ा है उसका हिसाब-किताब उठाकर देख लें, आप माइन्स में उठाकर देख लें 700 करोड़ के लगभग हम रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, आबकारी में 1200 करोड़ रुपये हम कर रहे हैं। क्या सरकार कारटेल तोड़ने की स्थिति में है? सरकार हमारी हो या किसी की हो आज अध्यक्ष महोदय, कारटेल बनाकर राजस्थान के रेवेन्यू को अपनी जेब में रखने का काम किया जा रहा है। यह राजस्थान सरकार के लिए ठीक नहीं है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, एक ओर टैक्स रेवेन्यू और माइन्स की नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यदि राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्रीजी, आपमें जो विल है उस विल को आप, एक तो अंग्रेजी में कहते हैं जीनियस, एक कहते हैं परवर्टेड जीनियस. You have capacity. आपमें विल टु एक्ट है, पर विल टु एक्ट किसके लिए है? घनश्यामजी के लिए? विल टु एक्ट इनके लिए क्यों नहीं हो सकती? विल टु एक्ट यहां लगानी पड़ेगी कि कैसे हम इस कारटेल को तोड़कर रेवेन्यू को जनरेट करने का

(डा. सी. पी. जोशी)

काम करें। यदि हमने यह काम नहीं किया तो आने वाले समय में राजस्थान में लोकतंत्र बहुत कमजोर हो जाएगा।

आज शराब की नीति के संबंध में क्या हो रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज माइन्स के संबंध में जो टोलटैक्स लगा उसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आज आपको रेवेन्यू बढ़ानी हो तो निश्चित तौर पर इसके संबंध में व्यवस्था करनी चाहिए।

मुख्य मंत्रीजी, मैं कोट नहीं करना चाहता वैट के संबंध में। आपने वैट के संबंध में क्या बातें कही हैं? आप लगाना नहीं चाहते थे। वैट लगने के बाद आज क्या स्थिति बनेगी? क्या वैट लगने के बाद चार परसेंट से दो परसेंट करेंगी तो आपका ग्रांट कम आएगा या नहीं आएगा? क्या हरियाणा के अंदर डेफरमेंट पेमेंट हो रहा है? यहां क्या इन्वेस्ट पेमेंट होगा? यह वैट के संबंध में बहुत मोटे-मोटे मुद्दे हैं, दो-ढाई साल का आपको समय मिला था, इन सब चीजों को सोचना चाहिए था। यदि वैट हम पहले लागू कर देते तो हरियाणा में आज 25-30 परसेंट का रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा बढ़ा है हमारा ज्यादा होता। हमने यह काम क्यों नहीं किया? इस संबंध में भी आपको निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कहा, आपने जो काम किया, मैंने प्रश्न पूछा था रिडकोर के संबंध में। I am fully aware. आपने इसमें एफआरबीएम में भी लिखा है, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट लाइए। मैं आपकी बात से सहमत हूं but why don’t you come out with a policy? What is your policy? मैंने आपसे प्रश्न पूछा मैं इसे कोट करना चाहता हूं। ‘'क्या यह सही है कि सरकार राज्य में चार सड़कों का निर्माण पब्लिक प्राइवेट योजना के अंतर्गत करा रही है? जी हां। यदि हां तो 31 मार्च, 2006 तक इन सड़कों के निर्माण हेतु कितनी राशि योजना के वित्तीय भार का आकलन किया गया तथा यह संपूर्ण योजना का कितनी प्रतिशत राशि का होगा?'' इसका जवाब दिया- ‘'राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ अंश राशि के रूप में 120 करोड़ रुपये की राशि आवंटन ऋण के रूप में रिडकोर को दी गई। 125 करोड़ रुपये ऋण। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम जा रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाने के बाद हम 125 करोड़ रुपये क्यों दें? वे बाजार से बोरो करके इन्वेस्टमेंट करते। मैं समझता हूं मुख्यमंत्रीजी का इंटेंशन ठीक हो सकता

(डा. सी. पी. जोशी)

है, पर मुख्यमंत्रीजी को इस संबंध में कोई पालिसी बनाकर निर्णय करना चाहिए जिससे राजस्थान में जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, मैं कहना चाहता हूं 5 करोड़ की इक्विटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा कंपनी का गठन करने हेतु 5 करोड़ की अंश राशि प्रथम दी गई। इस 5 करोड़ की पूंजी में एक हजार करोड़ का काम? मैं उस कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी पर इंटेंशन नहीं लगाता, मुख्यमंत्रीजी पर मैं इंटेंशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह कौनसा तरीका है कि 5 करोड़ की इक्विटी में एक हजार करोड़ का काम दे दें और उसमें 125 करोड़ रुपया हम ऋण के रूप में दें। यह राजस्थान के इंट्रेस्ट में है? हमारे पास तो पैसा नहीं है। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्रीजी, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम करें, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर यदि हम इस तरह का काम करते हैं तो उससे हमारा भला नहीं होगा, हमारे स्टेट का जो 125 करोड़ रुपया जा रहा है, आपने कैसे नियम और कानून बनाये, मझे मालूम नहीं, पर मैंने एमओयू में पढ़ा है आपने उस प्राइवेट आदमी को सीओ बना दिया, वही टेण्डर करेगा, वही फैसला करेगा, फिर किस तरह की कंपनी है, गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। हम बजट पास कर रहे हैं एक हजार करोड़ रुपये की रोड बनेगी, चार रोड एक हजार करोड़ की अपग्रेड बनेगी विद गुड इंटेंशन। आप राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहते हैं, धन्यवाद, पर एक हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने में पांच करोड़ की इक्विटी के संबंध में हमने फैसला कर लिया। मैं समझता हूं भारत सरकार की भी एक पालिसी है, आप पालिसी बनाकर कोई निर्णय करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

सेज के बारे में, I am for SEZ. I never said that I am not for SEZ. But what is SEZ? इस सेज को समझने के लिए निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्रीजी को कोई पहल करके आगे आना चाहिए जिससे आपकी इंटेंशन मूर्त रूप ले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के लिए जयपुर में तकलीफ है। अब सेज में पानी कहां से आएगा? आज इतने मल्टीफ्लैक्स यहां पर आ रहे हैं। क्या हमें मालूम नहीं है ये सब आने के बाद इन लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था क्या होगी?

मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मुख्यमंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जेडीए के अंदर जो जमीन है और जेडीए ने जिन पंचायतों की

(डा. सी. पी. जोशी)

जमीन लेकर डवलप कर रहा है वहां का सरपंच जेडीए के बड़े-बड़े बिल्डर्स के प्लान अप्रूव कर रहा है। अब पंचायत की बात बताएं पंचायत के पास कौनसा तरीका है बड़े-बड़े बिल्डर्स का प्लान अप्रूव करे। बड़े-बड़े प्लान जिसमें 100 करोड़, 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे वह प्लान पंचायत का एक सरपंच अप्रूव कर रहा है। आपका जेडीए का कोई नियम, कानून लागू नहीं है, बहुत कम पैसे में कन्वर्जन हो रहा है, उस पैसे का उनको फायदा मिल रहा है और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पानी की व्यवस्था आप करें, सड़क की व्यवस्था आप करें, पीने की दूसरी व्यवस्था आप करें।

मैं समझता हूं कि इस संबंध में आपको भी फैसला करना चाहिए कि यदि जेडीए के अन्दर गांवों में काम करें तो जेडीए का जो कन्वर्जन का काम है वह पंचायत के अन्दर भी कम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्राविजन है, राजस्थान सरकार यह काम कर सकती है लेकिन राजस्थान सरकार को जेडीए से प्लान बनाकर पंचायत और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से पास करवाना चाहिए, आपने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से पास नहीं करवाया, आपने जो कांस्टीट्यूशन प्रोविजन विजन है उसका क्या कर रखा है, मैं समझता हूं कि यह भी आपकी आवश्यकता है कि जेडीए से पैसे को अरेंज करें, एक हजार करोड़ रुपये में से 30 परसेंट आपको मिलेगा, तीन सौ करोड़ की आपको लिक्विडिटी मिलेगी, आप अच्छा कर रहे हैं, आपने व्यवस्था की लेकिन वह व्यवस्था करने से कांस्टीट्यूशन में जो प्रोविजन है, अध्यक्ष महोदय, उसका वायलेशन होगा, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिए ग्रीन टैक्स के संबंध में वाटर रेग्युलेशन टैक्स के संबंध में, लैंड टैक्स के संबंध में लगाया है लेकिन इसके संबंध में अभी वातावरण बनाने की आवश्यकता है, आप खाली एक ग्रीन टैक्स की व्यवस्था कर दें। ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं चाहती तो मैं बैठ जाऊंगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ...(व्यवधान) If you don't wish, I won't speak it. (व्यवधान)... नहीं मुझे कोई यह नहीं है, मैंने अध्यक्ष महोदय, से परमिशन ली है। I will sit down. If you don't want to hear the truth, don't hear. आप पावर में हैं, आप जो चाहोगे वह करेंगे, मेरी तो ड्यूटी बनती है कि आपका ध्यान आकर्षित करूं इसलिए आप महावीरजी को लिख कर दें, मैं महावीरजी से कह रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो चुपचाप सुन रहे हैं कि आपको मत डिस्टर्ब न करें। पर मैंने तो समय सीमा, हम एक सवा घंटे से सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का समय नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह पहली बार ही है ? माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण एक एक घंटा आगे नहीं बढ़ता है, नहीं सुनना है तो बैठ जाऊं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं सुनने का सवाल नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह तो हमने पहले ही आपसे परमिशन ली है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): I am on a point of order.

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने तो आसन को केवल समय सीमा का ध्यान दिलाया है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इतना लम्बा समय तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय को ही मिल सकता है। ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि कोई भी सदस्य बोले उसमें कोई व्यक्ति व्यवधान नहीं डाले, चीफ व्हिप व्यवधान डाल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सदन की परम्परा रही है, अध्यक्ष महोदय, कि जब कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री से पहले विपक्ष की तरफ से बोलता है तो उसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं रहती। न मुख्य मंत्री के लिए है, न इसके लिए समय सीमा निर्धारित है इसलिए उनको तो कम से कम व्यवधान बिलकुल नहीं डालना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज तक मुख्य मंत्री जी से पहले प्रतिपक्ष के नेता महोदय ही बोलते आए हैं। ...(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता के लिए थोड़े ही है। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सामान्य सदस्य को कभी भी इतना लम्बा समय नहीं मिला। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना एक ही है । ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ढाई घंटे तक बोले हैं लीडर आफ अपोजीशन। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम लीडर आफ अपोजीशन को सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना है, प्रतिपक्ष के नेता के पास मौलिक सुझाव भी हैं, इनका चिन्तन भी है, इनका लम्बा राजनीतिक जीवन भी है, अनुभव भी है, सारा सदन प्रतिपक्ष के नेता को बजट की बहस पर मुख्य मंत्री से पहले सुनना चाहता है। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आज शिवनाथ सिंहजी भी आए हुए हैं। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जिस प्रकार माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपका भाषण सुनने के लिए सब आतुर हैं और सी.पी. जोशीजी बार बार इस तरीके से, ऐसे ओरिजनल पोस्ट पर ही बैठ जाओ, फिर इस तरह से भाषण देना हो तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और अध्यक्ष महोदय, आज दर्शक दीर्घा में भी झुंझुनूं और मंडावा क्षेत्र के भी लोग आए हुए हैं और उनकी इच्छा है प्रतिपक्ष के नेता को सदन में बोलते हुए सुनें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिनका चिन्तन नहीं है वह केबिनेट से बाहर हैं और जिनका चिन्तन है वह केबिनेट के अन्दर है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, सभासदों की भावना है कि वह आपको सुनें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभासदों की भावना, अध्यक्ष महोदय, मैं कद्र करता हूं लेकिन आज बोलने का समय हमने तय कर दिया था सी.पी. जोशी के लिए, आगे जो बोलें आप।

श्री अध्यक्ष: जैसी मर्जी आपकी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार हो रहा है, आज तक हुआ हो तो बता दीजिए आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले भी हुआ है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): और आप जितना मौलिक सोच रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पर यह आपके खिलाफ षड़यंत्र है, मैं आगाह करना चाहता हूं। यह धीरे धीरे जिस तरह से आज समय ले रहे हैं उसी तरह किसी दिन कुर्सी ले लेंगे आपकी। ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में भी ऐसा ही कहा था विपक्ष के नेता ने कि मैं बजट पर बोलूंगा, अभिभाषण पर भी नहीं बोले, बजट पर भी नहीं बोल रहे हैं, अब जोशीजी पूरा टाइम ले रहे हैं, अब जोशीजी का क्या है, विपक्ष के नेता को हम सुनना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे खिलाफ षड्यंत्र है और उसकी पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को बड़ी चिन्ता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, मेरे पड़ोसी हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप चिन्ता न करें, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है, हमने निर्णय किया है कि आज लीडर आफ दी हाउस से पहले हमारी पार्टी की तरफ से सी.पी. जोशी हमारे मुख्य वक्ता होंगे और मुख्य मंत्रीजी को जिस तरह से आपने हमको सुना, ऐसे ही हम मुख्य मंत्रीजी को और ज्यादा अटेंशन से सुनेंगे। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष आप परम्पराएं नई बना रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय कहा था कि मैं बजट भाषण पर बोलूंगा, अब हम उनको सुनने की तैयारी में आए हैं। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप ठीक कहते हो, आपकी इच्छा थी और मैं भी बोलना चाहता था लेकिन हमने निर्णय कर दिया कि सी.पी. जोशी ही बोलेंगे। ...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत लोगों को बोलना है। ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आपका भाषण इतना नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिए, यह त्याग की भावना का अनुपम उदाहरण है, तय हो चुका था। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप भाषण तक ही रहना, आगे मत बढ़ना। ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): इतना ही त्याग है तो गाड़ी घोड़े भी दे दो। ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इस प्रकार से आप प्रोवोक नहीं कर सकते हैं। ...(व्यवधान) आप प्रोवोक करके पार्टी में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। वैसे सदन में नेता और प्रतिपक्ष के नेता दोनों की ही जिम्मेदारी होती है कि सदन की भावना का सम्मान करें। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय को बाध्य किया गया और उनको रोका गया बोलने के लिए। ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी भावना ऐसी है तो प्रतिपक्ष के नेता एप्रोप्रिएशन बिल पर निश्चित रूप से बोलेंगे और आपकी जो अन्दरूनी भावना है, जिसे हम समझ रहे हैं उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इस बात को मखौल में न उड़ाएं, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रही हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं भी बहुत गंभीरतापूर्वक इस बात को कह रहा हूं, मैं मखौल नहीं उड़ा रहा। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह गलत परम्परा है। ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होना चाहिए। ...(व्यवधान) धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य, इस सदन की कुछ परम्पराएं हैं और उन परम्पराओं का निर्वहन होना चाहिए। आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट भाषण और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रतिपक्ष के नेता नहीं बोले हों। ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जोशीजी की बात याद दिलाना चाहता हूं। हरिदेव जोशी कई बार नहीं बोले। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भैरोंसिंह जी नहीं बोले, कटारिया साहब बोले हैं। ...(व्यवधान) क्या बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): भैरोंसिंहजी स्वयं नहीं बोले, आप रिकार्ड देखकर इसको करेक्ट कर सकते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, ठीक है, ना सही।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय ने उस दिन भी कहा था कि जिस दिन आप कठोर नजर आ रही थी कि मैं जब तक आप चाय पिलाने के लिए नहीं बुलाएंगी तब तक नहीं बोलूंगा। आपने चाय पिलाई नहीं तो कैसे बोलेंगे ? ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मंडावा क्षेत्र से सैकड़ों लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, एक भी तो नहीं है, आपकी सच्चाई देखिए, आप कितना प्रतिशत सच बोलते हो। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह चले गये जब उनको पता लगा कि नहीं बोलने दे रहे हैं तो क्या करें ? ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बजट भाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष पहले बोलते रहे हैं लेकिन यह परम्परा टूटती चली गई 77 से शुरू हुई और नेता प्रतिपक्ष नहीं बोले और खेतसिंहजी बोले तो यह परम्परा टूटी है, बहुत बार परसरामजी नहीं बोले, बहुत बार हरिदेवजी जोशी नहीं बोले तो यह कोई हार्ड एण्ड फास्ट चीज नहीं है और मैं तो बोलना चाहता था, तय हो गया था लेकिन सी.पी. जोशी ने स्पेशल तौर से कहा नहीं, मेरे को बोलने दो, हमने निर्णय कर दिया, शिव चरणजी माथुर भी बोलना चाहते थे लेकिन हमने निर्णय कर दिया, सी.पी. जोशी बोलेंगे। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, आप खड़े हो गये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और एक यह बात भी सही है कि एक बार किसी ने यह बात कही, किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आपका रूख बहुत कठोर था, यह भी एक कारण था कि मैं नहीं बोलूंगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज तो जोरदार बात कह दी। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्योंकि आप बीच में टोकेंगे और कोई नया झगड़ा पैदा हो जाएगा इसलिए एक माननीय सदस्य ने कहा, जुबेर खानजी ने कहा, हमारी पार्टी के चीफ व्हिप ने जो बात कही उसमें कुछ सार है और मेरा मन भी नहीं था क्योंकि आपके साथ जो वाद विवाद हुआ उसकी वजह से आपकी कठोरता और बढ़ सकती थी इसलिए मैंने कहा नहीं, विवाद नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष: तो आप वही बातें दोहराते ? ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और सी.पी. जोशी पर आप बहुत दयालु हैं और आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आगे आप बुलवाएंगे उस पर मैं बोल लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है बोलने में, अब भी आपकी इच्छा है तो मैं बोल सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: मेरी भावना का सवाल नहीं है, सदन की भावना से अवगत कराया था मैंने आपको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): भावना कुछ नहीं है, वह तो मजाक करना था आपको।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रीजी का तो सिर्फ इतना ही कहना था कि परम्पराएं जब भी टूटी हैं, यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही टूटी हैं। चाहे जितनी भी बार बोले हैं, प्रतिपक्ष के नेता बी जे पी जब प्रतिपक्ष में बैठी...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): भैरोंसिंहजी के वक्त में भी कटारिया साहब बोले हैं, हमने खुद ने सुना है इस सदन में। बिलकुल हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बहुत नये हैं। कुंवर साहब, आप बहुत नये हैं, you are very new to this House. आपके फादर-इन-लॉ ने परम्पराएं तोड़ी हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): यह आप रिकार्ड देखकर के बता देंगे तो मैं हाउस के अन्दर ही गलती मान लूंगा। नहीं हुआ कभी ऐसा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): देख लेना रिकार्ड।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): दूसरा कौन बोल जाएगा, खुद ही बोलने का मौका नहीं देते थे। क्या बात करते हैं, ऐसी गलती हो सकती है क्या ?

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं।

लीक लीक सबहिं चले लीकहि चले कपूत।

बिना लीक तीनहि चले, शायर, सिंह, सपूत।।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): जिस विनम्रता के हिसाब से प्रतिपक्ष के नेता से आप आग्रह कर रहे हैं तो आज तो उनको बोलना चाहिए था। आज तो आप बड़े विनम्र हैं इनके प्रति।

श्री अध्यक्ष: अब आप इस बात को छोड़िये और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण सुनें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जब वसुंधराजी को अध्यक्ष बनाया, जिन लोगों को तकलीफ है वह आज तक भी जारी है। वो मुख्य मंत्री बन गईं, उनकी पार्टी का फैसला है, हमने तो नहीं पूछा, आज भी नहीं पूछ रहे हैं कि आपका झगड़ा क्या है तो हमसे क्यों पूछ रहे हो ? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, अब आज की डेट में कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे सरकार हमारी हो, चाहे आपकी सरकार हो, एफ आर बी एम के अन्तर्गत हमें काम करना है। जब एफ आर बी एम के अन्तर्गत काम करना है तो सबसे आवश्यकता इस बात की है कि how to reduce revenue expenditure. अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यु एक्सपेंडिचर को घटाने का तरीका एक ही है कि हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकें। अब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को डिफाइन कौन करे ? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को डिफाइन करने का तरीका हमने निकाला कि बाहर के लोग सैक्रेटेरिएट में आये, सैक्रेटेरिएट ठीक होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम। मुख्य मंत्री का निवास अच्छा होना चाहिए, बाहर का आदमी देखे तो यह करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी, गांव का गरीब आदमी जो पटवारी से तकलीफ में है, जो पुलिस के आदमी से तकलीफ में है, कभी आपने जाकर के देखा कि वो ग्राम सेवक और पटवारी किस कमरे में रहता है, उस गांव के गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलता है, उसका कमरा ठीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहां बैठकर न्याय करने की व्यवस्था

(डा. सी. पी. जोशी)

ठीक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ? 40 करोड़ रुपये खर्च करके जिस तरह से कला संस्कृति में आपका कमिटमेंट है, ठीक उसी प्रकार पंचायत को पावरफुल नहीं करते हैं, पंचायतों को पावरफुल करके पंचायत समिति में बैठने वाले कार्यालय को आप इस तरह का नहीं करते हैं कि गांव का गरीब आदमी वहां जाकर के अपना निर्णय करवा सके, न्याय कर सके, वो भी एक सुन्दर कमरे में जाकर के बैठ सके तब तो मैं समझता हूं कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका न्याय होगा अन्यथा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए किसी न किसी को कड़वी बात कहनी पड़ेगी। माननीय भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकने के लिए कमेटी बनाई थी। आज स्वर्गीय यतीन्द्र सिंहजी नहीं हैं, उनकी चेयरपर्सन में कमेटी बनाई थी। आज मुझे बताइये कि ढाई साल आपको हो गया, आपको मालूम था कि 2004 में 12वां फाइनेंस कमीशन आ गया, आप एफ आर बी एम को लागू कर रहे हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं ? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए निश्चित तौर पर सरकार को कोई काम करना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको एक बहुत अच्छा शौक है आई टी का। I think, I.T. is the solution. आई टी में हम किस तरह से टेली एजुकेशन और टेली मेडिसन से कैसे रेवेन्यु एक्सपेंडिचर को रोकें उसके सम्बन्ध में हमें इनोवेटिव आइडियाज करने की जरूरत है। आज यदि हम नीचे लेवल की डिस्पेंसरी को डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल से लिंक कर दें, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल से हम एस एम एस को लिंक कर दें, आज जो कालेजेज हैं, यूनिवर्सिटी को कालेज से लिंक कर दें, आई टी के माध्यम से भी हम इन एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करें तो आई टी एक नया मीडियम हो सकता है जो आने वाले समय में हमारे रेवेन्यु एक्सपेंडिचर को कम कर सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक्सक्लुजिव सर्विस की जरूरत नहीं है कि गांव में पटवारी भी होगा, गांव में ए एन एम भी होगा, गांव में कृषि पर्यवेक्षक भी होगा, ग्राम सेवक भी होगा, आज सरकार को एक्सपेंडिचर कम करना है तो हमें इंक्लुजिव सर्विस का काम करना पड़ेगा। 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी आपने निर्णय लिया कि हम कंसोलिडेट तनखाह में आर ए एस आफिसर्स, सबोर्डिनेट सर्विसेज बनायेंगे।

(डा. सी. पी. जोशी)

राजीव गांधी पाठशाला में आदमी भर्ती किये तब तो नाराज हो रहे थे आप। आज कंसोलिडेट सैलेरी के आधार पर आप लोगों को आर ए एस बना रहे हैं, आर टी एस बना रहे हैं, लोगों को नौकरी देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह क्या है ? आज आपकी 21 हजार प्लान पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। प्लान पोस्टों को आप भरें नहीं, कंसोलिडेट सैलेरी के आधार पर नया रिक्रूटमेंट का काम करना चाहते हैं। तो यह बाध्यता है जिसको हर सरकार को समझने की आवश्यकता है चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बी जे पी की सरकार हो। आपके रिक्रूटमेंट में आपके इंटेंशन हैं, भर्ती करने के बीच में एक साल का गैप है आज भी। ये देवनानी साहब बैठे हुए हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायें कि कालेज में आपने एक भी लैक्चरर भर्ती किया है ? आर पी एस सी को रिक्वीजीशन दे दिया हमने। ढाई साल से तीसरा एकेडेमिक सेशन निकल गया, एक हजार से ज्यादा कालेज में लैक्चरर की पोस्टें खाली हैं, यह हमारी पढ़ाई हो रही है। आज सैकण्ड ग्रेड के टीचर की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं फिर भी हमारी पढ़ाई हो रही है। हमारी क्वॉलिटी ऑफ एजुकेशन को ठीक करने के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। हमने जो रिक्रूटमेंट कर दिया, हमने कमरे बना दिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, जिस तरह से आपने मिड डे मील के लिए काम किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत बड़ा इनिशियेटिव लिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, I have all praise for you, पर क्वॉलिटी ऑफ एजुकेशन में भी आपको इंटरवेंशन करने की जरूरत है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेरी यह मान्यता है, आप इस एलीमेंट्री एजुकेशन को मुख्य मंत्री के पास लीजिये। एलीमेंट्री एजुकेशन में जितना आप इंटरवेंशन करेंगे उतना आने वाले समय में एच आर डी बढेगी। आज कितने एस सी एस टी को आपने साइकिलें दीं, आपने दूसरा काम किया लेकिन आज भी एस सी, एस टी का कॉलेज के अन्दर गर्ल्स का है ही नहीं, स्कूल के अन्दर नहीं है, इंटरवेंशन करने की वहां जरूरत है कि कैसे हम क्लास 8 तक बच्ची को रिटेन करें, पर्टिकूलरली एस सी, एस टी, ओ बी सी की। कैसे हम उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करें, क्या इंसेंटिव दें। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपके इंटरवेंशन की ज्यादा आवश्कता है जिससे आने वाले समय में लोग कह सकें कि जो एच आर डी राजस्थान में डवलप हुई उसमें सरकार ने अपना कंट्रीब्यूट किया। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बारे में भी सोचना चाहिए।

(डा. सी. पी. जोशी)

माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैंने एक बार पहले भी कहा, आपको फिर कहना चाहता हूं 17 लाख पापुलेशन एस टी की स्केटर्ड पापुलेशन है जो कवर नहीं है ट्राइबल के अन्दर, जो माडा के अन्दर कवर नहीं है। उसके अन्दर जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हो रहा है, ट्राइबल सब प्लान के अन्दर होना चाहिए लेकिन वो गरीब आदमी जिसने महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई लड़ी, जो कुशलगढ़ में रहता है, जो मावली में रहता है, जो बल्लभनगर में रहता है, जो बूंदी में रहता है उस आदिवासी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको भी स्टेट के अन्दर लाये, ट्राइबल सब प्लान का प्लान पैसा बढ़ायें लेकिन उन लोगों को भी इसका लाभ मिले। इसके सम्बन्ध में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को निश्चित तौर पर कोई निर्णय करना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री, एम्प्लायीज का आपको बहुत बड़ा साथ मिला, एम्प्लायीज से सरकार बदली। एम्प्लायीज की डिमांड हमने पूरी कर दी। आज भी एम्प्लॉई अपनी डिमांड के लिए एजीटेट कर रहा है। मैं समझता हूं कि यह खतरे की घंटी है, आपको समझने की आवश्यकता है। या तो हम बोल्ड होकर के कह दें कि यह आने वाली सरकार कोई भी आयेगी, निर्णय नहीं होगा और जो आपने चुनाव से पहले बात कही है वो निश्चित तौर पर एम्प्लोई आदमियों की मांग पूरी करने की आपको मांग करनी चाहिए नहीं तो आने वाले समय में हम यह नहीं कहना चाहते कि हम आपका फायदा उठाना चाहें लेकिन सरकार यदि हमें चलानी है तो निश्चित तौर पर इसके सम्बन्ध में हमें कोई नीति बनानी चाहिए जिससे आने वाले समय में यह व्यवस्था नहीं बने कि लोकतंत्र में कर्मचारी की नाराजगी से लोकतंत्र बनता और बिगड़ता है, यह भी एक सुखद संकेत नहीं है। लेकिन यदि आपने प्रोमिज किया है, चुनाव के पहले प्रोमिज किया है तो एज ए जेंटलमैन प्रोमिज निभाना चाहिए और निभाकर यह 11 प्रतिशत का डी.ए. क्या कर रखा है ? आपने दे दिया, केस दे दिया, क्यों दे दिया? एफ आर बी एम आपको कंडीशन करता है, एफ आर बी एम में यदि आप डी. ए. को रोकते हैं तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मार्केट बोरोइंग आपको सस्ती मिल रही है इसलिए आपने वो डी.ए. दे दिया। आप कह रहे हो कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। जहां आपकी कम्पल्सन है वहां फैसले कर रहे हैं।

(डा. सी. पी. जोशी)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको धन्यवाद देते हुए मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको सुनने का पेशेंस नहीं है। आप जिन संस्कारों से हैं, कोई-कोई आदमी हिम्मत करता है आपके सामने बोलने की बाकी तो कोई हिम्मत करता नहीं है। यह अनप्रिगंट ड्यूटी मुझे ही करनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो पंचायती राज को मजबूत करना जरूरी है। ढाई साल हो गये कमेटी बनाये हुए, पंचायती राज के बारे में हमने कोई निर्णय नहीं लिया। आपकी डिलिवरी सिस्टम को आप ठीक नहीं करेंगे, मुख्य मंत्रीजी, आप कितना ही अच्छा काम कर लें, सेज ले आयें, रिडकोर से सड़क बना दें, आप सैक्रेटेरिएट अच्छा कर दें लेकिन गांव के गरीब आदमी के साथ न्याय नहीं हो पायेगा। डिलिवरी सिस्टम को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को इम्प्रूव करना है तो निश्चित तौर पर इसके सम्बन्ध में भी आपको तुरन्त फैसला करना चाहिए कि पंचायती राज को आप कैसे ठीक करना चाहते हैं। आउटवर्ड, आपने इसमें लिखा है, आउटवर्ड लुकिंग होना चाहिए, आउटवर्ड लुकिंग कैसा होना चाहिए, मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी, क्रिटिसिज्म की प्रोन होगी और क्रिटिसिज्म को सहन करके ही लोकतंत्र में लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप मुख्य मंत्री बन गईं, आपको बहुत साधुवाद, लेकिन हमारी क्रिटिसिज्म को भी माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप सुनें।

अंत में अध्यक्ष महोदय, आपको कहना चाहता हूं, आपकी भावना यदि यह है तो मैं कहना चाहता हूं, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं, इन सभी योजनाओं की वास्तविक तथा समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के प्रति हम सब आने वाले समय में सतर्क व समर्पित रहें। हम तो सतर्क हैं, हम समर्पित भी हैं। हम आपकी जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं उनके प्रति समर्पित नहीं हो सकते हैं। विचारों के आधार पर आप कोई भी काम करना चाहें जिसमें गरीब आदमी को मदद मिल सकती हो, शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी को मदद मिल सकती है उसमें हमारी पार्टी आपको को-आपरेशन करने के लिए तैयार है। इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं कहना चाहता हूं, बजट की घोषणा और एक्चुअल्स में बहुत बड़ा गैप है उसको ठीक करें और एफ.आर.बी.एम. के आधार पर हम राजस्थान को आगे बढ़ाने की कल्पना करें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आपने सुना, आपने जो इतनी देर तक पेशेंस रखा उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपका भी निर्देश था और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का भी मेरे प्रति विशेष मोह उत्पन्न हुआ तो मैं भी पांच मिनट कुछ बातें बजट के बारे में आपसे निवेदन करूंगा। यद्यपि मैंने, हमारी पार्टी ने निर्णय कर लिया था कि वो ही बोलेंगे लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, मुख्य मंत्रीजी, आपने बजट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जहां तक हो सका है आपने सब चीजें एडजस्ट करने की कोशिश की है। यह जो बजट आपने बनाया है...

और यह बजट पेश करते, इससे बढ़िया बजट वह भी पेश नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। आज हालत यह है कि सारा पैसा भारत सरकार की तरफ से आता है और उसी के आधार पर सारा सब कुछ होता है। प्लान का पैसा है। आपकी खुद की आमदनी से तो एम्प्लोयीज की तनख्वाह नहीं चुक रही है। अब सी.पी. साहब कह रहे थे कि आप अपने एम्प्लोयीज पर, उन पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप उन पर निर्भर हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता लेकिन आप एम्प्लोयी को नाराज नहीं करें। आपके एम्प्लोयी आपसे नाराज होना शुरू हो गये, उनकी जो वाजिब मांग है, उन वाजिब मांगों को आपको स्वीकार करना चाहिए और जो घाटा है वह और घाटा हो जायेगा। हमारे वित्त मंत्रीजी बैठे हैं...(व्यवधान) एक तो बीमार हो गये, उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, दूसरे बैठे हुए हैं। इन दोनों को मैं कहता था कि एम्प्लोयीज की नाराजगी मोल मत लो, इनको दो कुछ। वह बोले, रामनारायणजी, कहां से दें, एक पैसा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: राय तो, सलाह तो सही दे रहे हैं आपको। सलाह तो सही दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): देखिये, हमारा राज चला गया। मैं एक किस्सा बताऊं, हमने एक पैकेज तैयार किया था बिजली का, अशोकजी गहलोत साहब ने...

श्री अध्यक्ष: सुनो भई, शोर मत मचाओ। नहीं, मैंने कहा कि शोर मत मचाओ, आपके लिए कहा कि बोलने दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप जो कुछ बोलते हैं, मुझे लगा कि मेरी तरफ आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने एक पैकेज बनाया, वह

(श्री रामनारायण चौधरी)

पैकेज मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने बहुत अच्छा बताया था, वह बिजली के बारे में था और लास्ट में जाते-जाते बिजली में काफी इम्प्रूवमेंट भी हुआ था, वह जब एक मंत्री के सामने रखा गया, मेरे से प्रिडिसर्स मुख्य मंत्री के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि यह कैसे कर दोगे, कहां से कर दोगे? तब कहा कि तुम करने की बात करते हो, यह तो मंत्रिमण्डल में आ रहे हैं प्रस्ताव लेकर, मैं कर चुका, सैंक्शन दे चुका तो ऐसे भी थे, ऊर्जा मंत्री भी थे, हमारे वित्त मंत्री भी थे लेकिन मैं मानता हूं देखो आप, चाहे मेरी पार्टी वाले नाराज हो जाये, हमारे से भूल हुई और एम्प्लोयीज को हमने नाराज कर दिया। हमारे से भूल हुई कि हम बिजली के मामले में शुरूआत में व्यवस्थित ढंग से नहीं दे सके। नाराजगी बढ़ी तो दो बातों ने, एम्प्लोयीज ने और बिजली ने, इन दो बातों ने कांग्रेस के राज को डुबो दिया, आप उसकी वजह से वापस आ गये । मान्यवर, आपके बारे में...

श्री अध्यक्ष: इसलिए यह गलती मत करना आप कभी भी। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब आपके बारे में मुख्य मंत्रीजी, आपकी बीजेपी, इसका ग्राफ तो डाउन जा रहा है लेकिन आपका स्वयं पर्सनल जो आपका ग्राफ है, वह अभी डाउन जाना शुरू नहीं हुआ है। अब यह आपकी बीजेपी, आपकी जो पार्टी है, यह आपको ले बैठेगी तो आप इनसे सम्भलकर चलो। यह जैसा कहे वैसा मत करो। हमारी तो आपसे विनती है कि आप ऐसा ही करें लेकिन आपका पर्सनल ग्राफ इस समय प्रजेंट में है, वह बुरा नहीं है। लोग आपको पसन्द करते हैं, सुनना भी चाहते हैं लेकिन आपने जो बजट में मान्यवर, कुछ चीजें दे रखी हैं, विरोधाभासी हैं। आप एक तरफ शराब बन्द कर रहे हैं, आप सेन्टर्स खोल रहे हैं। एक तरफ आपने जगह-जगह शराब की इतनी दुकानें खोल दीं जिसका कोई ठिकाना नहीं, यह आपके बजट भाषण में है कि आप ऐसे सेन्टर्स खोल रही हैं। आप नशाबन्दी करेंगे, इधर आप दुकान चला रही हैं, यह दोनों चीजें कैसे होंगी? आपकी गंगानगर शुगर मिल है, इसको तरह डुबोने की तरफ आपकी सरकार ले गई। वह जो शराब बनाती थी, वह बन्द कर दी। जितनी भी शराब बिकती है, इसका मुनाफा उसकी वजह से ही है। आज आपकी शुगर मिल फायदे में चल रही है, वह शराब की वजह से चल रही है। अगर पूरी कर लेते तो आपको 100 करोड़ रुपये का फायदा होता।

(श्री रामनारायण चौधरी)

आप धन्यवाद की पात्र हैं कि वैट लागू कर दिया। देर आये, दुरुस्त आये। आपको आते ही करना चाहिए था यह लेकिन आपने उसको लागू नहीं किया। तीन साल बाद आप लागू करने जा रहे हैं। अगर अब तक करते तो आपको लगभग 300 करोड़ रुपये का फायदा होता और अब भी आपको 150 करोड़ रुपये के आसपास फायदा हो रहा है इस वर्ष में तो यह आप व्यापारियों के, आपकी पार्टी के असर में और दूसरा, आप इसमें भी घबराई हैं लिखते-लिखते, आपने लिखा है कि मध्य प्रदेश और बीजेपी के जो तीन राज्य हैं, उनका इसमें नाम लिया है। आप अकेली घोषणा करने में, लीड करने में कोताही बरती है कि यह भी कर रहे हैं तो उनके साथ आपने जोड़ा है। वह इसलिए कर रहे हैं कि वह भी भारत सरकार की नीति के खिलाफ ज्यादा चल नहीं सकते और हम भी नहीं चल सकते, आप भी नहीं चल सकते थे। आपको मजबूरन वैट लागू करना पड़ा है वरना आपकी पालिसी नहीं थी वैट लागू करने की तो मैं आपके इस बजट भाषण की प्रशंसा इसलिए नहीं कर सकता कि यह विरोधाभासी है। आप एक तरफ तो नशाबन्दी कर रहे हैं और एक तरफ आप दुकानें खोल रही हैं। जो शराब फैक्ट्री है, शराब बनाती थी, उसका आपने प्रोडक्शन रिड्यूस कर दिया और मार्केट के अन्दर इजाजत दे दी। आज जगह-जगह पर इतनी इल्लिसिट शराब राजस्थान में बन रही हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं, यह आपका विरोधाभास है। जो एम्प्लोयी गरीब आदमी है, उनकी जो डिमांड्स हैं, वह आपको स्वीकार करनी चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए। आप एम्प्लोयी को नाराज नहीं करें। अब हम एम.एल.ए. हैं, हम सब आपसे प्रस्ताव रखने वाले हैं कि हमारे अलाउन्सेज और सेलेरी बढ़ायें। हर एम.एल.ए. सबकी मंशा है यह और भूतपूर्व एम.एल.ए. है, सबकी इच्छा है तो जब हम ही मुसीबत में रहे, इस महंगाई में जो कुछ हमें मिल रहा है, उससे एम.एल.ए. नहीं काम चलायें तो वह नौकर कैसे चलायेगा? उनकी डिमांड है, वह वाजिब बात है। हमारे राज के घोड़े तो यह एम्प्लोयीज हैं। राज इनका है और यह आपको जहां ले जायेंगे, मुकाम पर ये पहुंचायेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये राज के घोड़े हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, ये घोड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, लेकिन आपकी सलाह मानती रहेंगी तो इनका काम ठीक होगा, वापस भी आ सकते हैं, आपकी सलाह से तो ये वापस भी आ सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह छलांग मारकर इनको पटक देगी। ये आपके घोड़े हैं और हम तो ऊंट पर चढ़ते थे। हमारे उधर क्या था कि रात में कतार लगती थी...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): घोड़े गिरा भी देते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, घोड़े की जगह ऊंट भी गिरा देते हैं, सवार अच्छा हो इसके ऊपर। ऊंट भी गिरा देता है। ये जानते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ऊंट कम गिराते हैं, घोड़ा ज्यादा गिराता है। आप अध्यक्षजी से पूछ लो। अध्यक्षजी, ऊंट ज्यादा गिराता है या घोड़ा ज्यादा गिराता है, इसका फैसला कर दो।

श्री अध्यक्ष: मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, आपका अनुभव है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): दोनों एक जैसे ही हैं। आप उनको इस बात की चेष्टा कर रहे हो बढ़ाने की, वह नहीं बढ़ेगी। देखिये, ऊंट भी सवार को पहचानता है और घोड़ा भी सवार को पहचानता है, हाथी भी महावत को पहचानता है, सबकी एक पहचान है। आप तो घोड़ा भी रखते हो, ऊंट भी आपने रखे हैं। आप तो इस दृष्टि से खानदानी आदमी हो। आप गलत बयानी क्यों कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: ऊंट तो आप भी रखते होंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, रखता था ऊंट, हम सवार होते थे, मैं चढ़ता था, मैं सवार था लेकिन यह दोनों ही सवारी ऐसी है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): घोड़ों के बारे में अध्यक्षजी को ज्यादा पता है। वनस्थली के अन्दर आपने घुड़सवारी की है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी तो वनस्थली के अन्दर खुद सवार थीं। अध्यक्षजी तो वनस्थली के अन्दर छात्रा रही हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नेता महोदय, मैं आपसे एक मिनट माफी मांगूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके नेता बोल रहे हैं। नो-नौ, आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह क्यों करते हैं। क्या बात करते हो? (व्यवधान) नहीं, मुझे एक बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष: आपके नेता बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। कृपया

(श्री अध्यक्ष)

स्थान ग्रहण कर लें। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण कर लें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हां, मैं मानता हूं। मैंने नेता प्रतिपक्ष से रिक्वेस्ट की है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। नहीं, कुछ नहीं। मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। यह आसन की जिम्मेदारी है। आप स्थान ग्रहण करें। नौ-नौ। स्थान ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष के बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप भी कोई नहीं बोलेंगे। कोई बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी, आपने शिक्षा के अन्दर अपर प्राइमरी और प्राइमरी, यह सारा बजट भारत सरकार का है मान्यवर...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप मुझे नहीं बोलने देंगी...(व्यवधान) क्या बात करते हो?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): प्राइमरी और अपर प्राइमरी का सारा बजट है, यह पूरा भारत सरकार का बजट है और भारत सरकार की नीति है कि गांव-गांव के अन्दर स्कूलें हों और शिक्षा का प्रतिशत बढ़े। इसमें आपने जितनी मिडल स्कूल अपग्रेड की हैं अपर प्राइमरी, वह सारा भारत सरकार का बजट है। आप अगर बढ़ाते तो इसके बाद में गरीब बच्चे कहां जायेंगे? कहां से सैकण्डरी करेंगे, कहां से हायर सैकण्डरी करेंगे, कहां से सीनियर सैकण्डरी करेंगे, कहां से कालेज करेंगे? आपने कालेज के बारे में चिंता व्यक्त की है लेकिन मुझे बतायें कि दूर गांव में ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहरों में तो बहुत कालेज हैं, प्राइवेट हैं, लेकिन गांव के अन्दर जो दूर-दराज के गांव हैं, वह कहां कालेज में जायेंगे, कहां सैकण्डरी में जायेंगे, कहां हायर सैकण्डरी में जायेंगे? यह आपने कंजूसी की है, हद दर्जे की कंजूसी कर दी है आपने। इसमें भी आपको और बढ़ाना चाहिये था अब भी। जितना खर्चा हो गया, वह आप इसको राइट-आफ नहीं कर सकेंगी... जब कभी आप राज सम्भलायेंगी तो आप इससे भी ज्यादा कर्जा देकर जायेंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन: सम्भलायेंगे ही नहीं हम।

श्री रामनारायण चौधरी: जब कभी भी। देखिए, उम्र भर तो कोई राज

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं कर सका और डेमोक्रेसी में कोई भरोसा ही नहीं है, आप इतने आश्वस्त मत रहो।

श्री अध्यक्ष: लेकिन आपकी सलाह पर चलेंगी तो करती रहेंगी वह। आपकी सलाह पर चलेंगी तो करती रहेंगी।

श्री रामनारायण चौधरी: तो शिक्षा के बारे में आपने एक अच्छा कदम नहीं उठाया। जिस व्यक्ति ने देश के लिए जान दी, जिस परिवार ने देश के लिए जान दी, उसमें आप बदले की भावना से काम कर रही हैं, यह नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने देश के लिए जान दी, उसके बेटे राजीव गांधी ने देश के लिए जान दी। आतंकवादी कौन थे, यह लंका वाले थे और वह मारा गया तो वह देश के लिए मरा। उन दोनों के नाम को आप मिटाना चाहती हैं तो कागजों में मिटा सकती हैं लेकिन जन भावना में नहीं मिटेगा। आपके इसी हाउस के प्रतिपक्ष के नेता और चीफ मिनिस्टर जब राज आया 1977 में, तो सबसे पहले उनकी कलम चली इंदिरा गांधी मार्केट पर। आज वह इंदिरा गांधी मार्केट किस नाम से जाना जाता है घनश्यामजी, तिवाड़ीजी, आज वह किस नाम से जाना जाता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी: उसी नाम से जाना जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी: और आपने क्या बनाया था?

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मुझे ध्यान नहीं, उस समय मैं नहीं था।

श्री रामनारायण चौधरी: ध्यान में नहीं है आपके।

श्री अध्यक्ष: इंदिरा बाजार ही है वह। उसका नाम इंदिरा बाजार ही है अभी भी।

श्री रामनारायण चौधरी: कागजों में नहीं है। मान्यवर, कागजों में नहीं है, कागजों में तो...

श्री अध्यक्ष: कागजों का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता, इंदिरा बाजार है।

श्री रामनारायण चौधरी: बिहारीजी के नाम पर है। अभी बिहारी के नाम पर है। इसको बिहारी मार्केट किया था, लेकिन जनता ने उसको नहीं माना। जनता ने नहीं माना, वह इंदिरा गांधी मार्केट के नाम से चल रहा है। तो मान्यवर, ऐसे हल्के कामों में आप मत आओ, आपके लिए मैं हल्का शब्द नहीं चाहता, लेकिन यह घटिया चीज है। राजीव गांधी एक युवा प्रधान मंत्री थे, युवा

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रधान मंत्री होने से मैं नहीं कहता कि उनसे कोई भूल नहीं हुई, होगी भूल, अगर भूल नहीं होती तो राज कैसे जाता उनका। वह अगर आतंकवाद का शिकार हो गये और उनके नाम से तत्कालीन सरकार ने राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं, अब आप अपनी कलम से क्यों इतनी बुराई ले रही हैं, आपको यह नहीं लेनी चाहिए। आपको बड़ा दिल रखना चाहिए और इन सब को राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय सबको बनाना चाहिए आपको, यह आपको निर्णय लेना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, आपने जो समय दिया, और प्रतिपक्ष तो हम हैं, सत्ता पक्ष आप हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह तो आप..

श्री रामनारायण चौधरी: आपने भी जो मेरे लिए उत्सुकता जाहिर की..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वह पढ़ें किसको कौन क्या भेजता है।

श्री रामनारायण चौधरी: हैं?

श्री अध्यक्ष: वह कह रहे हैं कि आपको जो मिला कागज, पढ़िये। मैंने कहा वह नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि वह ऊट-पटांग चीजों को पढ़ें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: यह मेरे पास एक कागज आया है...

श्री महावीर प्रसाद जैन: क्या लिखा है?

श्री रामनारायण चौधरी: यह तो आपने, मान्यवर, अकाल के बारे में एक दिन तय कर रखा है, मैं गलती पर तो नहीं हूं, अकाल के बारे में एक दिन आप बहस करायेंगी, यह आपका निर्णय है और उसमें ओलावृष्टि भी आयेगी, यह आपका निर्णय है...

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी: यह आपका निर्णय है और मान्यवर, आपके क्षेत्र झालावाड़ से लेकर चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और अब तो रहा-सहा, मान्यवर अध्यक्ष महोदया, आपका क्षेत्र भी भयंकर रूप से बरसात के अंदर क्षतिग्रस्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, ओले भी पड़े हैं, झुंझनूं में भी पड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी: ओले पड़े हैं भयंकर रूप से, दो दिन पहले। तो यह है इनके ओलों पर भी बोलो और अकाल पर बोलो। तो यह जब आप टाइम देंगी उस वक्त इस पर बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन का बहुत आभारी हूं कि आपने प्रेमपूर्वक मेरे से आग्रह किया कि मैं दो शब्द कहूं। मैं पहले भी बोल सकता था लेकिन मैं वादा दे चुका था और फिर इन्होंने बहुत ज्यादा आग्रह किया कि मैं बोलूं, और न बोलने की कोई वजह नहीं थी। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: यह सदन भी आपका आभारी है। यह सदन भी आपका आभारी है कि आपने माननीय सदस्यों की भावना का आदर किया।

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदया, सदन की तो मेरे पर मेहरबानी है ही लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज आप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि 5.44 हो गये हैं और मैं समझती हूं कि अब मुख्य मंत्रीजी के भाषण के लिए मैं उनसे आग्रह करूं। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल(भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, मुख्य मंत्री महोदया, आपकी तो सही बात है, आपने तो आज्ञा दे दी, क्या यह कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी के लिए समय नहीं है, तीन दिन से लगातार पर्ची दे रहे हैं हम। नहीं, आपने दे दी, हम बैठ गये, मुख्य मंत्री के सामने नहीं कर सकते...

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप कितना समय लेंगे।

श्री विजय बंसल: लेकिन गलत है यह, हम इसका विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कितना समय लेंगे?

श्री विजय बंसल: हम बोलेंगे ही नहीं तीन दिन से हम पर्ची दे रहे हैं, वह पर्ची रखी हुई है, यह कोई तरीका थोड़े ही है।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, अब आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, मुख्य मंत्री खड़ी हैं, वह बोलेंगे...

श्रीमती वसुंधरा राजे (मुख्यमंत्री): कह दो,बोलें।

श्री अमराराम (धोद): लेकिन जब यह आपने यहां आसन से व्यवस्था दी थी, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के, कांग्रेस दल के अलावा जो दूसरे हैं उनको भी आपने समय दिया था और चार दिन से इस आसन से एक भी माननीय सदस्य का नाम नहीं पुकारा, इसलिए आज तो हम इस बात के लिए माफी

(श्री अमराराम (धोद)

चाहते हैं कि आपसे जो व्यवस्था है वह शिरोधार्य है, लेकिन इस तरह से मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष बोलता रहे और जो माननीय सदस्य दूसरे दल के हैं उनको समय आपके यहां से व्यवस्था देकर के नहीं बुलाया जाय, क्योंकि अब प्रतिपक्ष के नेता भी बोल चुके हैं...

श्री सुरेश मीणा: यह घोर अन्याय है, अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, अब अच्छा भी नहीं लगेगा, मुख्य मंत्री बोलें लेकिन...

श्री रामप्रताप कासनिया: बीच वाले पिसते रहें।...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल: हमारे लिए आपने समय फिक्स किया हुआ है पैंतीस मिनट का, लगातार पर्ची दे रहे हैं तो समय का मतलब क्या है फिर पैंतीस मिनट फिक्स करने का। आज के बाद आप समय फिक्स मत करना हमारे लिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी, क्या पांच-पांच मिनट बुलवा दूं आप कहें तो?

श्रीमती वसुंधरा राजे (मुख्य मंत्री): आप बुलवा दो पर आपने सी.पी.जोशीजी को एक-डेढ़ घंटे कर दिया..

श्री अध्यक्ष: मैं पुकार चुकी हूं नाम।..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: यह मुख्य मंत्रीजी से पूछकर समय देंगी क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़: माननीय प्रतिपक्ष के नेता के बोलने के बाद फिर कैसे होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह परम्परा नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता के बोलने के बाद आप लोग बोलें।

श्री श्रवण कुमार: पहले भी कभी हुआ है क्या ऐसा।

श्री अध्यक्ष: सुनिये। मैंने मुख्य मंत्रीजी से इसलिए पूछा है कि मुख्य मंत्रीजी का नाम पुकार चुकी थी, इसलिए मैंने पूछा है।

श्री श्रवण कुमार: आज तक हुआ है क्या कभी ऐसा।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसलिए मैंने उनसे पूछा क्योंकि मैं नाम पुकार चुकी थी उनका।

श्री सांवर लाल: अध्यक्ष महोदय, भविष्य में माननीय सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखा जाय, आज तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को बुलाया जाय। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल: अब माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलें। मुख्य मंत्रीजी को बोलने दें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सदन के नेता का नाम पुकार लिया और वह कृपापूर्वक खड़ी हो गईं बोलने के लिए, अब आप तीसरे को किसी को बुलाती हैं, वह डिग्निटी ऑफ द हाउस है, उसके खिलाफ पड़ेगा।

श्रीमती वसुंधरा राजे (मुख्य मंत्री): अच्छा।

श्री अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला बजट पर, मैं उनसे क्षमा चाहती हूं और उनको एप्रोप्रियेशन पर बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्रीमती वसुंधरा राजे (मुख्य मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, 8 मार्च को जब बजट पेश किया था, अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस था और हमने अपने बजट को महिला शक्ति को समर्पित किया था और साथ-साथ आम नागरिक को भी समर्पित किया था और विकास का रास्ता देखते हुए हम लोगों ने अपने बजट के डाकुमेंट में कई ऐसी बातें लिखीं और उनका वर्णन किया जिससे हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाय उन तक पहुंचने का। चार दिन की अच्छी बहस हुई, उसमें कई अच्छे सुझाव आये, सब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया और मैं उन सब को धन्यवाद देना चाहती हूं। कई लोगों ने प्लान के ऊपर जो आधारित बातें थीं वह कहीं, कई लोगों ने सुझाव दिये, माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये जो बजट के साथ जुड़े हुए थे और मैं खुशी के साथ धन्यवाद देना चाहती हूं उन वरिष्ठ माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस बजट को सराहा और खुलकर उधर से सराह कर यह कहा कि यह कुशल वित्तीय प्रबंधन था। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं और साथ-साथ मैं उनके दिये गये सुझावों को, जो भी अच्छे सुझाव उनके आये हुए हैं, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देकर उनका स्वागत करना चाहती हूं।

हमारा जो बजट था माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें हमने सरकार की नीति, हमारे जो कार्यक्रम आगे के होने वाले हैं, उनको दर्शाने की हम लोगों ने कोशिश की और जैसा अभी कहा गया, मैं उसको फिर से दोहराना चाहूंगी कि हमने अपने बजट के अंदर कापरेशन, कंसोलिडेशन और पार्टिसिपेशन, इन

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चीजों को सामने रखते हुए इसके ऊपर अपने बजट को पेश करने की कोशिश की। अब यह अलग बात है कि बार-बार जो माननीय सदस्य बोले हैं, मैं तो समझती हूं कि एक किस्म से यह एक काम्प्लीमेंट है हम लोगों को कि घूम-फिरकर वापिस इसी पर आये हैं कि यह जो पैसा है वह भारत की सरकार ने आपको दिया है और इस भारत की सरकार के ऊपर आपने अपना वित्तीय प्रबंधन किया है। इस चीज के ऊपर घूम फिर कर वापस बार-बार लगातार जो भी स्पीकर्स मेरे सामने थे वो बार-बार लगातार उसी में आये हैं । मैं समझती हूं कि इसलिए ज्यादा कुछ कहने को था नहीं परन्तु उसके बावजूद भी बड़ी स्प्रीटिव डिफेंस सब लोगों ने किया है उसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि प्रदेश की जनता को अगर हमको अच्छा और समुचित लाभ दिलाना है तो इसके अन्दर हम लोगों को एक दूसरे के साथ कोआपरेट करना ही पड़ेगा क्योंकि पचास साल में जो स्थिति इतनी जर्जर हो गयी है उस जर्जरता से अगर हमको इस नाव से निकलना तो इसमें कोई एक अकेला काम नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं कुछ काम करूं और आप उसको सिर्फ फोर द सेक ऑफ नेगेशन उसको नेगेट करने की कोशिश करें और वाइसावर्सा हो जाएं तो मैं समझती हूं कि किसी भी सरकार या कोई भी सरकार राजस्थान में आये वो आगे नहीं जा सकती। इसीलिए मेरा तो मानना यह है कि हमको एक दूसरे के साथ कोआपरेट करके जनता की जो मुसीबतें हैं उनको अपने ध्यान में रखते हुए निचले स्तर के हमारे जो फील्ड लेवल के ऑफिसर्स हैं वहां तक एक सोच परिवर्तन लाने की जरूरत है और हां मैं यह कहना चाहूंगी कि उसमें सिविल सोसायटी को जोड़ने की जरूरत है। आप बार-बार कहते हो मेरे, को सहभागिता की बात करते हो, जरूरत है कि जनता को हम उसके साथ जोड़ें, सिविल सोसायटीज को उसके साथ जोड़ें, एनजीओज को उसके साथ जोड़ें तभी यह माइंड परिवर्तन होगा और तभी हम इस रास्ते के ऊपर राजस्थान को लाने की कोशिश, तगड़ी कोशिश कर सकेंगे।

यहां कई लोगों ने कई बातें रखीं बहुत विस्तार से सब लोगों ने बात की है। कई स्पेशल केसेज के बारे में भी माननीय सदस्यों ने बात की। मैं यह कहना चाहूंगी कि स्पेशल केसेज जो भी हैं उनको अलग से हम रिप्लाई करवा देंगे उनके ऊपर मैं आज टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। कई चीजें ऐसी हैं जो डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं जो पहले भी राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर हम लोगों ने डील किया था और जो अभी आई हुई हैं मैं समझती हूं कि इसके

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बाद भी सात-आठ दिन, नौ दिन इस तरीके के होगें जिसमें डिबेट और चलेगी और यह हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर डिबेट चलेगी तो इन ये सब बातों को उस डिबेट में हम लोग समायोजन कर सकते हैं तो इसलिए आज मेरी कोशिश यह होगी कांस्ट्रेट थोड़ा करूं और इसलिए मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगी। कांस्ट्रेट करूं फिस्कल बातों के ऊपर वित्तीय प्रबंधन के ऊपर। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता यहां व्यक्त की । उन्होंने यह कहा कि हमारी योजनाओं और घोषणाओं के अन्दर स्टेट का शेयर बहुत कम लगता है और इसके बारे में हमको कुछ करने की जरूरत है। मैं इस विषय में खाली तीन बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहले जो प्लान एक्सपेंडीचर है एक तो खाली शुद्ध केन्द्र से जो ग्रांट आती है, पैसा वो है और मैं कहती हूं कि किसी भी वर्ष में आप देख लीजिये उसमें ज्यादा अन्तर नहीं होगा और 2002-03 में अगर आप देखें तो यह 11.3 प्रतिशत था, 2003-04 में अगर देखें तो यह 9.9 प्रतिशत था और 2006-07 के अगर बजट एस्टीमेट्स में आप देखें तो वो 11.5 प्रतिशत था तो इसमें ज्यादा कोई फर्क होता नहीं है। जो ग्रांट आती है वो वैसे ही आती रहती है। दूसरा केन्द्र सरकार राजस्थान प्रान्त के लिए कोई विशेष योजना नहीं चलाती है यह आप भी जानते हैं हम लोग भी जानते हैं जो योजनाएं आती हैं वो पूरे देश के सब स्टेट्स के लिए समान होती हैं और अगर राज्य अपना शेयर देने के लिए हिम्मत और हैसियत रखता है तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच कर ला सकता है मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि फर्क सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों ने जितना पैसा देने की जरूरत थी वो पूरी तरह से दिया और जितना पैसा लाना था उसको खींच कर हम ले आये नहीं तो आप भी वो ही कंट्रीब्यूशन कर सकते थे और आप भी ये खर्चा बढ़ाकर ये पैसा अपने राजस्थान में ला सकते थे। ये 2000-01 में सीएसएस में 1174 करोड़ रुपये आये जो 2001-02 में 725 करोड़ रुपये हो गये और जो 2002-03 में फिर 1200 करोड़ रुपये हो गये तो मैं समझती हूं कि यह तो आपके हाथ की बात थी अगर आप अपना अंश दे देते तो वो सीएसएस के अन्दर आपको उसी हिसाब से जितना पैसा मिलना था वो आ जाता और हम लोगों ने 2004-05 के अन्दर 2134 करोड़ रुपये दिये और 2005-06 के अन्दर फरवरी में 2209 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिये और इसीलिए हम लोगों को इतना अच्छा पैसा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मिला। जो सर्वशिक्षा अभियान की आप लोग बात करते रहते हो उसके अन्दर हमने शर्मा कर अपना राज्यअंश अपने आप रख लिया यह तो नहीं हुआ हमने ज्यादा चलाकर जितना पैसा जरूरत थी उतना पैसा और हमने दिया और इसीलिए हम लोगों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्दर इतना अच्छा पैसा मिला तो अच्छी बात हुई। उसमें जिस तरीके से आप चला-चला कर मुझे कह रहे हो कि आपने ले लिया जैसे हमने कोई बहुत बड़ी चोरी की है हमने तो चलाकर अच्छा काम किया है इसके लिए तो आपको हमारी पीठ थपथपानी चाहिए और मैं यह कहना चाहती हूं कि ये अच्छा पैसा मिला उसका हमने लिवरेजिंग किया और इस अंश को हमने बढ़ाया यह बहुत अच्छी बात है।

तीसरा मैं यह कहना चाहूंगी कि ग्रांट और सीएसएस के बाद एक तीसरी योजना है जो फुल्ली फंडेड बाई स्टेट है और ऐसी भी हम लोगों ने कुछ स्कीम्स निकाली हैं जैसे पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, ये बीपीएल इंशयोरेंस का है जिसमें हमने 22 से 25 करोड़ रुपये अलग से व्यय किये हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र जिसके अन्दर अतिरिक्त सहयोगनियों की व्यवस्था पैंतीस हजार प्लस ग्यारह हजार राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है और इसी तरीके से तीन हजार आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण हम लोगों ने आगामी दो वर्षों में करने का, यह भी हमने अपने ही रिसोर्सेज से करने का सोचा है तो मैं समझती हूं कि इसमें कोई गुनाह नहीं किया है । आप लोगों को तो यह कहना चाहिए कि यह बहुत अच्छी बात है। सेन्टर ने पैसा दिया, यह तो सेन्टर पचास साल से पैसा देता आ रहा है कोई नयी बात नहीं है। इसी तरीके से कई माननीय सदस्यों ने कहा कि डेट बर्डन में इंक्रीज हो गया है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बहुत पुराने यहां के सदस्य है और राज्य के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और हमारी सुधरती वित्तीय स्थिति को उन्होंने स्वीकारा भी है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं नहीं समझती कि उनको कोई समझाने की जरूरत है कि रेवेन्यु डेफीसिट जब तक रहेगा तब तक प्लान एक्सपेंडीचर के लिए डेट तो लेना ही पड़ेगा। यह तो आप भी मानेंगे मुझे समझाने की इसमें जरूरत नहीं है और इसके साथ जो करोलरी है वो यह है कि ज्यों-ज्यों राजस्व घाटा मिनिंग रेवेन्यु डेफीसिट घटता है वैसे ही आपका डेट कम होता जाता है यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। 2001-02 और 2002-03 में जो डेट बर्डन था उसमें वृद्धि लगभग 5900 से 6000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष थी । ये वर्ष 2005-06 के अन्दर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार ये वृद्धि लगभग 5650 करोड़ रुपये घट गई और अगले वर्ष में 2006-07 में इससे भी कम लगभग 5200 करोड़ तक उसके होने का अनुमान है और मैं समझती हूं कि जबकि इन वर्षों में योजना का आकार 2001-02 और 2002-03 में आपके समय से लगभग दुगुना आकार हमारी योजना का है उसके बावजूद भी हम लोगों ने यह कर दिया यह मैं समझती हूं कि बहुत अच्छी बात है इसके साथ-साथ अगर आप दूसरी तरफ से उसको देखें तो जो इंक्रीज होता है डेट बर्डन के अन्दर इसका कितना हिस्सा कैपीटल एक्सपेंडीचर के अन्दर हमने किया है यह देखें तो 2002-03 में इन्क्रीज इन डेट 5900 करोड़ and percentage which was spent in capital expenditure में 34% और यही अगर 2005-06 के अन्दर देखें तो इंक्रीज इन डेट 5650 करोड़ रुपये है and percentage which was spent in capital expenditure यह 83% है। यह है डिफरेंस । यह असलियत है ...(व्यवधान)... देखिये सी.पी. साहब मैं इसमें...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): These are not actuals. 2004-05 के बाद आपके ए.ई. नहीं हैं । क्या बातें कर रहे हो।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): देखिये जो आप कह रहे हैं जो आप कहते हैं वो बिलकुल सही है जो और कोई कहते हैं वो गलत है परन्तु आपका भी अगर आप देखें तो कहां रिवाइज्ड एस्टीमेट कहां बजट एस्टीमेट कहां एक्चुअल्स कौन से फीगर्स को किस फीगर्स के साथ आपने मैच किया है हम तो अगर पूरा एक दिन निकाल देंगे उसमें, मुझे उसमें जाना पड़ेगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I vouch for it. I can discuss it.

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): I am sure, you can.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I have referred to all the A.Es. I have never referred to B.E. or R.E.

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): I am sure. I don’t dispute. …

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Madam, I am sorry, I don’t want to intervene…

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): But I am not yielding either.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): You are mixing B.Es. with A.Es. 2004-05 के एक्चुअल्स आये ही नहीं आपके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या है? फिर तो हम भी कर देंगे चालू।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसमें क्या तकलीफ है सही बात सुनने का साहस नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम बोल रहे थे तब आप चिल्ला रहे थे हमें बोलने ही नहीं दे रहे थे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आपके भाषण को मुख्य मंत्री ने शांति से सुना है अब आप भी सुनिये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपको साथ के साथ में सही बात बताने की आवश्यकता नहीं है अगर कोई है तो बाद में पूछ लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष: सदन की नेता बोल रही हैं आप ध्यान रखें इस बात का (व्यवधान) बीच-बीच में डिस्टर्ब नहीं करें आप ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं खाली असलियत सामने रख रही हूं ।

श्री अध्यक्ष: आप बीच-बीच में कमेंट क्यों करते हो ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं उसको रेफरेंस भी नहीं दे रही हूं, मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूं कि अगर आप यह फीगर देख लें तो यह फीगर्स ही आपको बताते हैं कि डेट बर्डन की गति हम लोगों ने कम कर दी है उस पर कंट्रोल लाया है और इसी तरीके से जो ऋण का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने जाकर किया है, रेवेन्यु एक्सपेंडिचर में नहीं किया है यह सबसे बड़ा डिफरेंस है और मैं यह कहना चाहती हूं विपक्ष के माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं उनसे कि जो नरसिम्हा रावजी जब प्रधान मंत्री बने थे तो टेलीविजन के भाषण में उन्होंने कहा था ऋण लेकर राजस्व खर्चा करना बैंकक्रेप्सी की ओर जाना है, यह उनका स्टेटमेंट था । मैं यहां कहना चाहूंगी कि हमने ऋण लेकर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, हम बैंकक्रेप्सी की ओर नहीं जा रहे हैं आप कितना भी जाने की कोशिश करें ।

इसी तरीके से प्लान वर्सेज नोन प्लान एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें यहां कही है। मैं यह बताना चाहूंगी कि किस आधार

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पर यह होता है क्योंकि हम लोगों ने बड़ी क्लियरली इन बातों को सबके सामने रखा हुआ है। हमारे प्लान एक्सपेंडिचर के मुकाबले में नोन प्लान एक्सपेंडिचर को अगर देखा जाये तो बहुत सिम्पल मामला है नोन प्लान एक्सपेंडिचर 2000-01 में प्लान एक्सपेंडिचर के अंगेस्ट अगर आप देखें 3.6 गुणा उसमें डिफरेंस है और वर्ष 2005-06 में यह घटकर 2.2 गुणा होना अनुमानित है। मैं समझती हूं उसमें ही आपको डिफरेंस दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहां पर फीगर्स है 2003 से लेकर 2006-07 तक इन्क्रीज इन प्लान एक्सपेंडिचर यह 93 परसेंट है और इन्क्रीज इन नोन प्लान एक्सपेंडिचर 37 परसेंट है और अगर कांग्रेस राज में आप देखें इन्क्रीज इन प्लान एक्सपेंडिचर 16 परसेंट और इन्क्रीज इन नोन प्लान एक्सपेंडिचर 45 परसेंट है। यह पूरी कहानी अपने आप ही बता देता है। वैसे मैं समझती हूं यह सब बातें आप लोगों को मालूम तो होगी मुझे इस बारे में दोहराने की जरूरत नहीं है।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्व घाटे में कमी आप रेवेन्यु एक्सपेंडिचर कम करके कर रहे हो । इसमें मैं यह कहना चाहती हूं इसमें या तो 12वां वित्त आयोग है, भारत सरकार है या विशेषज्ञ हैं यह सब कहते हैं कि जो रेवेन्यु डेफिसिट घटना चाहिये तो राजस्व आय बढ़कर और रेवेन्यु एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके तभी आपका राजस्व घाटा यह जो डेफिसिट है उसको हम कम कर सकते हैं, तभी घटना चाहिये । अगर रेवेन्यु डेफिसिट नहीं घटेगा और डेट बर्डन बढ़ेगा तो एक ओर आप सब लोग चाहते हैं कि डेट बर्डन घटे और दूसरी ओर सब लोग चाहते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो, यह दोनों कैसे संभव होगा, एक साथ तो चलते नहीं है समझ में नहीं आता कैसे संभव है। वैसे ही रेवेन्यु एक्सपेंडिचर एप्स्युलूट टर्म्स में न तो कम हुआ है और न आसानी से कम होगा क्योंकि इतना ह्यूज डेट बर्डन आप का है और पिछली सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं उनको मालूम है कि इसको कम करने के लिये 2005-06 में हम लोगों ने यह कोशिश की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तुलना में 8.6 परसेंट की अनुमानित बढ़ोत्तरी हम लोगों ने की है। साथ ही रेवेन्यू रिसीट जो हमने बढ़ाया 16.8 परसेंट जो इन दोनों के बीच का गैप है, जितना गैप बढ़ता रहेगा या जितना गैप एक दूसरे से दूर रहेगा मैं समझती हूं उतनी ही आपकी फिस्कल पोजिशन अच्छी और सुदृढ़ रहेगी । यह करने की कोशिश हम लोगों ने की है। मैं यह कहती हूं कि यह मामला बहुत

मुश्किल है, यह कोई आसान नहीं है। इतनी बिगडी हुई स्थिति को संभालने की कोशिश करना यह आसान बात नहीं हैं परन्तु हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमें आपका साथ चाहिये। ऐसा नहीं है कि हम सब चीजें समझते हैं या जानते हैं परन्तु मैं यह चाहती हूं कि जब आपने अपने टाइम में स्थिति देखी है, कहां तक गई है वह आप किसी से छिपी नहीं है। अब अगर सुधारने की कोशिश है और आप हमको इतनी सलाह दे रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी उसी पांच साल में अपने ही लोगों को यह सलाह दी गई होती तो शायद यह सिस्टम बदल जाते और वह सिस्टम मैं आज फोलो कर सकती थी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): रामनारायणजी अभी कह रहे थे कि उनकी बात उन्होंने मानी नहीं ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): यह बात सही है। इसी तरीके से कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि कर आय यानि टैक्स रेवेन्यु का रेवेन्यु एक्सपेंडिचर से मुकाबला कर दिया गया है। नार्मली तो यह होता नहीं है। रेवेन्यु रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक दूसरे से मुकाबला कराया जाता है परन्तु फिर भी माननीय सदस्य ने यही आंकडा अगर लिया भी तो एक दूसरी तस्वीर भी हमारे सामने आती है वह भी आपके सामने हम क्लियर कर दें । 2001-02 में जो कुल राजस्व व्यय में कर राजस्व का हिस्सा सिर्फ 54 परसेंट था । 2002-03 में 55 परसेंट हुआ और 2004-05 में यह 64 परसेंट और अभी 2006-07 में यह 72 परसेंट हो गया है। मैं खाली यह कहना चाहती हूं जो कोशिश है वह हर क्षेत्र में है आप इसको गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगी । बहुत कुछ काम अभी भी करने को है यह मैं मानती हूं।

इसी तरीके से और माननीय सदस्यों ने कहा कैपिटल आउट-ले से कम खर्चा आप दिखा रहे हैं । सब माननीय सदस्यों ने यह बात कही है, सब माननीय सदस्यों ने गर्मा गर्मी भी इसमें की है। मैं यह कहती हूं कि नार्मली जब बजट्स होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो हमने बजट एस्टीमेट किया है उतना आउट-ले नहीं हो या उससे ज्यादा आउट-ले भी हो क्योंकि एस्टीमेट तो एस्टीमेट होता है। पर अगर आप अपने कार्यकाल को भी देखेंगे तो आप इस हालात को अच्छी तरह से खुद भी देखेंगे क्योंकि यह तो हर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बीतती है। आप यह देखोगे कि एक्च्युअल में इसमें डिफरेंस

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

क्या हुए । कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़ोत्तरी हमारे कार्यकाल में हुई तो यह भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2002-03 में आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर 2000 करोड़ से कुछ अधिक थे। 2004-05 में यह बढ़कर 3488 करोड़ अनुमानों से तो कम था परन्तु आपके कार्यकाल 2002-03 से तो ड्योढा था । इसी तरीके से 2005-06 में अगर आप एक्सपेंडिचर देखें वह 4700 करोड़ होने की संभावना है जो कि 2002-03 के ढाई गुणा से कुछ कम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि बजट अनुमान तक पहुंचतेपहुंचते कभी-कभी कम होने की भी कुछ दिक्कते होती हैं, कई कारण भी होते हैं । कारण ऐसे जैसे कोर्ट से स्टे हो गया तो लम्बा समय निकल गया और उस अनुमान तक हम पहुंच नहीं पाये। लैण्ड एक्वीजिशन के डिले हो गये । कभी कुछ सप्लायर्स की डिले हो गई तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि इनसे तो हम लोगों को रोज के रोज जूझना पड़ता है। यह डिले अगर हो जाती हैं तो हो सकता है जो बजट अनुमान है उस तक हम नहीं पहुंचे क्योंकि हम तो यह मानते हैं कि टार्गेट ऊंचा रखने की जरूरत है। अगर ऊंचा टार्गेट रखोगे तो उस तक पहुंचने की कोशिश तो करोगे और अगर उसको नीचा ही रखोगे तो मैं समझती हूं कि उसमें ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी नहीं, ज्यादा कोशिश नहीं करनी पडेगी और एस्टीमेट जो आपके एक्च्युअल है वह उससे कम हो जायेगा तो मैं समझती हूं और नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर बड़ा नहीं सोचोगे तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे इसके लिये बहुत जरूरी है कि थोड़ासा अनुमान इस तरीके से लगा दिये जाये कि हम लोगों को भी थोड़ा-सा काम करना पड़े ।

यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि सोशियल सैक्टर में आपने बहुत कम व्यय किया है, यह बिलकुल गलत है। मैं समझती हूं कि इसको भी अच्छी तरह से देखने की जरूरत है। चालू वर्ष 2005-06 में जो अभी रिवाइज एस्टीमेट है उसके अनुसार 8099 करोड़ रुपये का एक्सपेंडिचर अनुमानित है। आगामी वर्ष में 8724 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। जो कि 626 करोड़ रुपये ज्यादा है। इसी तरीके से अगर आप प्लान हैड में देखें तो यहां सामाजिक सेवाओं के लिये 2005-06 में जो रेवेन्यु एस्टीमेट है उसका कुल व्यय 31.7 और वर्ष 2006-07 में जो बजट एस्टीमेट है उसमें बढ़कर 37.9 परसेंट हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्लान में सामाजिक सेवाओं के ऊपर खर्चा बढा है, कम नहीं हुआ है। फिर यह कहा है कि एस.सी. और एस.टी. के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लिये लोअर आउट-ले हुए हैं । मैं समझती हूं कि बहुत गलत है क्योंकि अगर पिछली सरकार का आप रिकार्ड देख लो 1999-2000 से 2003-04 तक यह पांच वर्षों में जो कुल व्यय हुआ था वह 730 करोड़ रुपये था । हमारी सरकार के तीन साल में 2004-05 में 225 करोड रुपये का वास्तविक खर्चा, 2005-06 में रेवेन्यु एस्टीमेट के अनुसार 316 करोड रुपये, 2006-07 के बजट एस्टीमेट में 322 करोड़। टोटल आप देखोगे 863 करोड़, यानि पांच साल की तुलना में तीन साल में 130 करोड़ रुपये ज्यादा हैं। यह माने फीगर, आपके लिये आपके सामने हैं। मैं समझती हूं कि इसमें कोई आरग्यूमेंट नहीं है और आप लोग खुद इस चीज को मानते हैं कि आरग्यूमेंट नहीं है परन्तु मैं जानती हूं कि विपक्ष में जो बैठते हैं तो उनको भी अपने लिये कुछ डिफेंस करने की जरूरत है इसलिए बोलना तो होगा। समय को भरने की जरूरत है इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़कर और कई सुचारू विचार यहां रखे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि विभिन्न सैक्टर्स हैं जैसे ऊर्जा है, तकनीकी है, ग्रामीण विकास है, सिंचाई, कृषि इसके अंदर जो खर्चे हैं वह बजट अनुमान के अंदर उसकी तुलना में कम हुये हैं। मैं इसमें सिर्फ इतना कहूंगी कि कहीं तो बजट एस्टीमेट, कहीं तो रिवाइज्ड एस्टीमेट, कहीं तो एक्चुअल पर इसमें सिर्फ इतनी बात है कि जब योजना का आकार ही दुगना बना है तो नैचुरली मैं समझती हूं कि पैसा ज्यादा गया है तो यह एक्चुअल में ही गया होगा और कहा जा सकता है इसलिये यह अनुमान आप लगा सकते हैं।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि नये कर बहुत सारे लगा दिये। मैं यह भी कहना चाहूंगी की नये कर का हम लोगों ने कम से कम भार लगाया है। लगाये हैं तो सिर्फ एन्ट्री टैक्स, एन्ट्री टैक्स सबसे प्रमुख है हमारे लिये और यह भी क्योंकि हम अपने व्यापार का संरक्षण करना चाहते हैं इसलिए एंट्री टैक्स लगाया है। मामूली वृद्धि अगर हुई है तो वह लग्जरी टैक्स के अंदर हम लोगों ने किया है। अगर आप हमारे रिकार्ड उठाकर देखें तो यह देख लेंगे कि टैक्स रेट्स को हम लोगों ने कम किया है, रेस्टिलाइज हमने करने की कोशिश की है और जो कर हम लोगों ने लगाये हैं बड़े केयरफुली लगाये हैं क्योंकि हमने यह देखा है कि गरीब के ऊपर उसकी मार न हो, कामन मैन के ऊपर उसका भार न पड़े, यह हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किये हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मुझे सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ है कि वैट प्रणाली लागू होने के ऊपर जो यह राज्य स्तरीय कमेटी, इससे आपको कठिनाई हो रही है। वैट एक नई कर प्रणाली है और इसको समझने के लिए कुछ समय लगेगा और नैचुरली इसकी वजह से कोई टीथिंग प्रोबलम भी होने वाली है और इन टीथिंग प्रोबलम का समाधान करने के लिए हमने यह कमेटी बनाई है, मैंने एक साल की अवधि दी है कि इस एक साल के अंदर जो टीचिंग प्रोबलम हो वह इस कमेटी के अंदर आये, वह अपनी बात इस कमेटी के सामने कहे और यह कठिनाई हम लोगों के सामने आ जाए इससे मैं समझती हूं कि भ्रष्टाचार तो घटेगा, इसलिए इसका हम सबको स्वागत करना चाहिये क्योंकि यह हम सबको मदद करेगी।

फिर यह कहा गया कि वृद्धावस्था पेंशन, माननीय सदस्य ने कहा कि विवश होकर हमको बढ़ाना पड़ा। हमारे पास बहुत पैसा है हमें विवश होने की जरूरत नहीं है। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि अभी तक तो भारत सरकार ने खाली 75 रुपये प्रतिमाह हम लोगों को दिये थे, यह तो राज्य सरकार का अंशदान था जो 125 रुपये को मिलाकर हम लोग 200 रुपये का दे रहे थे। मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत सरकार ने जब इसको 200 रुपये तक बढ़ाया तो हम सबसे अपेक्षा, स्टेट से अपेक्षा की कि आप भी इसमें जुड़ेगे। अब मुझे मालूम नहीं कि कितने स्टेट उसमें जुड़े हैं। हमने तो उस चुनौती को स्वीकार किया और जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट के कानून हैं उसके अन्तर्गत हम लोगों ने उन नोर्म्स के अंदर अपने संसाधनों से 200 रुपये उसको तय कराकर और उनके पैसे और हमारे पैसे जोड़कर यह पेंशन के लिए 400 रुपये हम लोगों ने तय कर लिये जो मैं समझती हूं कि अच्छी बात है।

इसी तरह से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि ऋण लेकर सरप्लस, रेवेन्यू डेफिसेट जो हैं उनके लिये डेट्स तो लेना ही पड़ेगा परन्तु राज्य के पास कुछ सरप्लस होगा तो वह केवल कैपीटल अकाउण्ट में ही हो सकता है। यह मैं समझती हूं कि सब मानेंगे और हमने अगर कैपीटल अकाउण्ट में सरप्लस दिखाकर, बजट सरप्लस दिखाया यह बहुत अच्छी बात है परन्तु आपकी सरकार ने कैपीटल अकाउण्टस में सरप्लस दिखाकर घाटे का बजट दिखाया। यह वर्ष 2000-01, 2002-03 के अंदर किया यह तो वैसे मैं यह कहना चाहती हूं कि ऋण लेकर सरप्लस बजट दिखाने से, आजाद साहब बहुत विचलित हो रहे थे, तो मैं कहती हूं कि 2001-02 के फाइनल फीगर्स हैं वह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

देख लें। 6096 करोड़ का डेट्स था और 90 करोड़ का मुझे लगता है कि बजटरी सरप्लस था इसको जरा देख लिया जाये। माननीय सदस्य नगर से आने वाले, राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य यही बैठे हुए हैं, तो माननीय सदस्य अगर उनसे पूछ लेंगे तो समझा देंगे आपको कि कैसे होता है।

फिर यह कहा कि वित्तीय आयोग के अंदर ट्रान्सफर्स, माननीय सदस्यों ने कहा, ऐसा जताने की कोशिश की कि मालूम नहीं कि 12वां वित्त आयोग जो है, कौनसी लाटरी खुल गई हमारी। आपको मैं बताऊं कि यह तो बढ़ोतरी है और यह एक निरन्तर प्रक्रिया है, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब आप अगर इन ट्रान्सफर्स को देख लें तो 10वें वित्त आयोग के अंदर 10401 करोड़ रुपया, 11वें वित्त आयोग के अंदर 24027 करोड़ रुपया, एब्सांल्यूटली राइट, माननीय सदस्य नाथद्वारा से, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह 10वें वित्त आयोग से 130 प्रतिशत ज्यादा आपको मिला। यहां तो किसी ने आपको नहीं कहा बजट के अंदर आपको यह सब पैसा सेन्ट्रल से मिला, आयोगों से मिला, यह तो नैचुरल है मिलना है।

मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि 11वें वित्त आयोग का जो पीरियड़ था उसमें पौने चार साल आपके ओवरलेप थे, तो यह पैसा आपने इस्तेमाल किया। 12वें आयोग द्वारा राज्य की 39062 करोड़ रुपये के कुल ट्रान्सफर्स का अनुमान हमने लगाया है। 11वें वित्त आयोग की तुलना में, मैं कहना चाहती हूं ओनली 63 परसेंट, वहां 130 परसेंट, यह 63 परसेंटेज है और एब्सल्युट नम्बर का खेल है जी, यह तो आप कर सकते हो और हम भी कर सकते हैं। बात तो यह है यह प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया आपके लिए भी है और हमारे लिये भी है। मेनली यह प्रक्रिया राजस्थान की जनता के लिए हैं और इसका हम सदुपयोग करें तो मैं समझती हूं कि यह हम सबके लिए और स्टेट के लिए अच्छा है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि आपने यह भी कहा है कि बहुत अधिक ग्रांट हमको 12वें वित्त आयोग से मिला। मैं यह बताना चाहूंगी कि जैसे यहां 10वें वित्त आयोग से कुल 1100 करोड़ से कुछ अधिक की ग्रांट, यह सिफारिश राजस्थान के लिए की थी और इसी तरह 11वें वित्त आयोग की सिफारिश से जो ग्रांट बढ़ा वह 3200 करोड़ रुपये के ऊपर हो गया। यह सही है जो फीगर आपने दिये। यानि बढ़ोत्तरी लगभग तीन गुणा हो गई और 11वें वित्त आयोग के अवार्ड पीरियड अगेन मैं यह कहना चाहती हूं कि, वह समय आपका मैं रिमाइंड कर रही हूं आपको। अब 12वें वित्त आयोग में जो बढ़ोत्तरी मिली

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उसमें कुछ ग्रांट करीब 4600 करोड़ रुपये के कुछ ऊपर हमको दिया है, यह बढ़ोत्तरी 11वें वित्त आयोग से ड्योढ़ी है। कहां तीन गुणा और कहां ड्योढ़ी। फीगर्स की बात है, पैसे की बात है, इस्तेमाल करने की बात है तो यह ऐसा नहीं कि 12वें वित्त आयोग ने ग्रांट, ग्रांट से मालूम नहीं कौनसा हमारे सर के ऊपर वह फूटा है, यह बढ़ोतरी परसैंटेज के टर्म्स में भी आप देख सकते हैं, एब्सेल्यूट टर्म्स में भी देख सकते हैं, इस्तेमाल तो हम सबको करना ही है।

इसी तरह से राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ओवर ड्राफ्ट को उन्होंने यह कहकर जस्टिफाई किया कि हमारे कार्यकाल के अन्दर वेज एण्ड मिन्स का लिमिट बहुत कम था । वह भी थोड़ा मैं पढ़कर बता दूंगी। 2000-01 के अंदर 482 करोड़, 2001-02 में 446, 2002-03 में 468, 2003-04 में 536, 2004-05 में 562, 2005-06 में 590 तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा बढ़कर गैप नहीं है वेज एण्ड मिन्स पोजीशन में। मैं यह कहना चाहती हूं कि फर्क सिर्फ इतना ही है कि फरवरी 2005 से लेकर आज तक हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया यह भी बहुत बड़ी बात है। यह तो मान गये कि यह बात सही है और प्रतिपक्ष के नेता ने भी बहुत बड़ा दिल रखकर, वह भी माने हैं । मैं समझती हूं कि डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं इसलिये यह भी कहना कि हमको केन्द्रीय कर जो बजट के अनुमानों से मिलना चाहिये वह हमको कम मिला। यह सच है कि 1999-2000 के अन्दर और उससे लेकर 2003-04 तक जो पांच साल थे और एन एवरेज आपको 170 करोड़ रुपये पर ईयर का शोर्टफाल था। यह बात सही है जो आप कह रहे हैं लेकिन यह भी सही है कि 2004-05 एक ही साल के अंदर जो हमारे बजट अनुमानों के अंदर शोर्टफाल पडा है वह करीब 200 करोड़ है और फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों ने कहा कि इसलिए हम कुछ खर्च नहीं कर पाये, खर्चा बढ़ा नहीं पाये। हम लोगों ने कम प्राप्ति के बावजूद भी इतना बड़ा योजना का खर्च करके राजस्व घाटे को भी घटाया है, यह है फर्क। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी दिक्कते हैं...

बाद में फिर मैं दोहराती हूं कि वित्त मंत्री जो भी होते हैं, वे कई कि दिक्कतों से निकलते हैं और आपकी दिक्कत और मजबूरी, जब वित्त मंत्री थे, उस समय मैं समझ सकती हूं। परन्तु यह भी एक निरन्तर प्रक्रिया है, कभी खर्च ज्यादा हो जाता है, कभी खर्च कम हो जाता है और कभी आय अच्छी हो जाती है, कभी थोड़ी सी उससे कम हो जाती है, कई अनसर्टेनिटी होती हैं, इन सब चीजों से हम लोगों को उस रास्ते से तो चलना पड़ता ही है। परन्तु इन-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

दि-बेलेंस नतीजा क्या निकलता है वह देखने की जरुरत है। और मैं समझती हूं कि हमारा नतीजा आपके सामने है। फिर कई लोगों ने अपनी बात रखी यहां कि रसोई-गैस के अन्दर जो देय बिक्री कर है उसकी बात की। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि अभी केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के अन्दर यह घोषणा की कि रसोई-गैस को अब केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्दर डिक्लेयर्ड गुड्स में मानेंगे। इस वजह से देय विक्रय कर इसके ऊपर 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगी कि हाउस-वाइव्स के लिये, गृहिणियों के लिये रसोई-गैस जो चीज होती है, बहुत ही जरुरी होती है और इस चीज को मैं समझ सकती हूं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि केन्द्र सरकार कस्टम ड्यूटी कम करके रसोई गैस के दाम क्यों कम नहीं करती है। यह स्टेट के ऊपर जहां आलरेडी इतना भार है, पांचवें वेतन आयोग की वजह से तो हम लोग बिलकुल घुटने के बल आ गये, बड़ी मुश्किल से तो धीरे-धीरे हम अपने पैरों पर खड़े होने लगे हैं तो फिर इस तरीके से कहीं डिक्लेयर्ड गुड्स से, कहीं और चीजों से वे हमको फिर घुटने के बल लाने की कोशिश करना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि राज्यों की मदद करें, अपनी तरफ से जितनी सारी कस्टम ड्यूटी वे ले रहे हैं उस कस्टम ड्यूटी के ऊपर यह भार डाल देते तो कितनी अच्छी बात होती । मैं यह कहना चाहती हूं कि सिर्फ राज्य सरकारों के ऊपर यह चीज डालें, यह उचित नहीं है। सी.एस.टी. का जो एक्ट है, उसका इंटेंट और रिपरिट, यह कंसिस्ट होनी चाहिए। यह अच्छा नहीं है, जो वे कर रहे हैं। फिर भी गृहिणियों की मदद करने के लिये हम पीछे नहीं हटेंगे, यह मैं आपको कहना चाहती हूं और जिस भी दिन और जिस भी तारीख से यह रसोई गैस डिक्लेयर्ड गुड हो जाती है उसी दिन से हम लोग 4 प्रतिशत की दर से इसको करेंगे, हम केन्द्र सरकार के उस नोटिफिकेशन के इंतजार में हैं।

फिर माननीय सदस्य आ गये बिजली के ऊपर, कई बातें कहीं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य बोले कि बिजली के अन्दर 3 साल में आपने क्या कर लिया है। मैंने तो पिछले अभिभाषण के अन्दर बताया था कि जब मैं जवाब दे रही थी, उसमें बताया कि हम लोगों ने कितनी बिजली उत्पादित की है और हम कितनी करने जा रहे हैं, अगले 5 साल के अन्दर, यह बताया। यह भी सही है कि आप लोगों ने भी अपने 5 साल के समय के अन्दर मुश्किल से 1100 मेगावाट बिजली पैदा की क्योंकि उसके पहले जो भैरोंसिंह साहब की

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सरकार थी, उसके पहले जो उन्होंने काम चालू कराये थे, वह आपका भाग्य था कि वह सब फ्रूएशन पर आ गये। वह बिजली उसमें से उत्पादित होने लगी, वह प्रोडक्शन करने लगी और उसका फायदा आप लोगों को मिल गया। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस समय के अन्दर हम लोगों ने बहुत सारी बिजली उत्पादित करने के लिये, धौलपुर का हो, गिराल का हो, बरसिंगसर का हो और वेस्ट-फार का हो, यह सब हम लोगों ने काम चालू कर दिया है। मैं समझती हूं कि इससे पावर आयेगी और राजस्थान को इसका फायदा होगा। इसमें आपने यह कहा कि विद्युत शुल्क कितना इक्ट्ठा हम लोग कर रहे हैं, आपने विद्युत शुल्क के बारे में बात की। मैं कहना चाहती हूं कि यह विद्युत के उपभोग के ऊपर निर्भर है और यह उपभोग बढ़ा है। 800 लाख यूनिट से यह 950 यूनिट तक पहुंच गया है इस रबी सीजन के अन्दर। क्योंकि हमने आपके बचे हुए एक लाख 75 हजार जो कनेक्शन पड़े हुए थे, 12 साल से उनमें से 90 हजार कनेक्शन पिछले दो सालों के अन्दर हम लोगों ने दे दिये, जबकि आपकी सरकार ने पिछले 5 वर्ष के अन्दर एक लाख 11 हजार कनेक्शन दिये थे और साथ-साथ आपने दो बार दाम बढ़ा दिये थे। यह तो हम लोगों ने नहीं किया है। और मैं इसलिये कहना चाहती हूं कि बिजली का मामला, अपन एक दफे के लिये इसको खतम करें क्योंकि हम लोग इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, मामला बहुत मुश्किल है, उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं, बिजली की समस्या होगी और इसको हटाने के लिये हम लोग ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी मदद भी मुझे विश्वास है कि मिलेगी।

फिर आपने कहा कि राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना के सम्बन्ध में प्रगति ठीक नहीं है। अब इस सम्बन्ध में खाली दो बात कहना चाहूंगी। इसमें यह है कि सबसे पहले हमने इस योजना के तहत 33 प्रस्ताव भारत सरकार के ग्रामीण विद्युतिकरण निगम को भिजवाये हैं । इनमें से उन्होंने केवल 17 को स्वीकृत किया है और वे भी 2007 तक हम पूरा कर देंगे। 17 ही दिये हैं उन्होंने, 33 हमने भेजे थे उनके पास। दूसरा, मैं यह कहना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत पूरे देश के लिये एक ही मापदण्ड रखे हैं। अब हमारी ज्याग्राफिकल स्थिति क्या है, वह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमको आप हिमाचल से कम्पेयर करो, या हमको आप किसी भी दूसरे छोटे स्टेट के साथ कम्पेयर करें तो मैं समझती हूं यह ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा एक गांव से दूसरा गांव या उसकी स्थिति इतनी लम्बी चौड़ी है उसको आप

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इलेक्ट्रिफाइड विलेज की अधिकतम सीमा के लिये साढ़े 6 लाख रुपये अगर कर दो तो मैं समझती हूं कि राजस्थान जैसे प्रदेश के लिये यह बहुत कम है। इसको बढ़ाने की जरुरत है। इसके लिये हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखी है, उनसे बात भी की है। मैं समझती हूं कि अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर हम इसके अन्दर कुछ आगे कदम उठा सकेंगे, नहीं तो यह राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना राजस्थान के लिये बेकार है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर आवासीय पट्टों के पंजीयन के समबन्ध में जो कठिनाई होती है, उसके बारे में बात की थी, यह समस्या मैं मानती हूं कि जेनुइन लगती है मेरे को और अगर कानूनी रूप से यह सम्भव हुआ तो इस समस्या का कोई स्थायी समाधान हम निकालने की कोशिश करेंगे। यह मैं आपको कहना चाहूंगी। माननीय सदस्य ने भेड़-पालकों के बीमा के बारे में कहा और इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि यह स्कीम 2004-05 के अन्दर हम लोगों ने चालू की थी। इस स्कीम को हम लोगों को पापुलराइज करने की जरुरत है, भेड़ पालकों के बीच में भी और भेड़ों को हम लोगों को एंश्योर करने की जरूरत है। अब जिस तरीके से इसकी प्रगति होनी थी, वह नहीं हुई है, वह मैं मानती हूं। परन्तु मैं यह समझती हूं कि यह इतनी अच्छी स्कीम है, ज्यादा से ज्यादा और लोगों से बातचीत करेंगे तो मैं समझती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी और लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। यह शुरूआत हो गयी है परन्तु इसको आगे भी हम इस्तेमाल करना चाहेंगे।

महिला विकास कार्यक्रम के लिये माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो पूरा केन्द्र सरकार के भरोसे है, यह सरासर गलत है, आपने यह कहा कि महिला विकास कार्यक्रम का जो खर्चा है, माननीय सदस्य जुबेर खान साहब ने कहा कि यह पूरा महिला विकास कार्यक्रम है वह केन्द्र सरकार के भरोसे है। मैं यह बताना चाहती हूं कि राज्य में महिला विकास कार्यक्रम शत-प्रतिशत राज्य के स्टेट प्लान के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है और महिला विकास अभिकरणों में जो भी अधिकारी लगाए जाएंगे, उन पर होने वाला समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सेंटर का कोई काम इसमें नहीं है। इस तरीके से मालूम नहीं, राजस्व प्राप्ति में 10.5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की बात सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने की, मुझे समझ में नहीं आता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो कहने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं। और इतना ही है कि यह आवश्यक नहीं है कि हम एक दूसरे की टांग-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

खिंचाई करें ही करें। अगर 2000-01 के अन्दर राजस्व प्राप्तियों का प्रश्न है तो मेरा निवेदन है, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ लें कि जो रिसीप्ट्स और बजट एस्टीमेट्स यह अधिक क्यों थे, यह इनसे पूछ लीजिये और इनका 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की प्राप्ति से क्या सम्बन्ध है, वह भी इनसे पूछ लीजिए, वे सब बता देंगे आपको।

यह सी.आर.एफ. बेलेंसेज पर अपन आ जाएं। यह सी.आर.एफ. बेलेंसेज का जो काम है, आप लोगों ने यह कहा कि सी.आर.एफ. बेलेंसेज की जो बात है उसमें यह कहना चाहती हूं कि अकाल राहत कार्य जनवरी से चालू किये गये हैं तो इस वजह से नहीं कि सी.आर.एफ. बेलेंसेज में कोई कमी है। इस वजह से भी नहीं कि सरकार का इरादा है कि वह बेलेंसेज के ऊपर हम बैठी रहे। ऐसा भी नहीं है कि हर वर्ष जनवरी के अन्दर ही कार्य चालू हो गया है क्योंकि आप यह देख लीजिये 1999-2000 के अन्दर फरवरी माह के अन्दर कार्य चालू हुआ, 2000-01 में जनवरी में शुरू हुआ और 2001-02 के अन्दर मई के अन्दर चालू हुआ। तो अकाल का कार्य तो तब शुरू होता है एब्सोल्यूटली जो अकाल की गम्भीरता के ऊपर निर्भर है। यह कोई सैट पेटर्न नहीं है कि हर साल जनवरी के अन्दर ही यह चालू हो जाएगा। इसलिये मैं तो समझती हूं कि यह किसी भी तरह का इम्प्रेशन देना कि खाली आप ही लोग बहुत संवेदनशील थे और सरकार आज संवेदनशील नहीं है, यह गलत बात है। मैं समझती हूं कि राहत कार्य खोलने के अन्दर हम लोग विलम्ब किसी भी तरीके से करना नहीं चाहते हैं, हम उसको खोल चुके हैं, काम चालू भी हो चुके हैं।

मैं बताऊं कि सी.आर.एफ. बेलेंसेज के संबंध के अन्दर हमको, यह गवर्नमेंट आफ इंडिया के अन्दर मामला अटका हुआ है। हमारी प्राब्लम है और मैं प्रद्युम्न सिंहजी को याद दिलाना चाहूंगी कि इनके कार्यकाल के दौरान 1999-2000 के अन्दर दसवें वित्त आयोग का जो अवार्ड का पीरियड था, उसके अन्दर जो आपके सी.आर.एफ. बेलेसेज थे, कुछ 155 करोड़ रुपये, यह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आपने रिसोर्सेज के अन्दर मान लिया था और 01 अप्रैल, 2000 को इसको राजस्व प्राप्तियों के अन्दर इसकी गणना हो गयी थी। अब 11वें वित्त आयोग की सिफारिशें 10वें वित्त आयोग के समान थीं और इसी तरीके से, पैरा 9.2.9.f को मैं यहां पर कोट करना चाहूंगी। "The balance in the fund at the end of the 5 Year Plan period may be made available to the States for being used as a resource for the next Plan." तो वर्ष 2004-05 के अन्त में जो सी.आर.एफ.का बेलेंस था, वह सिफारिश के अनुसार हम लोगों को भी रेवेन्यू रिसीट के अन्दर प्राप्त होना चाहिए था परन्तु केन्द्र सरकार ने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ऐसा हमको करने नहीं दिया है और इस बार यह रुपये जो करीब 400 करोड़ रुपये है, वह इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इसलिए जब आपने हमको कहा कि प्लान को हमने क्यों रिवाइज किया तो यह इसलिए रिवाइज किया कि करीबन 600 करोड़ रुपये हम लोगों का सरकार के साथ, गवर्नमेंट आफ इंडिया के साथ अटका हुआ है, यह पैसा अगर हमको मिल जाता तो हम आराम से अपने प्लान को और बढ़ा सकते थे और भारत सरकार चाहती है कि सी.आर.एफ. के वर्ष 2005-06 के ओपनिंग बेलेंस में इसको लिया जाए लेकिन हम कहते हैं कि ई.एफ.सी., यानि 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप यह नहीं होगा और इसीलिए हम वित्त मंत्रीजी के पास भी गये, हम प्रधान मंत्रीजी के पास भी गये। हमने कई चिट्ठियां भी उनको लिखीं और भारत सरकार यह स्वीकार भी कर चुकी है, मैं समझती हूं कि प्लान संशोधित हम लोगों को इसी की वजह से करना पड़ा इसके अन्दर कुछ एक्शन वे लें, इसके लिए हम तो आपसे भी कहते हैं कि इतना इम्पोर्टेण्ट इश्यु है, इतना सेंसेटिव इश्यु है तो प्रतिपक्ष को सिर्फ बुराई ही बुराई नहीं बल्कि हम लोगों की मदद भी तो करनी चाहिए ऐसी चीजों के अन्दर और इसीलिए चूंकि सब इतने सारे कवि हो गये हैं, मैं भी यह कहना चाहूंगी कि –

यूं बारबार न मेरे एतवार को जख्मी करो
कभी तो तुम भी भरोसे के काबिल बनो
मैं तो फिर ढूंढ लाऊंगी उजाले की किरण
कभी तो तुम भी अंधेरे के कातिल बनो।

तो मैं यह बजट प्रस्तुत करते समय आगे एक सॉलिड फाउण्डेशन के ऊपर इसको रखना चाहती हूं और हमने कभी अपनी उपलब्धियों को किसी भी तरीके से उसको मंजिल नहीं माना है। हमने तो यही कहा है कि यह एक शुरूआत है और इस शुरूआत को हम आगे सशक्त रास्ते के ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और हमने अपने संकल्प को एक दृढ़ता से आपके सामने स्पष्ट करने की यहां पर कोशिश की है। मैं इस संकल्प को खाली एक सपना नहीं सोचती हूं। यह सपना ही नहीं है। एक लेस ब्राउन हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। वह डिटरमिनेशन की बात है। वे कहते हैं कि –If you shoot for the moon, even if you miss, you will land amongst the stars." तो हमारी कोशिश है कि हम इसकी तरफ अपनी कोशिश करें। विकास की एक अपनी अलग से ही धारा है, वह तो अपने अलग से रास्ते पर चलता है और यह भी सही है कि

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हमारे सबके दल अलग-अलग हैं। विचारधारा के अन्दर भी फर्क है पर आखिर में उद्देश्य तो आपका भी और हमारा भी एक समान ही है। राजस्थान की प्रगति आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। राजस्थान के हर आदमी की समृद्धि आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं इसलिए मैं तो यह चाहती हूं कि हम लोग सब मिलकर इस जनता के बजट को क्रियान्वित करने के लिए मिलकर, साथ मिलकर, ताकत लगाकर आगे बढ़े ताकि इससे राजस्थान का, पूरे प्रदेश का लाभ हो। हमारी तो बातें चलती रहेंगी और यह विधान सभा क्या, अगर हम लोग सब एक दूसरे की बात, स्वर में स्वर मिलाकर बात करने लगे तो इसलिए आपको तो अपना धर्म निभाना है और हमें तो अपना फर्ज निभाना है इसलिए आपको सबको मैं धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने आज इस डिबेट के अन्दर, चार दिन से इस डिबेट के अन्दर अपना योगदान किया है। बहुत अच्छी बातें आयी हैं और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि इस एफ.आर.बी.एम. एक्ट को हम ही लोग लाये हैं। इस एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्दर हम ही लोग बंधे हैं और हम लोग इस चीज के अन्दर बंधे हैं कि राजस्थान के फिस्कल सिचुएशन को हम लोग अच्छी पटरी पर, सही पटरी पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हम पूरी तरह से मेनेज नहीं कर पाये परन्तु अगर जिस तरीके से हम चल रहे हैं और जो अनुमान हम लोगों ने किये हैं, मैं तो समझती हूं कि अगले दो साल के अन्दर, तीन साल के अन्दर हम इसको भी पूरा कर देंगे। बस आप लोगों का भी साथ होना चाहिए। आपको सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रतिपक्ष के नेता को तो मैं कितना भी धन्यवाद दूं, वह भी कम रहेगा। उन्होंने हमेशा आशीर्वाद समझो, वह दिया है और हौसला अफजाई की है और अगर उनका हाथ नहीं होता तो मैं समझती हूं कि ऐसा सब यहां पर जो बैठे हैं, सब लोग उम्र में उनसे कम हैं, मैं तो समझती हूं कि इनके साथ सीखने की जरूरत है हम लोगों को। हम लोग आप सबसे सीख लेंगे। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि आखिर में हम सबकी बात को मानकर आप लोगों ने इस डिबेट के अन्दर भी अपना अंशदान किया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कोई खास रिश्ता है क्या उनसे आपका ? ... (व्यवधान)

सदन की बैठक सोमवार दिनांक 20 मार्च, 2006 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.36 बजे सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में टिब्बा स्थिरीकरण हेतु विशेष पैकेज

172. **श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के किसानों के खेतों में बड़े-बड़े रेत के टीबों के कारण उन्हें खेती करना मुश्किल होता है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के निजी खेतों में टिब्बा स्थिरीकरण हेतु विशेष पैकेज के रूप में योजना घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। किसानों के निजी खेतों में टिब्बा स्थिरीकरण के विशेष पैकेज के रूप में कोई योजना वर्तमान में सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

पुलिसकर्मियों हेतु कार्यावधि का निर्धारण

173. **श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिसकर्मियों की अन्य राज्य कर्मियों की भांति काम करने की समय सीमा निर्धारित हैं? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि पुलिसकर्मियों के काम करने की समय सीमा नहीं होने व उनको समय पर छुट्टी नहीं मिलने के कारण परिवार से दूर रहने के कारण दिनों-दिन कर्मचारियों का मनोबल एवं काम करने का उत्साह कम होता जा रहा है?

(3) क्या सरकार पुलिसकर्मियों की कार्य करने की समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस एक्ट 1861 की धारा 22 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों को हमेशा ड्यूटी पर माना गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। प्रत्येक पुलिसकर्मी को सप्ताह में एक दिन अवकाश मिले एवं सामान्यतया आठ घण्टें दैनिक ड्यूटी देनी पड़े इसके लिये वर्तमान पुलिस बल की

(गृह मंत्री)

तुलना में लगभग डेढ़ गुणा पुलिस बल की आवश्यकता होगी। वित्तीय संसाधनों की सीमा को देखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

निगम द्वारा संचालित वातानुकूलित बसें

174. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करें :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पर्यटकों को सुविधायुक्त यातायात उपलब्ध कराने हेतु पथ परिवहन निगम द्वारा लम्बी दूरी की वातानुकूलित बसें लगाने का प्रावधान है? यदि हां, तो जयपुर से आबू पर्वत के लिए कितनी वातानुकूलित बसें चलाई जा रही हैं व नहीं तो क्यों?

(2) राज्य में निगम की कितनी वातानुकूलित बसें किस-किस मार्ग पर चल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वातानुकूलित बसों के संचालन से सरकार को घाटा होता है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में पर्यटकों एवं यात्रियों की मांग, अपेक्षित यात्रीभार की उपलब्धता व आर्थिक दृष्टि से लाभप्रदता का आंकलन करने के पश्चात किसी स्थान के लिये वातानुकूलित बस चलाने का निर्णय लिया जाता है। जयपुर से आबू पर्वत के लिए एक वातानुकूलित बस सेवा संचालित की जाती है लेकिन उसकी समयावधि निम्नानुसार है :-

ग्रीष्मकाल (अप्रैल से अगस्त) में वातानुकूलित बस सेवा दी जाती है एवं शीतकाल (सितम्बर से मार्च) में गैर वातानुकूलित बस सेवाएं दी जाती है।

(2) निगम द्वारा वर्तमान में जिन मार्गों पर वातानुकूलित बसों का संचालन किया जा रहा है। समय दर्शाते हुये विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

राजस्थान परिवहन निगम द्वारा राज्य में निम्न पर्यटकों की सुविधार्थ वातानुकलित बस सेवाओं का जिन-जिन मार्गों व गन्तव्यों के लिये वातानुकूलित बसों का संचालन किया जा रहा है

1	**जयपुर-दिल्ली मार्ग**	
	जयपुर-दिल्ली	दिल्ली-जयपुर
	0600-1100	1230-1730
	1900-2400	0600-1100
	1230-1730	1900-2400
	0830-1330	1600-2100
	2330-0430	0800-1300
	1430-1930	2245-0345
	1000-1500	1730-2230
	0015-0615	0930-1430
	1600-2100	0000-0500
	2230-0330	1100-1600
	0100-0600	1430-1930
2	**जयपुर-चण्डीगढ़ मार्ग**	
	जयपुर-चण्डीगढ़	चण्डीगढ़-जयपुर
	0915-2100	0915-2100 (देहली तक ए.सी.)
3	**जयपुर-अहमदाबाद मार्ग**	
	जयपुर-अहमदाबाद	अजमदाबाद-जयपुर
	1900-0900	1700-0730
4	**जयपुर-जोधपुर मार्ग**	
	जयपुर-जोधपुर	जोधपुर-जयपुर
	0630-1300	1500-2130
	1230-1900	2200-0430
	2330-0600	1100-1730

डरी (पाली) ग्राम पंचायत में वृक्षों की अवैध कटाई

175. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की ग्राम पंचायत डरी के ग्राम गोदावास जंगल में वृक्षों को काटने और कोयला बनाने का काम सरकार के आदेशानुसार किया जा रहा है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वृक्षों की कटाई का निर्णय पंचायत द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद लिया गया था? यदि नहीं, तो उक्त वृक्षों की कटाई के लिए जिम्मेदार ठेकेदार, सरपंच एवं संलिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा गोचर भूमि से बबूल की झाड़ी की सफाई हेतु बैठक दिनांक 18.1.2006 को उपखण्ड अधिकारी से स्वीकृति लेकर कार्य करवाने बाबत प्रस्ताव लिया गया था, किन्तु उपखण्ड अधिकारी की अनुमति के बिना मौके पर श्री मंगलाराम/धन्नाराम बावरी निवासी वायद के मजदूरों द्वारा लकड़ी काटकर कोयला बनाये जाने के कारण उनके विरुद्ध थाना गुडा एन्दला में दिनांक 7.2.2006 को एफ.आई.आर. संख्या 21 दर्ज करवाई गई। काटी गयी लकड़ी व बनाया गया कोयला ग्राम पंचायत द्वारा जब्त किया गया है। सरपंच एवं अन्य कर्मचारी की संलिप्तता नहीं होने से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

राज्य में अध्ययनरत छात्रों हेतु केरोसिन वितरण

176. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के बी.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवारों को आवश्यक वस्तुएं राशन डीलरों के माध्यम से सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो क्या-क्या वस्तुएं, कितनी-कितनी मात्रा में व किस दर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के अध्ययनरत छात्रों को केरोसिन उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितने छात्रों को कितना केरोसिन वितरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राशन डीलरों को उपभोक्ताओं को वितरित करने हेतु अग्रिम कोटा देने का भी प्रावधान है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सवाई-माधोपुर, बामनवास व बौंली में राशन डीलरों को केरोसीन आदि का एक माह में दो-दो, तीन-तीन बार अग्रिम कोटा आवंटित किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि प्रदेश में राशन डीलरों द्वारा अनियमितता के मामले विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कितने? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखते हुए उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवारों को आवश्यक वस्तुएं राशन डीलरों के माध्यम से सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ग	**खाद्यान्न/ केरोसीन**	**प्रतिमाह मात्रा**	**दर प्रति किग्रा./ली.**	
ए.पी.एल.	गेहूं, चावल	35 किलोग्राम प्रति परिवार	गेहूं	6.80
			चावल	9.00
बी.पी.एल.	गेहूं, चावल, मक्का	35 किलोग्राम प्रति परिवार	गेहूं	4.70
			चावल	6.30
	चीनी	500 ग्राम प्रति व्यक्ति	मक्का	380
			चीनी	13.50
सिंगल गैस कनेक्शन	केरोसीन	2 लीटर प्रति राशन कार्ड	रुपये 10.00	
सामान्य राशनकार्डधारी	केरोसीन	प्रति राशन-कार्ड के समानुपातिक आधार पर 3 से 5 ली.	रुपये 10.00	
डबल गैस कनेक्शन	केरोसीन	शून्य	शून्य	

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में अपने घरों से अन्य स्थानों पर अध्ययनरत छात्रों को केरोसीन उपलब्ध कराया जाता है। विभागीय निर्देशों के अनुरूप केरोसीन की उपलब्धता के अनुसार आवंटन समानुपातिक आधार पर दिया जाता है। गत दो वर्षों में अर्थात 10 जनवरी, 2005 से जब से यह योजना लागू की गई है छात्रों को कुल 6664896 लीटर केरोसीन तेल वितरण किया गया है। वर्तमान में उपलब्ध सूचना के आधार पर 106641 अध्ययनरत छात्रों को संस्था प्रधानों द्वारा जारी काडों के आधार पर केरोसीन वितरण किया जा रहा है।

(3) यह सही नहीं है कि राशन डीलरों को उपभोक्ताओं को वितरित करने हेतु अग्रिम कोटा देने का भी प्रावधान है।

(4) यह सही नहीं है कि सरकार द्वारा सवाईमाधोपुर, बामनवास व बौली में राशन डीलरों को केरोसीन आदि का एक माह में दो-दो, तीन-तीन बार अग्रिम कोटा आवंटित किया गया है। अग्रिम कोटा आवंटन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) यह सही है कि प्रदेश में राशन डीलरों द्वारा अनियमितता करने के मामले विचाराधीन है। राज्य में कुल 2088 मामले विचाराधीन हैं। जिनमें से 1874 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही दर्ज, 112 के प्राधिकार पत्र निलम्बित, 43 के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज, 18 के विरुद्ध 6 ए के तहत मामले दर्ज किये गये हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-''1'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

प्रदेश में राशन डीलरों द्वारा अनियमितता करने के मामलों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	विभागीय कार्यवाही विचाराधीन के मामले	प्राधिकार पत्र निलम्बन के मामले	एफ.आई. आर. के दर्ज मामले	6 ए तहत दर्ज किये गये मामले	राशन डीलरों की अनियमितता के कुल मामले
1.	अजमेर	35	12			35
2.	अलवर	25	11	1		25

1	2	3	4	5	6	7
3.	बांसवाड़ा	7				07
4.	बांरा	102				102
5.	बाड़मेर	2				02
6.	भरतपुर	2				02
7.	भीलवाड़ा	75				75
8.	बीकानेर	27	11	1		27
9.	बून्दी	42				42
10.	चित्तौड़गढ़	106				106
11.	चूरू	71			6	84
12.	दौसा	141				141
13.	धौलपुर	105				105
14.	डूंगरपुर	12	6	6	4	22
15.	श्रीगंगानगर	59				59
16.	हनुमानगढ़	63				63
17.	जयपुर	25		14		103
18.	जैसलमेर	1		1	1	1
19.	जालौर	10			1	10
20.	झालवाड़	3				3
21.	झुन्झुनुं	32				32
22.	जोधपुर	18				18
23.	करौली	31				31
24.	कोटा	219				219
25.	नागौर	298				298

1	2	3	4	5	6	7
26.	पाली	13	9	2		13
27.	राजसमन्द	117				117
28.	सीकर	11	11	2		64
29.	सिरोही	75				75
30.	सवाई माधोपुर	106	52	2	6	166
31.	टोंक	15		14		15
32.	उदयपुर	26				26
	कुल योग	**1874**	**112**	**43**	**18**	**2088**

कपासन उपखण्ड मुख्यालय के छात्रावास का रखरखाव

177. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में सरकार नये राजकीय छात्रावास संचालन की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा उपखण्ड मुख्यालय कपासन स्थित छात्रावास के मरम्मत एवं रख-रखाव पर वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05 व चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि स्वीकृत की गई व कितनी राशि व्यय की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास का संचालन नियत उद्देश्य हेतु किया जा रहा है? यदि नहीं, तो किन-किन कार्यों में उपयोग में लिया जा रहा है? तथा इसके लिए दोषी कौन-कौन हैं?

उत्तर

(1) इस वित्तीय वर्ष में नवीन छात्रावास खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नवीन छात्रावास खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) कपासन उपखण्ड मुख्यालय पर समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई छात्रावास संचालित नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मरम्मत पर कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(3) कपासन उपखण्ड मुख्यालय पर विभाग द्वारा छात्रावास संचालित नहीं किया जा रहा है।

भन्दर (बाली) ग्राम पंचायत की भूमि का वन भूमि में इन्द्राज

178. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली की वन क्षेत्र की कुल कितनी भूमि वन विभाग की होने के उपरान्त भी राजस्व रिकार्ड में सिवाचयक, चारागाह या अन्य किस्म प्रकृति के रूप में दर्ज है? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भन्दर की सीमा में लगभग 1700 हैक्टेयर वन भूमि वन रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जबकि इसमें वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाता रहा है तथा इसके दोनों तरफ की भूमि वन रिकार्ड में दर्ज है?

(3) क्या सरकार उक्त वन भूमि को वन रिकार्ड में दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में 5906.68 हैक्टर वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद होना शेष है। जिसका पंचायतवार विवरण परिशिष्ट ''क'' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) ग्राम पंचायत भंदर की 1698.39 हैक्टर सिवायचक भूमि वन विभाग के कब्जे में जो राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज नहीं है। इस भूमि पर विभाग द्वारा वन विकास कार्य करवाये गये है।

(3) उक्त भूमि को वन विभाग के नाम आवंटित करने का प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

परिशिष्ट ''क''

बाली विधान सभा क्षेत्र की वन पंचायतवार वन भूमि की सूचना

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	अमलबरामद से शेष क्षेत्र हैक्टर
1	नगरपालिका बाली	6.03
2	मालनू	71.07
3	लुन्दाड़ा	215.31
4	कोटबालियान	114.55
5	धणी	14.45
6	नाना	1626.71
7	कोयलवाव	
8	भीमाणा	
9	आमलिया	
10	काकराड़ी	2285.28
11	गोरिया	
12	कूरन	
13	बेड़ा	
14	कुमटिया	
15	बोरिया	49.66
16	सेवाड़ी	0.33
17	पीपला	36.69
18	लूणावा	0.78
19	साटाड़ा	1485.81
	कुल योग	**5906.67**

जिला मुख्यालों पर महिला पुलिस थानों की स्थापना

179. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के किस-किस जिले में कौन-कौन से पुलिस थाने पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री लालचन्द कटारिया)

(2) क्या सरकार प्रत्येक जिले में पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित महिला पुलिस थाना स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से थाने कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में कोई भी थाना पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित नहीं है।

(2) जी हां। संलग्न परिशिष्ट-1 में वर्णित 14 महिला थाना को प्रथमतया पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित करने का विचार है। महिला पुलिस कर्मियों की उपलब्धता को देखते हुए अभी समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट-1

राज्य के महिला पुलिस थाने

क्र.सं.	पुलिस जिला	महिला थाना
1.	जयपुर शहर (उत्तर)	जयपुर शहर (उत्तर)
2.	जयपुर शहर (दक्षिण)	जयपुर शहर (दक्षिण)
3.	जयपुर शहर (पूर्व)	जयपुर शहर (पूर्व)
4.	अजमेर	अजमेर
5.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
6.	उदयपुर	उदयपुर
7.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
8.	जोधपुर शहर	जोधपुर शहर
9.	पाली	पाली
10.	बीकानेर	बीकानेर
11.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
12.	भरतपुर	भरतपुर
13.	अलवर	अलवर
14.	कोटा शहर	कोटा शहर

नागौर जिले में खेल प्रतिभाओं के लिए प्रोत्साहन पर व्यय

180. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या युवा एवं खेल-कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खेल प्रतिभाओं एवं खेल परिवेश को बढ़ावा देने के लिये नागौर जिले में सार्थक प्रयास किये गये? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) सरकार द्वारा जिला नागौर में खेल प्रतिभाओं व खेल प्रशिक्षकों को प्रदेश व देश स्तर पर उभारने की दृष्टि से क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले में खेल प्रतिभाओं एवं खेल परिवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नागौर मुख्यालय पर खेल संकुल का निर्माण करवाया जा रहा है, इसमें 10.00 लाख रु. की लागत से सिन्डर ट्रेक बनकर तैयार हो चुका है। इस ट्रेक का उपयोग खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है। खेल संकुल स्टेडियम निर्माण हेतु 13.63 लाख रु. राज्य सरकार ने 2005 में व 20.00 लाख रु. 2006 में और जारी किये जा चुके हैं। इसके अलावा विधायक कोष से भी 10.30 लाख रूप की राशि स्टेडियम निर्माण हेतु प्रदान की गई है। स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। स्टेडियम पूर्ण हो जाने पर खिलाडियों को खेल मैदानों की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

कुचामन सिटी में भी स्टेडियम निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.86 लाख रु. की राशि दी गई है।

(2) नागौर जिले में खेल प्रतिभाओं को प्रदेश व देश स्तर पर उभारने की दृष्टि से ग्रामीण एवं महिला खेलों का आयोजन जिला मुख्यालय स्तर पर किया जाता रहा है। खिलाड़ियों को नियमित रूप से विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण जिले में पदस्थापित प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2004 में नागौर जिले के डीडवाना में केन्द्रीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को खेल परिषद् द्वारा नि:शुल्क भोजन एवं खेल सामग्री उपलब्ध करवाई गई। प्रतिवर्ष ग्रीष्म अवकाश पर विभिन्न खेलों में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी नागौर जिला मुख्याल पर किया जाता है।

(युवा एवं खेल-कूद मंत्री)

नागौर, मूंडवा एवं डीडवाना में हर वर्ष जिला स्तरीय खेलकूद प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं जिसमें खिलाड़ियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।

डीडवाना व मेड़ता सिटी में राज्य स्तरीय क्रिकेट खेल का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है।

सहाड़ा के पंचायत समिति एवं ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय में रिक्त पद

181. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की पंचायत समितियों एवं ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की सहाड़ा व रायपुर पंचायत समितियों एवं ब्लाक प्रारम्भिंक शिक्षा कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पद एवं इनमें से रिक्त पद, कब से रिक्त है, पंचायत समितिवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' पर अवलोकनीय है।

(2) वर्तमान में नई नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है तथा प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, कार्मिक उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

परिशिष्ट-अ

पंचायत समिति सहाड़ा के कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पद एवं इनमें से रिक्त पद, व कब से रिक्त है, का विवरण

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त है
1.	विकास अधिकारी	1		
2.	सहायक अभियन्ता	1		

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सहाड़ा के कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पद, इनमें से रिक्त पद व कब से रिक्त हैं का विवरण

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त है
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	1		
2.	कनिष्ठ अभियन्ता (वाटर शेड)	1		
3.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	1	19.7.05 से
4.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1		
5.	कनिष्ठ लेखाकार	2	1	23.7.05
6.	वरिष्ठ लिपिक	4	3	30.08.03
7.	कनिष्ठ लिपिक	2		2.9.03 एवं 7.12.05
8.	वाहन चालक	1		
9.	ग्राम सेवक	28	1	05.01.06 से
10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4		
11.	हैण्डपम्प फिटर	1		
12.	सहायक वनपाल	1		
13.	पशु रक्षक	2		
14.	तालाब चौकीदार	3		
15.	हैण्डपम्प मिस्त्री	10		
	योग	**64**	06	

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सहाड़ा के कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पद, इनमें से रिक्त पद व कब से रिक्त है का विवरण

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त है
1.	ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	1	1	08.12.05
2.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	2	2	05.02.03 व अगस्त 04 से
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	वर्ष 2000 से

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त है
4.	कार्यालय सहायक	1	-	
5.	कनिष्ठ लिपिक	3	1	09.04.04 से
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	-	
	योग	**9**	**5**	

परिशिष्ट-ब

पंचायत समिति रायपुर, के कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियेां के स्वीकृत पद एवं इनमें से रिक्त पद व कब से रिक्त है, का विवरण

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त है
1.	विकास अधिकारी	1	1	21.7.05
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	1		
3.	कनिष्ठ अभियन्ता (वाटर शेड)	2		
4.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	1	अगस्त 05
5.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1		
6.	कनिष्ठ लेखाकार	2	1	1.7.1998
7.	वरिष्ठ लिपिक	3	2	30.9.04 (दोनों पद)
8.	कनिष्ठ लिपिक	1		
9.	वाहन चालक	1		
10.	ग्राम सेवक	22		
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3		
12.	हैण्डपम्प फिटर	1		
13.	हैण्डपम्प मिस्त्री	9		
	योग	**48**	5	

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पद, इनमें से रिक्त पद व कब से रिक्त हैं, का विवरण

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त है
1.	ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	1	1	26.11.05
2.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	2	-	
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	3/2000 से
4.	वरिष्ठ लिपिक	1	-	
5.	कनिष्ठ लिपिक	5	2	29.07.04 व 31.05.04
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	-	
	योग	12	4	

सिरोही जिले के अकाल एवं अभावग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य

182. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में सरकार द्वारा राज्य में कुल कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए व अकाल राहत में जिलेवार श्रमिक सीमा कितनी तय की गई एवं माह फरवरी, 2006 में अकाल राहत पर जिलेवार कितने श्रमिक लगे हैं?

(2) गलत गिरदावरी के सम्बन्ध में सिरोही जिले से कितने ज्ञापन राज्य सरकार व जिला कलक्टर को प्राप्त हुए? ज्ञापनों की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त ज्ञापनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं इस संबंध में जिला परिषद व पंचायत समितियों द्वारा क्या प्रस्ताव पारित किये गये?

(3) सिरोही जिले में वर्ष 2004 व 2005 में कितनी वर्षा हुई? उक्त में से 2005 में 10 सितम्बर के बाद कितनी वर्षा हुई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कृषि विभाग के उप निदेशक सिरोही द्वारा 2 सितम्बर, 2005 को सिरोही जिले में वर्षा व फसल की स्थिति बाबत भेजी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(5) शिवगंज तहसील के ग्राम बादला में खरीफ 2005 की बुवाई कितने क्षेत्र में हुई एवं खरीफ की फसल का उत्पादन 2005 में उक्त गांव में कितना हुआ?

(6) जोधपुर में जनवरी माह में अकाल राहत मंत्री द्वारा ली गयी संभागीय बैठक में किस-किस जनप्रतिनिधि द्वारा गलत गिरदावरी के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया एवं राज्य सरकार ने उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की? फेमिन कोड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में (संवत् 2062 में) राज्य सरकार द्वारा 15778 गांव को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिलेवार श्रमिक सीमा व माह फरवरी, 2006 में अकाल राहत पर जिलेवार लगे श्रमिकों की सूची संलग्न है। परिशिष्ट-''अ''

(2) गलत गिरदावरी के सम्बन्ध में सिरोही जिले में पुन: खरीफ गिरदावरी करवाने बाबत जिले के सभी कांग्रेसजन एवं जन प्रतिनिधियों से चार ज्ञापन व दो प्रस्ताव क्रमश: पंचायत समिति शिवगंज एवं जिला परिषद सिरोही से प्राप्त हुये थे। उक्त प्राप्त ज्ञापनों एवं प्रस्तावों के संबंध में जिले के समस्त पांच तहसीलदारों से वस्तु स्थिति की जांच कराई गई, जिनके अनुसार गिरदावरी मौके पर जाकर सही करना पाया गया। ज्ञापन प्रस्तुत करने के समय मौके पर खरीफ फसल कट चुकी थी एवं उसके स्थान पर रबी फसल की बुवाई शुरू हो गई थी। ऐसी स्थिति में पुन: गिरदावरी कराना सम्भव नहीं था। प्राप्त ज्ञापनों एवं प्रस्तावों की प्रतियां संलग्न है। परिशिष्ट-''ब''

(3) सिरोही जिले में 2004 व 2005 में वर्षा की स्थिति (वर्ष मी.मी. में)

तह.	वर्ष 2004	वर्ष 2005	10.9.2005
सिरोही	386	818	311
शिवगंज	296	289	101
रेवदर	588	573	187
पिण्डवाड़ा	523	1161	511
आबूरोड़	522	682	287

(4) उप निदेशक, कृषि विस्तार, सिरोही के कार्यालय द्वारा दिनांक 2

(अकाल राहत मंत्री)

सितम्बर, 2005 को सिरोही जिले में वर्षा व फसल की स्थिति बाबत रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिसकी प्रति संलग्न है। परिशिष्ट-''स''

(5) शिवगंज तहसील के ग्राम ''बादला'' में खरीफ, 2005 में कुल 111 हैक्टयर क्षेत्र में बुवाई हुई तथा फसल उत्पादन का आंकलन 58.00 मै. टन प्राप्त हुआ।

(6) जोधपुर जिले में जनवरी, 2006 माह में अकाल राहत मंत्री द्वारा ली गयी संभागीय बैठक में जोधपुर जिले बाबत गलत गिरदावरी के संबंध में एक आध जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान आकृष्ट करवाया जा कर पुन: गिरदावरी की बात कही गई थी मिटिंग के दौरान ही सूचित कर दिया गया था, कि अब पुन: गिरदावरी संभव नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण

183. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बांरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शैक्षणिक सत्र 2005-06 में कितने अन्य पिछड़ा वर्ग के स्कूली छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण विद्यालयों के नामांकन अनुसार किया जाना था? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में कितने छात्र/छात्राओं को कितनी-कितनी राशि का वितरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विद्यालयों में नामांकित सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया? यदि नहीं, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शैक्षणिक सत्र 2005-06 में अन्य पिछड़ा वर्ग के स्कूल छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण विद्यालयों के नामांकन के अनुसार नहीं किया गया है अपितु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड 44,500/- रुपये वार्षिक आय वाले अभिभावकों के छात्र-छात्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार किया जाता है। जिलेवार प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची परिशिष्ट-''अ'' संलग्न है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सत्र 2005-06 में अन्य पिछड़ा वर्ग के 833 छात्र-छात्राओं के लिये 10,51,515/- रुपये का बजट आबंटन किया गया। विवरण परिशिष्ट–''ब'' संलग्न है।

(3) विद्यालयों में नामांकित सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया जाता है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अध्यधीन 44,500/- रुपये वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के अभिभावकों के छात्र-छात्राओं द्वारा आवेदन करने पर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। सत्र 2005-06 में आवेदित सभी 833 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया है।

परिशिष्ट-अ

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के सत्र 2005-06 में प्राप्त जिलेवार आवेदन पत्रों की संख्या

क्र.सं.	नाम जिला	आवेदन पत्रों की संख्या
1.	जयपुर	60
2.	दौसा	13
3.	भरतपुर	155
4.	अलवर	15
5.	धौलपुर	89
6.	अजमेर	119
7.	नागौर	1
8.	उदयपुर	7
9.	राजसमन्द	11
10.	बांसवाड़ा	8
11.	डूंगरपुर	8
12.	कोटा	15
13.	सवाईमाधोपुर	185

क्र.सं.	नाम जिला	आवेदन पत्रों की संख्या
14.	बीकानेर	3
15.	झुन्झुनूं	46
16.	करौली	79
17.	सीकर	19
	योग	**833**

परिशिष्ट-''ब''

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए सत्र 2005-06 में आबंटित राशि का विवरण

क्र.सं.	आहरण वितरण अधिकारी का नाम	बजट आबंटित राशि
1	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	8,72,100
2	निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राज., जयपुर	1,79,415
	योग	**10,51,515**

सिवाना तहसील में अरावली परियोजनान्तर्गत वन विकास कार्य

184. श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मरू रोक परियोजना एवं अरावली पहाड़ियों को हरा-भरा रखने की योजनाएं संचालित की गई हैं? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील का भौगोलिक क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों से आच्छादित है? यदि हां, तो इस पहाड़ी क्षेत्र को विकसित करने हेतु क्या योजना प्रस्तावित/चालू है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जिले वार सूची परिशिष्ट ''क'' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(वन मंत्री)

(2) इस पहाड़ी क्षेत्र को विकसित करने का कार्य प्रस्तावित वन विकास अभिकरण बाड़मेर के माध्यम से कराया जायेगा।

परिशिष्ट-''क''

विभिन्न जिलों में क्रियान्विति की जा रही प्रमुख वानिकी परियोजनाएं

क्र.सं.	जिलों का नाम	क्रियान्वित योजनाएं
1.	अलवर	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना।
2.	अजमेर	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, एवं वन विकास अभिकरण।
3.	बीकानेर	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, मरू प्रसार रोक योजना पुनः पौधकरण।
4.	बूंदी	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, वन विकास अभिकरण।
5.	बांरा	वन विकास अभिकरण, जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
6.	बाड़मेर	मरू प्रसार रोक योजना।
7.	बांसवाड़ा	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना विश्व खाद्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
8.	भीलवाड़ा	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, वन विकास अभिकरण, नदी घाटी परियोजना।
9.	भरतपुर	वन विकास अभिकरण।
10.	चित्तौड़गढ़	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वन विकास अभिकरण, नदी घाटी परियोजना।
11.	चूरू	मरू प्रसार रोक योजना, वन विकास अभिकरण।
12.	दौसा	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना बनास नदी परियोजना।
13.	धौलपुर	वन विकास अभिकरण।

क्र.सं.	जिलों का नाम	क्रियान्वित योजनाएं
14.	डूंगरपुर	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वन विकास अभिकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
15.	गंगानगर	वन विकास अभिकरण, पुन: पौधकरण।
16.	हनुमानगढ़	वन विकास अभिकरण, पुन: पौधकरण।
17.	जयपुर	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, वन विकास अभिकरण, बनास नदी परियोजना।
18.	जैसलमेर	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, मरू प्रसार रोक योजना, वन विकास अभिकरण।
19.	जालौर	मरू प्रसार रोक योजना, वन विकास अभिकरण।
20.	झालावाड़	वन विकास अभिकरण, नदी घाटी परियोजना, हर्बल गार्डन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
21.	झून्झनूं	मरू प्रसार रोक योजना, वन विकास अभिकरण
22.	जोधपुर	मरू प्रसार रोक योजना, वन विकास अभिकरण।
23.	करौली	वन विकास अभिकरण, बनास नदी परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बाघ परियोजना।
24.	कोटा	वन विकास अभिकरण, नदी घाटी परियोजना।
25.	नागौर	मरू प्रसार रोक योजना, वन विकास अभिकरण।
26.	पाली	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, मरू प्रसार रोक योजना, वन विकास अभिकरण
27.	राजसमन्द	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, वन विकास अभिकरण।
28.	सवाई माधोपुर	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, बनास नदी परियोजना।

क्र.सं.	जिलों का नाम	क्रियान्वित योजनाएं
29.	सीकर	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, मरू
30.	सिरोही	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, वन विकास अभिकरण, नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
31.	टोंक	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, वन विकास अभिकरण, बनास नदी परियोजना।
32.	उदयपुर	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वन विकास अभिकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

भीण्डर (उदयपुर) थाना का क्रमोन्नयन

185. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार बड़े क्षेत्रफल वाले थानों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि भीण्डर एक बड़ा कस्बा है व उसका क्षेत्रफल भी अधिक है? क्या सरकार थाना भीण्डर को निरीक्षक स्तर पर क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) थानों को क्रमोन्नत करने हेतु मात्र बड़ा क्षेत्रफल ही आधार नहीं हैं। थाने को क्रमोन्नत करने हेतु थाना क्षेत्र में दर्ज अपराधों की संख्या, क्षेत्र की साम्प्रदायिक संवेदनशीलता, कानून व्यवस्था की स्थिति आदि बिन्दुओं का ध्यान भी रखा जाना होता है।

(2) यह सही है कि भीण्डर एक बड़ा कस्बा हैं। पुलिस थाना भीण्डर को निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत करने का अभी विचार नहीं है। बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर आगे विचार किया जाएगा।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित निगम बस सेवा

186. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें कहां-कहां से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में निगम द्वारा उक्त क्षेत्र में किन-किन बस सुविधाओं को बंद किया गया व उनके फेरे घटाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बंद की गई बस सुविधाओं या फेरे घटाने के क्या कारण हैं? क्या क्षेत्रीय जनता की मांगों को देखते हुए सरकार बंद की गई बस सुविधाओं को पुन: चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में आम जनता व जन प्रतिनिधियों की मांग पर कुछ और बस सेवाएं संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो निगम में कहां-कहां बस संचालित करने की मांग विचाराधीन है? और उसमें से कहां-कहां नई बस सेवाएं संचालित कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न आगारों द्वारा दैनिक 222 बस सेवाएं संचालित है जिनका आगारवार एवं मार्गवार विवरण परिशिष्ट-''1'' पर संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों (2003, 2004 एवं 2005) में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा होकर/फुलेरा तक संचालित बस सेवाओं का पूर्ण संचालन बन्द नहीं किया गया है अपितु किसी मार्ग विशेष पर परिचक्रों की संख्या में कमी अवश्य की गई है तत्सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-''2'' पर संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित बस सेवाओं के परिचक्रों में कमी करने का प्रमुख कारण पर्याप्त यात्रीभार न मिलना रहा है। प्रश्न के भाग संख्या 1 के परिशिष्ट-''1'' में अंकितानुसार बस सेवायें उपलब्ध हो रहे यात्रीभार के अनुसार पर्याप्त मात्रा में संचालित हो रही है। अजमेर-सांभर 11.00 बजे सांभर-अजमेर 14.30 बजे एवं फलौदी-नागौर-जयपुर 17.00 बजे वाली मन्द बस का पुन: दिनांक 1.3.2006 से संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है शेष मार्गों पर पुन: परिचक्रों की संख्या में वृद्धि करने का फिलहाल कोई विचार नहीं हैं।

(यातायात मंत्री)

(4) जी हां। आम जनता एवं प्रतिनिधियों से मार्ग विशेष पर बस संचालन की मांग पर परीक्षाणोपरान्त उस मार्ग पर निगम बस सेवा संचालन पर विचार किया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की दूदू-सांभर वाया नरेना-फुलेरा मार्ग पर 09.00 बजे शटल बस सेवा संचालन की मांग विचाराधीन है।

जयपुर-कुचामन वाया सुरेरा एवं अजमेर से बधाल वाया फुलेरा-जोबनेर मार्गों पर निगम बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

परिशिष्ट-''1''

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में निगम के विभिन्न आगारों द्वारा मार्गवार दैनिक संचालित एकल परिचक्रों का विवरण

क्र. सं.	संचालित आगार	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
1.	वैशाली नगर	1. जयपुर-स्वामियों की ढ़ाणी वाया फुलेरा-सांभर	2
		2. जयपुर-फुलेरा	2
		3. जयपुर-सांभर वाया दूदू-नरेना	2
		4. जयपुर-आईदान का बास वाया सांभर-फुलेरा	2
		5. जयपुर-सांभर वाया फुलेरा	8
		6. जयपुर-जोबनेर वाया बोराज-आसलपुर	3
		7. जोबनेर-केकड़ी वाया बोराज-आसलपुर-दूदू	1
		8. केकड़ी-सिनोदिया वाया बोराज-	1
		9. सिनोदिया-जयपुर वाया बोराज-आसलपुर	1

क्र. सं.	संचालित आगार		मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
		10.	जयपुर-भैसावा वाया कालवाड़	4
		11.	जयपुर-पचार वाया लालपुरा-हिंगोनिया	2
		12.	जयपुर-रेनवाल वाया लालपुरा-हिंगोनिया	2
		13.	जयपुर-भैसावा वाया बेनिया का बास	2
		14.	जयपुर-रेनवाल वाया बेनिया का बास	2
		15.	जयपुर-जोबनेर वाया लालपुरा	4
		16.	जयपुर-जैतपुरा वाया जोबनेर	2
		17.	जयपुर-कुचामन वाया फुलेरा-सांभर	4
		18.	जयपुर-तोषीना वाया जोबनेर	2
		19.	जयपुर-गैलासर वाया जोबनेर	2
		20.	जयपुर-खातवाड़ी वाया जोबनेर	4
2.	नागौर	1.	नागौर-जयपुर वाया फुलेरा	18
3.	फलौदी	1.	फलौदी-नागौर-जयपुर	2
4.	ड़ीड़वाना	1.	नागौर-जयपुर	2
		2.	जयपुर-ड़ीड़वाना	7
		3.	जयपुर-बगराना	1
		4.	जयपुर-रोड़ू	1
5.	जयपुर	1.	जयपुर-सालासर वाया बिचून-सांभर-नावां	2
		2.	जयपुर-सुजानगढ़ वाया बिचून-सांभर-नांवा	2
		3.	बिचून-कुचामन	1

क्र. सं.	संचालित आगार		मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
		4.	कुचामन-जयपुर	1
		5.	जयपुर-बिचून	1
		6.	जयपुर-सीकर वाया कालावड़-जोबनेर-रेनवाल	2
		7.	जयपुर-मकराना वाया कालवाड़-जोबनेर -लूणवा	2
		8.	जयपुर-कुचामन वाया कालवाड़-जोबनेर-लूणवा	4
		9.	जयपुर-जोबनेर वाया कालवाड़-लालपुरा -पचार	4
		10.	जयपुर-देवली वाया कालवाड़-लालपुरा-पचार	2
		11.	जयपुर-लूणवा वाया कालावाड़-हिंगोनिया-मण्डा	2
		12.	जयपुर-लूणवा वाया कालवाड़–जोबनेर-मण्डा	2
		13.	जयपुर-मई वाया कालवाड़-जोबनेर-रेनवाल	2
		14.	जयपुर-देवली वाया कालवाड़-जोबनेर-मण्डा	2
6.	विद्याधर नगर	1.	जयपुर-कुचामन वाया दाता-मावा-रेनवाल	16
		2.	जयपुर-बधाल	16
		3.	जयपुर-लूणियावास वाया बधाल	16
7.	सीकर	1.	जयपुर-तोषीना	2

क्र. सं.	संचालित आगार		मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
		2.	सीकर-फुलेरा	2
		3.	दाता-जयपुर	1
		4.	सीकर-जयपुर वाया जोबनेर-रेनवाल	12
8.	श्रीमाधोपुर	1	श्री माधोपुर-निमाहेड़ा वाया खारियावास -रेनवाल-भादवा-सांभर-दूदू-अजमेर	2
9.	अजमेर	1.	अजमेर-सांभर	6
		2.	अजमेर-कोटसीना	2
		3.	अजमेर-रेनवाल	2
10.	झालानाडूंगरी	1.	नायला-जोबनेर	47
		2.	बगरू-जोबनेर	2
			कुल	222

परिशिष्ट-''2''

गत 3 वर्षों (2003- 2004 एवं 2005) में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बन्द किये गये परिचक्रों का आगार वार विवरण

क्र. सं.	संचालित आगार	मार्ग का नाम	समय	विशेष की बन्द की गई बस सेवा
1.	अजमेर	अजमेर-सांभर	1100	पुन: संचालित
		सांभर-दूदू	1315	
		दूदू-सांभर	1415	
		सांभर-अजमेर	1430	पुन: संचालित
		अजमेर-सांभर	0715	
		सांभर-दूदू	1100	
		दूदू-सांभर	1230	

क्र. सं.	संचालित आगार	मार्ग का नाम	समय	विशेष की बन्द की गई बस सेवा
		सांभर-अजमेर	1515	
2.	फलौदी	फलौदी-नागौर-जयपुर वाया सांभर-बिचून	0800	
		फलौदी-नागौर-जयपुर वाया सांभर-बिचून	1000	
		फलौदी-नागौर-जयपुर वाया सांभर-बिचून	1700	पुन: संचालित

अलवर जिले में केन्द्र प्रवर्तित ग्रामीण विकास योजनाएं

187. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की कितनी योजनायें संचालित है और इन योजनाओं हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई व उसमें से कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा अलवर जिले में ग्रामीण विकास की कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं व उसमें किन-किन योजनाओं में कार्य चल रहा है तथा कार्यों में क्या–क्या प्रगति हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

1. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
3. इन्दिरा आवास योजना
4. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (लोकसभा/राज्यसभा)
5. आई.डब्ल्यू.डी.पी.

योजनावार माह जनवरी, 2006 तक प्राप्त राशि एवं व्यय विवरण परिशिष्ट-''1'' पर उपलब्ध है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) राज्य सरकार द्वारा अलवर जिले में ग्रामीण विकास की निम्न योजनाएं जिला परिषद (ग्रा.वि. प्रकोष्ठ) के माध्यम से संचालित की जा रही हैं:-

1. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

2. मेवात विकास योजना

3. गुरू गोलवकर जन सहभागी विकास योजना

उक्त सभी योजनाओं में कार्य चल रहे हैं। योजनावार प्रगति परिशिष्ट-''2'' पर उपलब्ध है।

(व्यय का विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की बकाया अनुदान राशि

188. श्री रामलाल (बनेड़ा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2002 (अकाल संवत् 2059) में भीलवाड़ा जिले में अकाल घोषित कर भीलवाड़ा डेयरी के माध्यम से चारा डिपो खुलवाये गये? यदि हां, तो कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का अनुदान भुगतान बकाया है एवं क्यों?

(2) क्या सरकार उन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का बकाया अनुदान भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा वर्ष 2002 (अकाल सम्वत् 2059) में भीलवाड़ा जिले में अकाल घोषित कर भीलवाड़ा डेयरी के माध्यम से चारा डिपो खुलवाये गये थे। जिन संस्थाओं की बिल्टियां नियमानुसार भुगतान योग्य नहीं थी, ऐसी 145 बिल्टियां का भुगतान नहीं किया गया।

(2) जी नहीं। विभागीय निर्देशों की पालना में आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में राशि नियमानुसार भुगतान योग्य नहीं होने के कारण बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता।

बीकानेर जिले में संचालित छात्रावासों के छात्रों को देय सुविधाएं

189. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के छात्रावासों में गद्दे, चद्दर, तकिये खोल नियमानुसार कितने वर्ष बाद बदले जाते हैं? क्या सरकार द्वारा जिला बीकानेर के छात्रावासों के नियमानुसार नये गद्दे, चद्दर, समय-समय पर छात्रों को दिलाये जाते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों का अनुदान/छात्रवृत्ति बढ़ाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कालेज छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत गद्दे 5 वर्ष, चद्दर 2 वर्ष, तकिये के खोल 2 वर्ष के बाद बदले जाते हैं। सरकार द्वारा जिला बीकानेर के छात्रावासों में नियमानुसार नये गद्दे, चद्दर समय-समय पर दिलाये जाने का प्रयास किया जाता है।

(2) छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों का अनुदान/छात्रवृत्ति बढ़ाये जाने का बजट प्रस्ताव किया जा चुका है।

(3) कालेज स्तर के छात्रों हेतु छात्रावास संचालन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। छात्राओं के लिए बीकानेर सम्भागीय मुख्यालय सहित सभी सम्भागीय मुख्यालय पर छात्रावास निर्माण किया जावेगा।

निवाई विधान सभा क्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई

190. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र निवाई में लकड़ी की नीलामी की गई थी? यदि हां, तो कब-कब तथा उससे कितनी आय प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे?

(श्री हीरालाल)

(3) सरकार को उक्त वर्षों में अवैध कटाई की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कटाई हो रही है? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वन विभाग द्वारा लकड़ी की नीलामी नहीं की गई।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई के वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों में कहीं-कहीं चोरी छुपे पेड़ों के काटे जाने की घटनायें हुई हैं। विभागीय कर्मियों के द्वारा पेड़ काटने वाले के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की गई है। अवैध कटान की रोकथाम करने हेतु वनकर्मियों द्वारा क्षेत्र की नियमित रूप से गश्त की जा रही है।

(3) निवाई विधान सभा क्षेत्र के वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई संबंधित कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम निर्माण

297. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम व नादौती में खेल के लिये कोई भी मिनी-स्टेडियम नहीं है? क्या सरकार उक्त तहसीलों में मिनी-स्टेडियम बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। तहसील स्तर पर मिनी-स्टेडियम बनाने की कोई योजना नहीं है।

अजमेर जिले में खेल विकास हेतु कार्य योजना

298. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार द्वारा खेलों के लिए कोई खेल नीति की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उस नीति के तहत अजमेर में खेलों के विकास के लिए क्या योजना है?

उत्तर

जी नहीं। खेल नीति का प्रारूप उच्च स्तर पर विचाराधीन है।

दीगोद व सांगोद (कोटा) तहसीलों के खनन ठेके

299. श्री भरत सिंह (दिगोद) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद की तहसील दीगोद व सांगोद क्षेत्र में वर्ष 2005-06 में कुल कितने ठेके किस-किस खनिज कार्य हेतु किन-किन व्यक्तियों को प्रदान किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील दीगोद व सांगोद में सेण्ड स्टोन व मेसनरी स्टोन के स्वीकृत खनन क्षेत्र कहां-कहां किस-किस ग्राम में है तथा स्वीकृत खनन कार्य का कुल क्षेत्रफल व खसरा नम्बर क्या है?

(3) तहसील दीगोद व सांगोद में बजरी का ठेका किस-किस ग्राम के

(श्री भरत सिंह)

राजस्व क्षेत्र में दिया गया? बजरी पर रायल्टी व परमिट फीस किस दर से वसूल की जाती है?

(4) क्या यह सही है कि बजरी व मेसनरी स्टोन पर रायल्टी व परमिट फीस निर्धारित दर से वसूल की जाती है? यदि नहीं, तो फीस किस आधार पर वसूल की जाती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद की तहसील दीगोद व सांगोद में से वर्ष 2005-06 में 4 ठेके दिये गये हैं, जिसमें 2 ठेके खनिज बजरी के अधिशुल्क व परमिट फीस वसूली हेतु तथा 2 ठेका खनिज मेसेनरी व सेण्ड स्टोन के अधिक अधिशुल्क वसूली के दिये गये, जिसका विवरण परिशिष्ट-''1'' में संलग्न है।

(2) तहसील दीगोद व सांगोद में सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन व मेसेनरी स्टोन के स्वीकृत खनन क्षेत्र तथा खनन कार्य का क्षेत्रफल व खसरा नम्बर का विवरण परिशिष्ट-''2'' में संलग्न है।

(3) तहसील दीगोद व सांगोद में तहसील दीगोद के बजरी का ठेका तहसील दीगोद, लाडपुरा व पिपल्दा जिला कोटा तहसील इन्द्रगढ़ व केशवरायपाटन जिला बूंदी का संयुक्त रूप से अधिशुल्क व परमिट फीस वसूली हेतु दिया गया है तथा तहसील सांगोद में खनिज बजरी का ठेका सम्पूर्ण तहसील का राजस्व सीमा के अनुरूप अधिशुल्क व परमिट फीस वसूली हेतु पृथक से दिया गया है वर्तमान में बजरी पर रायल्टी दर 8 रुपये प्रतिटन है व परमिट फीस निम्नांकित है:-

2 टन तक 2 रुपये

2 टन से 8 टन तक 20 रुपये

8 टन से 30 टन 50 रुपये

30 टन से 200 टन तक 100 रुपये

200 टन से 500 टन तक 200 रुपये

व इससे अधिक प्रति 100 टन पर 50 रुपये

(4) जी हां। खनिज बजरी पर रायल्टी व परमिट फीस तथा मेसेनरी स्टोन पर अधिक अधिशुल्क राशि निर्धारित दर से वसूल की जाती है।

परिशिष्ट-"1"

राजस्थान-सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियंता, कोटा वृत्त, कोटा

तहसील दीगोद व सांगोद में वर्ष 2005-06 में दिये गये ठेकों का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	खनिज	ठेके का प्रकार	ठेकेदार का नाम	राशि (लाखों में)	प्रभावी अवधि
1.	तहसील दीगोद, पीपल्दा जिला कोटा व तहसील मांगरोल व अन्ता जिला बूंदी	मेसनरी स्टोन व सेण्ड स्टोन	अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेका	श्री भगवान सिंह	14.73	1.4.2005 से 31.3.2007 तक
2.	तहसील लाडपुरा, दीगोद व पीपल्दा जिला कोटा तथा तहसील इन्द्रगढ़ व केशवरायपाटन जिला बूंदी	बजरी	अधिशुल्क एवं परमिट फीस संग्रह ठेका	श्री भगवान सिंह	28.52	10.9.2004 से 6.8.2005 तक
3.	तहसील सांगोद जिला कोटा	बजरी	अधिशुल्क एवं परमिट फीस संग्रह ठेका	श्री लक्ष्मण सिंह	10.61	1.4.2005 से 31.3.2007
4.	तहसील सांगोद जिला कोटा	मेसनरी स्टोन व सेण्ड स्टोन	अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेका	श्री हरीश गोत्तम	4.86	1.4.05 से 31.3.2007

अधीक्षण खनि अभियंता,
कोटा वृत्त कोटा

परिशिष्ट-2

राजस्थान-सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

तहसील दीगोद एवं तहसील सांगोद में स्वीकृत खननपट्टों विवरण

क्र.सं.	खननपट्टाधारी का नाम	खनिज	निकट ग्राम	क्षेत्रफल	खसरा नं.
(अ) तहसील दीगोद					
1.	श्री केडी मिनरल प्रो. हरविन्दर कौर निवासी छावनी, कोटा	मैसनरी स्टोन	पुराना पाचड़ा तह. दीगोद	1.00 है.	271
2.	श्री केडी मिनरल प्रो. हरविन्दर कौर निवासी छावनी, कोटा	मैसनरी स्टोन	पुराना पाचड़ा	1.00 है.	271
(ब) तहसील सांगोद					
3.	श्री कंवर लाल, निवासी बपावरकलां	मैसनरी स्टोन	बपावरकलां	1.00 है.	1864
4.	श्री मोहब्बत अली, निवासी मोईकला	मैसनरी स्टोन	मोईकला	1.00 है.	1389
5.	श्री अब्दुल रईस, निवासी मोईकला	मैसनरी स्टोन	मोईकला	1.00 है.	549
6.	श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी मोईकला	मैसनरी स्टोन	मोईकला	1.00 है.	1891
7.	श्री प्रहलाद, निवासी डूंगरपुर	मैसनरी स्टोन	डूंगरपुर	1.00 है.	362
8.	श्री अब्दुल अजीज, निवासी बपावर	मैसनरी स्टोन	लटूरी	1.00 है.	549
9.	श्री रामलाल	सैण्ड स्टोन	सोरिया खैडी	0.54 है.	4

क्र.सं.	खननपट्टाधारी का नाम	खनिज	निकट ग्राम	क्षेत्रफल	खसरा नं.
10.	श्री कन्हैयालाल शर्मा, निवासी मण्डाना	सैण्ड स्टोन	सोरिया खैडी	0.72 है.	4
11.	श्री अब्दुल हुसैन, निवासी मण्डाना	सैण्ड स्टोन	सोरिया खैडी	0.72 है.	4
12.	श्री जूम्मा भाइ, निवासी जोप	सैण्ड स्टोन	सोरिया खैडी	0.72 है.	4
13.	श्री मोतीलाल मीणा, निवासी मण्डाना	सैण्ड स्टोन	सोरिया खैडी	0.55 है.	4
14.	श्री हीरालाल चौबे, निवासर मण्डाना	सैण्ड स्टोन	सोरिया खैडी	0.72 है.	4

अधीक्षण खनि. अभियन्ता (प्रथम)

आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को आबंटित खानों का भौतिक कब्जा

300. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में कहां-कहां किस-किस प्रकार की खानें आबंटित की गई? खान का प्रकार, व्यक्ति का नाम वर्ग फीट या एकड़ तथा स्थल जिले सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खानों को किस-किस को लीज पर दे दिया गया, कौन-कौन सी खाने चालू हैं तथा अभी लीज के लिए कितने व्यक्तियों का प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खानों में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने व्यक्तियों को खान आबंटित की गई? अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए खनन आबंटित करने का क्या प्रावधान है?

(4) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 16.12 प्रतिशत के हिसाब से खान आबंटित करने का विचार रखती है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को जो खानें आबंटित की गई है, क्या उन पर वास्तविक रूप से इन व्यक्तियों का कब्जा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें कब्जा दिलाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में आबंटित की गई खानों का विवरण कार्यालयवार परिशिष्ट-1 (पृष्ट-234) में संलग्न है।

(2) उक्त खानों में से लीज पर दी गई खानों एवं प्रभावशील खानों का विवरण परिशिष्ट-1 में वर्णित है। जिन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है, उनमें प्रधान खनिज के खनन पट्टों के 6409, पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के 913, अप्रधान खनिज खनन पट्टों के 14479, अप्रधान पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के 234, क्वारी लाइसेंस के 2799 आवेदन पत्र विचाराधीन है।

(3) उक्त खानों में से अनुसूचित जाति के 170 तथा अनुसूचित जनजाति के 159 व्यक्तियों को खाने आबंटित की गई। प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए खनन पट्टा आबंटन बाबत् कोई प्रावधान नहीं है। अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 7(3) के अनुसार मेसेनरी स्टोन व एसोसियेटेड मिनरल्स के खनन पट्टा स्वीकृत करने में अनुसूचित जाति/जनजाति श्रमिकों के लिए प्राथमिकता का प्रावधान है तथा अध्याय तीन नियम 27 में डेलीनियेटेड क्वारी लाइसेंस जारी करने में 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ जनजाति पिछड़ी जाति के खान श्रमिक व 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ जनजाति लोगों के लिए जाति आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा मारबल एवं ग्रेनाइट पोलिसी, 2002 में नये डेलीनियेटेड प्लाट्स के आबंटन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमश: 10-10 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है।

(4) जी नहीं। अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता एवं आरक्षण का प्रावधान बिन्दु संख्या 3 के अनुसार विद्यमान है।

जी हां। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को जो खानें आवंटित की गई है, उन पर वास्तविक रूप से इन्हीं व्यक्तियों का कब्जा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर विधान सभा क्षेत्र के थानों में दर्ज प्रकरण

301. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में जनवरी, 2004 से अब तक कितने प्रकरण चोरी, लूट, बलात्कार, हत्या एवं उपद्रव के पंजीकृत हुये? इनमें से

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

कितनों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया व कितने अपराधी अब तक पकड़े नहीं गये? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) दर्ज प्रकरणों के आधार पर चालान पेश करने का प्रतिशत क्या है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में जनवरी, 2004 से अब तक चोरी, लूट, बलात्कार, हत्या एवं उपद्रव के प्रकरणों की स्थिति अपराध शीर्षकवार निम्नानुसार है:-

अपराध शीर्षक	दर्ज प्रकरणों की संख्या	चालान पेश प्रकरणों की संख्या	न्यायालय में चालान प्रकरणों में अभियुक्तों की संख्या	गिरफ्तारी से शेष रहे अपराधियों की संख्य
चोरी	308	48	90	-
लूट	5	3	12	-
बलात्कार	6	6	12	-
हत्या	18	12	24	-
उपद्रव	32	23	70	3
कुल योग	**369**	**92**	**208**	**3**

इस प्रकार मुकदमा नं. 27/05 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 307 भा.द.सं. पुलिस थाना सरद, जिला सीकर में तीन मुल्जिम सर्वे श्री बीरबल पुत्र गोपाल, रामकुमार पुत्र नानकराम एवं शंकरलाल पुत्र नन्दाराम जाति जाटान निवासी नानी गांव पुलिस थाना सदर जिला सीकर की गिरफ्तारी शेष है।

(2) दर्ज प्रकरणों के आधार पर चालान पेश करने का प्रतिशत 25 है।

कानून व्यवस्था हेतु गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती

302. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमराराम (धोद))

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पुलिस कर्मियों की कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार बोर्डर होमगार्ड एवं होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी पर लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) इन होमगार्डस का उपयोग कानून व्यवस्था बनाये रखने में लेने के लिए सरकार की क्या योजना है?

(3) बोर्डर होमगार्डस को हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद भी उपयोग नहीं करने के क्या कारण है?

उत्तर

(1) जब भी नियमित पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है बोर्डर होमगार्ड एवं होमगार्ड के स्वयं सेवकों की सेवाएं आहूत की जाती है वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन 1190 होमगार्डस रात्रि कालीन ड्यूटी पर लगे हुए है। वर्ष के दौरान विभिन्न मेलों, त्यौहारों, चुनावों, परीक्षाओं, कानून व्यवस्था सम्बन्धी ड्यूटी पर आवश्यकता अनुसार होमगार्डस व बोर्डर होमगार्डस को पुलिस के साथ नियोजित किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान 55,344 होमगार्डस सदस्यों को 8,30,109 मैन-डैज तथा 3,238 बोर्डर होमगार्डस सदस्यों को 3,53,820 मैन डैज के लिए नियोजित किया गया है। इस प्रकार वर्ष भर में कुल 58,582 स्वयं सेवकों को 11,83,929 मैन-डेज के लिए नियोजित किया गया।

(2) जैसा कि खण्ड एक में उल्लेखित किया गया है कि आवश्यकता अनुसार कानून व्यवस्था ड्यूटी व मेलों, त्योहारों, चुनावों, परीक्षाओं आदि के अवसर पर होमगार्डस का नियोजन पुलिस के साथ किया जाता है। साथ ही अन्य विभागों/निगम/मण्डल की मांग पर होमगार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं, जिसका भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाता हैं।

(3) बोर्डर होमगार्डस का आवश्यकतानुसार युक्ति संगत ढंग से उपयोग किया जा रहा है। अत: उपयोग में नहीं लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

बामनवास विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित पुलिस चौकियां

303. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बढ़ते अपराधों के कारण

(श्री हीरालाल)

ग्राम सुकार मलारना चौड़ एवं बाटोदा में पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में ग्राम सुकार, मलारना चौड़ में पुलिस चौकी खोलने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं हैं। चौकी की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता होने पर बाटौदा में पुलिस चौकी खोलने पर विचार होगा।

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों हेतु विश्राम गृह

304. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार बाड़मेर जिले के जिला मुख्यालय पर पुलिस सेवा से सेवा निवृत्त कर्मियों को ठहरने हेतु विश्रामगृह बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पुलिस सेवा से सेवानिवृत्ति कर्मियों को ठहरने हेतु विश्राम गृह बनाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

पुलिस थानों में इन्टरनेट के माध्यम से दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

305. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में किन-किन पुलिस थानों में इन्टरनेट के माध्यम से एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की सुविधा उपलब्ध है एवं इन पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में गत वर्ष इन्टरनेट के माध्यम से कितनी एफ.आई.आर. विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में जयपुर शहर में समस्त 41 पुलिस थानों में इन्टरनेट के माध्यम से एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की सुविधा उपलब्ध हैं। इस पर सरकार द्वारा रु. 88,57,630/- व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:-

(गृह मंत्री)

हार्डवेयर :- जयपुर शहर के 70 फील्ड लेवल कार्यालयों (महानिरीक्षक कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय/ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं पुलिस थाने) हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा स्टेट डाटा सेन्टर पर सर्वर हेतु	रु. 76,57,630/-
सोफ्टवेयर :- सोफ्टवेयर विकसित करने हेतु	रु. 12,00,000/-
कुल व्यय	**रु. 88,57,630:-**

(2) राज्य में गत वर्ष इन्टरनेट के माध्यम से विभिन्न पुलिस थानों पर 11 शिकायतें प्राप्त हुई। वर्ष 2005 में इन्टरनेट के माध्यम से दर्ज अभियोग/शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-''ए'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''ए''

राज्य में वर्ष 2005 में इन्टरनेट के माध्यम से दर्ज अभियोग/शिकायतों का विवरण

क्रम संख्या	पुलिस थाना	परिवादी का नाम	परिवाद देने का दिनांक	परिवाद पर की गई कार्यवाही।
1	विद्याधर नगर	अशोक पारीक नि. बी-144 नया खेड़ा, जयपुर	26.2.2005	मु. संख्या 251/05 धारा 379 भादस में दर्ज किया गया।
2	शास्त्री नगर	कैप्टिन दीनसिंह राठौड़, ए-5, शास्त्री नगर, जयपुर	16.5.2005	धारा 107, 116 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत इस्तगासा पेश किया गया।
3	सोड़ाला	शबाना खानम, 345, मेहनत नगर, हडवाड़ा, जयपुर	26.2.2005	पूर्व से मं न. 63/05 थाना सोड़ाला पर दर्ज था जिसे मुकदमें की पत्रावली में शामिल किया।
4	अशोक नगर	डी.के. सिंह, नि. डी-1/102, कमल अपार्टमेंट बनीपार्क, जयपुर	16.4.2005	जांच से कोई अपराध बनना नहीं पाया। बाद जांच फाईल किया गया।
5	विधायकपुरी	अमित डागर, नि. हिन्दुस्तान टाईम्स, जयपुर	21.7.2005	मु.न. 296/05 धारा 379 भादस में दर्ज किया गया।
6	अशोक नगर	अशोक गुप्ता नि. एफ-166, गौतम मार्ग सी-स्कीम जयपुर	27.7.2005	बाद जांच परिवाद फाईल किया गया।
7	ज्योति नगर	हिमांशु पालीवाल, डी-28 गणेश मार्ग, बापू नगर	6.8.2005	जांच जारी है।

क्रम संख्या	पुलिस थाना	परिवादी का नाम	परिवाद देने का दिनांक	परिवाद पर की गई कार्यवाही।
8	अशोक नगर	अब्दुल्ला मुकद्दम, मुम्बई	23.9.2005	दिये गये पते पर परिवादी नहीं मिला, खाली करके कहीं बिना बताये चला गया।
9	विधायकपुरी	अलंकार खन्ना, नि. 113 संगम टांवर	18.10.2005	जांच जारी है।
10	विधायकपुरी	सुभाष पाल सिंह, नि. काशी बाई छगन झवेरी स्कूल जयपुर	24.11.2005	जांच जारी है।
11	महेश नगर	के.पी. बजाज नि. 53 धुलेश्वर गार्डन जयपुर	7.12.2005	पूर्व से ही मु. सं. 315/05 थाना महेश नगर पर दर्ज था जिसे पत्रावली में शामिल किया गया।

चौरासी की पुलिस चौकी कुआं का क्रमोन्नयन

306. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौरासी की चौकी कुआं को थाना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्तमान में अपराधों की स्थिति को देखते हुए चौकी कुआं को थाना बनाने का कोई विचार नहीं हैं।

डूंगरगढ़ पुलिस थाना में दर्ज प्रकरण

307. श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पुलिस थाना श्री डूंगरगढ़ में वर्ष 2003, से अब तक चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं, कितनी चोरियां पकड़ी गई तथा कितने मामले लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अवधि में दर्ज चोरी के मामलों में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुलिस थाना श्री डूंगरगढ़ में वर्ष 2003 से 28 फरवरी, 2006 तक चोरी के 102 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें से 33 प्रकरणों में चोरियां पकड़ी जाकर न्यायालय में चालान किया गया। चोरी के 6 प्रकरणों में अभी अनुसंधान लम्बित है।

(2) जिन अभियोगों में माल व मुलजिमान का पता नहीं चला है उनमें भी अन्य मुकदमात के साथ माल व मुलजिमान की पतारसी जारी है, समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

डेगाना एवं परबतसर तहसील (नागौर) में अवैध आरा मशीनों द्वारा लकड़ियों की चिराई

308. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील डेगाना एवं तहसील परबतसर जिला नागौर में कुल

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

कितनी अवैध आरा मशीनें कार्यरत हैं? विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आरा मशीनों द्वारा गीली व हरी लकड़ी की चिराई प्रतिदिन की जाती है? यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा इस अवैध चिराई को रोकने हेतु समय-समय पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही में पक्षपात पूर्ण तरीके अपनाये गये? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील डेगाना एवं तहसील परबतसर में वर्तमान में कोई भी अवैध आरा मशीन कार्यरत नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

नागौर जिले में पशु-पक्षियों के शिकार की घटनाओं की रोकथाम

309. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला नागौर में हिरण, राष्ट्रीय पक्षी मोर व अन्य जीव-जन्तुओं, पशु-पक्षीओं की सुरक्षा, चिकित्सा व शिकार संबंधी घटनाओं की रोक थाम हेतु क्या प्रयास किये गये? कितनी राशि इस हेतु आबंटित की गई?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला नागौर में मोर व हिरण की गणना की गई है? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा जिला नागौर में हिरण, मोर तथा अन्य वन्य-जीवों की सुरक्षा तथा शिकार रोकने हेतु स्थानीय स्टाफ एवं अन्य जीव गश्ती दल द्वारा नियमित गश्त की जाती है। पशु-पक्षियों तथा अन्य वन्य-जीवों के बीमार एवं घायल होने की जानकारी होने पर स्थानीय पशु चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा करायी जाती है। वन्य-जीवों की सुरक्षा एवं चिकित्सा हेतु कोई अलग से राशि आबंटित नहीं है।

(वन मंत्री)

(2) जी हां। जिला नागौर में मोर व हिरण की गणना का विवरण परिशिष्ट-''क'' अनुसार सदन की मेज पर रखें।

परिशिष्ट-क

वन मंडल नागौर द्वारा वन्य जीवों की गणना मई, 2005 के अनुसार आकलन की गई संख्या का विवरण

क्र.सं.	प्रजाति का नाम	गणना करने पर आकलन की गयी संख्या
1	मोर	5077
2	काला हिरण	3330
3	चिंकारा	2768

खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

310. श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में सरकार द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग के कितने कार्य कहां-कहां कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में विभाग द्वारा निर्माण कराये गये वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की सूची परिशिष्ट-''क'' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

परिशिष्ट-''क''

खैरवड़ा विधान सभा में गत 2 वर्षों में बनवाये गये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की सूची

वर्ष	नाम कार्य एवं कार्य स्थल	पूर्ण/अपूर्ण
2003-04	ड्रोप स्पिल वे झाझरी	पूर्ण
2004-05	एनिकट पीपली	पूर्ण

फलासिया विधान सभा क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

311. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलासिया में गत तीन वर्षों में कितने वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य कहां-कहां कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में गत 3 वर्षों में वन-विभाग द्वारा कराये गये वाटर हार्वेस्टिंग कार्यों की सूची परिशिष्ट ''क'' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

परिशिष्ट-''क''

फलासिया विधान सभा क्षेत्र में बनाये गये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की सूचना

क्रं.सं.	वर्ष	स्ट्रक्चर का प्रकार	कार्य स्थल
1	2	3	4
1	03-04	1– गोबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड वारा
		2– गेबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड सौन्द्रफ
		3-गेबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड गोरणीयाघाटा
		4-गेबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड सोन्द्रफ
		5– परकोलेशन टैंक (साधारण)	वनखण्ड सोन्द्रफ
		6– परकोलेशन टैंक (With Pitching)	वनखण गोरणीयाधाटा
		7– परकोलेशन टैंक (With outlet)	वनखण्ड गोरणीयाधाटा
		8-एनीकट	गामरी की नाल
		9-एनीकट	कड़वा महुआ
2	04-05	1– गोबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड सलार
		2– गेबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड बारा
		3-गेबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड चितरोड़ा
		4-गेबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड ढीमड़ी

1	2	3	4
2	04-05	5-गेबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड गौरण
		6– परकोलेशन टैंक (With outlet)	वनखण्ड सेरा
		7-एनीकट	फुलवारी की नाल
		8-ड्राप स्पील वे	फुलवारी की नाल
		9– गेबियन स्ट्रक्चर	फुलवारी की नाल
		10-परकुलेशन टैंक विथ आउट-लेट	माण्ड़वा
		11-एनीकट	ढेड़मारिया
		12-एनीकट	बाध बकरी नाला मामेर
		13-ड्राप स्पील वे	ढेड़मारिया
		14-गेबियन स्ट्रक्चर	ढेड़मारिया
		15-ड्राप स्पील वे	मामेर
		16-गेबियन स्ट्रक्चर	मामेर
		17-एनीकट	आमड़ा
		18-लघु एनीकट	लथूनी
3	05-06	1-गेबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड सेरा
		2-गेबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड मादड़ी
		3-गेबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड सरकीघाटी
		4-गेबियन स्ट्रक्चर	वनखण्ड लाम्बाहल्दु
		5-परकोलेशन टैंक (With Pitching)	वनखण्ड सलार
		6– सिल्ट डिटेन्शन स्ट्रक्चर	वनखण्ड लाम्बाहल्दु
		7-एनीकट	खांचण लुहारी
		8-लघु एनीकट	थला

सरिस्का होटल अलवर द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण

312. श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) : क्या वन-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरिस्का होटल, अलवर द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो कितना? सरकार इस अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या कार्यवाही करने पर विचार रखती हैं?

उत्तर

सरिस्का होटल के नाम से बाघ परियोजना सरिस्का में कोई होटल नहीं हैं। ''सरिस्का पैलेस'' के नाम से एक होटल है। ''सरिस्का पैलेस'' होटल द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है।

उदयपुर जिले में उचित मूल्य के गेहूं वितरण में व्याप्त अनियमितताएं

313. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर जिले में गेहूं घोटाला करने वाले राजससंघ के कौन-कौन अधिकारी लिप्त हैं? उनके विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गेहूं घोटाले में पकड़े गये व्यापारी एवं ठेकेदारों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार उनको ब्लैक लिस्टेड करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला रसद अधिकारी, उदयपुर ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट के अवगत कराया है कि राजससंघ के निम्न अधिकारी गेहूं घोटाला काण्ड में लिप्त पाये गये हैं:-

1. श्री लियाकत हुसैन, प्रबन्धक विपणन
2. श्री गजराज सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक
3. श्री रमेश लिखमावत, स्टोर कीपर

प्राप्त सूचना के अनुसार इन कर्मचारियों को निलम्बित कर विभागीय जांच की जा रही है।

(2) गेहूं घोटाले में पकड़े गये व्यापारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

पुलिस थाना, हिरण मगरी में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्वेषण के बाद न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गई है।

राजसंघ द्वारा सम्बन्धित परिवहनकर्त्ता को ब्लेक लिस्टेड किये जाने नोटिस जारी किया गया है। राजससंघ के स्तर से ही कार्यवाही अपेक्षित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-314

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या-315

(स्थगित)

बारां जिले के छात्रावासों में अधीक्षकों के रिक्त पद

316. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में संचालित ऐसे कितने छात्रावास अधीक्षक के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बारां में संचालित छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक के कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में से 318 स्थानों पर छात्रावास अधीक्षक के पद रिक्त चल रहे हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-''1'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला बारां में 37 संचालित छात्रावासों में 21 पद परिशिष्ट-''2'' में दर्शाये अनुसार रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर ली गई है। शीघ्र ही भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-''1''

विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों की सूची जहां छात्रावास अधीक्षकों के पद रिक्त हैं

क्र.सं.	नाम छात्रावास	क्र.सं.	नाम छात्रावास
1. जिला अजमेर			
1	राज. छात्रावास, अजमेर	3	राज. छात्रावास, प्रान्हेड़ा
2	राज. छात्रावास, रूपनगढ़	4	राज. छात्रावस, सावर

क्र.सं.	**नाम छात्रावास**	**क्र.सं.**	**नाम छात्रावास**
5	राज. छात्रावास, सांपला	**4. जिला बाड़मेर**	
6	राज. छात्रावास, अरांई	1	राज. छात्रावास, समदड़ी
7	राज. छात्रावास, केकड़ी	2	राज. छात्रावास, सिवाना
8	राज. छात्रावास, भिनाय	3	राज. छात्रावास, धोरीमन्ना
9	राज. कन्या छात्रावास, अजमेर	4	राज. छात्रावास, बाड़मेर
2. जिला अलवर		5	राज. छात्रावास, गूंगा
1	राज. छात्रावास, कठूमर	6	राज. छात्रावास, मोकलसर
2	राज. छात्रावास, अलवर-प्रथम	7	राज. छात्रावास, सणप्पा
3	राज. छात्रावास, किशनगढ़ बास	8	राज. छात्रावास, रामसर
4	राज. छात्रावास, मुण्ड़ावर	8	राज. छात्रावास, बालोतरा
5	राज. छात्रावास, रेणी	10	राज. छात्रावास, बाकासर
6	राज. छात्रावास, नारायणपुर	11	राज. छात्रावास, गडरा रोड़
7	राज. कन्या छात्रावास, किशनगढ़ बांस	12	राज. छात्रावास, मूठली
8.	राज. कन्या छात्रावास मुण्डावर	13	राज. छात्रावास, पचपदरा
3. जिला बांसवाड़ा		14	राज. कन्या छात्रावास, बाड़मेर
1	राज. छात्रावास, पीपलखूंट	**5. जिला भरतपुर**	
2	राज. छात्रावास, कुशलगढ़	1	राज. छात्रावस, सीकर
3	राज. छात्रावास, सरेड़ी बड़ी	2	राज. छात्रावास, नदबई
4	राज. कन्या छात्रावास, बागीदौरा	3	राज. छात्रावास, बैर
5	राज. कन्या छात्रावास, कुशलगढ़	4	राज. छात्रावास, रूपवास
6	राज. कन्या छात्रावास, घाटोल	5	राज. छात्रावास, भरतपुर
7	राज. कन्या छात्रावास, पीपलखूंट	6	राज. छात्रावास, कुम्हेर

क्र.सं.	नाम छात्रावास	क्र.सं.	नाम छात्रावास
7	राज. छात्रावास, रूदावल	**7. जिला बीकानेर**	
8	राज. कन्या छात्रावास, साबोरा	1	राज. छात्रावास, बीकानेर
6. जिला भीलवाड़ा		2	राज. छात्रावास, नोखा
1	राज. छात्रावास, आमली सहाड़ा	3	राज. छात्रावास, लूणकरणसर
2	राज. छात्रावास, हुरड़ा	4	राज. छात्रावास, छत्तरगढ़
3	राज. छात्रावास, माण्डलढ़	5	राज. छात्रावास, बज्जू
4	राज. छात्रावास, बड़लियास	6	राज. छात्रावास, खाजूवाला
5	राज. छात्रावास, शाहपुरा	7	राज. छात्रावास, बादनूं
6	राज. छात्रावास, बनेड़ा	8	राज. छात्रावास, डूंगरगढ़
7	राज. छात्रावास, मांगरोप	9	राज. छात्रावास, पांचू
8	राज. छात्रावास, देवारिया	10	राज. छात्रावास, जसरासर
9	राज. छात्रावास, बरसनी	11	राज. छात्रावास, नापासर
10	राज. छात्रावास, सलावटिया	**8. जिला बारां**	
11	राज. छात्रावास, नन्दराय	1	राज. छात्रावास, हरनावदा शाहजी
12	राज. छात्रावास, पारोली	2	राज. छात्रावास, छीपा बड़ौद
13	राज. छात्रावास, शक्करगढ़	3	राज. छात्रावास, पाली
14	राज. छात्रावास, बागौर	4	राज. छात्रावास, जलवाड़ा
15	राज. छात्रावास, हमीरगढ़	5	राज. छात्रावास, कस्बा थाना
16	राज. छात्रावास, सुभाष नगर	6	राज. छात्रावास, बारां
17	राज. कन्या छात्रावास, दौलतगढ़	7	राज. छात्रावास, अन्ता
18	राज. कन्या छात्रावास, जहाजपुर	8	राज. छात्रावास, बराना
		9	राज. छात्रावास, अटरू

क्र.सं.	नाम छात्रावास	क्र.सं.	नाम छात्रावास
10	राज. छात्रावास, छबड़ा	1	राज. छात्रावास, बासी
11	राज. छात्रावास, चरड़ाना	2	राज. छात्रावास, साड़ास
12	राज. छात्रावास, केलवाड़ा	3	राज. छात्रावास, रावतभाटा
13	राज. कन्या छात्रावास, अटरू	4	राज. छात्रावास, चित्तौड़गढ़
14	राज. कन्या छात्रावास, गरड़ा	5	राज. छात्रावास, डूंगला
15	राज. कन्या छात्रावास, समरानिया	6	राज. कन्या छात्रावास, बेगूं
16	राज. कन्या छात्रावास, नाहरगढ़	7	राज. कन्या छात्रावास, सालमगढ़
17	राज. कन्या छात्रावास, देवरी	8	राज. कन्या छात्रावास, देवगढ़
18	राज. कन्या छात्रावास, शाहबाद	**11. जिला चूरू**	
19	राज. कन्या छात्रावास, खेड़लीगंज	1	राज. छात्रावास, चूरू
20	राज. कन्या छात्रावास, रायथल	2	राज. छात्रावास, तारानगर
21	राज. कन्या छात्रावास, फतेहपुर	3	राज. छात्रावास, राजलदेसर
9. जिला बूंदी		4	राज. छात्रावास, सालासर
1	राज. छात्रावास, लक्ष्मीपुरा	5	राज. छात्रावास, सडू बड़ी
2	राज. छात्रावास, गरड़दा	6	राज. छात्रावास, रतनगढ़
3	राज. छात्रावास, लबान	7	राज. छात्रावास, चूरू
4	राज. छात्रावास, लाखेरी	8.	राज. छात्रावास, भूखरेड़ी
5	राज. छात्रावास, डाबी	**12. जिला दौसा**	
6	राज. छात्रावास, बून्दी	1	राज. छात्रावास, सिकराय
7	राज. छात्रावास, हिण्डोली	**13. जिला धौलपुर**	
8	राज. छात्रावास, कापरेन	1	राज. छात्रावास, सैपऊ
9	राज. कन्या छात्रावास, बून्दी	2	राज. छात्रावास, धौलपुर
10. जिला चित्तौड़गढ़		3	राज. कन्या छात्रावास, धौलपुर

क्र.सं.	नाम छात्रावास	क्र.सं.	नाम छात्रावास
14. जिला डूंगरपुर		**16. जिला हनुमानगढ़**	
1	राज. छात्रावास, बोखलापाल	1	राज. छात्रावास, झण्डावाली
2	राज. छात्रावास, गेंजी	2	राज. छात्रावास, पक्कासारण
3	राज. छात्रावास, ओबरी	3	राज. छात्रावास, पण्तिावांली
4	राज. छात्रावास, विकास नगर	4	राज. छात्रावास, पीलीबंगा
5	राज. छात्रावास, पुनाली	5	राज. छात्रावास, टीबी
6	राज. कन्या छात्रावास, बूचिया बड़ा	6	राज. छात्रावास, पल्लू
7	राज. कन्या छात्रावास, भीलूड़ा	7	राज. कन्या छात्रावास, रावतसर
8	राज. कन्या छात्रावास, साबला	**17. जिला जयपुर**	
9	राज. कन्या छात्रावास, चीखली	1	राज. छात्रावास, राड़ावास
10	राज. कन्या छात्रावास, बीछीवाड़ा	2	राज. छात्रावास, कोटपूतली
15. जिला श्रीगंगानगर		3	राज. छात्रावास, सांभर
1	राज. छात्रावास, श्रीगंगानगर	4	राज. छात्रावास, शाहपुरा
2	राज. छात्रावास, जैतसर	5	राज. छात्रावास, गागरडू
3	राज. छात्रावास, समेजा कोठी	6	राज. छात्रावास, लबाना-प्रथम
4	राज. छात्रावास, लालगढ़	7	राज. छात्रावास, कोटखावदा
5	राज. छात्रावास, रावलामण्डी	8	राज. छात्रावास, नायला
6	राज. छात्रावास, केसरीसिंहपुर	9	राज. छात्रावास, कालाडेरा
7	राज. छात्रावास, अनूपगढ़	10	राज. छात्रावास, बस्सी
8	राज. छात्रावास, श्रीगंगानगर	11	राज. छात्रावास, बगरू
9	राज. छात्रावास, 365 हैड	12	राज. छात्रावास, बनेठी
10	राज. छात्रावास, करणपुर	13	राज. छात्रावास, गांधी नगर
11	राज. छात्रावास, रायसिंह नगर	14	राज. छात्रावास, फुलेरा
12	राज. कन्या छात्रावास, रायसिंह नगर	15	राज. छात्रावास, रूण्डल
13	राज. कन्या छात्रावास, विजयनगर		

क्र.सं.	नाम छात्रावास	क्र.सं.	नाम छात्रावास
16	राज. छात्रावास, लबाना-द्वितीय	**20. जिला झालावाड़**	
17	राज. कन्या छात्रावास, गांधी नगर	1	राज. छात्रावास, बीलवाड़ी
18	राज. कन्या छात्रावास, मनोहरपुर	2	राज. छात्रावास, अकलेरा
18. जिला जालौर		3	राज. छात्रावास, मनोहरथाना
1	राज. छात्रावास, सांचोर	4	राज. छात्रावास, सरोला
2	राज. छात्रावास, भादरा जून	5	राज. छात्रावास, सरोला कलां
3	राज. छात्रावास, रानीवाड़ा	6	राज. छात्रावास, कालूखेड़ी कलां
4	राज. छात्रावास, भीनमाल	7	राज. छात्रावास, झालरापाटन
5	राज. छात्रावास, अरनाय	8	राज. छात्रावास, चौमहला
6	राज. छात्रावास, माण्डवाला	9	राज. छात्रावास, भवानी मण्ड़ी
7	राज. छात्रावास, सायला	10	राज. कन्या छात्रावास, झालावाड़
8	राज. छात्रावास, सायला-द्वितीय	11	राज. कन्या छात्रावास, डग
9	राज. कन्या छात्रावास, जालौर	**21. जिला झुन्झुनूं**	
19. जिला जैसलमेर		1	राज. छात्रावास, झुन्झुनू
1	राज. छात्रावास, नाचना	2	राज. छात्रावास, पिलानी
2	राज. छात्रावास, पोकरण	3	राज. छात्रावास, महरमपुर
3	राज. छात्रावास, रामदेवरा	4	राज. छात्रावास, पपुराना
4	राज. छात्रावास, सांकड़ा	5	राज. छात्रावास, सूरजगढ़
5	राज. छात्रावास, झिनझिनयाली	6	राज. छात्रावास, झुन्झुनू-द्वितीय
6	राज. छात्रावास, जैसलमेर	7	राज. छात्रावास, मण्ड़ावा
7	राज. छात्रावास, नाचना-द्वितीय	8	राज. छात्रावास, खेतड़ी
8	राज. कन्या छात्रावास, मोहनगढ़	9	राज. कन्या छात्रावास, सावलोद

क्र.सं.	नाम छात्रावास	क्र.सं.	नाम छात्रावास
22. जिला जोधपुर		**24. जिला करौली**	
1	राज. छात्रावास, भोपालगढ़	1	राज. छात्रावास, हिण्डौन
2	राज. छात्रावास, बाप	2	राज. छात्रावास, करणपुर
3	राज. छात्रावास, ओसियां	3	राज. छात्रावास, सपोटरा
4	राज. छात्रावास, बिलाड़ा	4	राज. छात्रावास, मण्डरायल
5	राज. छात्रावास, चामूं	5	राज. कन्या छात्रावास, करौली
6	राज. छात्रावास, मलार	**25. जिला नागौर**	
7	राज. छात्रावास, भदवासिया	1	राज. छात्रावास, डेगाना
8	राज. छात्रावास, नागौरी गेट	2	राज. छात्रावास, मोलासर
9	राज. कन्या छात्रावास, भदवासिया	3	राज. छात्रावास, कुचामन सिटी
10	राज. कन्या छात्रावास, नागौरी गेट	4	राज. छात्रावास, रियाबड़ी
11	राज. कन्या छात्रावास, फलौदी	5	राज. छात्रावास, खींवसर
23. जिला कोटा		6	राज. छात्रावास, लूणवा
1	राज. छात्रावास, सांगोद	7	राज. छात्रावास, लाडनूं
2	राज. छात्रावास, कमोलर	8	राज. कन्या छात्रावास, नागौर
3	राज. छात्रावास, खातोली	**26. जिला पाली**	
4	राज. छात्रावास, नान्ता कोटा	1	राज. छात्रावास, पाली
5	राज. छात्रावास, बपावर	2	राज. छात्रावास, सादड़ी
6	राज. छात्रावास, सुलतानपुर	3	राज. छात्रावास, सुमेरपुर
7	राज. छात्रावास, कन्सुआ कोटा	4	राज. छात्रावास, रायपुर
8	राज. छात्रावास, पीपल्दा	5	राज. छात्रावास, आनन्दपुर कालू

क्र.सं.	नाम छात्रावास	क्र.सं.	नाम छात्रावास
6	राज. छात्रावास, बगड़ी	**28. जिला सीकर**	
7	राज. छात्रावास, रास	1	राज. छात्रावास, लक्ष्मणगढ़
8	राज. छात्रावास, कानूजा	2	राज. छात्रावास, पिपराली
9	राज. छात्रावास, नाड़ोल	3	राज. छात्रावास, धोद
10	राज. छात्रावास, रोहट	4	राज. छात्रावास, थोई
11	राज. छात्रावास, बेड़ा	5	राज. छात्रावास, पाटन
12	राज. छात्रावास, सोजत सिटी	6	राज. छात्रावास, अजीतगढ़
13	राज. छात्रावास, बाली	7	राज. कन्या छात्रावास, सीकर
14	राज. छात्रावास, खोड़	**29. जिला सिरोही**	
15	राज. छात्रावास, बूसी	1	राज. छात्रावास, शिवगंज
16	राज. छात्रावास, मारवाड़ जंक्शन	2	राज. छात्रावास, कालन्द्री
17	राज. छात्रावास, पाली	3	राज. छात्रावास, माउण्ट आबू
18	राज. कन्या छात्रावास, पाली	4	राज. छात्रावास, निचलागढ़
19	राज. कन्या छात्रावास, निमाज	5	राज. छात्रावास, अचपुरा
20	राज. कन्या छात्रावास, सुमेरपुर	6	राज. कन्या छात्रावास, आबू पर्वत
21	राज. कन्या छात्रावास, सादड़ी	7	राज. कन्या छात्रावास, आबू रोड़
22	राज. कन्या छात्रावास, मुण्डारा	**30. जिला सवाई माधोपुर**	
27. जिला राजसमन्द		1	राज.कन्या छात्रावास, फलौदी क्वारी
1	राज. छात्रावास, रेलमगरा	2	राज. छात्रावास, खण्डार
2	राज. छात्रावास, कुरज	3	राज. छात्रावास, सिवाड़
3	राज. छात्रावास, पीपली आचार्यान	4	राज. छात्रावास, बामनवास
4	राज. छात्रावास, भीम	5	राज. छात्रावास, बौंली
5	राज. छात्रावास, खमनोर	6	राज. कन्या छात्रावास,सवाईमाधोपुर
6	राज. कन्या छात्रावास, देवगढ़	**31. जिला टोंक**	
7	राज. कन्या छात्रावास, राजसमन्द	1	राज. छात्रावास, दत्तवास

क्र.सं.	नाम छात्रावास	क्र.सं.	नाम छात्रावास
2	राज. छात्रावास, मण्ड़ावर	4	राज. छात्रावास, ओगणा
3	राज. छात्रावास, निवाई	5	राज. छात्रावास, मदार
4	राज. छात्रावास, निवाई– द्वितीय	6	राज. छात्रावास, सायरा
5	राज. कन्या छात्रावास, मालपुरा	7	राज. कन्या छात्रावास, कोटड़ा
6	राज. कन्या छात्रावास, अलीगढ़	8	राज. कन्या छात्रावास, झाड़ोल
7	राज. कन्या छात्रावास, पीपलू	9	राज. कन्या छात्रावास, नाई
8	राज. कन्या छात्रावास, लाम्बा हरिसिंह	10	राज. कन्या छात्रावास, खैरवाड़ा
32. जिला उदयपुर		11	राज. कन्या छात्रावास, सलूम्बर
1	राज. छात्रावास. चिरवा	12	राज. कन्या छात्रावास, गोगून्दा
2	राज. छात्रावास, बदराना	13	राज. कन्या छात्रावास, नीमचमाता
3	राज. छात्रावास, छानी	14	राज. कन्या छात्रावास, डबोक

परिशिष्ट-"2"

जिला बारां में छात्रावास अधीक्षकों के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	तिथि से पद रिक्त है	वर्तमान में कार्यभार जिनके पास है
1.	राज. छात्रावास, हरनावदा शाहजी	07/1994	श्री मूल चन्द शर्मा, सेवानिवृत्त कर्मचारी (संविदा पर)
2.	राज. छात्रावास, छीपा बड़ौद	04/1989	श्री किशन लाल वर्मा, सेवानिवृत्त कर्मचारी (संविदा पर)
3.	राज. छात्रावास, पाली	07/1991	श्री छाजूलाल रैगर छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	तिथि से पद रिक्त है	वर्तमान में कार्यभार जिनके पास है
4.	राज. छात्रावास, जलवाड़ा	01/1995	श्री श्रीराम मेहरा, छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
5.	राज. छात्रावास, कस्बा थाना	07/1998	श्री तुलसीराम बैरवा छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
6.	राज. छात्रावास, बारां	08/2005	श्री श्रीराम मेहरा, छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
7.	राज. छात्रावास, अन्ता	08/2005	श्री मोहनलाल गौतम छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
8.	राज. छात्रावास, बराना	07/2004	श्री मोहनलाल गौतम छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
9.	राज. छात्रावास, अटरू	08/2005	श्री रामदयाल विमल छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
10.	राज. छात्रावास, छबड़ा	08/2005	श्री अमल चौधरी छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
11.	राज. छात्रावास, चरड़ाना	07/2004	श्री अमल चौधरी छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
12.	राज. छात्रावास, केलवाड़ा	08/2004	श्री श्रीराम मेहरा छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
13.	राज. छात्रावास, अटरू	07/1989	श्री रामदयाल विमल, छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	तिथि से पद रिक्त है	वर्तमान में कार्यभार जिनके पास है
14.	राज. छात्रावास, गरड़ा	03/1989	श्री लल्लू प्रसाद छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
15.	राज. कन्या छात्रावास, समरानिया	03/1989	श्री राम नारायण वर्मा सेवानिवृत्त कर्मचारी (संविदा पर)
16.	राज. कन्या छात्रावास, नाहरगढ़	01/1987	श्री श्रीराम मेहरा छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
17.	राज. कन्या छात्रावास, देवरी	01/2001	श्री तुलसीराम बैरवा छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
18.	राज. कन्या छात्रावास, शाहबाद	07/1994	श्री तुलसीराम बैरवा छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
19.	राज. छात्रावास, खेड़लीगंज	07/2004	श्री रामदयाल विमल छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
20.	राज. छात्रावास, रायथल	11/2004	श्री मोहनलाल गौतम छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज
21.	राज. कन्या छात्रावास, फतेहपुर	07/1998	श्री अरविन्द कुमार सोती छात्रावास अधीक्षक के पास अति. चार्ज

नोट : ग्राम सहरोद, बामला, आटून, कलमण्डा, भुलेन, बरावदा, करावर, कठजेड एवं किशनगंज में भी छात्रावास स्वीकृत दी परन्तु भवन अभाव के कारण प्रारम्भ नहीं हो पाये है।

देशवाली, नागौरी, करारखानी जातियों का अन्य पिछड़ा वर्ग में संलयन

317. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में पाई जाने वाली पिछड़ी जातियों का अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) में शामिल किया गया है? यदि हां, तो अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि देशवाली, नागौरी, करारखानी, आदि जातियों को भी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का विचार या प्रस्ताव रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। पिछड़े वर्गों की सूची परिशिष्ट-''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.11(25) (10) आर.एण्ड.पी./सकवि/2002/26706 दिनांक 24.6.2002 द्वारा पिछड़े वर्गों की सूची में क्रम संख्या 80 पर ''देशवाली'' जाति/वर्ग को सम्मिलित किया जा चुका है।

नागौरी (मुस्लिम) समुदाय का प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.02.2005 को आयोग में प्राप्त हुआ है। वर्तमान में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भंग है।

करारखानी जाति का प्रार्थना-पत्र पूर्व में आयोग को प्राप्त हुआ था, जिसको आयोग द्वारा अपने द्वितीय प्रतिवेदन में अस्वीकृति कर दिया गया था।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उपलब्ध सुविधाएं

318. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कब लागू किया गया और इन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी गई? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(2) सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र व छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है और उसके क्या-क्या नियम हैं?

(3) राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने छात्रावास सरकार द्वारा निर्मित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण निम्न प्रकार लागू किया गया:-

1- कार्मिक (क-5) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.09.93 के द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिये जाने वाली पंक्तियों का 21 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।

2- एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 21 प्रतिशत आरक्षण वर्ष 1999 से दिया जा रहा है।

3- तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के अभियांत्रिकी, प्रबंध, फार्मेसी तथा आर्कीटैक्चर पाठ्यक्रम सहित समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को भी प्रवेश हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। उक्त आरक्षण व्यवस्था तकनीकी शिक्षा विभाग की आज्ञा दिनांक 05.05.99 द्वारा लागू किया गया।

4- कालेज शिक्षा विभाग में संचालित डिप्लोमा एवं अन्य विषयों में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश के लिए 21 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। उक्त प्रावधान शैक्षणिक सत्र 2002-2003 से प्रभावी है।

विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है।

(2) **पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति** : यह योजना शिक्षा विभाग के निदेशक,

(समाज कल्याण मंत्री)

माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि निम्न प्रकार से स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	कक्षा	छात्रावासी	डे-स्कॉलर
1.	1 से 2 तक	-	25
2.	3 से 5 तक	200	25
3.	6 से 8 तक	200	40
4.	9 से 10 तक	250	50

इसके अतिरिक्त तदर्थ अनुदान के रूप में प्रत्येक छात्रावासी/दिवा छात्र को 500 रुपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष देय है। नियमों की छाय प्रति परिशिष्ट-''अ'' संलग्न है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति : उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि का शत प्रतिशत भुगतान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

क्र.सं.	समूह	छात्रावासी	डे-स्कॉलर
1.	ए	425	190
2.	बी	290	190
3.	सी	290	190
4.	डी	230	120
5.	ई	150	90

उपरोक्त अनुरक्षण भत्ते के साथ-साथ अनिवार्य नोन रिफन्डेबल फीस का भी पुनर्भरण किया जाता है। नियमों की छाया प्रति परिशिष्ट-''ब'' संलग्न है।

(3) राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 छात्रावास निर्मित हैं तथा 17 छात्रावास किराये के भवनों में संचालित है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 30 छात्रावास संचलित किये जा रहे हैं। सूची परिशिष्ट-''स'' संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

आरक्षित वर्ग को कूप ब्लास्टिंग हेतु अनुदान

319. श्री रामलाल (बनैड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग को कुआ ब्लास्टिंग के लिये अनुदान देने का प्रावधान है? यदि हां, तो कितना एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को बोरिंग-ब्लास्टिंग योजनान्तर्गत राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता मद से इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 10,000/- जो भी कम हो, अनुदान देय है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को कूप ब्लास्टिंग हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा रुपये 3240 से 6000 तक अनुदान देने का प्रावधान है। विभाग द्वारा योजनान्तर्गत ब्लास्टिंग कार्य पर हुए व्यय का भुगतान किया जाता है। ब्लास्टिंग के मलबे को कुंए से बाहर निकालने का कार्य काश्तकार द्वारा स्वयं के खर्चे पर किया जाता है।

निर्धन वर्ग के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं में लाभान्वित व्यक्ति

320. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004-05 में विशिष्ट संधारण योजना अनुसूचित जाति के मुख्य आठ मदों यथा (1) कृषि ग्रामीण विकास (2) विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम (3) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (4) विद्युत एवं ऊर्जा (5) उद्योग एवं खजिन (6) परिवहन (7) सामाजिक सेवाओं में कितना बजट प्रावधान था? इनमें से कितनी राशि इस वर्ष विभिन्न मदों में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना में वर्ष 2004-05 में मुख्य शीर्षक मद आवासन के लघु शीर्षक, 1) अल्प आय वर्ग के मकान, 2) मध्यम आय वर्ग के मकान,

(डा. सी.पी. जोशी)

3) आवासन मण्डल के अन्तर्गत कितने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004-05 में लघु शीर्षक मद दस्तकारों को प्रशिक्षण के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 में विशिष्ट संघठक योजना के अन्तर्गत सेफ्टरवार वित्तीय प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	सेक्टर	प्रावधान	व्यय
1.	कृषि एवं सम्बन्धित सेवायें	3001.19	3059.98
2.	ग्रामीण विकास	11531.43	11928.01
3.	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	628.15	628.15
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	17485.45	17127.68
5.	विद्युत एवं ऊर्जा	32640.49	34503.93
6.	उद्योग एवं खनिज	203.91	199.98
7.	परिवहन	8363.21	6810.09
8.	सामाजिक सामुदायिक सेवायें	33127.72	30899.62

(2) वर्ष 2004-05 में राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग में अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवासों के आवंटन की शहरवार सूची (परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।)

(3) दस्तकारों को प्रशिक्षण के अन्तर्गत 2133 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया सूची (परिशिष्ट–''ब'') पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

शिव विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

321. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र शिव में कितने व्यक्तियों को किन-किन योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

समाज कल्याण विभाग द्वारा गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र शिव में निम्नांकित योजनाओं के तहत व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया :-

नाम योजना	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
अत्याचार उत्पीड़न	
1. आर्थिक सहायता	01 अनु. जाति
2. विकलांग छात्रवृत्ति	12 छात्र
छात्रावास :-	
1. राजकीय छात्रावास, गूंगा	25 छात्र
2. राजकीय छात्रावास, गडरारोड़	80 छात्र
वित्तीय वर्ष 2004-05	
अत्याचार उत्पीड़न	
1. आर्थिक सहायता	15 अनु. जाति 01 अनु. जनजाति
2. विश्वास योजना	01 व्यक्ति
3. विकलांग छात्रवृत्ति	11 छात्र
4. गाड़िया लुहारों को अनुदान	13 व्यक्ति
5. छात्रावास	
(1) राज. छात्रावास, गूंगा	25 छात्र
(2) राज. छात्रावास, गडरारोड़	80 छात्र
6. संयुक्त सहायता	10 व्यक्तियों को ट्राईसाईकिलें

(समाज कल्याण मंत्री)

गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र शिव में राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा संचालित योजनाओं में लाभान्वितों की सूचना निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	ग्रामीण पोप योजना	कार्याशाला निर्माण	राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजना
2003-04	154	67	4
2004-05	164	70	1

निशक्तजन आयुक्त के पद पर नियुक्ति

322. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में काफी लम्बे समय से निशक्त: जन आयुक्त का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से व क्यों? अब सरकार उक्त पद पर कब तक नियुक्ति करने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। नि:शक्तजन आयुक्त का पद दिनांक 23.12.2003 से रिक्त है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र नियुक्ति की कार्यवाही विचाराधीन है।

राजफैड व तिलम संघ के क्रय केन्द्र रहित स्थानों पर सरसों की खरीद

323. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश के विभिन्न जिलों में समर्थन मूल्य पर सरस खरीद का कार्यक्रम राजफैड और तिलम् संघ के द्वारा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस-किस केन्द्र पर व्यवस्था की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन स्थानों पर राजफैड एवं तिलम् संघ कारगर रूप से केन्द्र स्थापित कर क्रय नहीं कर पाये उन स्थानों के लिए क्या सरकार व्यक्तिगत रूप से क्रय करने हेतु किसी व्यक्ति या संस्था को नामित करने का

(श्री हरिमोहन शर्मा)

विचार रखती है? यदि हां, तो किस आधार पर?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सरसों खरीद पर समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या प्रदेश के विभिन्न जिलों की विभिन्न मण्डियों में बिकने हेतु सरसों आने लग गई है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी सरसों आई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजफैड द्वारा 207, क्रय केन्द्रों पर तथा तिलम् संघ द्वारा 55 क्रय केन्द्रों पर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खरीद की व्यवस्था की जा रही है। (केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-''अ'' सदन की मेज पर रख दी गई है।)

(2) राजफैड व तिलम् संघ द्वारा संचालित केन्द्रों पर ही व्यवस्थित क्रय कार्यवाही होने से किसी भी केन्द्र को अन्य संस्था को नामित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी हां। रबी 2006 के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित सरसों (एफ.ए.क्यू.) का समर्थन मूल्य 1719 रु. प्रति क्विंटल है।

(4) सरसों आवक की जिलेवार सूचना (दिनांक 11.3.2005 तक की) का विवरण परिशिष्ट-''ब'' सदन की मेज पर रख दी गइै है।)

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

चूरू सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड़ तारानगर द्वारा ऋण वसूली में रियायत

324. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 1998 के पश्चात् तारानगर तहसील में चूरू सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि. द्वारा ट्रैक्टर की खरीद हेतु कितने किसानों को ऋण प्रदान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त ऋण किन शर्तों पर दिया गया? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अकाल की स्थिति को देखते हुए ऋण की अदायगी हेतु रियायत प्रदान की गई थी? यदि हां, तो कब व इस हेतु जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(4) उपरोक्त ऋण प्राप्तकर्त्ताओं में से कितनों ने अदायगी नियमानुसार नहीं की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि ऋण प्राप्तकर्त्ताओं से वसूली जाने वाली राशि में अधिकारियों द्वारा भेदभाव बरता गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन -कौन अधिकारी दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या सरकार अकाल की स्थिति को ध्यान में रख कर ऋण अदायगी में और रियायत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनवरी, 1998 से फरवरी, 2006 तक चूरू सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. द्वारा तारानगर तहसील में 13 किसानों के ट्रैक्टर की खरीद हेतु ऋण प्रदान किया गया, जिसकी कृषकवार सूची परिशिष्ट-1 पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन शर्तों पर उपरोक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया है उन शर्तों सहित ऋण स्वीकृति की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। स्वीकृत की गई रियायत का दिनांक व राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कृषक का विवरण	ऋण देने की		स्वीकृत राहत		योजना जिसके अंतर्गत राहत स्वीकृत की गई
		दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	
1	श्री भंवरलाल लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री सूरजा राम शमारर्मा निवासी मदास तहसील तारानगर	19.6.08	1,99,000	19.1.04	75073	एकमुश्त समाधान योजना
2	श्री पितराम, पोरूराम पुत्र श्री बालूराम जाट निवासी झाडसर छोटा तहसील तारानगर	11.2.98	1,80,000	19.1.04	63512	एकमुश्त समाधान योजना

(सहकारिता मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7
3	श्री मनीना पुत्र श्री सुगननाथ जाति नाथ गांव सारायण	27.1.99	1,99,000	15.9.03	4128	एकमुश्त समाधान योजना
4	श्री नरसाराम पुत्र श्री गोपालराम शर्मा ग्राम धीरवासबड़ा	27.5.99	1,89,000	28.4.05	109799	रिशिड्यूलमेंट
5	श्री किशनलाल/ तुलछाराम जाट ग्राम ओंजरिया	19.3.2000	2,40,000	31.3.05	174368	रिशिडयूलमेंट

नोट : क्रम संख्या-2 व 3 पर अंकित कृषकों द्वारा सझौतानुसार एक वर्ष के अंतर्गत शेष राशि जमा नहीं कराने के कारण राहत नहीं दी गई है।

(4) नियमानुसार अदायगी नहीं करने वाले ऋण प्राप्तकर्ताओं की सूची परिशिष्ट-3 पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं।

(6) विभाग द्वारा दिनांक 31.1.2006 को जारी की गई वसूली प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले प्रकरणों को दण्डनीय ब्याज में रियायत देने का प्रावधान है। यह योजना दिनांक 31.12.2006 तक प्रभावी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सरदारशहर तहसील (चूरू) का पोषाहार परिवहन निविदा प्रकरण

325. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मिड-डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत पोषाहार परिवहन हेतु सरकार की क्या नीति है? नीति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पोषाहार परिवहन का ठेका कोई भी जन प्रतिनिधि का पंचायत समिति सदस्य अपने नाम से ले सकता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील के लिए पोषाहार परिवहन की निविदाएं दिनांक 1 दिसम्बर, 2005 को सरकार द्वारा गठित कमेटी के समक्ष खोली गयी? क्या यह भी सही है कि सरदारशहर तहसील को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

छोड़कर चूरू जिले की शेष तहसीलों की निविदाएं निरस्त की गई? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निविदादाता न्यायालय में गया है? यदि हां, तो न्यायालय ने इस संबंध में क्या निर्णय दिया और निर्णय की पालना सरकार द्वारा कितने समय में की गई? सरदारशहर तहसील में सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा निविदादाता को नेगोसिएशन के लिए कितनी बार बुलाया गया? वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय की पालना में व सरकार द्वारा गठित कमेटी के निर्णय दिनांक 20 जनवरी, 2006 के बाद भी निविदादाता से जनवरी, 2006 से पोषाहार परिवहन नहीं करवाया गया? यदि हां, तो क्यों?

(5) सरदारशहर तहसील में पोषाहर परिवहन हेतु कब निविदाएं आमंत्रित की गई, उनके खोलने का कितना समय तय था और क्या ये नियत समय पर खोली गई? यदि नहीं, तो क्यों व इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

(6) क्या चूरू जिले की बाकी तहसीलों के लिए निविदाएं दुबारा मांगी गई है? यदि हां, तो क्या इसमें सरदारशहर तहसील शामिल है? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) वर्तमान में सरदारशहर तहसील में पोषाहार परिवहन का कार्य किससे करवाया जा रहा है? क्या उक्त व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार पोषाहार के परिवहन हेतु राज्य स्तर पर जहां तक संभव हो किसी एक राजकीय/अर्द्धराजकीय संस्था जिसका व्यापक कार्यक्षेत्र एंव नेटवर्क हो, को पोषाहार परिवहन हेतु नोडल संस्था नियुक्त करने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अनुसार किसी भी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित की हुई हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 (ड) के अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा पंचायत समिति सदस्य अपने नाम से किसी भी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षत: अपने द्वारा या अपने भागीदार, नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अंश या हित, किये गये

(पंचायती राज मंत्री)

किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, कार्य नहीं कर सकता है।

(3) जी हां।

जी हां। एक निविदादाता द्वारा सिविल न्यायालय (व. खण्ड चूरू) में याचिका दायर की गई।

इस संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 9.12.05 को अन्तरिम निर्णय दिया कि निविदादाता द्वारा किये गये मूल प्रस्ताव के सम्बन्ध में निगोसियेशन का अवसर कमेटी देवे और इस पर जो कमेटी का निर्णय होगा उसके पश्चात् अगर पुन: निविदा आमंत्रित करने के निष्कर्ष पर कमेटी पहुंचती है तो उसके यह आदेश आड़े नहीं आयेंगे। न्यायालय के आदेश की पालना में 21.12.2005, 28.12.2005, 31.12.2005 को निगोसिएशन हेतु तिथि निर्धारित की गई परन्तु अपरिहार्य कारणों से उक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। दिनांक 20.1.2006 को निगोसिएशन की कार्यवाही की गई। निविदादाता नेगोसियेशन हेतु चार बार उपस्थित हुआ। उक्त प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है।

(4) जी हां। प्रकरण विचाराधीन होने के कारण निविदादाता से परिवहन कार्य नहीं करवाया गया।

(5) सरदारशहर तहसील में पोषाहार परिवहन हेतु निविदाएं दिनांक 22.11.05 को आमंत्रित की गई। उक्त निविदाएं दिनांक 30.11.05 को दोपहर 2.00 बजे खोली जानी थी परन्तु कमेटी के अध्यक्ष प्रशासनिक व्यस्तता के कारण निविदाएं समय पर नहीं खोली जा सकी एवं संशोधित आदेशानुसार निविदाएं दिनांक 1.12.05 को सांय 4.00 बजे खोली गई। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

(6) जी हां। चूरू जिले की बाकी तहसीलों के लिए निविदाएं दुबारा मांगी गई है, इसमें सरदारशहर तहसील को शामिल नहीं किया गया क्योंकि सरदारशहर का प्रकरण पूर्व से ही विचाराधीन था।

(7) वर्तमान में पोषाहार परिवहन का कार्य क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. सरदारशहर कर रही है। उक्त व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है।

नवलगढ़ पंचायत समिति द्वारा सामुदायिक विकास भवन निर्माण कार्यों का अनियमित भुगतान

326. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति नवलगढ़ द्वारा निर्मित सामुदायिक विकास भवन गंगासागर की ढाणी-चेलासी में किस-किस फर्म/व्यक्ति को कितना-कितना भुगतान किया गया एवं किये गये भुगतान में से कितनी आयकर, सेल्सटैक्स, रायल्टी आदि की कटौतियां की गई?

(2) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए निर्माण सामग्री के क्रय हेतु पंचायत समिति नवलगढ़ के पत्रांक लेखा/ 2003/295, दिनांक 26 अप्रैल, 2003 की टेण्डर स्वीकृति के पश्चात् भी बिना किसी कारण से उक्त कार्य हेतु नया टेण्डर आमंत्रित करके पूर्व में स्वीकृत दरों से ज्यादा दरों पर सामग्री क्रय की, जो अपंजिकृत फर्म/व्यक्तियों से की गई? यदि हां, तो क्यों? नहीं अपनाई गई टेण्डर प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य के अनियमित भुगतान एवं गलत कार्यवाही के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नवलगढ़ द्वारा निर्मित समाज कल्याण भवन गंगासागर की ढाणी चेलासी में निम्न फर्म/व्यक्तियों को निम्नानुसार भुगतान किया गया:-

क्र.सं.	फर्म/व्यक्ति का नाम	राशि
1	मै. टीबडेवाला ट्रेडर्स मुकन्दगढ़	54806
2	मै. दुलीचन्द ओमप्रकाश खरेशिया मुकन्दगढ़ मण्डी	31257
3	मै. अमरचन्द प्रमोद कुमार खरेशिया कसेरू	19470
4	मै. शिशुपाल सिंह/मांगूराम गोदारा, गोदारा की ढाणी, चैलासी	48270
5	मजदूरी की राशि मस्टर-रोल के अनुसार उक्त भुगतान में से आयकर, सेल ट्रैक्स, रायल्टी आदि की कोई कटौती नहीं की गई है।	55940

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए निर्माण सामग्री के क्रय हेतु पंचायत समिति नवलगढ़ के पत्रांक लेखा/2003/925 दिनांक 26.4.03 के द्वारा स्वीकृत टेण्डर पंचायत समिति नवलगढ़ में वर्ष भर में होने वाले कार्यों की सामग्री हेतु जनरल टेण्डर किया गया था। गंगासर की ढाणी चैलासी में समाज कल्याण भवन का कार्य कराने हेतु गठित कमेटी द्वारा पारदर्शिता के दृष्टिगत टेण्डर आमंत्रित किए गए थे, जिसमें अधिकांश सामग्री की दरें पूर्व दरों से भी कम होने से टेण्डर, टेण्डर कमेटी के सामूहिक निर्णय से स्वीकार किया गया था, जो टेण्डर कमेटी का ही निर्णय था। टेण्डर प्रक्रिया में उक्त कार्य में सामग्री की आपूर्ति करने वाली कुल चार फर्मों/व्यक्तियों मे से दो पंजीकृत फर्म थी। इन पंजीकृत फर्मों द्वारा पत्थर, बजरी, व ईंट की दरें नहीं देने पर टेण्डर कमेटी द्वारा गैर पंजीकृत फार्मों/व्यक्ति की दरों को स्वीकार किया गया था।

(3) जी नहीं। नई टेण्डर प्रक्रिया से सरकार को कोई हानि नहीं हुई है।

पोषाहार वितरण के अंकेक्षण प्रतिवेदन में नामित कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

327. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में मार्च, 2002 से 15 फरवरी, 2006 तक अंकेक्षण पार्टियों द्वारा कहां-कहां पोषाहार वितरण में भ्रष्टाचार के प्रकरण उजागर किए गए? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भ्रष्टाचार में किस-किस राशि एवं किस-किस तकनीकी के प्रकरण ध्यान में आये तथा उक्त प्रकरणों में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पोषाहार वितरण व्यवस्था से जुडे कितने व्यक्तियों को जांच में दोषी पाये जाने पर अभी तक कितनी राशि की वसूली की जाकर दण्डित किया गया?

उत्तर

(1) जिलेवार उजागर प्रकरणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-''एक'' के कालम संख्या 3 में अंकित है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) भ्रष्टाचार की राशि की सूचना संलग्न परिशिष्ट ''1'' के कालम संख्या 4, तकनीकी का विवरण कालम संख्या 5, संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही कालम 6 एवं 9 में अंकित है।

(3) पोषाहार वितरण व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों से वसूली की सूचना संलग्न परिशिष्ट ''1'' के कालम संख्या 7 व दण्ड का विवरण कालम 8 में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सांभरलेक (फुलेरा) पंचायत समिति द्वारा करवाये गये विकास कार्य

328. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2005 में सम्पन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभरलेक पंचायत समिति द्वारा कितनी बैठकें कब-कब आयोजित की गई? बैठकों का एजेण्डा व कार्य-विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पंचायत समिति द्वारा पंचायती राज अधिनियमों के प्रावधानों के तहत नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(3) पंचायत समिति, सांभरलेक को वर्ष 2004-05 व 2005-06 में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में स्वीकृत की गई? स्वीकृत राशि में से कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पंचायत समिति में स्वर्ण जयन्ती योजना व स्वयं सहायता समूह की राशि किस-किस को स्वीकृत कर कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई? क्या सभी स्वीकृतियां पंचायत समिति की बैठकों में पारित प्रस्तावों की अनुपालना में जारी की गई? यदि नहीं, तो किस-किस व्यक्ति की अभिशंषा पर जारी की गई?

(5) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति में स्वीकृत कनिष्ठ अभियन्ता के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) वर्ष 2005 में सम्पन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पश्चात् पंचायत समिति सांभरलेक की बैठकें दिनांक 14/3/2005, 27/4/2005, 4/7/2005, 24/10/2005, 2/2/2006 एवं 16/2/06 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठकों के एजेण्डा व कार्यवाही विवरण की प्रतियां परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं किये जाने के लिये दायित्व निर्धारिण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) पंचायत समिति सांभरलेक को वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 में मदवार स्वीकृत राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट''ब'' पर संलग्न है।

(4) पंचायत समिति में स्वर्ण जयन्ती योजना वर्ष 2004-2005 में 98 व्यक्तियों को 21,35,595/- रुपये की राशि स्वीकृत कर भुगतान किया गया है तथा वर्ष 2005-2006 में 85 व्यक्तियों को 34,87,000/- की राशि बैंकों के माध्यम से जारी की गई है तथा भुगतान की प्रक्रिया जारी है। स्वीकृति की नामवार व राशिवार सूची परिशिष्ट-''स'' पर है।

उक्त वर्षों में स्वयं सहायता समूह को किसी कार्य योजना में कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया किया गया है।

जी नहीं। उक्त योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति हेतु पंचायत की साधारण सभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। उक्त योजना के तहत दी गई राशि किसी व्यक्ति विशेष की अभिशंसा पर जारी नहीं की गई है।

(5) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समितियों में पदस्थापित जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कनिष्ठ अभियन्ताओं हेतु जारी कार्यनिर्देश

329. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समितियों में कार्यरत जल गृहण एवं भू-संरक्षण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं से केवल जलग्रहण एवं भू-संरक्षण का ही कार्य लिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों इन निर्देशों की पालना सभी पंचायत सिमतियों द्वारा की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पालना कर ली जावेगी?

उत्तर

जी हां। विकास कार्यों की गतिविधियों/कार्यों के सुचारू संचालन को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में जारी उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन कर निर्देश दिये गये है कि जिन पंचायती राज संस्थाओं में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के कार्य कम हो, अथवा नहीं हो, या पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता का पद रिक्त हो, ऐसी पंचायती राज संस्थाओं में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के अभियन्ताओं से जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण की गतिविधियों/कार्यों के अतिरिक्त अन्य विकास कार्य भी करवाये जा सकते है। संशोधित आदेश की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

निवाई विधान सभा क्षेत्र में अग्निकांड पीड़ितों के लम्बित भुगतान प्रकरण

330. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत तीन वर्षो में कहां-कहां पर अग्निकांड हुये और उनमें कितने नुकसान का आंकलन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अग्निकांड में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि की सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों को सहायता राशि का भुगतान लम्बित है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति का व क्यों? इन्हें अब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत तीन वर्षों में (1.4.03 से 31.12.05 तक) कुल 76 ग्रामों में अग्निकाण्ड की घटनायें हुई, जिनमें लगभग 61,69,639 रुपये का नुकसान का आंकलन किया गया। विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-''1'')

(2) उक्त अग्निकांड में व्यक्तिवार दी गई सहायता राशि का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट ''2''

(3) जी नहीं। नियमानुसार स्वीकृत समस्त व्यक्तियों को राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

परिशिष्ट-''1''

विधान सभा क्षेत्र निवाई में दिनांक 1.4.03 से दिनांक 31.1.06 तक कुल 76 ग्रामों में अग्निकाण्ड हुए जिन पर सी.आर.एफ. के आदेश संख्या 41723-80 दिनांक 24.12.01 के अनुसरण में नियमानुसार राशि स्वीकृत की जाकर शेष प्रकरण निरस्त किये गये

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	1/03 से 3/04 तक	1/04 से 3/05 तक	1/5 से 1/06 तक
1.	निवाई	बरथल	25500	32800	65700
2.		दत्तवास	32900	9300	0
3.		सरसड़ी	74700	0	0
4.		महाराजपुरा	685800	0	00
5.		खण्डवा	20800	10000	0
6.		करौंद	18500	0	0
7.		झिलाय	59250	3000	0
8.		सूरजपुरा	27800	0	0
9.		रतनपुरा	102000	0	0
10.		ललवाड़ी	51180	0	0
11.		श्रीरामपुरा	50319	0	0
12.		चिकाना	12800	0	0
13.		सीदड़ा	3000	101200	0
14.		क. निवाई	45800	106100	349950
15.		किशोरपुरा	0	0	24000
16.		नटवाड़ा	136200	19900	0
17.		महाराकंवरपुरा	6000	0	0
18.		गोपालपुरा	8000	0	32950

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	1/03 से 3/04 तक	1/04 से 3/05 तक	1/05 से 1/06 तक
19.		गुढाआनन्दपुरा	156000	0	0
20.		जामड़ोली	21850	34501	17500
21.		बाढगोरकलां	0	15400	0
22.		दराबनगर	0	12500	0
23.		टोरड़ी	0	16900	0
24.		मुण्डिया	11500	28500	0
25.		तुर्किया	0	6800	0
26.		राहोली	0	0	78800
27		हनोतिया बु.	0	11000	0
28.		लुहारा	0	0	84400
29.		सूरतरामपुरा	0	0	5500
30.		राधिराजपुरा	0	0	19640
31.		आलियाबाद	85400	0	0
32.		सिरस	3000	0	0
33.		रजवास	11200	0	0
34.		हमीदपुरा	0	17500	0
35.		ढ़ाणीजुगलपुरा	0	8450	3000
36.		सीन्दरा	0	0	11500
37.		बराड़ी	0	0	38500
38.		पहाड़ी	0	6300	2500
39.		राधाकिशनुपरा	0	51000	0
40.		बहड	0	10000	0

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	1/03 से 3/04 तक	1/04 से 3/05 तक	1/05 से 1/06 तक
41.		भांवता	19400	0	0
42.		नटवाड़ा	110500	19900	0
43.		लुनेरा	83400	0	0
44.		जगसरा	13000	15000	0
45.		नला	0	28000	0
46.		भैरूपुरा	0	22000	0
47.		श्योसिंहपुरा	0	26600	0
48.		जीवली	0	12900	0
49.		पथराजमस्तका	0	36100	0
50.		डांगस्थल	0	29600	0
51.		मघारकलां	0	0	13000
52.		जुगलपुराकलां	0	0	30000
53.		सीपुरा	0	0	6500
54.		ढ़ाणीजगसरा	0	0	130000
55.		खिड़गी	2303650	0	0
56.		बह्कावा	0	0	41200
57.		सूरिया	0	0	16900
58.		रामनगरधतृरी	0	0	30000
59.		खाजपुरा	0	16450	0
60.		बड़ोदिया	0	9000	0
61.		जगतपुरा	0	0	2000
62.		सिरोही	21600	0	0

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	1/03 से 3/04 तक	1/04 से 3/05 तक	1/05 से 1/06 तक
63.		देवपुरा	0	3200	0
64.		चतुर्भुजपुरा	0	0	36000
65.	टोंक	मण्ड़ावर	80000	0	0
66.		हयातपुरा	40000	0	0
67.		देवपुरा	10000	0	0
68.		कारोला	0	3000	0
69.		मोटुका	7000	0	0
70.		बरोनी	0	3000	0
71.	पीपलू	ढुसेरी	1600	0	0
72.		सोहेला	17000	0	0
73.		जौला	25000	25000	0
74.		दौलतपुरा	0	12000	0
75.		अनवरपुरखेड़ा	15000	0	0
76.		हाड़ीकलां	9225	0	0
	योग		**4405885**	**789914**	**973840**

जिला कलक्टर (सहायता) टोंक)

परिशिष्ट-II

विधान सभा क्षेत्र निवाई के तहसील निवाई में गत तीन वर्षों में हुए अग्निकाण्ड में लाभान्वित व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम लाभान्वित	स्वीकृत राशि
1.	श्री लालराम पुत्र श्री गेन्दीलाल गूर्जर नि. बहकवा	1300
2.	श्री मूलचन्द पुत्र हरनाथ गूर्जर निवासी सूरिया	1300
3.	श्री आशाराम पुत्र श्री किशनलाला मीणा नि. रामनगर धतूरी	1300

क्र.सं.	व्यक्तियों की सूची	स्वीकृत राशि
4.	श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री सुखदेव बैरवा नि. सीन्दरा	1300
5.	श्री गोपी, रामनिवास पि. बख्तावरा नि. नटवाड़ा	2200
6.	श्री सत्यनारायण पुत्र सूरज मीणा नि. निवाई	1200
7.	श्री छीतर पुत्र सूरज मीणा नि. निवाई	1200
8.	कुमारी मन्नी पुत्री श्री सूरज मीणा नि. निवाई	1200
9.	श्री गोपाल पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी जगसरा	1200
10.	श्री रामलाल पुत्र किशनलाल नाई नि. क. कवाई	1300
11.	श्री भंवरलाल पुत्र रामनाथ गूर्जर नि. लूनेरा	1300
12.	श्री रामेश्वर पुत्र श्री रामनाथ गूर्जर नि. लूनेरा	800
13.	श्री हरिनारायण पुत्र श्री रामपाल नि. लूनेरा	800
14.	श्री गोरधन पुत्र श्री रामपाल गूर्जर नि. लूनेरा	800
15.	श्री गजानन्द पुत्र श्री रामपाल गूर्जर नि. लूनेरा	800
16.	श्री श्योजी, सुवालाल, गिर्राज पि. नानगराम गूर्जर नि. भांवता	1000
17.	श्री भागूता पुत्र श्री नानगा कीर नि. डांगस्थल	2200
18.	श्री राधाकिशन पुत्र श्री ग्यारसी मीणा नि. क. निवाई	2200
19.	श्री चन्द्रा पुत्र श्री श्योकरण गूर्जर नि. अरनिया	1300
20.	श्री औंकार पुत्र श्री श्योनारायण गूर्जर नि. अरनिया	1300
21.	श्री भूरूलाल पुत्र श्री रामनारायण मीणा नि. ढाणीजुगलपुरा	500
22.	श्री भरतलाल पुत्र श्री गणेश मीणा नि. ढाणीजगसरा	1300
23.	श्री सीताराम पुत्र श्री गणेश मीणा नि. ढाणीजगसरा	1300
24.	श्री अर्जुन पुत्र श्री गणेश मीणा नि. ढाणीजगसरा	1300
25.	श्री रामजीलाल पुत्र श्री गणेश मीणा नि. ढाणीजगसरा	1300

क्र.सं.	व्यक्तियों की सूची	स्वीकृत राशि
26..	श्री लालचन्द पुत्र श्री भोजूराम लुहारा नि. निवाई	1800
27	श्री रामू पुत्र श्री पाचूं मीणा नि. राजधिराजपुरा	1700
28.	श्री गणपत सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह नि. चतुर्भुजपुरा	1700
29.	श्री नारायण पुत्र श्री चन्दालाल बैरवा नि. झिलाय	1800
30.	श्री रामजीलाला पुत्र श्री रामेश्वर गूर्जर नि. बराड़ी	1800
31.	श्री रामेश्वर पुत्र श्री गंगदेव गूर्जर नि. बराडी	1800
32.	श्री जगराम पुत्र श्री कल्याण मीणा नि. जामड़ोली	1300
33.	श्री अर्जुन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीणा नि. देवरी	800
34.	श्री जगदीश पुत्र श्री हरनाथ गूर्जर नि.	1300
35.	श्री रामफूल पुत्र श्री हरनाथ गूर्जर नि. लुहारा	1300
36.	श्री नाथूलाल पुत्र कल्याण बैरवा नि. सूरतरामपुरा	500
37.	श्री रामानन्द पुत्र श्री जयलाल मीणा नि. बरूथल	1000
38.	श्री रामफुल पुत्र श्री कन्हैयालाल मीणा नि. राहोली	1200
39.	श्री रामनारायण पुत्र श्री श्योपाल मीणा नि. जामड़ोली	1300
40.	श्रीमति लाड़ादेवी पत्नी श्री बाल्या मीणा नि. राजधिराजपुरा	1300
41.	श्री प्रभू पुत्र श्री किशना बैरवा नि. राहोली	1200
42.	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भूरूलाल शर्मा नि. हनोतिया बु.	800
43.	श्री रामनाथ पुत्र श्री काना मीणा नि. मूण्डिया	1800
44.	श्री नारायण पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा नि. मूण्डिया	800
45.	श्री लच्छू पुत्र श्री रामपाल मीणा नि. तुर्किया (बंशीपुरा)	800
46.	श्री रामजीलाल पुत्र श्री भैंरीलाला मीणा नि. दरबनगर	1300
47.	श्री रामलाला पुत्र श्री कन्हैया कीर नि. टोरड़ी	1300

क्र.सं.	व्यक्तियों की सूची	स्वीकृत राशि
48.	श्री कैलाश पुत्र प्रहलाद बाबजी नि. जामड़ोली	600
49.	श्री प्रहलाद पुत्र श्री श्रवण बैरवा नि. बाढगोरकलां	1300
50.	श्री ताराचन्द पुत्र श्री हुकमा बैरवा नि. मूण्ड़िया	800
51.	श्री बाबू पुत्र गंगू शाह निवासी निवाई	1300
52.	श्री देवकरण पुत्र श्री लाल गूर्जर नि. पथराजमुस्तका	2200
53.	श्री सुरेश पुत्र श्री देवकरण गूर्जर नि. पथराजमुस्तका	2200
54.	श्री किशोर पुत्र श्री भूरा मीणा नि. श्योसिंहपुरा	800
55.	श्री गोपाल पुत्र श्री भूरा मीणा नि. श्योसिंहपुरा	800
56.	श्री रंगलाला पुत्र श्री भूरा मीणा नि. श्योसिंहपुरा	800
57.	श्री जगदीश पुत्र श्री भूरा मीणा नि. श्योसिंहपुरा	800
58.	श्री हरिराम पुत्र श्री गोपाल मीणा नि. सीदड़	2200
59.	श्री बाबू पुत्र श्री गोपाल मीणा नि. सीदड़	2200
60.	श्री घासी पुत्र श्री जमनालाल नि. जीवली	2200
61.	श्री औंकार पुत्र श्री जगन्नाथ जाट नि. खिड़गी	3000
62.	श्री किशन सिंह पुत्र श्री मानसिंह नि. खिड़गी	1000
63.	श्री घासीलाल पुत्र श्री सत्यनारायण पारीक नि. खिड़गी	3000
64.	श्री रामकिशोर पुत्र श्री रामरख जाट नि. खिड़गी	2200
65.	श्री रामजीलाला पुत्र श्री गोपाल मीणा नि. खिड़गी	3000
66.	श्री हरिनारायण पुत्र श्री कालू जाट नि. खिड़गी	2200
67.	श्री प्रेम पुत्र श्री गोपाल मीणा नि. खिड़गी	3000
68.	श्री मुरलीधर पुत्र श्री भूरा पारीक नि. खिड़गी	2200
69.	श्री केसरलाला पुत्र श्री कालू जाट नि. खिड़गी	3000

क्र.सं.	व्यक्तियों की सूची	स्वीकृत राशि
70.	श्री चन्द्रभान पुत्र श्री रामकिशोर जाट नि. खिड़गी	2200
71.	श्री रामफूल पुत्र श्री गजानन्द बैरवा नि. खिड़गी	3000
72.	श्री ग्यारसी पुत्र श्री कालू जाट नि. खिड़गी	3000
73.	श्री कन्हैया पुत्र श्री गजानन्द बैरवा नि. खिड़गी	3000
74.	श्री गोपाल पुत्र श्री भूरा बैरवा नि. खिड़गी	3000
75.	श्री रघुनन्दन पुत्र श्री ग्यारसी लाल जाट नि. खिड़गी	3000
76.	श्री परमेश्वर पुत्र श्री जगदीश जाट नि. खिड़गी	3000
77	श्री हनुमान पुत्र श्री लादू जाट नि. निवाई	1800
78	श्री हरिनारायण पुत्र श्री हरनाथ बैरवा नि. आलियाबाद	800
79.	श्री गेन्दीलाल पुत्र श्री गोपीलाल बैरवा आलियाबाद	800
80.	श्री रामवतार पुत्र श्री हरनाथ बैरवा नि. आलियाबाद	800
81.	श्री रामपाल पुत्र श्री हरनाथ बैरवा नि. आलियाबाद	800
82.	श्री शंकर पुत्र श्री हीरा बैरवा नि. आलियाबाद	800
83.	श्री राधाकिशन पुत्र श्री जमनालाल बैरवा नि. आलियाबाद	800
84.	श्री भीवा पुत्र श्री गोपीलाल बैरवा नि. आलियाबाद	800
85.	श्री रामनारायण पुत्र श्री चन्दा मीणा नि. जामड़ोली	800
86.	श्री गोविन्दनारायण पुत्र श्री हरजी मीणा नि. महाराजकंवरपुरा	800
87.	श्री रामकुवार पुत्र श्री भागूता मीणा नि. क. निवाई	800
88.	श्री गेन्दीलाल पुत्र श्री शोला मीणा नि. दत्तवास	800
89.	श्री बनवारी पुत्र श्री केसरलाल बैरवा नि. नटवाड़ा	800

क्र.सं.	व्यक्तियों की सूची	स्वीकृत राशि
90.	श्री रामभजन पुत्र श्री जयनारायण नि. खाजपुरा	1300
91.	श्री रामनारायण पुत्र श्री जयनारायण नि. खाजपुरा	1300
92.	श्री प्रहलाद पुत्र श्री किशन बैरवा नि. चिकाना	800
93.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री कल्याण मीणा नि. सीदड़ा	800
94.	श्रीमति ऊषा देवी पत्नी श्री रामवतार महाजन नि. श्रीरामपुरा	1000
95.	श्री नानगा पुत्र श्री भागीरथ रैगर नि. ललवाड़ी	800
96.	श्री प्रभूलाल पुत्र भागीरथ रेगर नि. ललवाड़ी	800
97.	श्री कल्याण पुत्र श्री भागीरथ रेगर नि. ललवाडी	800
98.	श्री नेहनू पुत्र श्री भागीरथ रेगर नि. ललवाडी	800
99.	श्री रामवतार पुत्र श्री नारायण बैरवा नि. बड़ागांव	1200
100.	श्री किशनलाल पुत्र श्री बख्तावरा बैरवा नि. रतपुरा	2200
101.	श्री राजू पुत्र श्री रामप्रताप नि. रतनपुरा	2200
102.	श्री रामकिशोर पुत्र श्री जग्गा बैरवा नि. रतपनपुरा	2200
103.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कानाराम यादव नि. झिलाय	1200
104.	श्री प्रताप पुत्र श्री छीतर यादव नि. झिलाय	1300
105.	श्री हरराम पुत्र श्री जगन्नाथ यादव नि. झिलाय	1300
106.	श्री रामसहाय पुत्र श्री जगन्नाथ यादव नि. झिलाय	1300
107.	श्री श्याजी पुत्र श्री हजारी बा. नि. सूरजपुरा	1700
108.	श्री मूलचन्द पुत्र श्री रामकल्याण नि. सूरजपुरा	1200
109.	श्री पूरण पुत्र श्री रसाल गवारिया नि. महाराजपुरा	2200
110.	श्री हनुमान पुत्र श्री रसाल गवारिया नि. महाराजपुरा	2200
111.	श्री मुरारी पुत्र श्री लादू गवारिया नि. महाराजपुरा	2200

क्र.सं.	व्यक्तियों की सूची	स्वीकृत राशि
112.	श्री लादू पुत्र श्री रसाल गवारिया नि. महाराजपुरा	2200
113.	श्री दशरथ पुत्र श्री लादू गवारिया नि. महाराजपुरा	2200
114.	श्री उमराव पुत्र श्री रसाल गवारिया नि. महाराजपुरा	2200
115.	श्री सुखपाल पुत्र श्री लादू गवारिया नि. महाराजपुरा	2200
116.	श्री हरिसिंह पुत्र श्री नारायण गवारिया नि. महाराजपुरा	2200
117.	श्री सीताराम पुत्र श्री हजारी गवारिया नि. महाराजपुरा	2200
118.	श्री मांगीलाल पुत्र श्री बना गवारिया नि. महाराजपुरा	2200
119.	श्रीमति साली पत्नी श्री जन्सी गूर्जर नि. केराद	1700
120.	श्री कालू पुत्र श्री रामचन्द्र कुम्हार नि. खण्ड़वा	1700
121.	श्री कजोड़ पुत्र श्री गोपाल कुम्हार नि. सरसडीरामपुरा	2000
122.	श्री भंवरलाल पुत्र श्री नाथू कुम्हार नि. सरसडीरामपुरा	2000
123.	श्री रामावतार पुत्र श्री नाथू कुम्हार नि. सरसडीरामपुरा	2000
124.	श्री गोपाल पुत्र श्री रूगनाथ कुम्हार नि. सरसडीरामपुरा	2000
125.	श्री मूलचन्द पुत्र श्री जयलाल मीणा नि. बरथल	1200
126.	श्री काना पुत्र श्री जयलाल मीणा नि. बरथल	1200
127.	श्री रामानन्द पुत्र श्री जयलाल मीणा नि. बरथल	1200
128.	श्री छीतर पुत्र श्री लखमाराम रेगर नि. दत्तवास	800
129.	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बद्री खाती नि. निवाई	800
130.	श्री लालाराम पुत्र श्री गेन्दीलाल गूर्जर नि. बहकवा	1300
131.	श्री मूलचन्द पुत्र श्री हरनाथ गूर्जर नि. सूरिया	1300
132.	श्री आशाराम पुत्र श्री किशनलाल मीणा नि. रामनगर धतूरी	1300
133.	श्री जयनारायण पुत्र श्री सुक्खा अहीर नि. राहोली	500
	योग	**199900**

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता

331. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने का प्रावधान है? वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के प्रावधान, आवंटन एवं वास्तविक व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता भी प्राप्त होती है? यदि हां, तो गत दो वर्षो में किस-किस मद के लिए कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के प्रावधान, आवंटन व वास्तविक व्यय का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट—1

(2) जी हां। उक्त कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। गत दो वर्षो में केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ (चूरू) में निगम बस स्टैण्ड की स्थापना

332. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कस्बा राजगढ़ में परिवहन विभाग का बस-स्टैण्ड है? यदि हां, तो उक्त बस-स्टैण्ड से कौन कौन से मार्गो पर प्रतिदिन कितनी बसें आती एवं जाती हैं? हरियाणा रोड़वेज एवं प्राइवेट मार्गो पर बसों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बस अड्डे पर राजस्थान परिवहन निगम एवं हरियाणा रोड़वेज की कितनी बसें कौन-कौन से मार्गो पर संचालित होती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राजगढ़ बस-स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री नन्दलाल पूनिया)

(4) क्या यह नहीं है कि निगम की बसें बस-स्टैण्ड के अभाव में राष्ट्रीय राज मार्ग 65 पर खड़ी होती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कस्बा राजगढ़ में राजस्थान परिवहन विभाग का बस-स्टैण्ड न होकर स्थानीय नगरपालिका का है। इस स्टैण्ड से प्रतिदिन आने जाने वाली बसों का विवरण परिशिष्ट-''क'' पर उपलब्ध है।

(2) प्रश्न का उत्तर खंण्ड-''1'' में दिया जा चुका हैं।

(3) राजस्थान परिवहन निगम की वर्तमान में वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने की फलस्वरूप वहां पर भूमि क्रय करके उस पर बस-स्टैण्ड बनाने की निगम की कोई योजना/प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। इसी संदर्भ में पूर्व में प्रदत्त विधान सभा आश्वासन संख्या 5/2004 के तहत नगरपालिका के स्तर पर भूमि क्रय करके नये बस-स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका के पत्रांक 1144 दिनांक 14.6.05 की प्रति परिशिष्ट-''2'' पर संलग्न है।

(4) जी हां। राजगढ़ बस-स्टैण्ड पर निजी बसों की पार्किंग होने के कारण राजस्थान परिवहन निगम की बसें राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर ही खड़ी होकर बुक होती हैं।

परिशिष्ट-''1''

राजगढ़ बस स्टैण्ड से संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, हरियाणा रोड़वेज व निजी बसों का विवरण

मार्ग का नाम	रा.रा.प.प. निगम की वाहनों की संख्या	निजी वाहनों की संख्या	हरियाणा रोड़वेज	कुल संख्या
1	2	3	4	5
राजगढ-पिलानी-जयपुर-झुंझुनूं	18	8	-	26
राजगढ़-पिलानी-झुंझुनूं	16	7	-	23
राजगढ़-तारानगर-सरदारशहर	22	-	1	23

1	2	3	4	5
राजगढ़-हिसार-दिल्ली	7	9	8	24
राजगढ़-भादरा-गंगानगर	7	8	-	15
राजगढ़-झुंझुनूं वाया मलसीसर	27	3	1	31
राजगढ़-चूरू	15	1	1	17
राजगढ़-रोहतक	-	2	-	2
राजगढ़-पिलानी	-	5	-	5
राजगढ़-हिसार	-	1	-	1
सिद्धमुख-गोरहटी	-	2	-	2
राजगढ़-चेगाई	-	1	-	1
राजगढ़-रामपुरा	-	3	-	3
लसेड़ी-पिलानी-राजगढ़	-	1	-	1
राजगढ़-भादरा-सिद्धमुख	-	2	-	2
राजगढ़-बहल	-	4	-	4
राजगढ़-सांत्यू	-	2	-	2
राजगढ़-मलसीसर	-	1	-	1
राजगढ़-टमकोर	-	4	-	4
सिद्धमुख-पिलानी	-	1	-	1
राजगढ़-भादरा वाया बाय व बिरमी	-	20	-	20
लसेड़ी-पिलानी	-	6	-	6
राजगढ़-सेऊवा	-	8	-	8
नवा-पिलानी	-	1	-	1
राजगढ़-राजपुरा		11		11
राजगढ़-डाबड़ी	-	3	-	3

1	2	3	4	5
भादरा-बालाण	-	3	-	3
पिलानी-बालाण		2		2
राजगढ़-भानपुरा	-	1	-	1
राजगढ़-पिलानी चिड़ावा	-	1	-	1
राजगढ़-धनोली	-	2	-	2
राजगढ़-बालाण	-	1	-	1
अजितपुरा-राजगढ़	-	1	-	1
राजगढ़-भादरा वाया सिद्धमुख	-	7	-	7
योग	**112**	**131**	**11**	**254**

परिशिष्ट-''2''

कार्यालय नगरपालिका राजगढ़ जिला चूरू

क्रमांक : दिनांक

श्रीमान जिला कलक्टर (राजस्व) महोदय
चूरू

विषय : विधान सभा आश्वासन संख्या 13/04 बस-स्टैण्ड हेतु भूमि आवंटन बाबत

प्रसंग : पालिका के पत्र क्रमांक 4870 दिनांक 09/02.05 व 839 दिनांक 01.06.05

महोदय,

उपरोक्त विष्यान्तर्गत निवेदन है कि कस्बा राजगढ़ खसरा नम्बर 1747/1867/1714/667 में से तादादी भूमि 3 बीघा बस स्टैण्ड के लिए आवंटन किए जाने के प्रस्ताव श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) राजगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 26 दिनांक 20.1.02 क श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ की सेवा में भिजवाया गया था। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 911 दिनाक 19.04.02 व 3310 दिनांक 16.12.02 के द्वारा आपके यहां प्रेषित किया गया है। बस स्टैण्ड भूमि का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है।

कृपया खसरा नम्बर 1747/1867/1714/667 में से 3 बीघा भूमि बस स्टैण्ड हेतु शीघ्र आवंटन की कृपा करें ताकि विधान सभा आश्वासन सं. 13/04 की पालना हो सके।

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका राजगढ़ जिला चूरू

बाली विधान सभा क्षेत्र में यात्री सेवा में सुधार हेतु कार्ययोजना

333. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली में यातायात सुधार, निजी एवं परिवहन बसों के रूट परिवर्तन, नवीन रुटों पर परिवहन बसों के संचालन, परिवहन बस स्टाप के विकास-व्यवस्था, फालना डिपो में नवीन बसें लगवानें बाबत वर्ष 2004, 2005 व 2006 के दौरान सरकार को क्षेत्रीय आम जनता, जनप्रतिनिधियों, जिला कलक्टर पाली, फालना डिपो, क्षेत्रीय विधायक से प्रस्ताव पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रतियां एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रस्तावों के अनुरुप कार्य पूर्ण करवाने, सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाली में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के रूट परिवर्तन, नवीन रुटों पर बस संचालन के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों व जनता से प्राप्त पत्रों, उन पर की गई कार्यवाही/वस्तुस्थिति दर्शाते हुये विवरण परिशिष्ट-''1'' पर संलग्न है।

राजस्थान परिवहन निगम के फालना आगार को निम्नानुसार नई वाहनें आवंटित की गई है:-

वर्ष	आवंटित नई वाहनें
2004	2
2005	2
2006	शून्य

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

(यातायात मंत्री)

इसके अतिरिक्त निजी बसों के संचालन हेतु वर्ष 2004 के पश्चात् बाली विधान सभा क्षेत्र में बाली नाणा ग्रामीण मार्ग दिनांक 7.11.05 को खोला गया। इस मार्ग पर 12 अनुज्ञा-पत्र जारी हुये। बाली विधान सभा क्षेत्र में कुल 5 निजी मार्ग हैं जिन पर 23 निजी वाहनों को संचालन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी हैं।

(2) तत्सम्बन्धी सूचना खण्ड-1 पर अंकित हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रख गया)

मावली व फतेहनगर (उदयपुर) तहसील मुख्यालय में निगम आगार की स्थापना

334. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील मुख्यालय व बड़े कस्बों में परिवहन विस्तार एवं सुगम यातायात एवं तहसील मुख्यालय व बड़े कस्बों में क्या सरकार शौचालय, प्रतीक्षालय एवं छाया आदि की व्यवस्थाओं से युक्त बस स्टैण्ड निर्मित कराने का विचार रखती है?

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 व 2005-06 में किन-किन स्थानों पर बस स्टैण्ड व आगार पर बनाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मावली व फतेहनगर में बस स्टैण्ड व डिपो बनाने की योजना रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 (फरवरी, 2006 तक) में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा बस स्टैण्ड के कराये गये निर्माण कार्य एवं आगारों की सूचना परिशिष्ट-''1'' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। क्योंकि वर्तमान में निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है।

परिशिष्ट-"1"

वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 (फरवरी, 2006 तक) में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा बस स्टैण्ड के कराये गये निर्माण कार्य एवं बनाये गये आगारों की सूचना

वर्ष	बस स्टैण्ड के कराये गये निर्माण कार्य	राजस्थान परिवहन निगम के बनाये गये आगार
2004-2005	सांगानेर (जयपुर), बारां, श्रीमाधोपुर में आगार कार्यालय, दौसा आगार कार्यशाला, जैसलमेर आगरा कार्यशाला में विभिन्न निर्माण कार्य व बस स्टैण्ड धौलपुर, के बस स्टैण्ड जयपुर के प्लेटफार्म नं. 4 का विस्तार (प्लेटफार्म नं. 5) बस स्टैण्ड अजमेर पर विस्तार एवं डीलक्स प्लेटफार्म का निर्माण, बस स्टैण्ड नीमकाथाना एवं मेड़ता सिटी का निर्माण कार्य कराया गया है।	कोई नया आगार नहीं बनाया गया।
2005-2006 (फरवरी 2006 तक)	बस स्टैण्ड झालावाड़, बस स्टैण्ड आबूरोड़ का निर्माण एवं बस स्टैण्ड बांसवाड़ा का विस्तार निर्माण कार्य करवाया गया।	आदेश क्रमांक 1416 दिनांक 5.9.05 द्वारा डीड़वाना आगार बनाया गया।

खारची विधान सभा क्षेत्र के निगम बस सेवा रहित ग्राम

335. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में कितने गांव निजी बस सुविधा (निजी बस आपरेटर) से जुड़े हुए हैं? गांवों की सूची सहित बस मार्ग (रूट) का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खारची के बस परिवहन सुविधा से वंचित गांवों को परिवहन सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निजी बस संचालकों को दिये गये रूट परमिट अनुसार सभी गांवों तक बसें चलाई जा रही है? यदि नहीं, क्यों?

(4) बस सुविधा से वंचित राजस्व गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में, जो गांव जिनी बस सुविधा से जुड़े हुए हैं उनकी सूची व मार्ग का विवरण परिशिष्ट-''क'' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। इस संबंध में प्रस्ताव/प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) निजी बस संचालकों को दिये गये अनुज्ञापत्र के अनुसार सभी गांवों में बसें चलाई जाती हैं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) खारची विधान सभा क्षेत्र के वे गांव जो बस सुविधा से वंचित है, ऐसे राजस्व गांवों की सूची परिशिष्ट-''ख'' पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रख गया)

जयपुर शहर में संचालित मिनी बस सेवाओं के निर्धारित मार्ग एवं संख्या

336. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर में कितने मार्ग मिनी बसों को परमिट देने हेतु स्वीकृत है? किस-किस मार्ग पर कितनी-कितनी बसों को परमिट देने हेतु स्कोप निर्धारित किया गया तथा किस-किस मार्ग पर कितनी-कितनी मिनी बसें संचालित हैं? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2005 को जारी अधिसूचना की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर के सिटी मार्ग संख्या 11 पर वर्तमान में संचालित मिनी बसों के नम्बर, वाहन मालिक का पता एवं परमिट की वैधता सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रिणवा)

(3) क्या यह सही है कि मार्ग 11 पर पूर्व में 180 मिनी बसों को परमिट देने हेतु स्कोप निर्धारित किया गया था? क्या अब 120 बसों को परमिट देने हेतु स्कोप निर्धारित कर दिया गया है? यदि हां, तो किस मानदण्ड के आधार पर? इस सम्बन्ध में जारी आदेश/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सिटी मार्ग संख्या 17 महल योजना, जगतपुरा से ग्राम आंकोड़ा तक संचालित है? यदि हां, तो क्या इस मार्ग पर संचालित मिनी बस ग्राम आंकेड़ा तक नहीं जाकर भट्टा बस्ती, शास्त्रीनगर तक ही संचालित है? क्या इस संबंध में सरकार की कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? अब उक्त मिनी बसों को सरकार कब तक ग्राम आंकेड़ा तक संचालित करने हेतु निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार सिटी मिनी बस मार्गों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचिज जन-जाति के मिनी बस मालिकों की भांति महिला मिनी बस मालिकों को भी परमिट देने व कोटा आरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में मिनी बसों को परमिट देने हेतु 35 मार्ग निर्धारित हैं, जिनमें से 34 मार्गों पर परमिट देने हेतु स्कोप निर्धारित हैं इन मार्गों पर संचालित बसों की संख्य संलग्न परिशिष्ट-''क'' पर उपलब्ध है। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 7 नवम्बर, 2005 की प्रति परिशिष्ट–''ख'' पर उपलब्ध है। 35 मार्गों में से 1 मार्ग वैद्यजी के चौराहे से हरनाथपुरा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 5.12.05 को निर्धारित किया गया है किन्तु इसका स्कोप निर्धारित नहीं है, बल्कि विचाराधीन हैं।

(2) जयपुर शहर के सिटी मार्ग संख्या 11 (अधिसूचना दिनांक 7.11.2005 का क्रम सं. 23) पर संचालित मिनी बसों के नम्बर वाहन मालिक के नाम व पते व परमिट की वैधता संबंधी सूचना संलग्न परिशिष्ट-''ग'' पर उपलब्ध है।

(3) जी हा। यह सही है कि पूर्व में मार्ग संख्या 11 (अधिसूचना दिनांक 7.11.2005 क क्रम सं. 23) पर 180 मिनी बसों का परमिट देने का

(यातायात मंत्री)

स्कोप निर्धारित था। दिनांक 7.11.05 की अधिसूचना में इस मार्ग पर 120 मिनी बसों को परमिट देने हेतु स्कोप निर्धारित किया गया है। यह परिवर्तित स्कोप जयपुर शहर के नगरीय रूटों के पुनर्गठन एवं पुनर्निर्धारण के संबंध में गठित समिति की सिफारिश पर कायम किया गया है।

(4) जी हां। सिटी मार्ग संख्या 17 (अधिसूचना दिनांक 7.11.2005 का क्रम सं. 27) महल योजना जगतपुरा से ग्राम आंकेड़ा तक अनुज्ञापत्र वाहन संचालन हेतु जारी किये गये हैं। इस मार्ग के परमिटधारियों द्वारा मिनी बसों को आंकेड़ा ग्राम तक संचालित नहीं करने के संबंध में एक शिकायत दिनांक 2.12.05 को श्री शेख अब्दुल वहीद नाम के व्यक्ति से प्रापत होने पर इस मार्ग की मिनी बसों को चैक कराया गया था। तथा आंकेड़ा ग्राम तक नहीं चलने वाली मिनी बसों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। उड़न दस्तों को यह निर्देशित किया गया है कि मार्ग संख्या 17 की मिनी बसों को आंकेड़ा ग्राम तक संचालित करने की कार्यवाही करें। जो वाहनें इस स्थान पर नहीं जाकर शास्त्रीनगर में भट्टा बस्ती तक रुक जाती हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर माह जनवरी से मार्च (9 मार्च), 2006 तक 8 वाहनों के विरुद्ध चालान बनाए गए हैं।

(5) जी नहीं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 71(3)() के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वाहन स्वामियों के आरक्षण का प्रावधान है किन्तु महिला वाहन स्वामियों का आरक्षण निर्धारित नहीं है।

(प्रति/सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सिरोही जिले के श्रमिकों को काम के बदले गेहूं वितरण

337. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले में किस-किस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को काम के बदले गेहूं दिया जा रहा है एवं किस-किस योजना में कितना प्रतिशत अनाज व कितना प्रतिशत नकद देने की व्यवस्था है?

(2) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत किस-किस ग्राम पंचायत में 15 फरवरी, 2006 तक किए गए कार्यो के लिए श्रमिकों को मजदूरी के रूप में गेहूं का भुगतान कर दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि राशन डीलरों द्वारा श्रमिकों को कूपन देने पर

(श्री संयम लोढ़ा)

गेहूं उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? 15 फरवरी, 2006 तक किए गए कार्यों की एवज में दिए गए कितने कूपनों का सिरोही जिले में भुगतान के रूप में श्रमिकों को गेहूं उपलब्ध नहीं कराया गया? मजदूरी के रूप में गेहूं की सिरोही जिले की मांग कितनी है एवं 15 फरवरी, 2006 तक मांग के विपरीत कितना गेहूं उपलब्ध कराया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत काम के बदले गेहूं दिया जा रहा है। दोनों योजनाओं में प्रति मजदूर को प्रतिदिन मजदूरी राशि का कम से कम 25 प्रतिशत नकद एवं अधिकतम 75 प्रतिशत गेहूं दिये जाने का दोनों योजनाओं की मार्गदर्शिका में प्रावधान है।

(2) उक्त योजनाओं में 15 फरवरी, 06 तक किये गये कार्यों के लिये श्रमिकों को मजदूरी के आंशिक भुगतान हेतु गेहूं के कूपन जारी कर दिये गये हैं। सिरोही जिले की 151 ग्राम पंचायतों में से शिवगंज पंचायत समिति क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतों और रेवधर पंचायत समिति क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतों कुल 11 ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष समस्त 140 ग्राम पंचायतों में गेहूं का भुगतान कर दिया गया है। जिनकी ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-''1'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। दिनांक 15.2.2006 तक सिरोही जिले की 11 पंचायतों में सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदारों के पास गेहूं उपलब्ध नहीं होने से श्रमिकों को भुगतान बकाया है जिसका मूल कारण भारत सरकार द्वारा दोनों योजनाओं में गेहूं के मूल आवंटन में कटौती की जाना है। बकाया गेहूं के भुगतान का ग्राम पंचायतवार विवरण (परिशिष्ट-''2'') पर संलग्न है। सिरोही जिले को एस.जी.आर.वाई. योजनानतर्गत वर्ष 2005-06 में गेहूं का मूल आवंटन 3941 मै. टन था, जो अब भारत सरकार द्वारा संशोधित कर 2617 मै. टन कर दिया गया है, जिसका उठाव कर लिया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 हेतु गेहूं का मूल आवंटन 9580 मै. टन था। प्रथम किश्त के रूप में 4790 मैं. टन गेहूं रिलीज किया गया था, जिसके उठाव के दौरान ही भारत सरकार द्वारा संशोधित कर 2874 मैं. टन कर दिया गया। जिसका उठाव कर लिया गया है। जिला परिषद द्वारा ही एस.जी.आर.वाई. एवं एनएफएफडब्लूपी योजनान्तर्गत कार्यों की स्वीकृति के आधार पर तहसीलों को गेहूं आवंटन किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट-''3'' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

(तारांकित प्रश्न संख्या- 168 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् में सम्बद्धता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल संघों का विवरण

1. राजस्थान (आर्चरी) तीरंदाजी, संघ, अजमेर।
2. राजस्थान एथलेटिक संघ, अजमेर।
3. राजस्थान बैडमिन्टन संघ, जयपुर।
4. राजस्थान बाल बैडमिन्टन संघ, जयपुर।
5. राजस्थान बास्केटबाल संघ, जयपुर।
6. राजस्थान बिलियर्ड एसोसिऐशन संघ, जयपुर।
7. राजस्थान बाडी बिल्डिंग संघ, जयपुर।
8. राजस्थान बाक्सिंग संघ, जालौर।
9. राजस्थान ब्रिज संघ, जयपुर।
10. राजस्थान कैरम संघ, जयपुर
11. राजस्थान (चैस) शतरंज संघ, बीकानेर।
12. राजस्थान कोर्फ बाल संघ, जयपुर।
13. राजस्थान क्रिकेट संघ, जयपुर।
14. राजस्थान साइकिल पोलो संघ, जयपुर।
15. राजस्थान साइक्लिंग संघ, बीकानेर।
16. राजस्थान विकलांग क्रिकेट एसोसिऐशन, जयपुर।
17. राजस्थान घुड़सवारी संघ, जयपुर।
18. राजस्थान फुटबाल संघ, कोटा।
19. राजस्थान गोल्फ संघ, जयपुर।
20. राजस्थान जिम्नास्टिक संघ, जयपुर।
21. राजस्थान हैण्डबाल संघ, जयपुर।
22. राजस्थान हाकी संघ, बीकानेर।
23. राजस्थान कबड्डी संघ, जयपुर।
24. राजस्थान खो-खो संघ, अजमेर।

25. राजस्थान नेटबाल संघ, जयपुर।
26. राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ, जयपुर।
27. राजस्थान राइफल शूटिंग संघ, जयपुर।
28. राजस्थान शूटिंगबाल संघ, टोंक।
29. राजस्थान सोफ्टबाल संघ, भरतपुर।
30. राजस्थान तैराकी संघ, जयपुर।
31. राजस्थान टेबिल-टेनिस संघ, अजमेर।
32. राजस्थान ताइक्वान्डो संघ, जयपुर।
33. राजस्थान टेनिस संघ, जयपुर।
34. राजस्थान टेनिब बाल क्रिकेट संघ, जयपुर।
35. राजस्थान बालीबाल संघ, जयपुर।
36. राजस्थान भारोत्तोलन संघ, जयपुर।
37. राजस्थान कुश्ती संघ (भा.प) अजमेर।
38. राजस्थान कुश्ती संघ, (ओ.प) जयपुर।
39. राजस्थान महिला क्रिकेट संघ, जयपुर।
40. राजस्थान महिला हाकी, संघ, भरतपुर।

परिशिष्ट-ख

परिषद द्वारा राज्य स्तरीय खेल संघों को गत दो वर्षों में दी गई आर्थिक सहायता का विवरण

क्र.सं.	खेल का नाम	वर्ष 2002-03		2003-04		2004-05	
		राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय
1.	तीरंदाजी	35596	25953	72945	10320	-	7073
2.	एथलेटिक्स	100546	63000	-	66417	-	46770
3.	बैडमिन्टन	24411	24247	30297	29549	45421	34158
4.	बाल बैडमिन्टन	82657	38000	128131	41156	-	-
5.	बास्केटबाल	463319	56810	292312	97452	420263	62200
6.	बिलियर्डस	-	-	-	-	-	-
7.	बाड़ी बिल्डिंग	32954	28000	17815	36842	19956	7117
8.	बाक्सिंग	29438	-	47034	43174	-	23971
9.	ब्रिज	-	-	-	-	-	-
10.	कैरम	-	10994	-	8022	-	-

क्र.सं.	खेल का नाम	वर्ष 2002-03		2003-04		2004-05	
		राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय
11.	शतरंज	27351	-	29095	-	20371	-
12.	कार्फ बाल	-	-	-	-	-	-
13.	क्रिकेट	-	-	-	5000	-	-
14.	साइकिलो पोलो	-	-	-	-	-	-
15.	साइक्लिंग	53009	5600	2500	36287	-	29584
16.	विकलांग क्रिकेट	-	76000	-	76000	-	-
17.	घुड़सवारी	-	-	-	-	-	-
18.	फुटबाल	380060	-	487051	-	716827	-
19.	गोल्फ	-	-	-	-	-	-
20.	जिम्नास्टिक	19956	17465	71679	48293	87978	23324
21.	हैण्डबाल	411857	45828	427190	175362	561233	36179
22.	हाकी	310411	-	-	10037	252868	-

क्र.सं.	खेल का नाम	वर्ष 2002-03		2003-04		2004-05	
		राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय
23.	कबड्डी	327421	59884	141385	82309	142084	35792
24.	खो-खो	-	18150	-	2368	-	-
25.	नेटबाल	-	-	-	-	-	20687
26..	पावर लिफ्टिंग	35000	-	39001	8954	49317	63339
27	राईफल शूटिंग	-	-	-	-	-	33424
28.	शूटिंग बाल	-	-	41029	-	-	-
29.	साफ्ट बाल	339853	36000	104374	89140	318084	16500
30.	तैराकी	134435	32362	153575	14720	113284	31832
31.	टेबिल टेनिस	-	-	-	-	-	-
32.	ताइक्वान्डों	-	-	-	-	-	-
33.	टेनिस	-	-	-	-	-	-
34.	टेनिस बाल क्रिकेट	26342	59762	96242	59762	462940	104320

क्र.सं.	खेल का नाम	वर्ष 2002-03		2003-04		2004-05	
		राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय
35.	वालीबल	179724	46570	338064	117928	222242	30259
36.	भारोत्तोलन	27208	6264	75115	17926	84557	15103
37.	कुश्ती (भा.प.)	-	-	38639	-	-	-
38.	कुश्ती (ओ.प.)	162257	79718	100717	138548	109222	19336
39.	महिला क्रिकेट	-	5312	-	21704	64500	-
40.	महिला हाकी	900	-	28528	-	-	11968
41.	खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता/ पुरस्कार	-	-	-	20412	-	-
कुल योग :-		**3204705**	**735919**	**2762718**	**1257682**	**3691147**	**652936**

वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 में राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पदकों की सूची

परिशिष्ट-''ग''

क्र.सं.	राजस्थान राज्य खेल संघ का नाम	स्वर्ण	रजत	कांस्य
1	राज्य कुश्ती संघ	5	4	5
2	राज्य हैंडबाल संघ	2	1	1
3	राज्य एथलेटिक्स संघ	9	7	7
4	राज्य कबड्डी संघ	1	-	-
5	राज्य भारोत्तोलन संघ	-	1	2
6	राज्य साफ्टबाल संघ	1	-	-
7	राज्य बास्केटबाल संघ	-	2	-
8	राज्य निशानेबाजी संघ	5	1	-
9	राज्य शतरंज संघ	-	1	-
10	राज्य बाक्गिंग संघ	-	-	1
11	राज्य नेटबाल संघ	-	-	1
12	राज्य साइकिलिंग संघ	8	6	6
13	राज्य घुडसवारी संघ	2	-	1
14	राज्य तीरन्दाजी संघ	3	1	-
15	राज्य गोल्फ संघ	4	-	-
16	राज्य वालीबाल संघ	-	1	-
17	राज्य टेनिसबाल क्रिकेट संघ	-	2	-

(तारांकित प्रश्न संख्या –169 की सूचना)

परिशिष्ट-''अ''

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

No.F.4(10)PRD/Law/Sdl.Aera.Act/95/Part-II/1312 Jaipur, Dated : 26.2.2002

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in their Application to the Sche ules Area) Act, 1999, the State Government hereby makes the following rules for obtaining recommendation of the Panchayati Raj Institutions for grant of mineral concessions in respect of minor minerals, namely:-

1. Short title, extent and commencement – (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in their Application to the Schedules Area) Rules, 2002.

(2) They Shall extend to the scheduled areas of Rajasthan as referred to in clause (1) of Article 244 of the Constitution except those areas which are administered by a municipality.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Authority to make recommendation :- Recommendation for grant of any mineral concession in respect of a minor mineral shall be made by

(a) the concerned Gram Panchayat, Where the area falls within the jurisdiction of a single Gram Panchayat; or

(b) the concerned Panchayat Samiti, Where the area falls within the jurisdiction of more than one Gram Panchayat; or

(c) the concerned Zila Parishad, Where the area falls within the jurisdiction of more than on Panchayat Samiti.

3. Produce for obtaining recommendation – (1) The mining Engineer/Assistant Mining Engineer concerned shall send to the recommending authority, as specified in the rule 2 above, proposal alongwith a plan of the area superimposed on the Revenue Map and description report mentioning distance and bearing of one the conrner pillars of the area with fixed reference point in the vicinity.

(ii) The recommending authority shall consider the proposal and convey its recommendation within 30 days from the date of receipt of the proposal;

Provided that the recommending authority may reject the proposal for reasons to be recorded and communicated in writing to the concerned mining Engineer/ Assistant Mining Engineer.

By Order,
Sd/-
(S.R. Pratiher)
Director

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : 12 अप्रैल, 2002

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** (i) इन नियमों का नाम राजस्थान गौण खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2002 है। (II) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 में नियम 4 के उप नियम (7) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम (8) जोड़ा जायेगा, अर्थात् (8) किसी गौण खनिज के संबंध में कोई भी पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्तियां खनन पटट् या कोई अन्य खनिज रियायत अनुसूचित क्षेत्रों में राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 16) के अधीन के प्रयोजन के लिये बने नियमों में यथा-विहित समुचित स्तर पर ही पंचायत राज संस्थाओं की पूर्व सिफारिश अभिप्राप्त किये बिना मंजूर नहीं की जायेगी।''

सं. एफ. 12(2)खान/ग्रुप-199

राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(आर. एस. अग्रवाल)

उप शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENE (GROUP-VI) DEPARTMENT

No.F.10(5)Rev-6/2000/12   Jaipur, Dated : 17 April, 2002

NOTIFICATION

In exercise se of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 200 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the State Government herbay directs that the powers of Tehsildar, under section 183-D of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) for sum-

mary ajectment of traspassers from the and held by a member of a scheduled Tribe in the Scheduled Area, shall be exercise by the Panchayat Samiti.

This Notification shall Commencement force from the date of its publication in the Offieial Gazette.

By order of the Governor,
Sd/-
(L.N. Sharma)
Deputy Secretary to Governemtn.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENE (GROUP-VI) DEPARTMENT

No.F.13(i)Rev-6/2000/13 Jaipur, Dated : 17 April, 2002

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Rajasthan Money lenders Act, 1963 (Rajasthan Act No. 1 of 1964), and in partial modification of the previous notifications issued in this regard, the state Government hereby appoints the Commissioner, Tribal Area development Department to be the Register General, the penchayat Samiti to be Register an Gram Panchayat to be Assistant Registrar or the Scheduled Areas, for the purpose of the said Act.

This notification shall came into force from the date of its publication in the official Gazette.

For order of the Governor,
Sd/-
(L. N. Sharma)
Deputy Secretary to the Govt.

परिशिष्ट-3

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

किशनगढ़ में पावरलूम उद्योग के नियोजित विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने बाबत

महोदय,

सविनय निवेदन है कि किशनगढ़ (अजमेर) में सन 1967-68 में स्थापित पावरलूम (टैक्सटाइल) उद्योग ने भी पूरे देश में एक विशेष पहचान बनाई है। हजारों मजदूरों को रोजगार देने वाला यह उद्योग राजकीय सुविधाओं के अभाव में शुरू से ही संघर्षरत रहा है, लेकिन क्षेत्र के पुरुषार्थी उद्यमीगण प्रतिस्पर्धा के इस युग में देश के उद्योग जगत में राज्य की अग्रणी बनाये हुए है।

किशनगढ़ में पूर्व विकसित पावरलूम औद्योगिक ईकाइयां (अति लघु उद्योग जिनकी कुल लागत लगभग 10 लाख रुपये है) अनियोजित तरीके से शहर के बीचों-बीच स्थापित है। आवासीय क्षैत्रों में संचालित है, मजदूरों की सुविधा व अन्य उपलब्ध स्रोतों व वांछित स्थान के मद्देनजर उद्योग हेतु ईकजाई भूमि आरक्षित आवंटित नहीं होने से भी क्षेत्र में पावरलूम उद्योग का पूर्ण रूप से नियोजित विस्तार नहीं हो पाया है।

मान्यवर, किशनगढ़ में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि उपलब्धता पर पावरलूम उद्योग की इकाइयों सहित उससे संबंधित साईजिंग, ओपन हैण्ड, रिंग फ्रेम, सेक्शनल वार्पिंग, डाइंग एवं प्रिटिंग आदि उद्योग भी शीघ्र विकसित हो सकेंगे।

किशनगढ़ के सभी उद्यमियों की मांग पर राज्य के रीको लिमिटेड द्वारा अजमेर जिले की प्रमुख योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ में पावरलूम औद्योगिक (पार्क) क्षेत्र विकसित करने हेतु खोड़ा गणेश जी मार्ग पर 491 बीघा भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव निगम मुख्यालय भेजे जाने का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, अजमेर द्वारा प्रकाशित हौंसले की उड़ान में उल्लेख है वर्तमान में इसके अलावा क्षेत्र की मांग को देखते हुए प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिये अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता समझते हुए खोड़ा गणेश जी मार्ग-अजमेर रोड़ पर लगभग 950 बीघा भूमि आरक्षण- अवाप्ति हेतु विचाराधीन है, जो कि

पावरलूम औद्योगिक (पार्क) क्षेत्र के लिये उपयुक्त व उपयोगी है। लेकिन मुख्यालय रिको लिमिटेड ने इस पावरलूम औद्योगिक (पार्क) क्षेत्र भूमि अवाप्ति प्रकरण को विगत एक साल से रोक रखा है। उक्त भूमि शीघ्र अवाप्त नहीं की गई तो भू-माफिया उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द कर देंगे।

अत: मैं प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगढ़ में पावरलूम उद्योग के नियोजित विकास विस्तार के लिये खोडा गणेशजी अजमेर रोड़ मार्ग पर भूमि अवाप्ति करने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 (17) के तहत तत्काल कराकर औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर अनुग्रहित करावें।

सादर।

भागीरथ चौधरी
(किशनगढ़)

गुणावती ग्राम (परबतसर) में अवैध खनन बाबत

मान्यवर,

मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचाल नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम गुणावती में खान संख्या 217/1 राधा स्वामी ट्रस्ट के नाम से स्वीकृत थी जिसे खनिज विभाग मकराना द्वारा खालसा किया जा चुका है। अब श्री रतनाराम पुत्र श्री धन्नाराम मेघवाल वार्ड नं. 2 गुणावती मकराना द्वारा खान नं. 217/1 गुणावती रेंज में अवैध खनन कार्य कार्य किया जा रहा है, जिसकी आज तक न तो रायल्टी चुकाई गई है, न ही आयकर भरा जा रहा है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस हेतु पूर्व में भी बार-बार विभाग को कार्यवाही हेतु लिखा गया है। लेकिन आज तक कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त अवैध खनन कार्य जारी है।

श्री रतनाराम पुत्र श्री धन्नाराम मेघवाल द्वारा उक्त खान नं. 217/1 गुणावती रेंज के स्वीकृत क्षेत्र 100x100 के बाहर उतर पूर्व दिशा में 25x20x30 क्षेत्र में ओपन पिट लगाकर अण्डर कटिंग करते हुये असुरक्षित रूप से क्रेन स्थापित करके अनाधिकृत खनन कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार श्री रतनाराम द्वारा खुले आम क्रेन स्थापित करके अवैध रूप से अनाधिकृत खनन कार्य करके

खनिज मार्बल का दोहन किया जा रहा है। जबकि श्री रतनाराम के नाम किसी प्रकार की कोई खान उक्त क्षेत्र में स्वीकृत नहीं है। श्री रतनाराम मेघवाल का पुत्र रामचन्द्र मेघवाल गुणावती का एकमात्र खान माफिया है, जो राजनीतिक पहुंच एवं धन बल पर अवैध खनन करता है। इसी खान के नीचे मेघवल समाज की श्मशान भूमि है, जो इनके सुरंग नुमा अवैध खनन करने के कारण खोखला हो गया है, जो कभी भी धंस सकी है।

इस संबंध में राजस्थान सरकार के कार्यालय खनिज अभियंता मकराना ने प्रासंगिक पत्र द्वारा श्री रतनाराम को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 48 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए दिनांक 29.3.03 को निर्गमित खनिज रॉयल्टी राशि की दस गुणा कीमत 14,33,540 रुपये की वसूली बनाई जिसे बाद श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, वरिष्ठ खनि कार्यदेश मकराना एवं विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेकर उक्त राशि को वास्तविक उत्पादन 60 प्रतिशत मानते हुये, 8,60,124 रुपये कर दी गई जिसे 15 दिवस में जमा करवाने के नोटिस के बावजूद न तो उक्त राशि राजकोष में जमा करवाई गई। न ही उक्त अवैध खनन कार्य रोका गया। तथा पूर्व में खनिज अभियन्ता मकराना, फोरमेन श्री शिवपाल सिंह शेखावत, गार्ड रामदीन माली एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से उक्त क्रेन पर ताला लगाया गया था जिसे भी खनिज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से तोड़ कर वहां से करीब पांच लाख का मार्बल की चोरी कर ली गई जिसका सबूत है कि उक्त मार्बल माहेश्वरी मार्बल इण्ड. एवं अन्य मार्बल कम्पनियों में ट्रक द्वारा डलवाया गया। इस प्रकार प्रभावी कार्यवाही के अभाव में राज्य सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है। तथा दोषी व्यक्तियों एवं अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमानी से अन्य अवैध कारोबारियों का उत्साह वधर्न हो रहा है। उपरोक्त विभागीय अधिकारियों ने उक्त अवैध खनन करने वालों को सलाह दी है कि आप लोग कोर्ट से स्थगन आदेश ले लेवे जब तक का समय हम आपको दे देगे।

अत: निवेदन है कि आज तक की उक्त पेनल्टी राशि की पुन: गणना करवाकर किसी उच्चाधिकारी को इस राशि की वसूली हेतु पाबन्द करवा कर व चोरी किये गये मार्बल को जप्त करने की कार्यवाही करवाने तथा अवैध खनन को रूकवाकर सरकार को हो रही हानि को रुकवाने की कृपा करावें। साथ ही भविष्य में इस प्रकार अवैध खनन, चोरी व लूट की घटनाओं की पुनरावृत्ति भी

रोके जाने हेतु संबंधित व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही कर एवं अवैध खनन क्षेत्र को नियम 145 के तहत कुड़क करवा कर की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत करवाने की कृपा करावें।

राकेश मेघवाल

(परबतसर)

धौलपुर के संगीतज्ञ श्री महमूद धौलपुरी का राज्य सरकार द्वारा सम्मान

महोदय,

माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के संगीतज्ञ श्री महमूद धौलपुरी को पदमश्री के पुरुस्कार से सम्मानित किये जाने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है जिसकी सूचना उन्हें केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रियों एवं विभागों से बधाई के रूप में प्राप्त हुई। श्री महमूद को मार्च, 06 के अंतिम सप्ताह के राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली पर आयोजित होने वाले अलंकार समारोह में भारत के राष्ट्रपति महोदय पदक एवं प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे।

मान्यवर श्री महमूद धौलपुरी को हामोनियम वाद्य के प्रचार-प्रसार एवं ज्ञान स्वरूप यह पुरुस्कार प्रदान किया जा रहा है।

श्री धौलपुरी मेरे निर्वाचन क्षेत्र धौलपुर के रहने वाले हैं और उन्हें केन्द्र सरकार से तो काफी संख्या में बधाई संदेश प्राप्त हुये हैं किन्तु राज्य सरकार की ओर से किसी भी मंत्री एवं विभाग की तरफ से उन्हें कोई बधाई संदेश नहीं दिया गया है।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि श्री धौलपुरी की संगीत जगत को प्रदान सेवा को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा भी उन्हें मान-सम्मान तथा जो भी सहायता उन्हें प्रदान की जा सके वह की जानी चाहिए।

बनवारीलाल

(धौलपुर)

वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड गठन किये जाने बाबत

मान्यवर,

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वन्य प्राणों संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा (33)(6) में जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार का वन्य प्राणी संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाने का था। इस संशोधित अधिनियम को 1.4.2003 से ही लागू किया गया था मगर तीन वर्ष पूर्ण होने पर भी राज्य सरकार ने इस संशोधन के तहत अभी तक जन भागीदारी सुनिश्चित करने की धारा में कोई कदम नहीं उठाया है।

इस हेतु एक एड़वाइजरी कमेटी भी गठित होनी थी परन्तु अभी तक इस तरह की कमेटी गठित नहीं की गई हैं जिसके कारण वन्य जीव का प्रयाप्त संरक्षण नहीं हो पा रहा है और रणथम्भौर से बाघों का सफाया हो रहा है।

इसी प्रकार धारा 5 में संशोधन कर भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया है और इस अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार अप्रैल, 2003 से 6 माह में राज्य वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की भी अनिवार्य रूप से की जानी थी। जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्य मंत्री होगा व वन मंत्री उपाध्यक्ष होंगे व तीन विधान सभा के माननीय सदस्य उसके सदस्य होंगे। परन्तु खेद का विषय है कि अभी तक भी उक्त वन्य जीव बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। जिसके कारण जितने भी अभ्यारण है इसके अलावा वन्य जीव है उन सबका प्रयास और उचित संरक्षण नहीं हो पा रहा है।

अत: इस विशेष उल्लेख के तहत माननीय मुख्य मंत्री और वन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि शीघ्रातिशीघ्र वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की पालना कर शीघ्र ही बोर्ड का गठन करें।

श्री खुशवीर सिंह
(खारची)

नोहर सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के लिए जल प्रबन्धन किये जाने बाबत

महोदय,

दिनांक 31.12.1981 को रावी-व्यास नदी जल बंटवारा का द्वितीय बिन्दु

यह था कि नोहर सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का जो जिला हनुमानगढ़ की तहसील नोहर व भादरा एवं जिला चूरू की तहसील तारानगर एवं राजगढ़ के क्षेत्र को, जिसे सिंचाई सुविधा से लाभान्वित किया जाना था। यह मांग राजस्थान की गत 20 वर्षो से लम्बित थी, इस मांग की पूर्ति के लिए सन 1969-70 में इन जिलों में किसान आन्दोलन हुए और सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञ श्री मोतीराम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उन्हें कहा गया कि वे सुझाव दें कि इस क्षेत्र को कैसे सिंचाई सुविधा मुहैया करवायी जा सकती है, लेकिन पानी के स्थायी स्त्रोत के अभाव में समिति ठोस सुझाव देने में असमर्थ रही। यह क्षेत्र भौगोलिक संरचना के आधार पर वर्तमान में, भांखड़ा सिंचाई प्रणाली, जसाना एवं अमर सिंह के समीपवर्ती है और भूमि बहुत समतल एवं अत्यधिक उपजाऊ है राजस्थान के सामने कृषक वर्ग की अहम मांग थी कि इस क्षेत्र को किसी प्रकार सिंचाई सुविधा मुहैया कराई जावे।

राजस्थान का भांखड़ा क्षेत्र ''खारा'' जिसका कमांड 79, 352 एकड़ एवं डिस्चार्ज 225 क्यूसेक है और हरियाणा की जंडवालडिस्ट्रीब्यूटरी सम्पर्क बिन्दु ''2'' पर है। इसी प्रकार हरियाणा की साउथ घग्घर कैनाल की टेल सम्पर्क बिन्दु ''3'' पर राजस्थान की साउथ घग्घर कैनाल जिसका कमांड 98, 329 एकड़ है और डिस्चार्ज 266 क्यूसेके है, के द्वारा इस क्षेत्र को सिंचाई दी जा रही है। इन दोनों सिस्टम्स को आसानी से राजस्थान फीडर तत्पश्चात परिवर्तित इन्दिरा गांधी फीडर से पानी दिया जा सकता है। इन्हें राजस्थान फीडर को स्थानान्तरित होने दे। यह मामला पूर्णतया हमारा आन्तरिक है और किसी राज्य की इसमें भागीदारी नहीं है और इस पानी को बीएमएल (भाखडा मेन लाइन) की टेल अर्थात टोहाना हैड से इन सिंचाई परियोजना के लिए हाडबर्ट होने दें। ट्रांजिट आब्जर्प्सन लोसेस को सम्मिलित करते हुए यह मात्रा पानी की लगभग 570 क्यूसेस बनती है। शेष पानी, हमें बीएसएल (व्यास-सतलज लिंक) परियोजना की भागीदारी से हमें खोसला समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने राजस्थान के हक में निर्णय किया है दिया जाय। इस योजना के निर्माण में राजस्थान ने बहुत बड़ी धनराशि पावर एवं इरीगेशन कम्पोनेन्ट में दी है। इस पर भी पंजाब एवं हरियाणा सहमत नहीं हुए और विरोध किया। इन्दिरा जी के विशेष अनुरोध पर पंजाब एवं हरियाणा इस बिन्दु पर सहमत हो गये कि केन्द्रीय सिंचाई सचिव, भारत सरकार को यह मामला सौंप दिया जाय और वे निश्चित तौर से 15 दिन में यह फैसला करें और इस दौरान सभी पक्षों को विस्तृत तौर से सुने और जो फैसला 15.1.1982 को देंगे, सभी पक्ष मानने को बाध्य होंगे।

उस समय तत्कालीन केन्द्रीय सिंचाई सचिव, श्री सी.सी. पटेल साहब थे, उन्होंने उसी दिन अधिकारीगण की बैठक ली और उक्त अनुबन्ध की पालना में निम्न प्रकार से अपने कार्यक्रम की घोषणा की-

विशेष उल्लेख के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की मांग पर भारत सरकार ने दिनांक 15 फरवरी, 1982 को फैसला किया, राजस्थान के हित में किया अब सरकार कौनसी सरकार के आदेशों की इन्तजार में है कि वह आदेश दे और यह क्षेत्रफल इन सिंचाई परियोजनाओं का इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सम्मिलित किया जावे।

विधायक महोदय को जो सूचना सदन के माध्यम से दी गई है वह नितान्त आधारहीन व सरासर गलत है इससे सदन की गरिमा एवं पवित्रता पर ठेस पहुंचती है। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए अध्यक्ष महोदय कठोर चेतावनी मंत्री महोदय को दें।

अत: अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इन सिंचाई परियोजना के लिए डायवर्ट्रेड पानी अविलम्ब उपलब्ध करायें और 0.17 एमएएफ पानी पंजाब से लेने का प्रयास सरकार करें और बीबीएमबी से कहे कि भारत सरकार के फैसले के अनुसार यह 0.17 एमएएफ पानी राजस्थान को दें क्योंकि बीएमएल के रेस्टोरेशन के लिए पंजाब को पूरी धन राशि वह दे चुका है।

रामचन्द्र जारोड़ा
(नागौर)

आरजेडी नहर के आरडी 19 से निकलने वाले संसारदेसर माइनर का निर्माण करवाने विषयक

मान्यवर,

निवेदन है कि जिला बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर की आरडी 507 से निकलने वाली आरजेडी नहर की 19 आरडी से संसारदेसर माइनर का निर्माण कार्य वर्ष 1992 में विभाग द्वारा प्रारम्भ करवाया गया था, लेकिन निर्माण कार्य के प्रारंभ होने के साथ ही कुछ स्थानीय काश्तकारों ने इसके अन्तर्गत आने वाली अपनी भूमि का मुआवजा नहीं मिलने के कारण इस माईनर के निर्माण का विरोध किया, ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा निर्माण कार्य बंद करवा दिया गया।

वर्तमान समय में इस माइनर के अन्तर्गत आने वाली भूमि का भुगतान संबंधित काश्तकारों को कर दिया गया है लेकिन फिर भी निर्माण कार्य विभाग द्वारा प्रारंभ नहीं करवाया जा रहा है। जबकि इस माइनर के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि में से न सिर्फ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित काश्तकारों को वर्ष 1987 में कमाण्ड भूमि का आबंटन किया गया बल्कि अन्य अनेक काश्तकारों को भी कमाण्ड भूमि आबंटित करते हुए उसकी किश्तें जमा करवाई गई, लेकिन आज भूमि आबंटन के 18-19 वर्ष व्यतीत जाने के बावजूद भी विभागीय लापरवाही के कारण माइनर निर्माण नहीं होने का खामियाजा काश्तकारों को भुगतना पड़ रहा है।

अत: मेरा निवेदन है कि काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1992 से लंबित संसारदेसर माइनर के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाया जावे।

धन्यवाद।

वीरेन्द्र बेनीवाल
(लूणकरणसर)

कपासन में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत

महोदयजी,

मैं बद्रीलाल जाट विधायक विधानसभा क्षेत्र कपासन नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:-

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में प्रमुख समस्या उपखण्ड मुख्यालय कपासन पर राजकीय स्तर का कालेज नहीं होने की है।

कि चित्तौड़गढ़ जिले में कपासन कभी शिक्षा की नगरी माना जाता था। वहीं आज उच्च शिक्षा हेतु चालीस से सौ किमी. दूर जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है। जिससे गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा सुलभ नहीं हो पा रही है। वहीं बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु अन्यत्र भेजने में माता पिता संकोच करते हैं। जिससे बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है ऐसी स्थिति में मैं कपासन विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से अनुरोध करते हुए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कपासन उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय स्तर संचालन का राजकीय महाविद्यालय खोलने का आदेश जारी कराने की

कृपा करावें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कपासन में राजकीय महाविद्यालय खुलने पर निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाओं के आदर्श प्रस्तुत होंगे।

श्री बद्रीलाल जाट

(कपासन)

जहाजपुर के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यन्त लोक महत्व का है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में चिकित्सालयों में काफी पद रिक्त है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर में कनिष्ठ विशेषज्ञ के 4 पद, दन्त चिकित्सक 1 पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पण्डेर में कनिष्ठ विशेषज्ञ 1 पद, चिकित्सा अधिकारी 1 पद तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्करगढ़, बिशनियां एवं बोरड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त है। इसी प्रकार मेलनर्स I के 8 पद, दन्त तकनीकी सहायक का 1 पद एवं सहायक रेडियोग्राफर का एक पद रिक्त है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब काश्तकार निवास करते है जो नजदीक इलाज नहीं मिलने पर दूरस्थ जिला मुख्यालय तक नहीं जा सकते है तथा समुचित इलाज के अभाव में मरीजों की अकाल मृत्यु हो जाती है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि अनुसूचित जाति, एवं जनजाति के गरीब काश्तकारों को नजदीकी इलाज की सुविधा के लिए सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त चिकित्सकों एवं अन्य पदों पर शीघ्र पदस्थापन की व्यवस्था करावें।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)

डेगाना (नागौर) विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर)

की अधिकांश पेयजल योजनायें फ्लोराईड युक्त पानी की सप्लाई कर रही है। अधिकांश ग्रामों में पानी का कोई स्रोत नहीं होने से वहां समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। जिनमें थाटा, जावा घाना, जाखेड़ा, आलानियावास मेहराणा आदि है। इसके अतिरिक्त गर्मी के मौसम में समस्या का विकराल रूप सामने आ सकता है। पिछले काफी वर्षो से बरसात की कमी होने से टयूबवैलों का जलस्तर नीचे चला गया है, अत: विभिन्न गांवों में तालाब खुदाई के कार्य और पानी के टांके बनाने की स्वीकृतियां विभाग द्वारा जारी की जानी चाहिये ताकि पीने के पानी की समस्या काफी हद तक समाप्त की जा सके।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा

(डेगाना)

लूणी के विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने बाबत

आधुनिक कम्प्यूटर के युग में शिक्षा मानव जीवन के लिए प्राणवायु के बाद सबसे महत्वपूर्ण व अति आवश्यक है। शिक्षा से ही मानव के व्यक्तित्व, समाज, प्रदेश व देश का निर्माण होता है। शिक्षा हमको जीवन जीने की कला सीखाती है। शिक्षा की सुविधा आमजन को उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व व कर्तव्य है।

लूणी विधानसभा क्षेत्र में चालू सत्र में 01 उच्च माध्यमिक, 03 माध्यमिक, 09 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने, 20 रा.गा.पा. से प्राथमिक में क्रमोन्नत 05 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने में ऐतिहासिक सहयोग के लिए यशस्वी मुख्यमंजी जी व माननीय शिक्षा मंत्रीजी का हार्दिक आभार व अभिन्न्दन तथा कोटि कोटि साधुवाद।

विद्यालयों को क्रमोन्नत करना अथवा नये विद्यालय खोलने मात्र से ही शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जायेगी। इसके लिए साथ ही साथ नव क्रमोन्नत विद्यालयों में पदों की स्वीकृति प्रदान कर, उन पदों पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापन करना अति आवश्यक है। विद्यालय क्रमोन्नत तो हो जाते हैं मगर 2-3 सत्रों तक न तो पदों की स्वीकृति आती है और न ही रिक्त पदों पर पदस्थापन होता है। जिससे ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों के अध्ययन में भारी कठिनाई आती है।

लूणी विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में लम्बे अरसे से निम्न प्रकार से पद रिक्त है :- व्याख्याता हिन्दी 2, व्याख्याता अंग्रेजी 2, व्याख्याता अर्थ शास्त्र

1, व्याख्याता इतिहास 5, व्याख्याता राजनीति शास्त्र 1, व्याख्याता समाज शास्त्र 2, द्वितीय श्रेणी शा. शिक्षक 1, द्वितीय श्रेणी विज्ञान 1, द्वितीय श्रेणी गणित 6, द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी 4, द्वितीय श्रेणी सामान्य 7, तृतीय श्रेणी शिक्षक 6, एल.डी.सी. 02, च. श्रे. कर्मचारी 10,

इसी प्रकार लूणी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति लूणी में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी के 49 तृतीय श्रेणी के 50, शारीरिक शिक्षकों के 06 व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 04 पद लम्बे समय से रिक्त पड़े है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 06 पद व 05 नये विद्यालयों के 10 पद व 20 राजीव गांधी पाठशालाओं से प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत के 40 पद भी रिक्त है।

उपर्युक्त रिक्त पदों को तुरन्त प्रभाव से भरने की पुरजोर मांग की जाती है। इन रिक्त पदों को विद्यार्थी हित में तुरन्त प्रभाव से भरा जाय।

जोगाराम पटेल

(लूणी)

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिए छात्रावास खोलने बाबत

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में शेरगढ़ तहसील को छोड़कर जोधपुर जिले की अन्य सभी तहसील मुख्यालयों पर समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों/छात्राओं हेतु छात्रावास संचालित है, परन्तु शेरगढ़ मुख्यालय पर आज तक कोई भी छात्रावास नहीं खोला गया है, जबकि इस तहसील मुख्यालय एवं आस-पास के गांवों में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार बड़ी संख्या में निवास कर रहे है। स्थानीय के ग्रामवासियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के बालाकों का छात्रावास खोलने हेतु निरन्तर मांग की जा रही है।

शेरगढ़ तहसील की पंचायत समिति बालेसर की नाथडाऊ ग्राम पंचायत में अनुसूचित जन जाति के लोग बडी संख्या में दूर दराज की ढाणियों में निवास कर रहे है। ये परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण अपने बच्चों को पूर्ण शिक्षा दिलवाने में असमर्थ है। इस कारण इन परिवारों द्वारा अनुसूचित जनजाति के बालकों का छात्रावास खोलने हेतु निरन्तर मांग की जा रही है।

शेरगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत देचू जोधपुर-जैसलमेर हाईवे मार्ग के मुख्य सडक पर स्थित है। यहां पर अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं एवं अपने परिवार की बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलवाने हेतु लगतार अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं का छात्रावास खोलने की मांग कर रहे है।

इन तीनों स्थानों क्रमश: शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर, ग्राम पंचायत नाथडाऊ एवं ग्राम पंचायत देचू से करीब 30 किलोमीटर की दूरी तक समाज कल्याण विभाग का अनुसूचित जाति/जनजाति का एक भी छात्रावास नहीं है। तथा शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं का एक भी छात्रावास नहीं है।

अत: शेरगढ़ मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति के बालकों का ग्राम पंचायत नाथडाऊ में अनुसूचित जनजाति के बालकों का एवं ग्राम पंचायत देचू में अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं का छात्रावास खोलने की आवश्यकता रहेगी।

बाबू सिंह राठौड़

(शेरगढ़)

जयपुर नगर निगम की गौशालाओं में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवस्थाओं के संबंध में

महोदय

मैं नगर निगम, जयपुर की गौशालाओं में व्याप्त अनियमिताओं एवं अव्यवस्थाओं की ओर स्वायत शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नगर निगम, जयपुर द्वारा जयपुर में विभिन्न स्थानों से पकड़ी गई गायें, बछड़े, बैल आदि को ट्रक में भरकर निगम द्वारा संचालित गौशालाओं जिनमें एक बस्सी के हिंगोनिया गांव में स्थित है तथा दूसरी सांगानेर में स्थित है उनमें रखा जाता है।

बस्सी के हिंगोनिया गांव की गौशाला तो मेन रोड़ से ढ़ाई किलोमीटर अंदर स्थित है। हिंगोनिया गांव की गौशाला में ढ़ाई किलोमीटर की दूरी जो जगह-जगह खड्डों से भरी पड़ी है।

निगम की इन गौशालाओं में एवं दबावखानों में सभी श्रेणी के गौवंश

को एक साथ रखा जाता है जिससे बडे पशु छोटे एवं अशक्त बीमार गौवंश को भोजन पानी आदि नहीं लेने देते, जिसके कारण वे भूखे रह जाते हैं।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से इन गौशालाओं व दबावखानों में समुचित व्यवस्था हेतु तत्काल निम्नांकित आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन करता हूं:-

1. निगम की इन गौशालाओं व दबावखानों में छोटे शिशुओं एवं निर्बल जीवों के लिए पृथक से समुचित व्यवस्था की जाय तथा बैलों व अन्य स्वस्थ गायों के लिए पृथक से बाडों की व्यवस्था की जाय।

2. इन गौशालाओं व दबावखानों के सभी बाडों की दीवारों और दरवाजों को ऊंचा करके कांच व नुकीले सरिये लगाये जायेगा ताकि रात्रि में कुत्ते-भेडिये दीवारे-दरवाजे को फांद कर छोटे व बीमार असहाय गौवंशों का भक्षण न कर सके।

3. इन गौशालाओं के आस-पास के क्षेत्रों के सभी जंगली कुत्तों-भेडियों को पकड़कर निगम के जयसिंहपुरा स्थित श्वानघर में भिजवाया जाय।

4. बीमार, निरीह व अशक्त गौवंश को यथाशीघ्र सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए निगम के कर्मचारी नियुक्त किये जायें तथा वे भूख प्यास या चिकित्सा के अभाव में अकाल मृत्यु के ग्रास ना बने। इन गौशालाओं व दबावखानों में निरीक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाय।

5. बीमार व अशक्त गौवंश को शीघ्र एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था की जाए तथा वहां चिकित्सक को रहने के लिए पाबंद किया जाय। चिकित्सक के वहां नहीं रुकने की स्थिति में उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

6. सभी गौवंश का पृथक बाडों में समय पर चारा-पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु कर्मचारियों को पाबंद किया जाय। कर्मचारियों को इन गौशालाओं में यदि कोई गाय, बछड़े की भूख-प्यास से मृत्यु हो तो उसके लिए कर्मचारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।

7. बीमार व शिशु गायों, बछडों के कक्ष को जाली से कवर करवा दिया जाये ताकि कौएं उनकी आंखे फाड़कर मांस नोचकर वीभत्स रूप से उन्हें अकाल, मृत्यु का ग्रास न बने।

8. हिंगोनिया गौशाला की ओर मुडने वाले सांभरिया मोड पर ईश्वर

मार्केट के पास गौशाला के लिए कोई पथ प्रदर्शक साइन बोर्ड नहीं है, दानदाताओं व स्वयंसेवी संस्थाओं को गौशाला पहुंचने में असुविधा होती है अतः यहां सुगम पथ प्रदर्शक की शीघ्र व्यवस्था की जाय।

9. बस्सी के हिंगोनिया गांव से निगम की गौशाला/दबावखाने तक की ढ़ाई किलोमीटर की सांभरिया तक जीर्ण-शीर्ण व क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़क शीघ्रतिशीघ्र नई बनाई जावे अथवा उसकी मरम्मत कराई जाय।

सुरेन्द्र पारीक
(हवामहल)

डूंगरपुर जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त होने संबंध में

महोदय,

डूंगरपुर जिले में डाक्टरों के कई पद खाली पड़े हुए है। गांवों से कई मरीज आते है जो बिना इलाज के वापस चले जाते है, फलस्वरूप मरीज मौत के घाट चले जाते है अतः डूंगरपुर में डाक्टरों के बिना भारी परेशानी होती है। इसी तरह डूंगरपुर देहात की डिस्पेंसरियों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी कई डाक्टरों की जगह खाली पड़ी है। अतः देहात में भी कई जगह रिक्त पद है। मेरा स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन है कि अति शीघ्र पदों को भरने की आवश्यकता है।

नाथूलाल अहारी
(डूंगरपुर)

पाली के रंगाई छपाई उद्योग की मरणासन्न हालत को ठीक करने बाबत

मान्यवर जी,

मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये पाली के प्रसिद्ध रंगाई छपाई उद्योग के मरणासन्न हालत को ठीक कर इसको पुनः जीवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण में सहयोग एवं उद्योगों हेतु पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

औद्योगिक इकाईयों द्वारा जल प्रदूषण निवारण संयंत्र को चलाने हेतु निर्धारित राशि दी जा रही है। तीन तीन ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चल रहे है। माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा इस समस्या के निवारण हेतु रिको के अधिकारियों की

टीम पाली भेज कर ट्रीटमेंट प्लान्ट के अप ग्रेडसन हेतु एक वृहत योजना बना कर केन्द्र सरकार को भिजवाई गई एवं माननीय उद्योग मंत्री जी व्यक्तिगत प्रयास कर साढ़े उन्नीस करोड़ की राशि भी केन्द्र-प्रदूषण नियंत्रण मंडल से स्वीकृत कराई गई। इस राशि से ट्रीटमेंन्ट के अपग्रेडशन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

मान्यवर ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट पहले भी बनाये गये जो चालू है परन्तु फिर भी जल प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है जिसका मुख्य कारण प्रदूषण नियंत्रण हेतु जिन अनुभवी विशेषज्ञों की राय एवं सेवाओं की जरूरत है। ट्रस्ट अपने पर ले जाने में सक्षम नहीं है, मेरा माननीय उद्योग मंत्री जी एवं पर्यावरण मंत्रीजी जी से निवेदन है कि जल प्रदूषण के निस्तारण में जो अनुभवी विशेषज्ञ है उनकी एक टीम पाली भेजे एवं यह टीम गहन अध्ययन कर जल प्रदूषण का स्थाई समाधान कैसे हो सकता है इसकी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दे एवं उनकी देखरेख में संयंत्र का अपग्रेडेशन हो ताकि राशि का सही उपयोग उद्योगों के हित में हो सके। मात्र स्थानीय ट्रस्ट के माध्यम से प्रदूषण की समस्या का सम्पूर्ण समाधान किया जाना संभव नहीं है।

साथ ही जलदाय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि पाली का रंगाई छपाई उद्योग पानी पर आधारित है। आठ दस वर्ष पूर्व इण्डस्ट्रीज को रा वाटर एंव पेयजल दिया जाता था जो सरकार द्वारा पानी दिया जाना बंद करने पर स्थानीय स्रोतों से पाने स्तर पर पानी की व्यवस्था की जा रही है जिसके कारण इण्डस्ट्रीज को लाखों रुपये का भार प्रति वर्ष पड़ रहा है साथ ही टैंकरों के माध्यम से यह पानी मंगवाया जा रहा है बड़ी संख्या में ये टैंकर सड़क पर चलने के कारण सड़कें भी बार-बार क्षतिग्रस्त होती है एवं इसके कारण दुर्घटनाएं भी बहुत बढ़ गयी है। इण्डस्ट्रीज की आवश्यकता मात्र एक सौ एम.सी.एफ.टी. पानी की है। अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पानी के व्यर्थ चले जाने की समस्या के समाधान हेतु जवाई बांध से रोहट तक पाईप लाइन बिछाने की 354 करोड़ की योजना की मंजूरी दे दी है। जिससे प्रति वर्ष करीब डेड हजार एम.सी.एफ.टी. पानी व्यर्थ जाने से बच जायेगा।

इस पानी में से करीब 100 एम.सी.एफ.टी. पानी इण्डस्ट्रीज के लिये उपलब्ध कराने हेतु आरक्षित करने का श्रम करें।

ज्ञानचन्द पारख
(पाली)

फतेहपुर में चारा डिपो खोले जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

मैं अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में भयंकर अकाल की स्थिति है। पूरे क्षेत्र में 75 से 100 प्रतिशत फसल का खराबा हुआ है। पिछले वर्ष भी अकाल था परन्तु अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किया गया था फतेहपुर का अधिकतर इलाका चूरू जिले से जुड़ा हुआ है। जहां रामगढ़ शेखावाटी से लेकर पूरी सीमा सालासर तक चूरू की सीमा से जुड़ा हुआ है। पिछले वर्ष भी चारा नहीं हुआ एवं इस वर्ष भी चारा नहीं हुआ वर्षा नहीं होने के कारण फसल के समय भी पशुओं को सूखा चारा डाला जा रहा था अब पूरे इलाके में चारे की भयंकर कमी है। खाखला 350 रुपये क्विंटल एवं कुतर 450 रुपये क्विंटल बिक रहा है। इस स्थिति में किसानों को अपने पशुओं को भी बचाना बड़ी मुशिकल है।

अत: मैं अकाल राहत मंत्री जी से चाहूंगा कि शीघ्र चारा डिपो खोलने की कृपा करें।

भंवरु खान
(फतेहपुर)

जयपुर के न्यू सांगानेर रोड, सोढाला श्याम नगर की कालोनियों में विवाह स्थलों से होने वाली परेशानियों बाबत

महोदय,

न्यू सांगानेर रोड सोडाला पर लगभग 15-16 विवाह स्थल बने हुए है उनके आस पास रूप विहार, डी.पी. कालोनी, गोवर्धन कालोनी, श्याम नगर, गणेश नगर, आदि आवासीय कालोनियों बसी हुई है। इन विवाह स्थलों के पास के घरों के लोगों को विवाह कार्यक्रम के दिनों में मानसिक परेशानी से जूझना पड़ता है। विवाह स्थल पर संगीत कार्यक्रम में म्यूजिक सिस्टम (डेक) को आवाज इतनी तेज होती है कि लोग आपस में बात भी नहीं कर सकते। बच्चों को पढ़ाई में परेशानी होती है। बोर्ड की परीक्षाचल रही है। रात को 12 बजे तक संगीत चलता रहता है। पुलिस और प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है।

लिखित में कई शिकायत की गई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन विवाह स्थलों पर वाहनों की भीड़ लगी रहती है जिससे प्रदूषण फैलता है गाडियों में मदिरापान होता है और खाली बोतले बाहर फेंक दी जाती है। ध्वनी

नियंत्रण कानून की खुली अवहेलना हो रही है विवाह स्थल के बाहर पेशाबघर की व्यवस्था नहीं होने से पेशाब से गंदा किया जाता है। विवाह के बाद जो कचरा होता है जो बाहर सड़क पर डाल दिया जाता है जिससे आमजन परेशान होता है। या तो सरकार इन विवाह स्थलों को बाहर स्थानान्तरित करे या उनके पार्किंग की व्यवस्था करें और 9 बजे बाद म्यूजिक सिस्टम (डेक) पर प्रतिबन्ध लगाया जाये और गंदगी की सफाई का भार विवाह स्थल के मालिक पर डाला जाया हर विवाह स्थल की शहर में यही स्थिति है।

सी. डी. देवल

(रायपुर)

धरियावद तहसील में डी.ए.पी. व अन्य फर्टिलाइजर की किसानों से मनमानी कीमत वसूले जाने बाबत

महोदय,

मैं सदन का ध्यान धरियावद तहसील में व्यापारियों द्वारा डीएपी व अन्य फर्लिटलाईजर की मनमानी कीमत किसानों से वसूल किये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं:-

इस वर्ष अच्छी बरसात होने से रबी की फसल की मांग को देखते हुये फर्टिलाइजर के थोक विक्रेताओं ने डीएपी की कृत्रिम कमी बताकर निर्धारित दर से एक बेंग पर करीब 17 से 20 रुपये ज्यादा वसूला है व किसी भी किसान को बिल भी क्रय के वक्त नहीं दिया गया। नर्मदा खाद् जिसकी कीमत 380 रुपये के करीब है उसे थोक में 400 रुपये में बेचा गया और खुदरा में 10 रुपये प्रति किलोग्राम से दिया गया जो बेग पर 500 रुपये पड़ता है। व्यापारियों से सम्पर्क करने पर बताया गया कि ट्रक भाडा ज्यादा लगता है जबकि ऐसा नहीं है किसान मजबूरी में फसल के वक्त पैसे देकर खाद खरीदने पर मजबूर हुआ व इस पूरे प्रकरण से बदनामी राज्य सरकार की हुई।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस सारे प्रकरण की जांच कराई जाय व ऐसे व्यापारियों के लाईसेंस निरस्त किये जायें व ऐसे कदम उठाये जाये जिससे किसानों से मनमानी करने का कोई साहस न कर सके।

रणधीर सिंह भीण्डर

(बल्लभनगर)

कुशलगढ़ पंचायत समिति में अध्यापकों के स्वीकृत रिक्त पद भरने हेतु

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुशलगढ़ पंचायत समिति बिखरी हुई आबादी व बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में साक्षरता अभियान चलाया गया जिसमें विद्यालयों में छात्रों के अधिक नामांकन हुये है। अध्यक्ष महोदय, कुशलगढ़ पंचायत समिति में लम्बे समय से 264 पद रिक्त चल रहे हैं, अध्यापकों के पद रिक्त होने से छात्रों की पढ़ाई में परेशानी आ रही है। पढ़ाई के अभाव में परीक्षा रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। लम्बे समय से 264 पद खाली रहना छात्रों के साथ खिलवाड़ कहा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं जिला प्रशासन ने कुशलगढ़ पंचायत समिति में इन अध्यापकों को बांसवाड़ा जिले की अन्यत्र पंचायत समितियों में प्रति नियुक्ति की गयी जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम अध्यापक/अध्यापिका	कहां से	कहां के
1	श्रीमती रेणुका शर्मा	पलकपाड़ा	बांसवाड़ा
2	श्रीमती मैना देवी	बगायपा	गंठी
3	श्रीमती अरूणा सामर	बोगडीमाल	गंठी
4	श्री नटवरलाल व्यास	मोरअरी	बांसवाड़ा
5	श्री रामलाल	कुशलगढ	आनन्दपुरी
6	श्री श्यामलाल	कुशलगढ	आनन्दपुरी
7	श्री लक्ष्मणलाल सोंलकी	कुशलगढ	आनन्दरी
8	श्री बसन्तलाल बडरिया	मंहुड़ा	आनन्दपुरी

अध्यक्ष महोयद, कुशलगढ़ प.स. 264 पद रिक्त होते हुये अन्यत्र पंचायत समिति में अध्यापकों प्रतिनियुक्ति अनुकूल नहीं है।

अत: अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मांग करता हूं कि 264 रिक्त पदों को भरा जावें। जिन अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति प्रशासन के द्वारा की गई है उसे तुरन्त निरस्त कर कुशलगढ़ से यथावत रखे जावें। तथा जिस अधिकारी ने प्रति नियुक्ति की है जो कि नियम के विरुद्ध है, के खिलाफ कार्यवाही करके राज्य सरकार को निर्देशित करें।

धन्यवाद।

फतेह सिंह

(कुशलगढ़)

सडूबड़ी ग्राम (श्री डूंगरगरढ़) के क्रमोन्नत आदेश निरस्त कर देने से उत्पन्न स्थिति बाबत

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के ग्राम सडूबडी पंचायत समिति सुजानगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विभाग द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2005 को क्रमोन्नत किया गया था। परन्तु उक्त विद्यालय को दिनांक 21 जनवरी, 2006 को क्रमोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया गया। जबकि उक्त विद्यालय में अनेकों विद्यार्थियों का एडमीशन भी हो चुका है। और उक्त विद्यालय की छात्र-छात्राओं की संख्या भी करीब 400-450 की है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त विद्यालय के निरस्त किये गये आदेशों को वापस बाहल करते हुये ग्राम सडूबड़ी के छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने की कृपा करें।

मंगलाराम गोदारा
(श्रीडूंगरगढ़)

चौमूं विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के रखरखाव बाबत

महोदय,

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सड़कों के रखरखाव बाबत निम्न बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उक्त क्षेत्र में 10 वर्ष कृषि विवरण बोर्ड व नाबार्ड के सहयोग से गोविन्दगढ़ से धोवलाई, किशनपुरा से नांगल गोविन्द, निवाणा से धोवलाई तथा हस्तेडा रींगस से भूतेडा सड़क का निर्माण किया गया था। लेकिन निर्माण होने के बाद इन सड़कों के रख रखाव व मरम्मत की जिम्मेदारी न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग ने व न कृषि विपरण बोर्ड ने ली दोनों विभागों से उक्त सड़कों के मरम्मत हेतु सम्पर्क किया गया लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारी तो सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी थी वह हमने पूरी कर दी है। तथा कृषि विपरण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि हमारे बोर्ड से कुछ अंश राशि ही इन सड़कों के निर्माण में लगी है। अतः इनके रख रखाव व मरम्मत की जिम्मेदारी हमारे विभाग की नहीं है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का इस

ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन सड़कों के रखरखाव व मरम्मत कौन से विभाग द्वारा की जावेगी उक्त सभी सड़कों की मरम्मत शीघ्र करवाने के आदेश दिलवाने का श्रम करें। इस बाबत में सरकार से पुन: आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

रामलाल शर्मा

(चौमूं)

खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के तीजों वाला बान्ध के अतिक्रमण हटाने के संबंध में

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कस्बे खेतड़ी में राजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित तीजों वाला बांध सरकार की धरोहर है तथा इस बांध के भर जाने से पूरे कस्बे में पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। वर्तमान में खेतड़ी कस्बे में पीने का पानी 48 घंटे से उपलब्ध होता है तथा कस्बे क्षेत्र में पानी फ्लोराइड युक्त है अत: पीने के पानी हेतु की सप्लाई बडाऊ गांव से की जा रही है जो करीबन 21-22 किलोमीटर की दूरी से आता है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बांध को छटाई के लिये 10 लाख रुपये स्वीकृत किये लेकिन 2-4 परिवारों द्वारा अतिक्रमण होने के कारण इस बांध की छटाई नहीं हुई है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार का एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस पर तत्काल कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया जावे ताकि बांध की छटाई हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग कर बांध की छटाई कराई जा सके ताकि पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जा सके।

दाताराम गुर्जर

(खेतड़ी)

पिलानी क्षेत्र की सड़कों की स्थिति खराब होने बाबत

महोदय,

सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। गाडियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। धरडु से जीणी 1 किमी सुरजगढ़ से बुहाणा 20 किमी बेरी से छापड़ा 4 किमी चिड़ावा से स्वामी 8 किमी. की टूटी हुई, सुल्ताना से घरड़ाणा

खुर्द 9 किमी. है। सड़कों की दयनीय स्थिति देखकर हर व्यक्ति को अराजकता नजर आती है। अत: यह जवाबदेही गरीब की हीतेषी सरकार आगे जाकर यह सिद्ध करें कि सरकार की नीति एवं नियती में कोई अन्तर नहीं है। यह कृपया मैं सरकार से यह आशा रखूंगा कि माननीय मंत्री महोदय सदन में यह आसवस्त करें कि स रकार यह सड़कों की बदहालत को कब ठीक कर देंगे। कृपया बताने का कष्ट करें यह पारदर्शी सरकार का सबूत देने की कृपा करें।

श्रवण कुमार

(पिलानी)

रायसिंहनगर में किसानों की समस्याओं के संबंध में

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत मेरे विधाना सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में वर्ष 1976 में व उसके बाद सोसायटी भूमि का रकबा काश्तकारों को पुख्ता आवंटन किया था काश्तकारों के द्वारा उक्त भूमि की किस्ते भी जमा करा दी गई है लेकिन आज तक काश्तकारों के नाम उक्त रकबा अमल दरामद नहीं हुआ और न ही खातेदारी सनदे जारी की गई अत: आवंटियों के नाम उक्त रकबा अमल दरामद करके खातेदारी अधिकार दिये जावे व इसके साथ-साथ जिन काश्तकारों को गंग नहर क्षेत्र में टी.सी. से पुख्ता आवंटन रकबा हो चुका है उक्त रकबे की किस्ते काश्तकारों द्वारा एक मुश्त राशि में जमा करा दी है। खातेदारी अधिकार आवंटन तीन साल बाद दिये जाने का प्रावधान है।

अत: मेरा आपसे आग्रह है कि किसानों के द्वारा उक्त भूमि की एक मुश्त राशि किश्तों के पेटे जमा करवाने पर उक्त काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जावे ताकि किसानों को अपनी जमीन पर ऋण उपलब्ध हो सके।

अत: मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय का इस और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन में चर्चा करने की अनुमति भी प्रदान की जावे।

लालचन्द

(रायसिंहनगर)

जैसलमेर जिले के किसानों से रायड़ा की मार्च में ही खरीदे जाने विषयक

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम-295 के द्वारा विशेष उल्लेख से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के जैसलमेर जिले क्षेत्र में किसानों को रायड़ा मार्च माह में ही खरीद करवाने की कृपा करावें जिससे किसान राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई ब्याज माफी और बढ़ाई किस्तों के रूप में दी गई राहत को फायदा उठाते हुए सरकार के खजाने में राशि जमा करवा सकें। चूंकि ब्याज माफी के साथ किस्तें जमा करवाने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2006 तक ही है। ऐसी स्थिति में ही रायड़ा खरीदा जाए तो किसानों को लाभ मिलेगा और सरकार के खजाने में धन जमा होने से राज्य के विकास के लिये धन उपलब्ध होगा। यहां मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री महोदया को नहरी क्षेत्र के किसान भाईयों की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों को राहत प्रदान की है। उन्होंने किसानों की मुसीबत को दूर करने के लिए जिस प्रकार ब्याज माफी, आबियाना माफी तथा साथ ही किस्तें बढ़ाकर राहत दी है। रायड़ा खरीद, फसल बीमा योजना एवं अनेक तरह के किसान हितैषी कार्य किये हैं। इसलिए मुख्य मंत्री महोदया की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। राजस्व मंत्री महोदय और सिंचाई मंत्री महोदय भी बधाई के पात्र हैं।

तगाराम चौधरी

(बाड़मेर)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर दौसा-मनोहरपुर सड़क नक्शानुसार नहीं बनाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11-ए जो दौसा से 11 किलोमीटर के मध्य बाणगंगा नदी स्थित पुलिया से बापी औद्योगिक क्षेत्र के मध्य बापी के खसरा नं. 308 व 307 में होकर गुजर रहा उक्त रा.रा. मार्ग भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो नक्शा तय किया गया है उसमें तीन लाइन डाली हुई है तथा तरमीन पश्चात सड़क में दो लाइन डालकर सेंटर लाइन नहीं होने के कारण गांव बापी के काश्तकारों की सड़क में अवाप्त भूमि के बाद बची हुई शेष भूमि का सीमा ज्ञान भूमि अवाप्ति अधिकारी के

बनाये नक्शे व रिकार्ड के अनुसार शेष भूमि काश्तकारों की ज्ञात नहीं हो पा रही है। जिससे किसानों को अपनी अवाप्त भूमि के बाद शेष भूमि का भू-उपयोग काश्त के लिए कर सकें और अधिक आर्थिक नुकसान नहीं हो सके। इसके लिए यही सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त गांव के काश्तकारों की भूमि खसरा नं. 308 जो अवाप्त होने के बाद भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अपने रिकार्ड में बतायी है वह नक्शे के अनुसार सड़क नहीं डालने के कारण मौके पर राजस्व विभाग द्वारा सीमाज्ञान कराये जाने पर पूर्ण रूप से नहीं निकलती है और काश्तकारों को प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है अत: उक्त मार्ग का सही रूप से नक्शा व सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि का सीमा ज्ञान कराकर पत्थर गढ़ी करवाई जावे जिससे सभी उक्त गांव के किसानों की अवाप्त भूमि पश्चात बची हुयी अपने खेती की जमीन ज्ञात हो सके और आ रही समस्या का समाधान हो सकें।

हरज्ञान सिंह गुर्जर

(महुआ)

राजस्थान में भ्रूण का परीक्षण एवं हत्या रोकने बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये राजस्थान में आए दिन हो रही लिंग परीक्षण के आधार पर भ्रूण हत्या की ओर सदन के समक्ष निवेदन करना चाहूंगी।

जैसा कि सदन को विदित है राजस्थान में हर गायनिक चिकित्सक धड़ले से माता के पेट में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करता है तथा उसी के आधार पर उस भ्रूण की माता गर्भपात करवाकर उस भ्रूण को समाप्त कर देती है जिसका पूरा श्रेय वर्तमान चिकित्सकों को है। आज कल गायनिक चिकित्सक मात्र कुछ राशि लेकर ही गर्भपात कि क्रिया को अंजाम दे देते है जिसमें कन्या भ्रूण हत्या होती है। इससे न केवल वर्तमान महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अपितु स्त्री पुरुष की जनंसख्या में भी काफी अंतर आ जाता है। मैं इस सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहूंगी कि राजस्थान में प्रति 1000 पुरुष के स्थान पर लगभग लगभग 900 स्त्रियां हैं, राजस्थान के कई जिलों में तो प्रति 1000 पुरुष पर मात्र 800 स्त्रियां हैं,

हरियाणा में तो यह आंकड़ा काफी कम है। लगता है यही स्थिति रही तो राजस्थान में भी महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से काफी कम हो जावेगी। यदि समाज में महिलाओं का योगदान देखा जावे तो सबसे ज्यादा है। महिलाएं बहन, पत्नि एवं मां के रूप में पूरे परिवार की जिम्मेदारी वहन करती है आज न केवल पुरुषों के समान महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है अपितु पुरुषों से भी आगे है। घर की आर्थिक स्थिति में भी महिलाओं का काफी योगदान है। फिर भी इस पुरुष प्रधान राजस्थान में महिलाएं स्वयं ही अपने कोक्ष में पल रही सन्तान की भ्रूण परीक्षण करवाकर या सामाजिक दबाब के आगे उस भ्रूण को पैदा होने से पूर्व ही खत्म कर रही है। यदि चिकित्सा जगत में चिकित्सक विषम परिस्थितियों के अलावा गर्भपात करने का त्याग करते है तो इससे न केवल भावी पीढी स्वस्थ पैदा होगी अपितु पुरुषों के हिसाब से महिलाओं का अनुपात भी सही रह पायेगा। मैं तो इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि स्टिंग आपरेशन के द्वारा जो चिकित्सक भ्रूण परीक्षण एवं भ्रूण हत्या को अंजाम देते है उनका पता लगाकर सम्बन्धित माता एवं चिकित्सक को दण्डित किया जाना चाहिए जिससे समाज में भ्रूण हत्या पर रोक लग सके। इसी के साथ-साथ भ्रूण हत्या रोकने बाबत महिलाओं को भी व्यापक जानकारी देनी चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी हो सके एवं भ्रूण हत्या भी न हो।

अंत में, मैं पुरजोर शब्दों में राजस्थान में भ्रूण परीक्षण एवं भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर कदम उठाने बाबत माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत निवेदन करती हूं।

धन्यवाद। जयभारत।

राजकुमारी शर्मा
(सीकर)

बीपीएल परिवारों की नई सूची जारी करने तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत नये चयनित परिवारों को सहायता प्रारम्भ करने बाबत

मान्वर,

वर्तमान सरकार के 2 वर्ष 3 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आज तक नये बीपीएल परिवारों के चयन तथा अन्त्योदय अन्न योजना के चयन व क्रियान्वित में असमंजसता एवं भ्रम की स्थिति बनी हुई है। परिणामस्वरूप प्रदेश के लाखों लोग जो 1997-98 बीपीएल सेन्सस में शामिल

होने से वंचित रह गये थे उन्हें बीपीएल परिवारों को दी जा रही अनेक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। सरकार ने अभी तक बीपीएल परिवारों की संख्या के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जनवरी 2004 में राज्य सरकार को तत्कालीन एनडीए सरकार से यह निर्देश प्राप्त हुये थे कि बीपीएल परिवारों की संख्या 21 लाख से घटाकर 13.74 लाख कर दी जाये। अर्थात बीपीएल परिवारों की संख्या में 7.26 लाख परिवारों को हटा दिया जाए। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि लगातार 7 साल से प्रदेश के आधे से अधिक हिस्से में लगातार पड़ रहे अकाल के कारण गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्तमान सरकार द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रथम सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि तत्कालीन केन्द्र सरकार से विचारविमर्श कर बीपीएल परिवारों की संख्या का पुन:निर्धारण किया जायेगा और संख्या में कमी नहीं की जायेगी। तत्पश्चात फरवरी, 2005 में नगर निकाय क्षेत्रों में वार्ड सभाएं आयोजित की गई तथा बीपीएल की सूची में बढ़ोत्तरी कर परिवर्तन किया गया लेकिन दुर्भाग्य है कि नवचयनित बीपीएल परिवारों को अभी तक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई है। यह भी चिंता का विषय है कि राजस्थान की 76 प्रतिशत जनता जो ग्रामीण इलाके में निवास करती है के बीपीएल चयन की प्रक्रिया ग्राम सभाएं बुला कर अभी तक प्रारम्भ नहीं की गई है। इसी प्रकार प्रदेश के सबसे गरीब व्यक्ति जो अन्तोदय अन्न योजना के अतंर्गत आते है को अभी तक सहायता प्रारम्भ नहीं की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत परिवारों का पुन:निर्धारण कर संख्या बढ़ाने और सहायता प्रदान करने के बावजूद राज्य सरकार ने नये परिवारों को चयनित तो कर लिया है किन्तु माननीय मुख्य मंत्री के स्पष्ट बजट घोषणा के बावजूद उन्हें 2 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से गेहूं उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आशा की जाती है कि सरकार इन मुद्दों को गम्भीरता से लेते हुए तुरन्त उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत नये चयन कर सहायता प्रदान कराना प्रारम्भ करेगी।

डा. चन्द्रशेखर बैद
(तारानगर)

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के तहत दो एनीकटों का निर्माण कराने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में चार

कस्बे पड़ते हैं दो कस्बे बांदीकुई व बसवा में सांवा नदी व बाण गंगा नदी से पानी की सप्लाई की जा रही है जिस स्थान पर टयूबवैल खोदे गये हैं उनके ऊपर सरकार द्वारा एनिकट निर्माण का कार्य चालू है। बचे हुए दो कस्बे बडियाल कला एवं गुढाकटला भी सांवा नदी के पास पड़ते हैं, इन कस्बों में पानी सप्लाई का प्रतिदिन अभाव महसूस किया जा रहा है क्योंकि वर्षा कम होने के कारण पानी का जलस्तर नीचे जा रहा है।

अत: कस्बा गुढाकटला के ऊपर भांवती गांव के नीचे सांवा नदी पर एक एनीकट का निर्माण करवायी जाये ताकि गिरता जलस्तर रूक सकें एवं कस्बा बडियाल कलां के ऊपर चोरवाड़ा के पास सांवा नदी पर एक एनिकट का निर्माण करवाया जावे जिससे पानी का गिरता जलस्तर रूक सके।

अगर इन दोनों एनिकटों का निर्माण शीघ्र सरकार द्वारा नहीं कराया गया तो कस्बा बडियाल कला व कस्बा गुढाकटला तथा आसपास के अन्य गांवों में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। उक्त दोनों एनिकटों का निर्माण वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के तहत शीघ्र किया जाना आवश्यक है।

मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

मुरारी लाल मीणा
(बांदीकुई)

कानूनगो सर्किल करवर के क्षेत्र को इन्द्रगढ़ तहसील में मिलाने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थिति तहसील नैनवां जिला बून्दी के कानूनगो सर्किल तहसील मुख्यालय के अन्तिम छोर पर होने के कारण इस क्षेत्र के किसानों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनको अपनी तहसील स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय समस्याओं के लिए अपना समय एवं पैसा 30 से 40 किमी. दूरी की यात्रा करके पर व्यय करना पड़ता है जबकि इन्द्रगढ़ तहसील मुख्यालय करबर से मात्र 7 किमी. तथा उपखण्ड मुख्यालय व लाखेरी मात्र 18 कि.मी. पर ही उपलब्ध है। विधान सभा क्षेत्र की दृष्टि से भी यह क्षेत्र केशवरायपाटन क्षेत्र में सम्मिलित है। तथा आने वाले समय में इस क्षेत्र के समस्त राजनैतिक समीकरण भी केशवरायपाटन के साथ

ही जुड़ते है। वर्तमान में भी करवर क्षेत्र के लोगों के व्यवसायिक एवं पारिवारिक सम्बन्ध इन्द्रगढ़ से ही है। तथा इनका यहां निरन्तर अवागमन बना रहता है।

अत: मैं अंत में अनुरोध करता हूं कि कानूनगो सर्किल करवर को तहसील इन्द्रगढ़ में शामिल करके अनुग्रहित करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रभुलाल वर्मा

(पीपल्दा)

टूटी-फूटी सड़कों का पुन: निर्माण कराने के संबंध में

महोदय,

फलौदी, पांचोड़ी, नागौर, तरनाऊ, खाटू, तोषिणा, कुचामन, राजलिया, रेनवाल कालाडेरा जो राज्य राजमार्ग-19 घोषित है इसे ठीक कराने का कार्य मुख्यमंत्री आदर्श रोड़ में सम्मिलित किया गया है परन्तु गत वर्ष इसमें जो राशि उपलब्ध करायी गई उसमें कार्य नागौर के उस तरफ फलौदी की ओर होने वाला है।

कुचामन से रेनवाल की तरफ जाने वाली इस रोड़ पर ग्राम पंचायत, हिराणी में 01 किलोमीटर जो आबादी क्षेत्र है जहां सिमन्टीड सड़क का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है। इन्दौखा से कांकरिया तक की सड़क 6 किलोमीटर, मुआना से राजलिया-6 किलोमीटर, राजलिया से सुरैरा-3 किलोमीटर। इस प्रकार इस राज्य राजमार्ग की 15 किलोमीटर सड़क जो पूर्व से काफी क्षतिग्रस्त है। अच्छी पेवर डामर सड़क बननी आवश्यक है। इसी प्रकार कुचामन से घाटवा सड़क जो एमडीआर-46 महत्वपूर्ण सड़क है इसमें आबादी क्षेत्र को सिमेन्टेड बनाकर ग्राम-चितावा, कुकनवाली, पांचवा, जिजोट, नालोट के लोगों को सरकार ने राहत पहुंचाई है। इसके लिये सरकार का आभारी हूं परन्तु इस रोड़ की चौड़ाई एम.डी.आर. रोड़ जो राज्य मार्ग के अनुरुप मापदण्ड की होनी चाहिए उस कमी को दूर कराया जावें, इसके लिये सी.आर.एफ. से प्रस्ताव भी भेजे गये है। इसी प्रकार कुचामन शहर के बाहर जो अभी राज्य स्टेट हाइवे का भाग है किशनगढ़ से हनुमानगढ़ मेगा हाइवे निर्माण हो रहा है जिससे कुचामन के बाईपास होकर यह मार्ग निर्मित होगा। कुचामन शहरी क्षेत्र राज्य मार्ग का हिस्सा जो इस मेगा हाइवे को जोड़ेगा उसका पुन: निर्माण सी.आर.एफ. में

किया जाना प्रस्तावित है। कुकनवाली से गुगड़वार तक प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क का निर्माण हुआ है परन्तु कुकनवाली (एम.डी.आर.-46) मुख्य सड़क से गुगड़वार सड़क का करीब आधा किलोमीटर आबादी क्षेत्र जिस पर अधिकांशत: अनुसूचित जाति रैगर समाज, हरिजन समाज इत्यादि का मार्ग है व भाग सिमेन्टेड निर्माण होना चाहिए था उसे छोड़ दिया गया है उसे अब सिमेन्टेड निर्माण करवाया जाय।

कुचामन, नावां, सांभर सड़क का कार्य सी.आर.एफ. में मंजूर हुआ है उसका काम भी हुआ परन्तु नावां शहर का आबादी क्षेत्र का हिस्सा जो पूरी चौड़ाई में निर्माण कराया जाना था वह छोड़ दिया गया इस कारण पूरी राशि भी खर्च नहीं हो पाई। शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत राशि उपलब्ध करायी जा रही है परन्तु नावां शहर के सांभर मोड़ से खारडिया रेल्वे फाटक तक के भाग की पूरी चौड़ाई से निर्माण कराये जाने की कोई स्वीकृति अभी जारी नहीं हुई है जबकि इसका प्रस्ताव भी बनाया जाकर भिजवाया गया है।

अत: इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं कि इन वंचित सड़कों का आवश्यक कार्यों की स्वीकृति शीघ्र जारी करवायी जाकर निर्माण कार्य करवाया जावें।

हरीशचन्द्र कुमावत
(नावां)

राऊता ग्राम (भीनमाल) में 33 के.वी. का सब स्टेशन स्वीकृति के उपरान्त भी नहीं बनाये जाने विषयक

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र, भीनमाल में सहायक अभियन्ता, धूमडिया के अन्तर्गत ग्राम-राऊता में वर्ष 2003 में सरकार द्वारा 33 के.वी. सब स्टेशन बनाये जाने की स्वीकृति जारी की थी। यह क्षेत्र भीनमाल के आखरी छोर स्थित है, यहां पर वोल्टेज की समस्या हमेशा बनी रहती है, 3-4 घण्टे से अधिक बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती है व ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतें अधिक रहती हैं। किसानों की फसले आये दिन सूखने के कगार पर रहती है। सरकार ने यहां पर 33 के.वी. सब स्टेशन बनाये जाने की स्वीकृति वर्ष 2003 में दी थी, परन्तु खेद है कि तीन वर्ष पश्चात भी अभी तक सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।

अत: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त 33 के.वी. निर्माण कार्य स्वीकृत स्थल पर करवाये जाने का श्रम करें। जिससे इस क्षेत्र के गरीब किसानों को वोल्टेज की समस्या, ट्रांसफार्मर जलने की समस्या व कम बिजली प्राप्त होने की समस्या से छुटकारा मिल सके व समय पर नियमित बिजली का उपयोग कर सके।

डा. समरजीत सिंह

(भीनमाल)

महत्वपूर्ण पुलिया निर्माण बाबत

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत पुलिया एवं काजवे बनवाया जाना अतिआवश्यक है। क्योंकि वर्षा के समय तथा सामग्री लाने ले जाने में भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो इस तरह से है :-

1 पुलिया निर्माण-साईडेम नदी, बांकावास, पुलिया तेजावास पं.सं. कोटड़ा

2. पुलिया निर्माण-भंवरा खेत नदी पं. क्यारी कोटडा

3. पुलिया निर्माण-गुमान बनास नदी पं. तिरोल गोगुन्दा

4. पुलिया निर्माण रोयड़ा से गायफल सड़क पर बनास नदी पं. करदा गोगुन्दा

5. पुलिया निर्माण-जरगाजी बनास नदी पर पलासमा (गोगुन्दा)

6. पुलिया निर्माण सायरा से कुर्रा सड़क पर डेम के नीचे पं.सं. गोगुन्दा

7. पुलिया निर्माण पाटिया पं. गोगरूं (कोटडा)

8. पुलिया निर्माण श्रीमालीयो की मादडी से भीलवाड़ा के मध्य पं. झाडोल (गो.)

9. पुलिया निर्माण कडेवो का गुडा (राजपूत) (बस्ती) नदी पर करडा पं.सं. गोगुन्दा

10. पुलिया निर्माण साकरिया (चित्रावास) गोगुन्दा

11. पुलिया निर्माण रावछ से देवरा नमण रोड़ पर रावछ (गोगुन्दा)

अत: श्रीमान सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि इन पुलियों का निर्माण आवश्यक रूप से कराये जाने की महत्ती कृपा करावें।

श्री मांगीलाल गरासिया

(गोगुन्दा)

रेवदर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण बाबत

महोदय,

1. निवेदन है कि सिरोही जिला विधान सभा क्षेत्र रेवदर की प्रमुख सड़क रेवदर मुख्यालय से सुन्धा माताजी तक रोड़ बनाया जाये। वहां पर दर्शनाथी हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन रहता है व रेवदर नदी पर पुलिया बनायी जाये। रेवदर से 7 किमी. पर जीरावाला जैन तीर्थ आया हुआ है। यहां गुजरात व राजस्थान के कोने-कोने से दर्शनार्थी आते है। अत: मेरा निवेदन है कि रेवदर से जसवन्तपुरा तक पेवर रोड़ व पटरी ठीक ढंग से बनायी जाये तो दर्शनार्थियों के लिये बड़ी आसानी रहेगी।

2. ग्राम पंचायत दंताणी पंचायत मुख्यालय से कजरीया जो कि 8 किमी. पंचायत मुख्यालय से दूर है। मेरा निवेदन है कि यदि सड़क बनायी जाये तो वहां कि एस.टी., एस.सी. के लोग रहते हैं। सड़क बनायी जाये तो अच्छी सुविधा रहेगी।

3. मीठन से भारोल-भटाणा तक रोड़ बनायी जाये तो आवागमन के साधनों की बड़ी सुविधा रहेगी।

जगसीराम कोली

(रेवदर)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में पदोन्नतियों में आरक्षण नहीं लागू करने बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर के पत्र क्रमांक प. 21 (4) परि/2005 जयपुर दिनांक 26.9.05 के तहत अनु. जाति/जनजाति के कर्मियों के रिक्त रखे गये लेखाधिकारी के 03, सहायक लेखाधिकारी के 03 एवं लेखाकार के 12 पदों को सामान्य वर्ग के लोगों से भर दिया गया तथा इन बैकलाग के लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। शासन सचिव, कार्मिक

के आदेश दिनांक 22.6.04 की जानबूझ कर अवहेलना की गई जिससे यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि सामान्य वर्ग के कार्मियों को आरक्षित वर्ग के रिक्त पद पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती जिसका विभाग के अधिकारियों ने खुलम-खुला उल्लघंन किया गया है तथा अपने चेहतों को पदोन्नतियां दे दी गई है।

रोडवेज विभाग में उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ग के योग्य, अनुभवी एवं पात्र प्रत्याशी उपलब्ध होते हुये भी सामान्य वर्ग के लोगों को ये पदोन्नतियां दिनांक 24.12.05 को देकर उक्त आदेशों का उल्लघंन किया गया है।

अत: आपसे निवेदन है कि उपरोक्त की गई सभी पदोन्नतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे साथ ही इन पदों पर अनु. जाति एवं जन जाति के योग्य अभ्यार्थियों को उनकी उपलब्ध के आधार पर इन पदों पर पदोन्नतियों भी दी जावे इस बाबत मैं माननीय परिवहन मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन की चर्चा करने की अनुमति सहित प्रदान करने की कृपा करें।

रामकिशोर मीणा

(सिकराय)

रावतसर में सेम समस्या के सम्बन्ध में

महोदय,

निवेदन है कि रावतसर क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 522/99/टीई दिनांक 30.3.2000 को 460.66 लाख की एक पायलट परियेाजना सेम निवारण हेतु स्वीकृत की थी इसके अन्तर्गत रावतसर क्षेत्र में 5633 हेक्टर भूमि जो सेमग्रस्त थी उस सेमग्रसत को सेम से मुक्त करवा कर कृषि योग्य बनाने का कार्य था।

इस परियोजना में केन्द्र सरकार का हिस्सा 304.748 लाख व राज्य सरकार लाभान्वितों का अंश 155.912 लाख रुपये थे। परन्तु 31.3.03 तक 305.45 लाख रुपये खर्च किये जा चुके है। जो राशि खर्च हुई है। 205.39 लाख रुपये केन्द्र सरकार के हिस्से से व 100.7 लाख रुपये राज्य सरकार लाभान्वितों का हिस्सा है। परन्तु लाभान्वितों द्वारा 73 लाख रुपये श्रमदान के रूप में व 20 लाख रुपये कृषि उपज मण्डी रावतसर 7.07 लाख रुपये राज्य सरकार के हैं। व राज्य सरकार द्वारा 27.03 लाख रुपये जो कर्मचारी/अधिकारी

सेम परियोजना में कार्य किया था जो मूल सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी व वाहन थे उनके पेटे सेम निवारण समिति से लिए है। राज्य सरकार हिस्सा राशि देने की बजाय सेम परियोजना से राशि ली है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है कि रावतसर क्षेत्र में सेम का प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है। जो कार्य अधूरा पड़ा है उसमें से राज्य सरकार अपना हिस्सा 64.612 लाख दे तो 71.684 केन्द्र सरकार का अंश 27.594 संबंधी ऐजेन्सी डी.आर.डी. हनुमानगढ़ में पड़े है। जो कुल 163.85 लाख रुपये सेम पायलट परियोजना को पूर्ण करने के लिए खर्च किये जा सकते है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह सेम पायलेट परियोजना कास्तकारों के माध्यम से चलाना बहुत मुश्किल है। इस परियोजना को राज्य सरकार अपने हाथों में ले और सेम ग्रस्त क्षेत्र कृषि योग्य होने से जो कृषि जिनसे उत्तन्न होगी उससे राज्य सरकार व कृषि उपज मण्डी को टैकस से आय होगी सेम ग्रसत क्षेत्र में सेस समस्या को हल करने के लिए इन्दिरा गांधी परियोजना के नीचे साईफन बना दिया जावे तो सेम का पानी रोजना लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा दूसरा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के दूसरे छोर के सेम ग्रस्त क्षेत्र का चार किमी. सेम नाला खुदाई कर बहाव क्षेत्र में पतो से जा सकता है। 2000 एकड़ के लगभग भूमि कृषि योग्य हो जायेगी व सरकार व कास्तकारों पर भविष्य के रख-रखाव के अलावा अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की सेम की गम्भीर समस्या है। जिसके कारण भूखमरी फैल रही है व कास्तकारों के हित की बाबत मैंने विधान सभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से पिछले वर्ष उठाया था परन्तु समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। सेम समस्या का हल माननीय सिंचाई मंत्री महोदय हल करने का कष्ट करेंगे। ऐसी मेरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है।

धन्यवाद,

धर्मेन्द्र मोची

(टिब्बी)

सुमेरपुर के राजकीय चिकित्सालय में ट्रोमा यूनिट की टीम लगाने बाबत

मान्यवर,

सुमरेपुर नगर न केवल तहसील केन्द्र व उपखण्ड मुख्यालय है, अपितु

नेशनल हाईवे- क्रमांक 14 पर पाली से 80 किमी. दूर स्थित है। जहां आस-पास के लगभग 150 गांवों के मरीज अपने इलाज के लिए आते रहते हैं। यही नहीं नेशनल हाईवे 14 पर पाली नगर व सुमेरपुर के मध्य (80 किमी. दूरी में) कोई ऐसा अस्तपाल नहीं है, जहां दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का इलाज हो सके। जबकि आए दिन नेशनल हाईवे व अन्य मार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन घायलों को पाली अथवा अन्य स्थानों पर ले जाना पड़ता है। जिसमें कई गंभीर घायलों की मृत्यु तक हो जाती है। कई गर्भवती स्त्रियों को भी चिकित्साकीय सुविधा के अभाव में कालकवलित होना पड़ा है। यही भी सही है कि सुमेरपुर नगर के पास नाणा, बेड़ा, गोरिया, भीमाण जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी व अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते है, जिन्हे भी इलाज के लिए सुमेरपुर ही आना पड़ता है।

मान्यवर चूंकि सुमेरपुर के राजकीय चिकित्सालय में ट्रोमा यूनिट नहीं हैं, इस कारण इन गंभीर घायल मरीजों को या तो निजी चिकित्सालयों की शरण में जाने को मजबूर होना पड़ता है, या अर्थाभाव के कारण उन्हें मौत का शिकार होना पड़ता है।

अत: सरकार से निवेदन है कि सुमेरपुर के राजकीय अस्पताल को अपग्रेड करके ये पद सृजित करवाएं व क्षेत्र की गरीब जनता को राहत प्रदान करावें।

धन्यवाद।

मदन राठौड़

(सुमेरपुर)

जोधपुर शहर में चिकित्सा व्यवस्था के सुधार के क्रम में

माननीया अध्यक्ष महोदयाजी,

जोधपुर शहर के नागरिकों को शहर में ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य रूप से तीन अस्पताल वर्षों से काम कर रहे है। एक तो है महिला बाग अस्पताल व दूसरा नवचौकिया डिस्पेन्सरी व तीसरा लूसन मंडी डिस्पेन्सरी।

इनमें से महिलाबाग अस्पताल को जोधपुर के ही पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने सेटेलाईट अस्पताल बनाने की घोषणा 21 जुलाई, 2003 को कर दी परन्तु इस पर कोई कार्य नहीं किया। न तो इसमें विशेषज्ञ डाक्टरों के पद सृजित किये

गये, न नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की गई और न ही आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाये गये। इस प्रकार ये केवल कागजी घोषणा बन कर रह गई। शहर की जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला।

अब चूंकि हमारी मुख्यमंत्री इस विषय में अत्यन्त संवदेनशील है और हमारे चिकित्सा मंत्री भी बहुत ऊर्जावान है, मेरी इनसे यही अपेक्षा है कि कांग्रेस सरकार की इस गलती का भी सुधार करेंगें और महिलाबाग अस्पताल में एक वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जन), एक वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग), एक वरिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलाजी व इनके साथ समुचित नर्सिंग स्टाफ के पद सृजित कर इन डाक्टरों को वहां लगायेंगे। इलाज के लिए आवश्यक उपकरणों हेतु 50 लाख रुपए भी स्वीकृत करने की कृपा करेंगे।

दूसरा अस्पताल है नवचौकिया डिस्पेन्सरी जिसे हमारे माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने अपने चिकित्सा मंत्री के कार्यकाल में मातृ व शिशु कल्याण केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत किया था। शहर के इतने भीतरी भाग में दूसरा कोई अस्पताल नहीं होने से मेरा आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी को निवेदन है कि इस अस्पताल को चौबीसो घन्टे रखने की व्यवस्था करे। इसके लिए इस अस्पताल में एक वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) एक वरिष्ठ विशेषज्ञ (पैथालाजी) व समुचित नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की जाय। यहां पर कम से कम दो ई.सी.जी. मशीन व प्रसव हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु कम से कम 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाय और इस अस्पताल को 20 बिस्तर वाले अस्पताल में परिवर्तित किया जाय। हयूसन मंडी डिस्पेन्सरी में एक ई.सी.जी. मशीन उपलब्ध कराने की कृपा करें।

जोधपुर में जिला अस्पताल की बहुत आवश्यकता है। जब जयपुर, कोटा, आदि स्थानों पर मेडिकल कालेज के साथ जिला अस्पताल है तो फिर जोधपुर के साथ यह भेदभाव उचित नहीं है। मैंने पहले भी सदन में इस बारे में आग्रह किया था कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने कार्यवाही करने का भी कहा था। मेरी आपसे पून: मांग है कि जोधपुर में जिला अस्पताल स्थापित करने की घोषणा इसी सत्र में की जाय।

सधन्यवाद।

सूर्यकान्ता व्यास

(जोधपुर)

सीकर-नवलगढ़ रोड पर गंदे पानी के निकासी की समस्या बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा क्षेत्र की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत सीकर शहर में नवलगढ़ रोड़ से गंदे पानी की निकासी की योजना के सम्बन्ध में माननीय PHED मंत्रीजी एवं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर इस लोक महत्व के किए पर अनावश्यक रूप से लग रहे समय के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, सीकर शहर में नवलगढ़ रोड़ पर गंदे पानी की समस्या काफी सालों से बनी हुई है और आम जनता को इससे काफी परेशानी व असुविधा होती है जिसके कारण लोगों में भारी आक्रोश था और इसी को देखते हुए एवं जन प्रतिनिधियों की मांग पर मानीनय मुख्य मंत्री महोदया ने विशाल हृदय दर्शाते हुए इस गंदे पानी के निकास हेतु नाला निर्माण की घोषणा की थी। परन्तु स्थानीय एवं उच्चाधिकारियों की मिलीभगत के चलते माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रियान्वयन में भी जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है। योजनानुसार स्वीकृत नाला निर्माण एवं रेलवे लाइन के नीचे से पाइन डालने के कार्यों की अनेक बार निविदाएं आमंत्रित की गई और जान बूझकर निविदा सवीकृत नहीं की गई, बार-बार निविदाएं आमंत्रित किये जाने से यह स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हो रहा है कि कहीं न कहीं दाल में काला है और न्यूनतम दर ही निविदा प्राप्त होने के बावजूद निविदा स्वीकृत न कर पुन: और पुन: निविदा आमंत्रित करने में अधिशाषी अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता क्यों लगे रहे, यह समझ से परे है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने परिचित ठेकेदार विशेष को फायदा पहुंचाने की नियत से अधिशाषी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता, सीकर ने बार-बार टेण्डर काल कर कार्य पूर्ण कराने में विलम्ब किया जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही हे।

अतएवं में राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में अनुरोध करता चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया की घोषणा के मामले में जिन अधिकारियों ने जानबूझ कर लापरवाही बरती और जनहित के कार्य में अनावश्यक विलम्ब किया उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगा एवं गंदे पानी के निकास की योजना का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाया जाये।

के.डी. बाबर

(लक्ष्मणगढ़)

राशमी तहसील मुख्यालय पर सरसों खरीद तौल केन्द्र स्थापित करने बाबत

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष सरसों की फसल की पैदावार अपेक्षा से अधिक होने की पूरी उम्मीद है। राशमी तहसील क्षेत्र में लगभग 125 गांव व मजरे स्थित है। पूरा क्षेत्र खेती पर ही आधारित है। तहसील क्षेत्र लगभग 50 किमी. की लम्बाई चौड़ाई में स्थित है। यहां के काश्तकारों की सरसों की खरीद के लिए राशमी तहसील क्षेत्र में एक भी तौल केन्द्र नहीं खोला गया है जिससे काश्तकारों की सरसों की पैदावार को कपासन तौल केन्द्र पर ले जाना पड़ता है जो लगभग 50-100 किमी. की दूरी पर स्थित है। अत: सरकार राशमी तहसील मुख्यालय पर तौल केन्द्र खोल कर काश्तकारों को राहत देने का अनुरोध करता हूं।

अर्जुन लाल जीनगर

(गंगानगर)

भरतपुर जिले की सिंचाई व्यवस्था बाबत

महोदय,

राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। (1) शुष्क जिसमें पश्चिमी राजस्थान (2) आद्र- जिसमें मेवाड़ व हाड़ोती का हिस्सा आता है (3) अर्द शुष्क जिसमें भरतपुर संभाग यानि पूर्वी राजस्थान आता है।

जहां एक ओर पूर्वी राजस्थान को छोड़कर बाकी हिस्से में इन्दिरा गांधी नहर भाखड़ा, माही चम्बल गंगकैनाल आदि के माध्यम से सिंचाई की जाती है वहीं पूर्वी राजस्थान में केवल पार्वती डेम धौलपुर, जगर का बांध हिण्डौन, जमवारामगढ़ (जयपुर) जयसमन्द अलवर बन्ध बारेठा (भरतपुर) जो कि रियायतसकाल में बने थे, इनका पानी भी आप पेयजल के रूप में दूसरी जगह ले गये जबकि आपको पेयजल के लिए दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए थी- सम्वत 1956 व 1962 के भयंकर अकाल में बहुत से बांध व तालाब बने जिनकी आज तक मरम्मत भी नहीं हुई है-

भरतपुर को तीन नदियों से पानी मिलता था गम्भीर, बाणगंगा पर एनिकट व रूपारेल से जो कि संसार में सिंचाई का यूनिक सिस्टम था, गम्भीर नदी का पानी पांचना बनाकर बाणगंगा व रूपारेल का तरूण भारत संघ ने

लाहा का बास (अलवर) में बांध बनाकर रोक दिया है जिसने सीकर सिस्टम को पूरी तरह खतम कर दिया है वही डीग के ककड़ा बांध जो कि वैसे ही 95-96 की बाढ़ के समय टूट गया था को पूरी तरह सुखा दिया है। जिससे सीकरी व डीग तथा नगर के सैकड़ों गांवों में भू-जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है हजारों लोग प्रभावित हुए है।

अभी हाल ही में बाण गंगा नदी को महुवा तहसील के गांव डीड़वाना व पाली में दो एनिकट बनाकर रोका जा रहा है, इससे भरतपुर जिले के पथेना नाला व हलैना कैनाल में जाने वाला पानी स्वाभाविक रूप से रुक जायेगा जिस पर भरतपुर का प्राकृतिक एवं कानूनी अधिकार है- इससे नदबई, वैर व भरतपुर की विश्व धरोहर घनाझील पानी से वंचित रह जायेगी, पूर्व में पांचना बांध व रूपारेल नदी पर लाहा का बास पर बांध बनाकर सीकरी व ककड़ा सिस्टम को खराब किया जा चुका है। इसी प्रकार गम्भीर नदी पर श्री महावीरजी में एनिकट निर्माण की स्वीकृति देकर भरतपुर को मिलने वाले पानी को रोकने की साजिश की गई है।

अत: हमारा माननीय सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध है कि भरतपुर रेगिस्तान बनाने से रोका जाये और भरतपुर को गम्भीर नदी व बाणगंगा का पानी पूर्व की भांति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें वरना भरतपुर जिले के लोगों का जन आक्रोष जन आन्दोलन में कभी भी बदल सकता है-

श्रीमान भरतपुर को उसके हिस्सा का पानी नहीं मिला तो भरतपुर जो बहुत अधिक उपज देता है रेगिस्तान में तब्दील हो जायेगा। इससे राज्य को राजस्व की भी भारी क्षति होगी।

मोहम्मद माहिर आजाद

(नगर)

सपोटरा-ग्राम (सपोटरा-तहसील) की मुख्य सड़क के दोनों ओर किये गये अतिक्रमणों के सम्बन्ध में

महोदय,

मैं, आपके माध्यम से श्रीमान सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान ग्रामीण सड़क जो कि ग्राम बापौती से मांगरोल होकर ग्राम बाजना (तहसील सपोटरा, जिला करौली) को जाती है उसके दोनों तरफ जो ग्राम मांगरोल में अतिक्रमण कर लिए गए हैं जिनके कारण- आमने-सामने से आने वाले वाहन भी ढंग से नहीं निकल रहे हैं। उन अतिक्रमणों को हटाने की तरफ

दिलाना चाहता हूं। इस विषय में, मैंने खुद संबंधित अधिकारियों से कई बार मौखिक रूप से आग्रह किया है कि आम जनता को इन अतिक्रमणों के कारण भारी परेशानी होती है क्योंकि आमने-सामने से आने वाले वाहन निकल नहीं रही पाते हैं। पर आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

आपसे निवेदन है कि आप श्रीमान जिला कलेक्टर करौली एवं उप जिला कलेक्टर करौली व सपोटरा तथा तहसीलदार सपोटरा को आदेश दें कि वे इन अतिक्रमणों को ग्राम मांगरोल (तहसील सपोटरा, जिला करौली) में जो सड़क के दोनों तरफ हो रहे हैं, उन्हें हटावें और कठारे कार्यवाही करें क्योंकि कुछ बाहुबली लोग कानून और व्यवस्था की हमेशा अवेहलना करते हैं। जब तक उनके खिलाफ समुचित कार्यवाही नहीं होगी तब तक यह लीग मानने वाले है नहीं है। धन्यवाद।

दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(गंगापुर सिटी)

दिसम्बर, 2005 में नसबन्दी शिविर में दो महिलाओं की मृत्यु पश्चात् सहायता राशि का भुगतान नहीं किये जाने बाबत

मान्यवर,

प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। जिस रफ्तार से प्रदेश की जनंसख्या बढ़ रही है उसके अनुरुप हम साधन जुटाने में पिछड़ रहे हैं। इस वर्ष के अन्त तक प्रदेश की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ हो जावेगी। बढ़ती आबादी को रोकने की आवश्यकता को देखते हुये सरकार द्वारा जो प्रयास किये जा रहे है वह पर्याप्त नहीं है। नसबन्दी आपरेशन के दरम्यान हुई मृत्यु पर सरकार समय रहते ध्यान नहीं देती है जिससे यह राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। हाल ही में कोटा जिले में माह दिसम्बर, 2005 में दो अलग-अलग शिविर में महिलाओं की नसबन्दी के बाद मृत्यु हो गयी थी। प्रथम प्रकरण दिनांक 4.12.05 को श्रीमति मन्नी बाई पत्नी श्री शम्भूदयाल मेघवाल निवासी झोपडिया पंचायत झाड़गांव तहसील दीगोद से सम्बन्धित है। इनका नसबन्दी आपरेशन मंडावरा चिकित्सालय के कैम्प में किया गया था व आपरेशन के तुरन्त बाद ही तबीयत खराब होने पर इसे कोटा रैफर कर दिया गया जहां इसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के 24 दिन बाद ही दिनांक 28.12.05 को श्रीमति कोशल्या बाई पत्नी श्री कन्हैया लाल

माली ग्राम रोण तहसील पीपल्दा की मृत्यु आपरेशन के तुरन्त बाद ही हो गई थी। इन दोनों प्रकरणों में मृत्यु के कारणों की जांच सी.एम.एच.ओ. कार्यालय कोटा द्वारा की गई व किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया गया। आज तीन महीने पश्चात् भी राज्य सरकार द्वारा इन दोनों मृतकों के परिवार के सदस्यों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है। एक परिवार अनुसूचित जाति से संबंधित है दूसरा अन्य पिछड़ी जाति से सम्बन्ध रखता है। नियमानुसार इस प्रकार की दुर्घटना पर बीमा कम्पनी द्वारा दो लाख रुपये सहायता राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की है मगर इस राशि को प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब होने से मृतक के परिवार को सहायता राशि के लिये सरकारी कार्यालयों को चक्कर लगाने पड़ते है। समय रहते सहायता राशि नहीं मिलने से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को गति प्रदान करने में अवरोध पैदा होता है। होना यह चाहिये कि चिकित्सा विभाग अपने स्तर पर एक सप्ताह के अन्दर मृतक के परिवार को सहायता राशि का भुगतान करें तथा इस राशि का समायोजन बाद में कम्पनी से प्राप्त राशि से किया जा सकता है।

समय रहते सहायता राशि का भुगतान नहीं करने से प्रभावित परिवार के माध्यम से दुःषप्रचार होना तो स्वाभाविक ही है साथ भविष्य में नसबन्दी के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने हेतु कोई भी जनप्रतिनिधि आगे आने का साहस नहीं करेगा। यह कोई संयोग नहीं है कि एक ही जिले की दो महिलाएं की नसबन्दी के दरम्यान मृत्यु हो जायेगा व चिकित्सा अधिकारी जांच में किसी भी दोषी नहीं पावें। इस प्रकार की जांच भी एक औपचारिकता ही प्रतीत होती है। सरकार को पहल कर तत्काल सहायता राशि का भुगतान करना चाहिये व महिलाओं की मृत्यु की जांच भी उच्च स्तर पर की जावें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें पर रोक लग सकें।

भरत सिंह

(दीगोद)

बस्सी में राजकीय महिला महाविद्यालय खुलवाने बाबत

महोदय,

राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि लाखों की आबादी वाले बस्सी विधानसभा क्षेत्र जहां अनु. जनजाति, अनु. जाति बाहुल्य

के साथ अन्य सभी वर्गों में बालिका महिला शिक्षा का अनुपात बहुत कम है। उच्च प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षित तो पंचायतवार कुछेक बालिकाएं, महिलाएं फिर भी मिल जायेगी लेकिन पंचायतवार सर्वे कराया जायेगा तो बस्सी क्षेत्र की पंचायत समिति बस्सी व पंचायत समिति चाकसू की पंचायतों में स्नातक-स्नातकोत्तर बालिका-महिलाओं की संख्या नगण्य ही मिलेगी। जिसमें भी अनु. जाति, जनजाति वर्ग में तो प्रति पंचायत एक-दो महिला बालिका/बहन बेटी भी स्नातक या स्नाकोत्तर नहीं मिलेगी जिसने बस्सी क्षेत्र में रहते हुए शिक्षा ग्रहण की हो। राजधानी जयपुर में निकटतम पड़ने वाले मेरे विधानसभा क्षेत्र बस्सी का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सरकार को तो क्या हमारी अपनी सरकार का भी इस अति आवश्यक बिन्दु पर आज तक ध्यान नहीं आया जबकि वर्ष 1989 से आज तक लगभग 15-16 वर्षों से मैं राज्य सरकार का विधानसभा कार्यवाही एवं चिट्ठी पत्री के माध्यम से इस बाबत ध्यान आकर्षित करता आ रहा हूं। बस्सी विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्रफल जिसमें चाकसू में पड़ने वाली ग्यारह पंचायतें भी शामिल है तथा जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वे गांव जो आगरा रोड के पैरेलल बसे हैं। लाखों की आबादी वाले इस ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं महिलाओं के लिए दौसा या जयपुर नित्य पहुंचकर कालेज स्तर की पढ़ाई दुर्गम ही नहीं आर्थिक, सामाजिक व पारिवारिक दृष्टि से भी सम्भव नहीं हैं। अत: विधानसभा क्षेत्र बस्सी के पंचायत समिति मुख्यालय कस्बा बस्सी में एक राजकीय महिला महाविद्यालय खुलवाने की स्वीकृति प्रदान करावें। कालेज भवन निर्माण के लिए स्थानीय दानदाता तैयार बैठे हैं। मैं स्वयं अपने कोटे से एवं माननीय सांसद महोदय भी इस कार्य पेटे राशि स्वीकृति के लिए तत्पर है।

डा. कन्हैया लाल मीणा

(बस्सी)

मोड़, तुर्रा, हार, माला, कलंगी आदि को बिक्री कर से मुक्त करने बाबत

अध्यक्ष महोदया,

मैं आपके मार्फत माननीया मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी है, को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इन्होंने आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसमें इन्होंने राज्य की महिलाओं को केन्द्र में रखा तथा राज्य का बजट महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया गया। माननीया

मुख्यमंत्री महोदया ने इस बजट में राज्य की गृहणियों को काफी राहत दी। राज्य की प्रतिभावान छात्राओं की योग्यता का दोहन बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके इस हेतु काफी सराहनीय निर्णय प्रस्तुत किए। गरीब, असहाय व विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी कर यह संदेश दिया है कि यह सरकार कथनी और करनी में कोई भेद बरतने वाली नहीं है। इस बजट भाषण में माननीया वसुंधरा राजेजी ने बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के बारे में बहुत कुछ प्रावधान किए है जिसका फायदा प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को मिलेगा, और मैं आशा करता हूं कि इसका अनुसरण देश के अन्य राज्य भी करेंगे। मुख्य मंत्री महोदया ने जिस दरियाली से राज्य के विकास को गति देने हेतु अलग-अलग क्षेत्रों में नये-नये कार्यों की घोषणाएं की है उससे यह स्पष्ट है कि ये अपने नेतृत्व में राज्य को निश्चित रूप से देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले आयेगी। इस बजट भाषण में महिला बेरोजगारों को रोजगार देने की भी विपुल संभावनाएं जाग्रत की है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो इन्हें इतनी शक्ति दे कि ये राज्य के चहुंमुखी विकास में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें।

अध्यक्ष महोदया मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदया से यहां एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने बजट प्रावधानों में महिलाओं व उनके द्वारा संचालित गृह व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु जो निर्णय लिए है वह बहुत ही सराहनीय है। इस बजट भाषण में राखी को कर मुक्त घोषित किया है, किन्तु प्रदेश की महिलाओं विशेषत: मुस्लिम महिलाओं द्वारा घर-घर में संचालित राखी के अतिरिक्त मोड, तुर्रा, हार, माला, कलंगी व इससे सम्बन्धित वस्तुएं को बिक्रीकर से मुक्त नहीं किय गया है, जिससे इस गृह व कुटीर उद्योग से जुडी महिलाओं में कुछ संशय पैदा होने लगा है। मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में माननीया मुख्यमंत्री महोयदा जो कि राज्य की वित्त मंत्री भी है, प्रदेश की गरीब, असहाय, विकलांग, व विधवा महिलाओं के हितों की रक्षार्थ एवं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने दिशा में उचित निर्णय लेते हुए मोड, हार, माला, कलंगी आदि वस्तुओं को भी बिक्रीकर मुक्त करेंगी।

धन्यवाद

मोहन मेघवाल

(सूरसागर)

शिवाजी कालोनी (निवाई) में बसे गरीबों को पट्टे देने बाबत

अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र उप खण्ड मुख्यालय निवाई कर शिवाजी कालोनी, नगर पालिका क्षेत्र की सबसे बढ़ी एवं घनी आबादी वाली कालोनी है। जिनमें अनु. जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. अप्ल संख्यक एवं गरीब सामान्य वर्ग के बसे हुए। यह कालोनी 1977 के पूर्व की बसी हुई है। जो चारागाह है। यह कालोनी खसरा नं. 1889/2 21 बीघा, 16 बिस्वा खसरा न. 1753 में 4 बीघा एवं खसरा नं. 2045 में 7 बीघा कुल रकबा 32 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर बसी हुई है। पूर्व में यह कालोनी ढाणी जुगलपुरा पंचायत (निवाई) के अन्तर्गत सीमा में थी। उस दौरान कुछ लोगों को पंचायत सस्ती दरों पर पट्टे जारी किये गये थे। परन्तु 90 प्रतिशत लोगों के पास पट्टे नहीं है। इस कालोनी में वर्तमान में तीन पार्ट है। वार्ड नं. 14, 16, 24 जिसकी आबादी 10 हजार के लगभग है।

नगर पालिका क्षेत्र में आने के बाद पालिका द्वारा इस कालोनी में सड़के वियुतीकरण, सामुदायिक भवन, शिवाजी पार्क अम्बेडकर सर्किल एवं पानी की टंकियां टयूब बैल एवं हैण्ड पम्प आदि से सुविधायें दी जा चुकी है। मेरे द्वारा ''द्वितीय बजट सत्र'' इस बाबत अतारांकित प्रश्न संख्या/1982/स्वा. शासन विभाग का उठाया गया था। जिसके जवाब में स्वायत्त शासन विभाग ने खसरा नं. 1889/2 में 21 बीघा 16 बिस्वा खसरा नं. 1753 में 4 बीघा व खसरा नं. 2045 में 7 बी घा कुल 32 बीघा 16 बिस्वा भूमि को पालिका द्वारा सर्वे कराये जाने हेतु निविदाएं जारी की गई है। सर्वे पश्चात् नियमन योग्य प्रकरणों की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुन: ''तृतीय सत्र'' में प्रक्रिया नियम 295 के माध्यम से पुन: उक्त कालोनी को नियमन कराने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मांग की गई थी। परनतु आज दिवस तक स्वा. शासन विभाग/नगर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उक्त कालोनी को विशेष शिविर राजस्व विभाग एवं स्वा. शासन विभाग द्वारा शिविर लगाकर नियमित कराया जावें। तथा उक्त खसरा नं. को चरागाह से आबादी में बदला जाये। इससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की आय होगी। तथा नियमन होने से अन्य वर्गों के व्यक्तियों को मालिकाना हक मिलेगा। क्योंकि सभी व्यक्तियों द्वारा पक्के

मकान तामीर कर निवास कर रहे हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी निर्देश दिये है कि कालोनियों को नियमित करने से पूर्व सभी प्रकार की सुविधायें युक्त होनी चाहिये। अत: यह कलोनी भी सभी सुविधाओं सहित है तथा नियमित करना अजाति/जनजाति/ओ.बी.सी./ अल्प संख्यक एवं गरीब सामान्य जाति के लोगों को राहत मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पुन: बिना किसी विलम्ब के नियमित कराकर गरीबों को पट्टे दिलाकर राहत प्रदान कराने की कार्यवाही की जायें।

श्री हीरालाल

(निवाई)

बरसात से सिरोही जिले के किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि अभी हाल 10 मार्च, 2006 को सिरोही जिले में भारी बरसात हुई है। एक तरफ जहां किसान खेतों में लहलहाती फसल को देखकर बम्पर पैदावर की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बैमौसम की बरसात ने उनकी आशाओं पर तुषारापात कर दिया है। इस बरसात से जिले में खडी नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ईसबगोल व जीरे की फसल में भारी नुकसान हुआ है। रायडे व गेहूं में भी नुकसान हुआ है। खडी फसल में जीरे से 80 फीसदी व ईसबगोल में 90 फीसदी नुकसान हुआ है। रायडे व गेहूं की जो फसल कट गई है, उसमें भी भारी खराबा हुआ। रायडे की गुणवत्ता में भी कमी आयेगी जिसका खमियाजा भी किसान को भुगतना पड़ेगा। सौंफ में भी नुकसान हुआ है। सरसों की खरीद जिले में अभी तक शुरू नहीं की गई। इस हालत में किसान की आंख का आंसू नहीं सूख रहा है।

मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की प्रति बीघा 5 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए व ऋण वसूली स्थगित कर बिजी के बिल माफ किये जाएं। राज्य सरकार ने अभी तक एक भी किसान को, एक सप्ताह गुजर जाने के उपरान्त भी, एक कौडी की भी सहायता नहीं दी गई है। राज्य में स्थापित राजस्थान राहत कोष का प्रावधान 5 करोड़ से बढ़ा कर 50 करोड़ किया जाए जिससे किसान को समुचित सहायता दी जा सके।

श्री संयम लोढ़ा

(सिरोही)